सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्रतिवेदन



राजस्थान सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 4

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार

वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषय सूची

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii–xii
अध्याय I		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	1.1	1-2
जवाबदेयता संरचना	1.2 – 1.4	2-3
राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी	1.5	3
राज्य पीएसयूज में निवेश	1.6 – 1.7	3-5
वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रतिलाभ	1.8	5-7
वित्त लेखों के साथ मिलान	1.9	7
लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया	1.10 – 1.12	8-9
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	1.13	9
लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव	1.14	9
अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार पीएसयूज का निष्पादन	1.15 – 1.19	10-13
अकार्यरत पीएसयूज का समापन	1.20	13
लेखा टिप्पणियां	1.21 – 1.22	14-15
निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं अनुच्छेद	1.23	15
लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.24 – 1.26	15-17
पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण	1.27	17
इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु	1.28	17

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
अध्याय II		
सरकारी कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा		
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1 – 2.25	19-71
अध्याय III		
अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप		
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में सुधार–राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011 का क्रियान्वयन	3.1	73-82
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड		
ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण में अत्यधिक देरी के कारण नुकसान	3.2	83-85
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
शास्ति की वसूली नहीं करना	3.3	85-87
कार्यादेश में दोषपूर्ण वाक्यांश के कारण अधिक भुगतान	3.4	87-88
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड		
जिला खनिज फाउण्डेशन एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के लिए ग्राहकों से अंशदान की वसूली का अभाव	3.5	89-90
कार्यादेश में अवास्तविक वाक्यांशों के कारण राजफोस की उत्पादन लागत बढ़ी एवं क्षतिपूर्ति का अनिवार्य भुगतान	3.6	91-93
राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		
टोल संग्रहण हेतु निविदाओं का प्रक्रियाकरण	3.7	94-104
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड		
कर दायित्व के कम निर्धारण के कारण जुर्माने के रूप में ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.8	104-106
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम		
व्यावहार्यता अन्तर अनुदान के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी सहभागिता प्रणाली पर ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का संचालन	3.9	106-119
राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		
भविष्य निधि देयताओं को जमा कराने में चूक	3.10	119-121

अनुबंध

अनुबंध संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज, जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों के वर्षों के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	123
2.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	124-128
2अ	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र) में निवल सम्पत्तियों के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	129
2ब	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवल सम्पत्तियों के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	130
3.	अनुमानित दरों से उच्च दरों पर निविदा प्रदान करने को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	131-132
4.	टर्नकी ठेकेदारों से स्वीकार की गयी अधिक सामग्री को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	133-135
5.	अधिक प्रापण के कारण अप्रयुक्त पड़ी रही सामग्री को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	136-137
6.	निविदा प्रक्रिया को शुरु करने में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	138
7.	आरक्षित मूल्य के अनुचित निर्धारण के कारण नवनिर्मित सड़कों की प्रथम निविदा के अंतिमीकरण में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	139
8.	वर्तमान में जारी टोल अनुबंधों पर आरक्षित मूल्य के अनुचित निर्धारण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	140-141
9.	नवनिर्मित सड़कों पर समझौतों के निष्पादन में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	142
10.	चयनित डिपोज के संबंध में राज्य सरकार से व्यावहार्यता अंतर के अधिक दावे को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	143

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है एवं इसे समय समय पर यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो एक सांविधिक निगम है, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उनके लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। राज्य वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को राजस्थान वित्त निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अंकेक्षकों के पेनल में से निगम द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त होगी। इन समस्त निगमों के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रेषित किये जाते हैं।

4. इस प्रतिवेदन में उन मामलों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2016-2017 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये एवं उन मामलों को भी सम्मिलित किया गया है जो गत वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु उनका उल्लेख गत प्रतिवेदनों में नहीं किया गया था। 31 मार्च 2017 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

5. लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के तहत होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों के तहत होती है।

31 मार्च 2017 को राजस्थान में 48 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) जिसमें 42 कार्यरत कम्पनियां, तीन कार्यरत सांविधिक निगम एवं तीन अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियां) थे, जिनमें लगभग एक लाख कर्मचारी नियोजित थे। कार्यरत पीएसयूज ने उनके अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 62,186.43 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 8.29 प्रतिशत के बराबर था, जो राज्य के पीएसयूज की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2017 को 48 पीएसयूज में ₹ 1,37,679.06 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) था। यह 2012-13 के ₹ 72,018.13 करोड़ से 91.17 प्रतिशत बढ़ गया। ऊर्जा क्षेत्र ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान किये कुल निवेश का 92.79 प्रतिशत प्राप्त किया था। राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान पूंजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के पेटे ₹ 31,115.76 करोड़ का अंशदान किया।

पीएसयूज का कार्य निष्पादन

वर्ष 2016-17 में, 45 कार्यरत पीएसयूज में से, 23 पीएसयूज ने ₹ 1,193.49 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 16 पीएसयूज ने ₹ 2,808.01 करोड़ की हानि वहन की। छः पीएसयूज में वर्ष 2016-17 हेतु न लाभ अथवा न हानि थी। साथ ही, 45 पीएसयूज में से 12 पीएसयूज, जो वर्ष 2006-07 से 2016-17 के दौरान समामेलित हुये थे, ने 2016-17 तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां आरम्भ नहीं की थी। इस प्रकार, इन पीएसयूज की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया। सरकार को इन पीएसयूज के बारे में आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 351.80 करोड़), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 349.58 करोड़), राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड (₹ 200.33 करोड़), राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (₹ 56.69 करोड़) एवं राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम (₹ 34.83 करोड़) मुख्य लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज थे। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,028.68 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 615.75 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 336.69 करोड़), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 492.41

करोड़) एवं गिराल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (₹ 235.97 करोड़) ने भारी हानियां वहन की थी।

राज्य पीएसयूज के पूंजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 41,465.19 करोड़ एवं ₹ 1,01,241.75 करोड़ थे। निवेश एवं संचित हानियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 48 पीएसयूज में से 19 में निवल संपत्ति का क्षरण हो गया था। इन 19 पीएसयूज का पूंजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 25,219.56 करोड़ एवं ₹ 99,077.80 करोड़ थे। इन 19 पीएसयूज में से निवल संपत्तियों का क्षरण मुख्यतया ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 24,446.69 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 23,213.83 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 22,829.59 करोड़), गिराल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (₹ 329.14 करोड़) एवं बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (₹ 13.49 करोड़) में हुआ। ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज में ₹ 38,026.84 करोड़ के पूंजीगत निवेश के समक्ष संचित हानियां ₹ 1,01,239.35 करोड़ थी। गैर ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज में, निवल संपत्तियों का क्षरण मुख्यतया राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 2,830.55 करोड़), राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (₹ 103.11 करोड़), राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 47.20 करोड़), राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 10.33 करोड़) एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (₹ 7.95 करोड़) में हुआ।

लेखों की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2016 से 30 सितम्बर 2017 तक अंतिम रूप दिये गये 43 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 18 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र दिया। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 30 मामले थे।

लेखों के बकाया एवं समापन

30 सितम्बर 2017 को सात कार्यरत पीएसयूज के नौ लेखे बकाया थे। अकार्यरत पीएसयूज में से एक पीएसयू के तीन लेखे बकाया थे। सरकार को अकार्यरत पीएसयूज के संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिए।

इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु

इस प्रतिवेदन में 10 अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा यथा 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सामग्री प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा' सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 384.52 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है।

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2012-13 से 2016-17 के अवधि के दौरान जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के सामग्री के प्रापण एवं प्रबंध कार्य को सम्मिलित करती है। कुछ झलकियां नीचे दी गई हैं:

राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (आरटीपीपी अधिनियम)

राजस्थान सरकार (राज्य सरकार) द्वारा आरटीपीपी अधिनियम को लागू किया गया (मई 2012) एवं इसके अधीन नियम अधिसूचित किये (जनवरी 2013)। अधिनियम के द्वारा माल के प्रापण, सेवाओं एवं कार्यों से संबंधित तत्समय लागू सभी नियमों एवं विनियमों को निष्प्रभावी कर दिया गया। कम्पनी, तथापि, अधिनियम/ नियमों के अनुसार क्रय मैन्युअल एवं मानक निविदा प्रलेखों को पुनरीक्षित करने में विफल रही।

सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण

चयनित सहायक भण्डार नियंत्रक (एसीओएस) एवं चयनित उपस्खण्डीय स्टोर्स ने सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण नहीं किया। वृत कार्यालयों एवं उपस्खण्डों के पास जोनल मुख्य अभियंता (जेडसीई) को प्रस्तुत किये गये कार्यानुसार/ उपस्खण्डानुसार सामग्री की आवश्यकता के संबंध में कोई प्रलेख उपलब्ध नहीं थे। चालू वर्ष के लिए सामग्री का निर्धारण वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखे बिना पिछले वर्ष के आधार पर किया गया था। साथ ही, क्रय नियोजन एवं प्रबंध समिति (पीपीएम समिति) द्वारा 2012-13 से 2016-17 के दौरान कभी भी वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया गया।

निविदाओं का अन्तिम निर्धारण

कम्पनी ने चयनित की गई 40 निविदाओं में से 29 निविदाओं (72.50 प्रतिशत) को 120 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद अन्तिम रूप से निर्धारित किया। यह देरी 4 दिन से 589 दिनों के मध्य थी। साथ ही, संबंधित प्राधीकारी ने क्रय मैन्युअल के उल्लंघन में अगले उच्चत्तर प्राधीकारी के अनुमोदन के बिना इन निविदाओं को अन्तिम रूप दिया।

सामग्री के प्रापण में कुशलता एवं प्रभावशीलता

कम्पनी ने निर्धारित विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली ₹ 83.80 करोड़ मूल्य की निम्न गुणवत्ता की सामग्री क्रय की। कम्पनी ने नयी निविदा में निम्नत्तर दरों के खुलने के उपरांत भी आपूर्तियों को स्वीकार करने के कारण, अतर्कसंगत उच्चत्तर दरों पर सामग्री के क्रय एवं निविदाओं के अविवेकपूर्ण निरस्तीकरण द्वारा उच्चत्तर दरों पर सामग्री क्रय करते हुए ₹ 6.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। कम्पनी ने बिना किसी आवश्यकता के सुपुर्दगी अनुसूची से पूर्व आपूर्तियों को स्वीकार करके ₹ 38.84 करोड़ के कोषों को भी अवरुद्ध किया। साथ ही, कम्पनी

ने बिना उचित निरीक्षण एवं जांच किये सामग्री का क्रय किया जिसके परिणामतः निम्न गुणवत्ता अथवा घटिया सामग्री का क्रय किया गया।

सामग्री नियंत्रण

कम्पनी ने सामग्री के महत्वपूर्ण स्तरों को निर्धारित नहीं किया एवं मूल्य विश्लेषण अथवा चलन विश्लेषण भी नहीं किया गया। भण्डारण पर किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर भण्डारण दर भी निर्धारित नहीं की गई। एसीओएस एवं उपस्खण्डीय स्टोर्स द्वारा भी निर्धारित प्रारूप में सामग्री का अभिलेख संधारित नहीं किया गया। सभी चयनित एसीओएस को उपस्खण्डों द्वारा प्रस्तुत किये गये मांगपत्रों पर कार्य पहचान मिमो का संदर्भ नहीं था एवं अनुमान कार्डस की प्रस्तुति के बिना ही सामग्री जारी की गई। किसी भी चयनित उपस्खण्डीय स्टोर्स ने प्रत्येक कार्यादेश के लिए कार्य पहचान मिमो, ट्रांसफॉर्मर चलन रजिस्टर एवं प्रत्येक जॉब के लिए सामग्री अनुमान कार्ड के अनुसार जॉब कार्ड संधारित नहीं किये थे। सहायक अभियंताओं ने आदेशों का उल्लंघन किया एवं मुद्रित मांगपत्रों के स्थान पर हस्तलिखित मांगपत्रों को अनुमोदित किया। भण्डारपालों ने भी हस्तलिखित मांगपत्रों के विरुद्ध सामग्री जारी की।

कम्पनी ने एसीओएस एवं उपस्खण्डीय स्टोर्स पर सामग्री का वार्षिक रूप से भौतिक सत्यापन नहीं किया। एसीओएस के भौतिक सत्यापन के अन्तर्गत सम्मिलित की गई समयावधि 12 एवं 51 माह के बीच थी जबकि उपस्खण्डीय स्टोर्स के मामले में यह 16 एवं 57 माह के बीच थी।

व्यर्थ सामग्री, भण्डारण, आधिक्य एवं कमी तथा चोरी, आगजनी एवं गबन

कम्पनी ने टर्नकी ठेकेदारों से ₹ 8.18 करोड़ की अधिशेष सामग्री को स्वीकार किया जो आदेशों के अभाव, निगम स्तरीय क्रय समिति द्वारा अनुबंधों के समापन में देरी एवं तकनीक में परिवर्तन के कारण स्टोर्स में अप्रयुक्त रही। कम्पनी ने आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्रय किया एवं फिल्ड कार्यालयों से मांग में कमी के कारण ₹ 10.49 करोड़ मूल्य की सामग्री एसीओएस एवं उपस्खण्डीय स्टोर्स पर अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

एसीओएस एवं उपस्खण्डीय स्टोर्स ने अभिलेखों को संधारित नहीं किया एवं आदेशानुसार सामग्री को जमा भी नहीं किया गया। सामग्री सत्यापनकर्ताओं द्वारा सभी एसीओएस की भौतिक सत्यापन रिपोर्टस में मार्च 2017 को ₹ 2.28 करोड़ की असमायोजित कमी एवं ₹ 2.61 करोड़ के आधिक्य को इंगित किया गया। निर्धारित अभिलेखों को संधारित नहीं करने एवं निरीक्षणों के अभाव, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रण एवं निगरानी के अभाव ने गबन एवं आगजनी की घटनाओं के लिए अवसर प्रदान किये। साथ ही, कम्पनी द्वारा उपस्खण्डीय स्टोर्स पर सामग्री का बीमा नहीं करवाया गया।

सिफारिशें

निष्पादन लेखापरीक्षा में छः सिफारिशें दी गई हैं जिनमें (i) आरटीपीपी अधिनियम एवं नियमों के अनुसार क्रय मैन्युअल का पुनरीक्षण करना, (ii) सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना, (iii) निर्धारित समय सीमा में निविदाओं का अन्तिम निर्धारण, निविदाओं के निर्धारित क्रियाविधियों का पालन करना एवं विवेकपूर्ण ढ़ंग से अनुबंधों को प्रदान करना (iv) निरीक्षण एवं जांच क्रियाविधियों को मजबूत बनाना एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामग्री की आपूर्ति के समय पर तकनीकी विशिष्ट विवरणों की कड़ी अनुपालना को सुनिश्चित करना, (v) सामग्री नियंत्रण तकनीकें अपनाना एवं सामग्री के निर्धारित अभिलेख

संधारित करना तथा (vi) निर्दिष्ट अंतराल पर भौतिक सत्यापन करना एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्टस में रिपोर्ट की गई विसंगतियों पर सुधारात्मक कार्यवाही करना सम्मिलित हैं।

3. अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करते हैं, जिनके गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े थे। प्रकट की गई कमियां मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

नियमों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबन्धों के नियमों व शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण छः मामलों में ₹ 100.79 करोड़ की हानि/ अतिरिक्त व्यय/ वसूली का अभाव एवं राजस्व अर्जित करने के अवसर का अभाव था।

(अनुच्छेद 3.1, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9 एवं 3.10)

संगठन के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किये जाने के कारण चार मामलों में ₹ 45.54 करोड़ की हानि/अतिरिक्त व्यय/वसूली का अभाव।

(अनुच्छेद 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.6)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों का सार नीचे दिया गया है:

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011' के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही तथा इस अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अन्दर उपभोक्ताओं के बिल संबंधित शिकायतों का समाधान भी नहीं कर सकी। राज्य सरकार भी अधिनियमानुसार कम्पनी द्वारा सेवाओं की सुपुर्दगी करने की निगरानी करने में विफल रही क्योंकि कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रारूपों में सूचना को प्रस्तुत नहीं करने पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 3.1)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने एक विशेष ठेकेदार को सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन से बिना किसी समझौते के निष्पादन एवं सुरक्षा राशि जमा कराये ड्राई फ्लाई ऐश को उठाने की अनुमति प्रदान की। इसके कारण, ठेकेदार से ₹ 4.80 करोड़ की शास्ति की वसूली का अभाव रहा। साथ ही, कम्पनी द्वारा, फ्लाई ऐश की आवंटित मात्रा को उठाने में तथा शास्ति की राशि जमा करने में असफल रहने के उपरान्त भी निविदा तथा स्वीकृति-पत्र के नियम एवं शर्तो के अनुसार शास्ति की राशि ₹ 0.83 करोड़ जमा कराने के लिए अन्य तीन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

(अनुच्छेद 3.3)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने कार्यादेश में दोषपूर्ण वाक्यांश को समाहित किया जिसके परिणामतः रेलवे रसीद भार से अधिक मार्गेत्तर हानियों को अनुमत्त करने पर सूरतगढ़ एवं कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशनों पर ठेकेदार को ₹ 2.08 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.4)

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड ने उत्पादन में कमी के लिए भुगतान/ क्षतिपूर्ति के संबंध में कार्यादेश में अवास्तविक वाक्यांशों को समाहित किया जिसने वसूली की किसी सम्भावनाओं के बिना कम्पनी द्वारा ठेकेदार को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया। इससे ठेकेदार को ₹ 78.86 लाख की क्षतिपूर्ति के भुगतान का बढ़ावा मिला।

(अनुच्छेद 3.6)

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा की गई टोल संग्रहण गतिविधि, निविदाओं के प्रक्रियाकरण में देरी एवं आरक्षित मूल्य के अनुचित निर्धारण के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई। कम्पनी टोल प्लाजाओं के निर्माण में देरी तथा टोल नीति 2012 के उल्लंघन में ट्रैफिक गणना के स्थान पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टस (डीपीआर) के आधार पर उच्चतर आरक्षित मूल्य तय करने के कारण नवनिर्मित सड़कों पर टोल संग्रहण गतिविधि आरम्भ करने में विफल रही। कम्पनी ने वर्तमान में चल रही टोल परियोजनाओं के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण करते समय भिन्न-भिन्न मापदण्ड अपनाकर टोल नीति 2012 का उल्लंघन भी किया।

(अनुच्छेद 3.7)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने जुलाई 2015 से अगस्त 2017 की अवधि के दौरान ₹ 12.35 करोड़ की भविष्य निधि की देय राशि के भुगतान करने में चूक की तथा इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7 (क्यू) के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान करने के अतिरिक्त कर्मचारियों के भविष्य निधि योजना, 1952 के वाक्यांश 32 ए के अनुसार ₹ 4.05 करोड़ के जुर्माने के नुकसान के जोखिम को भी उठाया।

(अनुच्छेद 3.10)

अध्याय I

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

अध्याय I

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में राज्य सरकार की कम्पनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य पीएसयूज की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों को संचालन के लिये की जाती है तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 31 मार्च 2017 को 48 पीएसयूज थे जिनमें तीन सांविधिक निगम एवं 45 सरकारी कम्पनियां सम्मिलित थीं। इन सरकारी कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2016-17 के दौरान, तीन[1] नये पीएसयूज समामेलित हुए जबकि एक अकार्यरत पीएसयू यथा राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड बन्द हुई। राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड ने अपनी व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन बन्द कर दिया एवं यह एक अकार्यरत पीएसयू बन गई। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण (दिसम्बर 2016) के परिणामस्वरूप स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन आठ[2] पीएसयूज, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी की परिभाषा से बाहर हो गये। 31 मार्च 2017 को राजस्थान में पीएसयूज का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.1: 31 मार्च 2017 को कुल पीएसयूज की संख्या

पीएसयूज का प्रकार	कार्यरत पीएसयूज	अकार्यरत पीएसयूज[3]	कुल
सरकारी कम्पनियां[4]	42	3	45
सांविधिक निगम	3	-	3
योग	**45**	**3**	**48**

कार्यरत पीएसयूज ने 30 सितम्बर 2017 तक अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 62,186.43 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2016-17 के लिये राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8.29 प्रतिशत के बराबर था। कार्यरत पीएसयूज ने 30 सितम्बर 2017 तक अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 1,614.52 करोड़

1 बाड़मेर ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड (6 जून 2016), हाड़ोती ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड (10 मई 2016) एवं थार ऊर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड (10 जून 2016)।

2 जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बीकानेर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड, जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड, कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड, उदयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड, जोधपुर बस सेवा लिमिटेड एवं कोटा बस सेवा लिमिटेड।

3 अकार्यरत पीएसयूज वे हैं जिन्होंने अपने क्रिया-कलाप बन्द कर दिये हैं।

4 सरकारी पीएसयूज में अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं 139(7) में संदर्भित अन्य कम्पनियां भी सम्मिलित हैं।

की हानि वहन की। मार्च 2017 को राज्य पीएसयूज में लगभग एक लाख कर्मचारी नियोजित थे।

तीन अकार्यरत पीएसयूज गत एक से 17 वर्षों की अवधि से विद्यमान हैं जिनमें ₹ 27.94 करोड़ का निवेश है। यह ध्यान देने योग्य विषय है क्योंकि अकार्यरत पीएसयूज में किये गये निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान प्रदान नहीं करते हैं।

जवाबदेयता संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 के संबंधित प्रावधानों के द्वारा शासित होती है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के द्वारा धारित हो तथा इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित है।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) अथवा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी कम्पनी के मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी), यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश के माध्यम से ऐसी कम्पनी के लेखों की नमूना जांच करवा सकते हैं तथा नमूना जांच के प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होगें। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कम्पनी सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अथवा उससे पूर्व प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती रहेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कम्पनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) अथवा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों एवं अन्य के सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों की अवधि में सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों के द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक

है। राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम के मामले में सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

सरकार एवं विधान मण्डल की भूमिका

1.4 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन पीएसयूज के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती है। प्रमुख कार्यकारी एवं संचालक मण्डल हेतु निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधान मण्डल भी पीएसयूज में किये गये सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोगिता की निगरानी करता है। इसके लिये, अधिनियम 2013 की धारा 394 अथवा संबंधित अधिनियमों के अनुसार राज्य सरकार की कम्पनियों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन, सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन व सीएजी की टिप्पणियों के साथ तथा सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

1.5 राजस्थान सरकार (जीओआर) की इन पीएसयूज में भारी वित्तीय हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार से हैः

- **अंशपूँजी एवं ऋण**- अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त राजस्थान सरकार पीएसयूज को समय-समय पर ऋण के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता**- जब-तब आवश्यक हो, अनुदान व अर्थ-साहाय्य के माध्यम से राजस्थान सरकार पीएसयूज को बजट से सहायता प्रदान करती है।
- **गारण्टियां**- पीएसयूज द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों एवं ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राजस्थान सरकार गारण्टियां भी देती है।

राज्य पीएसयूज में निवेश

1.6 31 मार्च 2017 को 48 पीएसयूज में नीचे दिये गये विवरणानुसार कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 1,37,679.06 करोड़ थाः

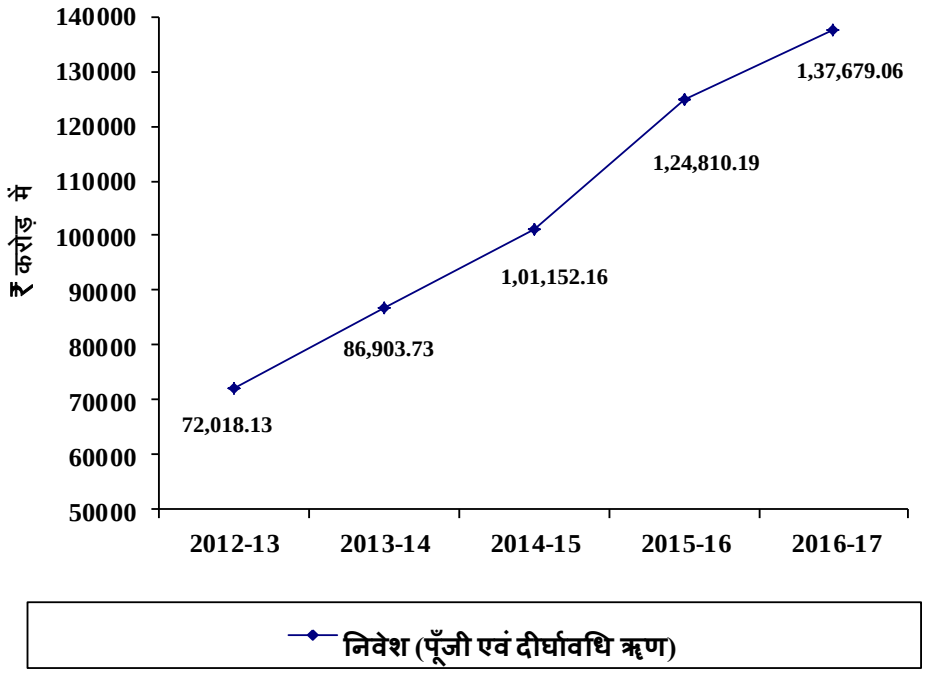
तालिका 1.2: पीएसयूज में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

पीएसयूज के प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत	40651.95	94412.49	135064.44	807.54	1779.14	2586.68	137651.12
अकार्यरत	11.77	16.17	27.94	-	-	-	27.94
योग	**40663.72**	**94428.66**	**135092.38**	**807.54**	**1779.14**	**2586.68**	**137679.06**

31 मार्च 2017 को राज्य के पीएसयूज में कुल निवेश का 99.98 प्रतिशत कार्यरत पीएसयूज में एवं शेष 0.02 प्रतिशत अकार्यरत पीएसयूज में था। इस कुल निवेश में 30.12 प्रतिशत हिस्सा पूँजी के रूप में एवं 69.88 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के रूप में सम्मिलित थे। यह निवेश वर्ष 2012-13 में ₹ 72,018.13 करोड़ से 91.17 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 1,37,679.06 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: पीएसयूज में कुल निवेश



1.7 31 मार्च 2017 को पीएसयूज में निवेश का क्षेत्र-वार सारांश नीचे दिया हुआ है:

तालिका 1.3: पीएसयूज में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम		कुल	निवेश[5] (₹ करोड़ में)
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत		
ऊर्जा	19	-	-	-	19	127405.52
वित्त	4	-	1	-	5	615.23
सेवा	8	1	2	-	11	4555.24
ढांचागत	4	-	-	-	4	3145.99
अन्य	7	2	-	-	9	1957.08
योग	**42**	**3**	**3**	**-**	**48**	**137679.06**

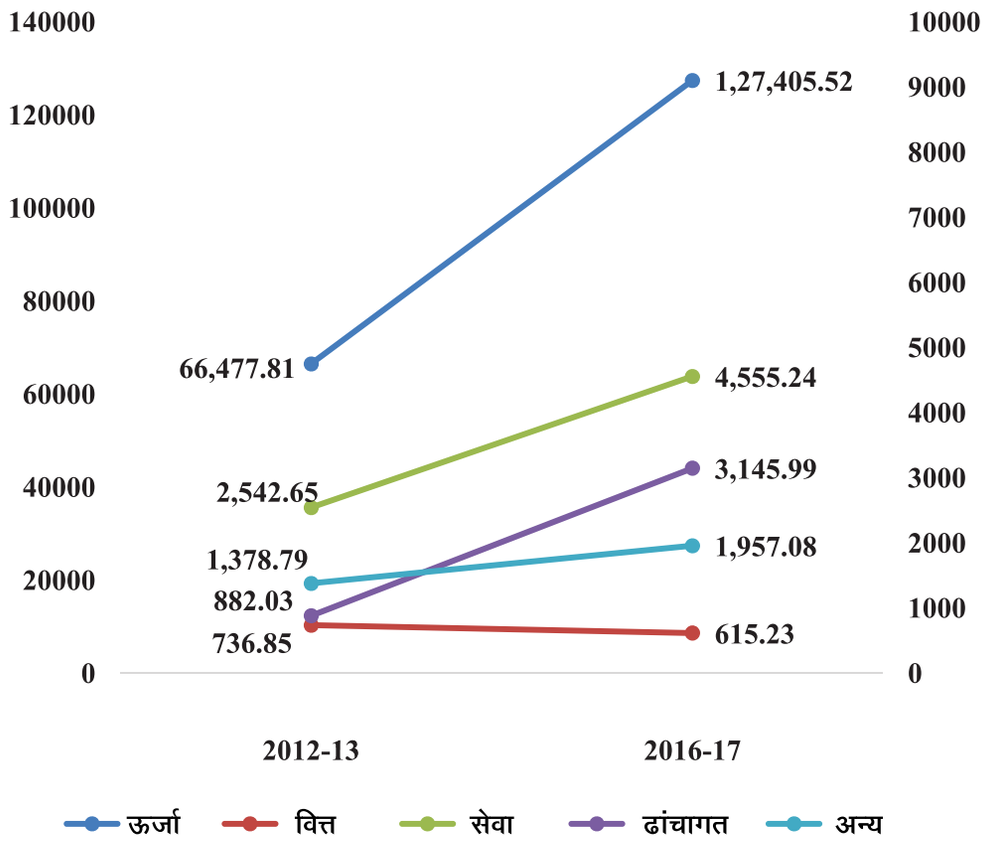
31 मार्च 2013 एवं 31 मार्च 2017 के अन्त में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश नीचे लाईन

5 निवेश में पूँजी एवं दीर्घ कालिक ऋण सम्मिलित है।

चार्ट में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

(आंकड़े ₹ करोड़ में)



गत पाँच वर्षों के दौरान पीएसयूज में किये गये निवेश का प्रभुत्व ऊर्जा क्षेत्र पर था। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान किये गये ₹ 65,660.93 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र ने ₹ 60,927.71 करोड़ (92.79 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त किया था। ढांचागत क्षेत्र ने भी इस अवधि के दौरान 256.68 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की थी।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रतिलाभ

1.8 राजस्थान सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से पीएसयूज को विभिन्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पीएसयूज के संबंध में बजट से पूँजी, ऋण व अनुदान/अर्थ-साहाय्य, ऋणों का अपलेखन एवं ऋण का पूंजी में परिवर्तन का मार्च 2017 को समाप्त होने वाले

तीन वर्षों हेतु संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया है:

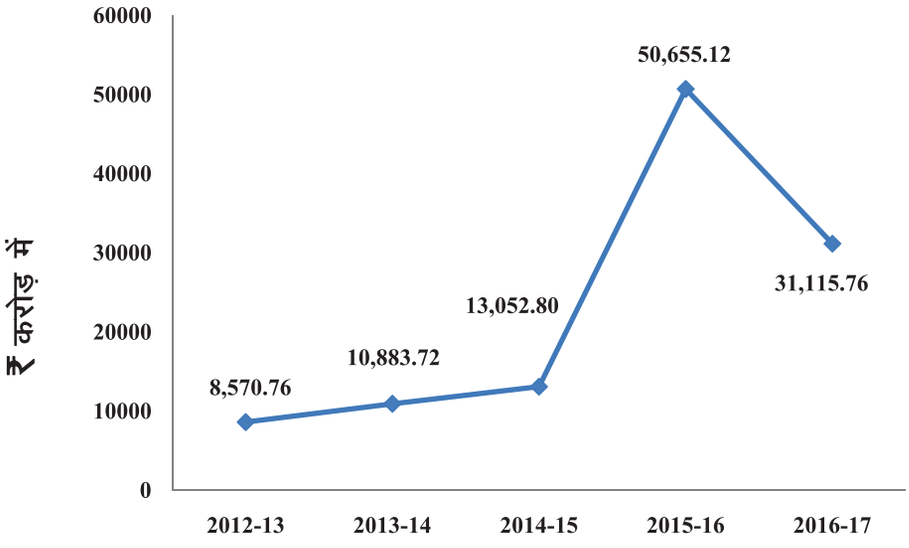
तालिका 1.4: पीएसयूज को बजटीय सहायता से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[6]	2014-15		2015-16		2016-17	
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
अंश पूँजी की जावक (i)	7	4371.79	6	8497.69	6	4115.71
दिये गये ऋण (ii)	11	776.25	9	36568.64	7	12083.93
प्रदत्त अनुदान/अर्थ-साहाय्य (iii)	14	7904.76	16	5588.79	11	14916.12
कुल जावक (i+ii+iii)	18[7]	13052.80	19[7]	50655.12	16[7]	31115.76
अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	2	925.14
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	3	995.00	-	-
निर्गमित गारण्टियां	6	12066.92	7	16134.66	5	23313.85
गारण्टी प्रतिबद्धता	9	90054.11	9	48678.03	8	46384.27

मार्च 2017 को समाप्त पांच वर्षों में पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजटीय जावक का विवरण नीचे दिये गये ग्राफ में दिया गया है:

चार्ट 1.3: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजटीय जावक



राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजट सहायता वर्ष 2012-13 में ₹ 8,570.76 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 31,115.76 करोड़ हो गई। ऊर्जा क्षेत्र मुख्य प्राप्तकर्ता था क्योंकि इसने वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान कुल बजट जावक का क्रमशः 98.24 प्रतिशत (₹ 49,762.43 करोड़) एवं 98.33 प्रतिशत (₹ 30,595.90 करोड़) प्राप्त किया। गत दो वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र को भारी बजटीय

6 यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

7 यह संख्या ऐसी कम्पनियों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने एक या एक से अधिक मदों यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थ-साहाय्य के अंतर्गत राज्य बजट से जावक के रूप में प्राप्त की है।

सहायता प्राप्त हुई क्योंकि राज्य सरकार ने ऊर्जा वितरण कम्पनियों को उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय योजना) के अन्तर्गत ऋण के रूप में सहायता प्रदान की। उदय योजना के अन्तर्गत तीनों वितरण कम्पनियों ने वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान राज्य सरकार से क्रमशः ₹ 34,349.77[8] करोड़ एवं ₹ 10,372.09[9] करोड़ के ऋण प्राप्त किये।

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से पीएसयूज को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य गारण्टी अनुदान नियमन 1970 के अंतर्गत गारंटी प्रदान करती है। सरकार ने राजस्थान राज्य गारण्टी अनुदान नियमन 1970 के प्रावधानों के तहत पीएसयूज द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के मामले में बिना किसी अपवाद के एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गारण्टी कमीशन प्रभारित किये जाने का निर्णय लिया (फरवरी 2011)। बकाया गारण्टी प्रतिबद्धताएं 2012-13 में ₹ 70,365.08 करोड़ से 34.08 प्रतिशत घटकर वर्ष 2016-17 में ₹ 46,384.27 करोड़ हो गई। वर्ष 2016-17 के दौरान पीएसयूज द्वारा ₹ 380.51 करोड़ के गारण्टी कमीशन का भुगतान किया गया।

वित्त लेखों के साथ मिलान

1.9 पूँजी, ऋण एवं बकाया गारण्टियों के संबंध में राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के आंकड़े राज्य के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिये। यदि उक्त आंकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग द्वारा अन्तरों का समाधान किया जाना चाहिये। इस संबंध में 31 मार्च 2017 की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: वित्त लेखों तथा पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारण्टियां

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
पूँजी	40730.66	40763.74	33.08
ऋण	49672.49	49321.63	350.86
गारण्टियां	46784.04	46384.27	399.77

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह अन्तर 12[10] पीएसयूज के संबंध में था। आंकड़ों में यह अन्तर गत कई वर्षों से जारी है। अन्तर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को पीएसयूज/ विभागों के समक्ष समय-समय पर उठाया गया। अतः हम सिफारिश करते हैं कि सरकार एवं पीएसयूज को अन्तर का समयबद्ध समाशोधन करना चाहिये।

8 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 11,785.86 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 10,779.31 करोड़) एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 11,784.60 करोड़)।

9 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3,070.39 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3,569.13 करोड़) एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3,732.57 करोड़)।

10 अनुबंध 2 के क्र. सं. क-1, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 25, 29, 35, बी-1 एवं सी-1 पर।

लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

1.10 अधिनियम 2013 की धारा 96 (1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह के मध्य यथा सितम्बर माह के अन्त तक अन्तिम रूप दिया जाना होता है। ऐसा करने में विफलता पर अधिनियम 2013 की धारा 99 के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं। सांविधिक निगमों के मामले में संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षण एवं विधान मण्डल को प्रस्तुतीकरण किया जाता है।

निम्न तालिका 30 सितम्बर 2017 तक कार्यरत पीएसयूज द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण की प्रगति का विवरण उपलब्ध कराती है:

तालिका 1.6: कार्यरत पीएसयूज के लेखों के अन्तिमीकरण की स्थिति

क्र. स.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या	46	48	48	51	45
2.	चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	59	41	51	55	43
3.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या जिनके चालू वर्ष के लिये लेखों को अंतिम रूप दिया गया	33	27	34	37	38
4.	चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	25	14	17	18	5
5.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या, जिनके लेखे बकाया हैं	13	21	14	12	7
6.	बकाया लेखों की संख्या	21	29	26	20	9
7.	बकाया की सीमा	एक से छह वर्ष	एक से सात वर्ष	एक से आठ वर्ष	एक से पाँच वर्ष	एक से दो वर्ष

कुल 45 कार्यरत पीएसयूज में से 40 कार्यरत पीएसयूज ने 43 वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया जिसमें से 38 पीएसयूज के वार्षिक लेखे 2016-17 से संबंधित थे तथा शेष पांच वार्षिक लेखे गत वर्षों से संबंधित थे। सात कार्यरत पीएसयूज के नौ लेखे बकाया थे जिनके लेखे 2015-16 से बकाया थे। इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखों को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। संबंधित विभागों को बकाया लेखों के संबंध में त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था।

1.11 राजस्थान सरकार ने **अनुबंध-1** में दिये गये विवरण के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान एक पीएसयू में ₹ 210.00 करोड़ (ऋणः ₹ 150.00 करोड़ एवं अर्थ-साहाय्यः ₹ 60.00 करोड़) का निवेश किया जिनके इस अवधि के लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। लेखों के अंतिमीकरण एवं तत्पश्चात उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं किये गये व्यय को उचित प्रकार से लेखांकित किया गया है एवं

वह लक्ष्य, जिसके लिये निवेश किया गया था, प्राप्त किया जा सका था। इस प्रकार, राजस्थान सरकार का ऐसे पीएसयूज में किया गया निवेश राज्य विधायिका के नियंत्रण के दायरे से बाहर रहा।

1.12 इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के लेखे भी अंतिमीकरण हेतु निम्नानुसार बकाया थेः

तालिका 1.7: अकार्यरत पीएसयूज के संबंध में बकाया लेखों की स्थिति

क्र. स.	अकार्यरत कम्पनियों के नाम	लेखों के बकाया रहने की अवधि
1.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2014-15 से 2016-17

अन्य दो अकार्यरत पीएसयूज ने वर्ष 2016-17 हेतु अपने वार्षिक लेखे अग्रेषित कर दिये थे।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

1.13 तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो के द्वारा 2016-17 के लेखे 30 सितम्बर 2017 तक अग्रेषित किये जा चुके थे। एक सांविधिक निगम के लेखों की लेखापरीक्षा प्रगति पर थी (30 सितम्बर 2017)।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होते हैं। वर्ष 2015-16 के लेखों पर राजस्थान वित्त निगम के संबंध में एसएआर राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गई (फरवरी 2017) एवं शेष दो एसएआर प्रस्तुत की जानी शेष थी (30 सितम्बर 2017)।

लेखों का अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

1.14 जैसा कि अनुच्छेद 1.10 में इंगित किया गया है, लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब संबंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति को देखते हुये पीएसयूज का 2016-17 में राज्य की जीडीपी में योगदान का आंकलन नहीं किया जा सका तथा इन पीएसयूज के राजकोष में योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

अतः यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये तथा लेखों के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिये। सरकार को भी कम्पनी द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा बकाया लेखों की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार पीएसयूज का निष्पादन

1.15 कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों का विस्तृत विवरण **अनुबंध–2** में दिया गया है। पीएसयूज के टर्नओवर का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों के स्तर को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका मार्च 2017 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिये कार्यरत पीएसयूज के टर्नओवर एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाती है।

तालिका 1.8: कार्यरत पीएसयूज के टर्नओवर एवं राज्य की जीडीपी का तुलनात्मक विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
टर्नओवर[11]	33486.33	38953.84	47914.29	54834.65	62186.43
राज्य की जीडीपी[12]	493007.00	548391.00	606465.00	672707.00	749692.00
टर्नओवर का राज्य की जीडीपी से प्रतिशत	6.79	7.10	7.90	8.15	8.29

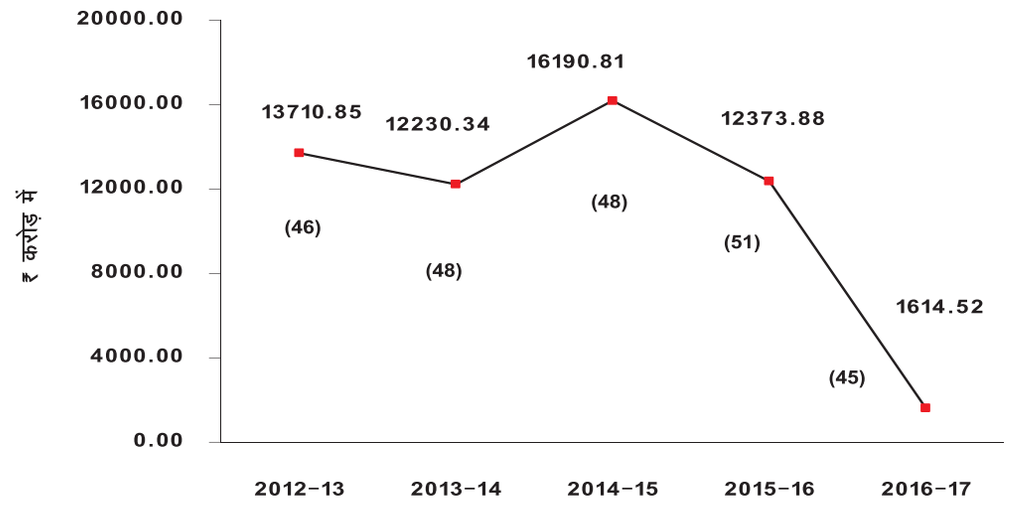
पीएसयूज के टर्नओवर ने पूर्व वर्षों की तुलना में लगातार वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान टर्नओवर में वृद्धि 13.41 से 23.00 प्रतिशत के मध्य रही जबकि इसी अवधि के दौरान जीडीपी में वृद्धि 10.59 से 11.44 प्रतिशत के मध्य रही थी। गत पाँच वर्षों में पीएसयूज के टर्नओवर में 16.74 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जो की राज्य की जीडीपी की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 11.05 प्रतिशत से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पीएसयूज के टर्नओवर का अंश वर्ष 2012-13 में 6.79 प्रतिशत से बढकर 2016-17 में 8.29 प्रतिशत हो गया।

11 टर्नओवर अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार।

12 राज्य का सकल घरेलू उत्पाद राज्य सरकार की आर्थिक समीक्षा 2016-17 के अनुसार है।

1.16 वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य में कार्यरत पीएसयूज द्वारा उठायी गई हानियां[13] नीचे एक रेखीय चार्ट में दशाई गई हैं।

चार्ट 1.4: कार्यरत पीएसयूज द्वारा वहन की गई हानियां



कार्यरत राजकीय उपक्रमों द्वारा वर्ष के दौरान समग्र वहन की गयी हानि। कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संबंधित वर्षों में कार्यरत पीएसयूज की संख्या को दर्शाते हैं।

ऊर्जा क्षेत्र पीएसयूज द्वारा वहन की गई हानियों में कमी के कारण कार्यरत पीएसयूज की हानियां 2012-13 में ₹ 13,710.85 करोड़ से घटकर 2016-17 में ₹ 1,614.52 करोड़ हो गई। 45 पीएसयूज के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, 23[14] पीएसयूज ने ₹ 1,193.49 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 16[14] पीएसयूज ने ₹ 2,808.01 करोड़ की हानि वहन की, छह पीएसयूज को न लाभ अथवा न हानि थी। साथ ही, 45 पीएसयूज में से 12[15] पीएसयूज, जो वर्ष 2006-07 से 2016-17 के दौरान समामेलित हुये थे, के द्वारा 2016-17 तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां आरम्भ नहीं की थी **(अनुबंध-2)**।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 351.80 करोड़), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 349.58 करोड़), राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 200.33 करोड़), राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (₹ 56.69 करोड़) एवं राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम (₹ 34.83 करोड़) मुख्य लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज थे जबकि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,028.68 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 615.75 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 336.69 करोड़), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 492.41 करोड़) एवं गिराल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (₹ 235.97 करोड़) ने भारी हानियां वहन की

13 आंकड़े संबंधित वर्षों के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार हैं।

14 उन पीएसयूज को शामिल करते हुये जिन्होंने अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ आरम्भ नहीं की थी परन्तु अल्प लाभ/हानि दर्शाया गया था।

15 अनुबंध 2 के क्र. सं. क-2, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28 एवं 34 पर पीएसयूज।

थी। इन डिस्कॉम्स ने भारी प्रसारण एवं वितरण हानियों, कृषि उपभोक्ताओं को अनुदानित दरों पर विद्युत के विक्रय इत्यादि के कारण हानियां वहन की।

1.17 राज्य के पीएसयूज से संबंधित कुछ अन्य मुख्य मापदण्ड नीचे दिये गये हैं।

तालिका 1.9: राज्य की पीएसयूज के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
नियोजित पूँजी[16]	35832.20	47508.98	52664.65	49508.24	63718.61
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	-5847.55	-3733.44	-5845.69	307.48	6813.04
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत	-16.32	-7.86	-11.10	0.62	10.69
ऋण	53503.45	63829.17	74747.68	88721.51	96207.80
टर्नओवर[17]	33486.33	38953.84	47914.29	54834.65	62186.43
ऋण /टर्नओवर अनुपात	1.60:1	1.64:1	1.56:1	1.62:1	1.55:1
ब्याज अदायगी[17]	7864.69	8498.38	10346.56	12682.80	8428.91
संचित लाभ (हानियां)[17]	(50951.85)	(56133.11)	(83732.89)	(99343.29)	(101241.75)
प्रदत्त पूँजी[17]	15827.72	19607.70	25410.86	36088.31	41465.19

गत पाँच वर्षों के दौरान, पीएसयूज के टर्नओवर ने 16.74 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर्ज की एवं ऋणों की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 15.80 प्रतिशत थी। हानियों में कमी के कारण वर्ष 2012-13 के दौरान नियोजित पूंजी पर 16.32 प्रतिशत का नकारात्मक प्रतिफल वर्ष 2016-17 के दौरान 10.69 प्रतिशत के सकारात्मक प्रतिफल के रूप में परिवर्तित हो गया।

1.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति बनाई (सितम्बर 2004) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जन करने वाले पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी प्रदत्त पूँजी का न्यूनतम दस प्रतिशत अथवा कर पश्चात लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का प्रतिफल भुगतान किया जाना आवश्यक है। अंतिम रूप दिये गये उनके नवीनतम लेखों के अनुसार, 23 पीएसयूज ने कुल मिलाकर ₹ 1,193.49 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं सात[18] पीएसयूज ने ₹ 62.79 करोड़ का लाभांश घोषित किया, जो कि सभी पीएसयूज की अंश पूँजी का 0.15 प्रतिशत था। लाभ अर्जित करने वाली 23 कम्पनियों में से, 16 पीएसयूज ने संचित हानियों अथवा अल्प लाभ के कारण लाभांश घोषित नहीं किया, तीन[19] पीएसयूज ने निर्धारित सीमा से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि दो[20] पीएसयूज ने निर्धारित सीमा लाभांश से कम लाभांश घोषित किया एवं शेष दो[21] पीएसयूज ने नीति के अनुसार लाभांश घोषित किया।

16 नियोजित पूँजी शेयरधारक निधियों एवं दीर्घकालीन ऋणों का योग है।

17 अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार।

18 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-1, 7, 11, 12, 14, 31 एवं ब-3 पर वर्णित पीएसयूज।

19 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-14, 31 एवं ब-3 पर वर्णित पीएसयूज।

20 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-7 एवं 12 पर वर्णित पीएसयूज।

21 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-1 एवं 11 पर वर्णित पीएसयूज।

हानियों के कारण पूंजी का क्षरण

1.19 **अनुबन्ध-2** में दिये गये विवरणानुसार राज्य पीएसयूज के पूंजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 41,465.19 करोड़ एवं ₹ 1,01,241.75 करोड़ थे। निवेश एवं संचित हानियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 48 पीएसयूज में से 19 में निवल संपत्ति का क्षरण हो गया था। इन 19 पीएसयूज का पूंजीगत निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 25,219.56 करोड़ एवं ₹ 99,077.80 करोड़ थे। इन 19 पीएसयूज में से निवल संपत्तियों का क्षरण मुख्यतया ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 24,446.69 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 23,213.83 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 22,829.59 करोड़), गिराल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड (₹ 329.14 करोड़) एवं बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (₹ 13.49 करोड़) में हुआ जैसा कि **अनुबंध-2अ** में वर्णित किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज में ₹ 38,026.84 करोड़ के पूंजीगत निवेश के समक्ष संचित हानियां ₹ 1,01,239.35 करोड़ थी **(अनुबन्ध-2)**। गैर ऊर्जा क्षेत्र की पीएसयूज में, निवल संपत्तियों का क्षरण मुख्यतया राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 2,830.55 करोड़), राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (₹ 103.11 करोड़), राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 47.20 करोड़), राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 10.33 करोड़) एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (₹ 7.95 करोड़) में हुआ जैसा कि **अनुबन्ध-2ब** में वर्णित किया गया है।

अकार्यरत पीएसयूज का समापन

1.20 31 मार्च 2017 को तीन अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियां) थे जिनमें पूंजी (₹ 11.77 करोड़) एवं दीर्घकालीन ऋणों (₹ 16.17 करोड़) के पेटे कुल निवेश ₹ 27.94 करोड़ (राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड में ₹ 22.18 करोड़, राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड में ₹ 4.49 करोड़ एवं राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड में ₹ 1.27 करोड़) था। वर्ष 2016-17 के दौरान एक अकार्यरत पीएसयू यथा राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड बन्द हुई जबकि राजस्थान नागरिक उडडयन निगम लिमिटेड ने अपनी व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन बन्द कर दिया एवं यह एक अकार्यरत पीएसयू बन गई। गत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत कम्पनियों की संख्या नीचे दी गयी है।

तालिका 1.10: अकार्यरत पीएसयूज

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	2	3	3	3	3

इन अकार्यरत कम्पनियों में से कोई भी समापन के अन्तर्गत नहीं थी। चूंकि अकार्यरत पीएसयूज गत एक से 17 वर्षों से असंचालित है अतः सरकार को इन पीएसयूज के संबंध में उचित निर्णय लेना चाहिये।

लेखा टिप्पणियां

1.21 अक्टूबर 2016 से 30 सितम्बर 2017 तक 36 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 41 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 32 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया गया था। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इंगित करते हैं कि लेखों के रख-रखाव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है।

तालिका 1.11: कार्यरत पीएसयूज पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	85.90	5	28.74	2	0.29
2.	लाभ में वृद्धि	8	121.79	6	14.24	3	3.91
3.	हानि में वृद्धि	8	3059.24	6	712.94	2	15.32
4.	हानि में कमी	2	55.54	3	203.06	2	16.82
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	3	68.25	1	2.98	3	6.23
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	10	2738.30	6	398.16	6	266.47

वर्ष 2016-17 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 17 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र प्रदान किये। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना कमजोर रही क्योंकि 10 लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा एएस की अनुपालना नहीं करने के 29 मामले इंगित किये गये।

1.22 राज्य में तीन सांविधिक निगम यथा (i) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी), (ii) राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) एवं (iii) राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के संबंध में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।

आरएसआरटीसी एवं आरएफसी दोनों के संबंध में वर्ष 2015-16 के लेखों पर सीएजी द्वारा 'सत्य एवं उचित' नहीं का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने का एक मामला पाया गया जैसा कि आरएफसी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु इंगित किया गया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य

का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.12: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15		2015-16		2016-17	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	22.41	1	31.59	1	49.81
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	1	2162.57	1	2364.69	1	1658.39
4.	सारवान तथ्यों का प्रकट नहीं किया जाना	1	604.45	1	1819.89	1	7404.63
5.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	-	-	2	81.00	2	83.00

निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं अनुच्छेद

1.23 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 10 लेखापरीक्षा अनुच्छेद, चार सप्ताह की अवधि में उत्तर प्रेषित करने के आग्रह के साथ, संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को जारी किये गये थे। चार[22] अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर उत्तर राज्य सरकार से प्रतीक्षित (30 सितम्बर 2017) था। तथापि, 'तथ्यात्मक विवरण-पत्रों' पर संबंधित पीएसयूज से उत्तर प्राप्त हो गये थे तथा अनुच्छेद को अंतिम रूप देते समय इन्हें ध्यान में रख लिया गया था।

लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया उत्तर

1.24 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करने के निर्देश जारी (जुलाई 2002) किये थे।

22 राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रत्येक से संबंधित एक-एक अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद पर।

तालिका 1.13: बकाया व्याख्यात्मक टिप्पणियां (30 सितम्बर 2017 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयूज) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीएज) एवं अनुच्छेद		पीएज/अनुच्छेदों की संख्या जिन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई	
		पीए	अनुच्छेद	पीए	अनुच्छेद
2015-16	28.03.2017	2	10	1	4

एक[23] निष्पादन लेखापरीक्षा एवं चार[24] अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां चार विभागों से लंबित थी।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.25 30 सितम्बर 2017 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.14: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितम्बर 2017 तक चर्चा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2014-15	2	9	2	4
2015-16	2	10	-	-

वर्ष 2013-14 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) पर चर्चा पूर्ण की जा चुकी है।

कोपू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

1.26 मार्च 2017 में राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये गये कोपू के एक प्रतिवेदन पर कार्यवाही विषयक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी (30 सितम्बर 2017) जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.15: कोपू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में सम्मिलित सिफारिश की संख्या	सिफारिशों की संख्या जिन पर एटीएन प्राप्त नहीं हुई
2016-17	1	12	12

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदन में वर्ष 2012-13 के लिये भारत के सीएजी के प्रतिवेदन में सम्मिलित राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड से संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें सम्मिलित थी।

23 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा पर।

24 राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड से संबंधित दो अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड प्रत्येक से संबंधित एक-एक अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर।

सरकार को प्रारूप अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर निर्धारित समयावधि में उत्तर एवं कोपू की सिफारिशों पर एटीएन प्रेषित करने तथा हानियों/ बकाया अग्रिमों/ अधिक भुगतानों की निर्धारित समयावधि में वसूली करने को सुनिश्चित करना चाहिये।

पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

1.27 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में किसी भी राज्य पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण नहीं हुआ।

इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु

1.28 इस प्रतिवेदन में 10 अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा यथा 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सामग्री प्रापण एवं प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा' सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 384.52 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है।

अध्याय II

सरकारी कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय II

सरकारी कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

'सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2012-13 से 2016-17 के अवधि के दौरान जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के सामग्री के प्रापण एवं प्रबंधन कार्य को सम्मिलित करती है।

राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (आरटीपीपी अधिनियम)

राजस्थान सरकार (राज्य सरकार) द्वारा आरटीपीपी अधिनियम को लागू किया गया (मई 2012) एवं इसके अधीन नियम अधिसूचित किये (जनवरी 2013)। अधिनियम के द्वारा माल के प्रापण, सेवाओं एवं कार्यों से संबंधित तत्समय लागू सभी नियमों एवं विनियमों को निष्प्रभावी कर दिया गया। कम्पनी, तथापि, अधिनियम/ नियमों के अनुसार क्रय मैन्युअल एवं मानक निविदा प्रलेखों को पुनरीक्षित करने में विफल रही।

सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण

चयनित सहायक भण्डार नियंत्रक (एसीओएस) एवं चयनित उपखण्डीय स्टोर्स ने सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण की निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण नहीं किया। वृत्त कार्यालयों एवं उपखण्डों के पास कार्यानुसार/ उपखण्डानुसार सामग्री की आवश्यकता के संबंध में जोनल मुख्य अभियंता (जेडसीई) को प्रस्तुत किये गये कोई प्रलेख उपलब्ध नहीं थे। चालू वर्ष के लिए सामग्री का निर्धारण वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखे बिना पिछले वर्ष के आधार पर किया गया था। साथ ही, क्रय नियोजन एवं प्रबंध समिति (पीपीएम समिति) द्वारा 2012-13 से 2016-17 के दौरान कभी भी वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया गया।

निविदाओं का अन्तिम निर्धारण

चयनित की गई 40 निविदाओं में से 29 निविदाओं (72.50 प्रतिशत) को कम्पनी ने 120 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद अन्तिम रूप दिया। यह देरी 4 दिन से 589 दिनों के मध्य थी। साथ ही, संबंधित प्राधिकारी ने क्रय मैन्युअल के उल्लंघन में अगले उच्चत्तर प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना इन निविदाओं को अन्तिम रूप दिया।

सामग्री के प्रापण में कुशलता एवं प्रभावशीलता

कम्पनी ने निर्धारित विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली ₹ 83.80 करोड़ मूल्य की निम्न गुणवत्ता की सामग्री क्रय की। कम्पनी ने नयी निविदा में निम्नत्तर दरों के खुलने के उपरांत भी आपूर्तियों को स्वीकार करने के कारण, अतर्कसंगत उच्चत्तर दरों पर सामग्री के क्रय एवं निविदाओं के अविवेकपूर्ण निरस्तीकरण द्वारा उच्चत्तर दरों पर सामग्री क्रय करते हुए ₹ 6.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। कम्पनी ने बिना किसी आवश्यकता के सुपुर्दगी अनुसूची से पूर्व आपूर्तियों को स्वीकार करके ₹ 38.84

करोड़ के कोषों को भी अवरुद्ध किया। साथ ही, कम्पनी ने उचित निरीक्षण एवं जांच किये बिना सामग्री का क्रय किया जिसके परिणामतः निम्न गुणवत्ता अथवा घटिया सामग्री का क्रय किया गया।

सामग्री नियंत्रण

कम्पनी ने सामग्री के महत्वपूर्ण स्तरों को निर्धारित नहीं किया एवं मूल्य विश्लेषण अथवा चलन विश्लेषण भी नहीं किया गया। भण्डारण पर किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर भण्डारण दर भी निर्धारित नहीं की गई। एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स द्वारा भी निर्धारित प्रारूप में सामग्री का अभिलेख संधारित नहीं किया गया। सभी चयनित एसीओएस को उपखण्डों द्वारा प्रस्तुत किये गये मांगपत्रों पर कार्य पहचान मिमो का संदर्भ नहीं था एवं अनुमान कार्डस की प्रस्तुति के बिना ही सामग्री जारी की गई। किसी भी चयनित उपखण्डीय स्टोर्स ने प्रत्येक कार्यादेश के लिए कार्य पहचान मिमो, ट्रांसफॉर्मर चलन रजिस्टर एवं प्रत्येक जॉब के लिए सामग्री अनुमान कार्ड के अनुसार जॉब कार्ड संधारित नहीं किये थे। सहायक अभियंताओं ने आदेशों का उल्लंघन किया एवं मुद्रित मांगपत्रों के स्थान पर हस्तलिखित मांगपत्रों को अनुमोदित किया। भण्डारपालों ने भी हस्तलिखित मांगपत्रों के विरुद्ध सामग्री जारी की।

*कम्पनी ने एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर सामग्री का वार्षिक रूप से भौतिक सत्यापन नहीं किया। एसीओएस के भौतिक सत्यापन के अन्तर्गत समयावधि **12** एवं **51** माह के बीच थी जबकि उपखण्डीय स्टोर्स के मामले में यह **16** एवं **57** माह के बीच थी।*

निष्क्रिय सामग्री, भण्डारण, आधिक्य एवं कमी तथा चोरी, आगजनी एवं गबन

*कम्पनी ने टर्नकी ठेकेदारों से ₹ **8.18** करोड़ की अधिशेष सामग्री को स्वीकार किया जो आदेशों के अभाव, निगम स्तरीय क्रय समिति द्वारा अनुबंधों के समापन में देरी एवं तकनीक में परिवर्तन के कारण स्टोर्स में अप्रयुक्त रही। कम्पनी ने आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्रय किया एवं फिल्ड कार्यालयों से मांग में कमी के कारण ₹ **10.49** करोड़ मूल्य की सामग्री एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।*

*एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स ने अभिलेखों को संधारित नहीं किया एवं आदेशानुसार सामग्री की स्टेकिंग भी नहीं की। सामग्री सत्यापनकर्ताओं द्वारा सभी एसीओएस की भौतिक सत्यापन रिपोर्टस में मार्च **2017** को ₹ **2.28** करोड़ की असमायोजित कमी एवं ₹ **2.61** करोड़ के आधिक्य को इंगित किया गया। निर्धारित अभिलेखों को संधारित नहीं करने एवं निरीक्षणों के अभाव, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रण एवं निगरानी के अभाव ने गबन एवं आगजनी की घटनाओं के लिए अवसर प्रदान किये। साथ ही, कम्पनी द्वारा उपखण्डीय स्टोर्स पर सामग्री का बीमा नहीं करवाया गया।*

सिफारिशें

निष्पादन लेखापरीक्षा में छह सिफारिशें दी गई हैं जिनमें (i) आरटीपीपी अधिनियम एवं नियमों के अनुसार क्रय मैन्युअल का पुनरीक्षण करना, (ii) सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण की प्रक्रिया को धारा प्रवाहित करना, (iii) निर्धारित समय सीमा में निविदाओं का अन्तिम निर्धारण, निविदाओं के निर्धारित क्रियाविधियों का पालन करना एवं विवेकपूर्ण ढ़ंग से अनुबंधों को प्रदान करना (iv) निरीक्षण एवं जांच क्रियाविधियों को मजबूत बनाना एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामग्री की आपूर्ति के समय पर तकनीकी विशिष्ट विवरणों की कड़ी अनुपालना को सुनिश्चित करना, (v) सामग्री नियंत्रण तकनीकें अपनाना एवं सामग्री के निर्धारित अभिलेख संधारित करना तथा (vi) निर्दिष्ट अंतराल पर भौतिक सत्यापन करना एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्टस में इंगित की गई विसंगतियों पर सुधारात्मक कार्यवाही करना सम्मिलित हैं।

परिचय

2.1 राजस्थान (राज्य) में विद्युत वितरण नेटवर्क का प्रबंध राज्य आधारित तीन कम्पनियों यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल) द्वारा किया जाता है।

बढ़ती हुई विद्युत की मांग एवं नए उपभोक्ताओं के जुड़ने के साथ वितरण नेटवर्क को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, वर्तमान विद्युत प्रणाली के नियमित संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) तथा इसके पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा राज्य के लोगों को विद्युत की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ वितरण नेटवर्क की भी आवश्यकता है। एक बड़े एवं कुशल विद्युत वितरण नेटवर्क को बनाये रखने के लिए वृहत कोषों की जरूरत है। सामग्री के प्रापण एवं प्रबंध में मितव्ययिता, कुशलता एवं प्रभावशीलता सामग्री के अनावश्यक प्रापण, निष्क्रिय पड़ी सामग्री में कोषों की अवरुद्धता, एवं सामग्री रखरखाव लागत को कम करती है।

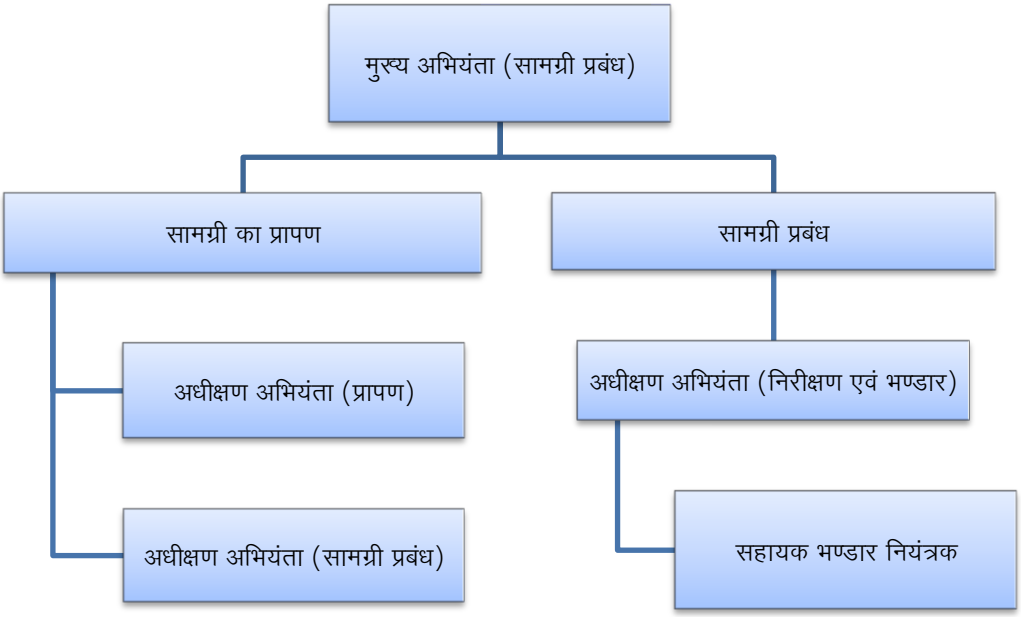
राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा सभा (14 जुलाई 2016) में देखा गया कि सामग्री की छीजत, चोरी एवं अप्रयुक्त रहने के कारण डिस्कॉम्स बड़ी हानि वहन कर रही थी। कोपू द्वारा स्टोर्स एवं कार्यस्थल पर सामग्री/उपकरण के भण्डारण; सामग्री का उपयोग, एवं अवशिष्ट/अप्रचलित सामग्री के निस्तारण पर जोर देते हुए डिस्कॉम्स के सामग्री प्रबंध तंत्र की लेखापरीक्षा करने का सुझाव दिया गया (25 जुलाई 2016)।

कोपू के विचारों एवं सुझावों, सामग्री के प्रापण में वृहत निवेश, एवं सामग्री के प्रबंध में निहित उच्च जोखिम को ध्यान में रखते हुए जेवीवीएनएल (कम्पनी) के संबंध में वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी (नवम्बर 2016 से मई 2017)। कम्पनी का चयन किया गया क्योंकि मार्च 2017 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में तीनों डिस्कॉम्स में इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार (36.26 प्रतिशत) था एवं सामग्री के प्रापण पर सर्वाधिक व्यय (₹ 4,619.49 करोड़) था। साथ ही, 2012-17 की अवधि के दौरान तीनों डिस्कॉम्स के लिए सामग्री के क्रय के लिए कम्पनी ने एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया।

प्रापण एवं सामग्री प्रबंध कार्य

2.2 कम्पनी में सामग्री प्रापण एवं प्रबंध का कार्य मुख्य अभियंता द्वारा निर्देशित सामग्री प्रबंध विंग (एमएम विंग) द्वारा निष्पादित किया जाता है। एमएम विंग में तीन वृत्त हैंः सामग्री प्रबंध वृत्त, प्रापण वृत्त, तथा निरीक्षण एवं भण्डार वृत्त। सामग्री की आवश्यकता का अंतिमीकरण एवं क्रय का कार्य सामग्री प्रबंध एवं प्रापण वृतों में निहित हैं। निरीक्षण एवं भण्डार (आईएण्डएस) वृत्त स्टोर्स के प्रबंध, सामग्री की जांच, स्टोर्स के निरीक्षण, एवं नीलामी के द्वारा अवशिष्ट के निस्तारण के कार्य में संलग्न है।

अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) के नियंत्रणाधीन सहायक भण्डार नियंत्रक (एसीओएस) को सामग्री की प्राप्ति, फिल्ड कार्यालयों को सामग्री जारी करने, तथा अवशिष्ट सामग्री के संग्रहण एवं निस्तारण का कार्य सौंपा गया हैं। उपखण्ड कार्यालयों द्वारा भी अपने स्वयं के स्टोर्स रखे जाते हैं एवं एसीओएस से सामग्री प्राप्त करते हैं। उपखण्डीय भण्डारों का रखरखाव भण्डारपालों द्वारा किया जाता है जो उपखण्ड के सहायक अभियंता को रिपोर्ट करते हैं।



क्रय किये जाने वाली सभी मदों के तकनीकी मानक एवं वाणिज्यिक विशिष्ट विवरण तीनों डिस्कॉम्स में एक समान हैं तथा एक तकनीकी एवं वाणिज्यिक विशिष्ट विवरण समिति[1] द्वारा इन्हें अन्तिम रूप दिया जाता है। ₹ 50 लाख तक के क्रय के मामले अधीक्षण अभियंता (एसई) स्तरीय क्रय समिति द्वारा निश्चित किये जाते हैं। ₹ 50 लाख से अधिक एवं ₹ 1.50 करोड़ तक की वित्तीय प्रभाव वाली निविदाएं मुख्य अभियंता (सीई) स्तरीय क्रय समिति द्वारा निश्चित किये जाते हैं। ₹ 1.50 करोड़ से अधिक मूल्य के क्रय के मामले निगम स्तरीय क्रय समिति[2] (सीएलपीसी) द्वारा निश्चित किये जाते हैं जिसका अध्यक्ष कम्पनी का प्रबंध निदेशक होता है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान कम्पनी के प्रापण एवं सामग्री प्रबंध संबंधी कार्यों को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में सीई (एमएम) कार्यालय में कुल 353 निविदाओं में से 40 उच्च मूल्य[3] की निविदाओं की विस्तृत समीक्षा को सम्मिलित किया गया। कम्पनी द्वारा 2012-17 के दौरान किये गये कुल क्रय (₹ 4,619.49 करोड़) में इन उच्च मूल्य की निविदाओं (₹ 1,814.75 करोड़) का 39.28 प्रतिशत भाग था। सामग्री प्रबंध कार्य की समीक्षा 13 एसीओएस में से 4 (जयपुर शहर वृत्त, जयपुर जिला वृत्त, अलवर एवं कोटा) में की गई। 2012-17 के दौरान सामग्री के अधिकतम उपभोग के आधार पर चार एसीओएस कार्यालयों का चयन किया गया था।

1 जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल के सीई/डिप्टी सीई (क्रय शाखा); सीई (ओएण्डएम)/ जोनल सीई, जेवीवीएनएल; मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण), जेवीवीएनएल; एवं एसई (एमएम/ प्रापण), जेवीवीएनएल।

2 समिति के अन्य सदस्य निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी), सीई (एमएम) एवं जोनल सीई (जयपुर जोन) थे। संबंधित एसई (एमएम)/ एसई (प्रापण) एवं सीएओ (वित्तीय प्रबंध एवं अर्थोपाय) भी चर्चा के दौरान सहयोगी थे।

3 निविदाओं का मूल्य ₹ 1.55 करोड़ एवं ₹ 245 करोड़ के बीच था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के लिए की गई कि क्याः

- सामग्री की आवश्यकता निर्धारण करने के लिए एक पर्याप्त प्रणाली विद्यमान थी
- सामग्री का प्रापण मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावपूर्ण था
- कम्पनी का सामग्री प्रबंध तंत्र वैज्ञानिक एवं प्रभावकारी था एवं
- सामग्री के भौतिक सत्यापन एवं अप्रचलित / अवशिष्ट मदों के समयपूर्वक निस्तारण का पर्याप्त तंत्र था।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त लेखापरीक्षा मापदण्डों को अपनाया गयाः

- क्रय मैन्युअल, स्टोर्स मैन्युअल एवं सामग्री के प्रापण एवं प्रबंध से संबंधित कार्यालय आदेश/ परिपत्र
- अनुबंध की सामान्य शर्तें, निविदा एग्रीमेंट एवं कार्यादेश/ क्रयादेश में लिखित नियम एवं शर्तें
- बजट एवं सामग्री के प्रापण में शामिल विभिन्न समितियों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त
- राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (आरटीपीपी अधिनियम, 2012) एवं आरटीपीपी नियम, 2013 एवं
- कम्पनी की प्रबंध सूचना प्रणाली एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेख।

लेखापरीक्षा कार्यविधि

2.6 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेखापरीक्षा मापदण्डों के संदर्भ में अपनाई गई कार्यविधि में निम्नलिखित को समाहित किया गयाः

- प्रविष्टि सभा (फरवरी 2017) के दौरान सरकार/ कम्पनी के समक्ष लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा मापदण्डों को स्पष्ट करना
- कम्पनी के प्रधान कार्यालय, सामग्री प्रबंध विंग तथा चयनित एसीओएस पर अभिलेखों की संवीक्षा करना
- लेखापरीक्षा प्रश्नावली एवं प्रबंधन के साथ चर्चा करना
- सरकार/ कम्पनी को टिप्पणी एवं उन पर प्रत्युत्तर के लिए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना (जुलाई 2017) एवं
- 6 सितम्बर 2017 को आयोजित समापन सभा के दौरान लेखापरीक्षा परिणामों पर सरकार/ कम्पनी के साथ चर्चा करना।

आभार

2.7 इस लेखापरीक्षा के दौरान आवश्यक अभिलेखों को उपलब्ध कराने में कम्पनी एवं इसके फिल्ड कार्यालयों द्वारा किये गये सहयोग के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। हमने 8 फरवरी 2017 को सरकार एवं कम्पनी के साथ प्रविष्टि सभा में निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों एवं इसके क्षेत्र पर चर्चा की एवं 6 सितम्बर 2017 को समापन सभा का आयोजन किया गया। प्रतिवेदन में, समापन सभा में रखे गये सरकार एवं कम्पनी के विचारों को प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर इसके उत्तर (23 अगस्त 2017) के साथ सम्मिलित कर लिया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.8 लेखापरीक्षा परिणाम मुख्यतः आरटीपीपी अधिनियम/ नियमों के क्रियान्वयन, सामग्री के प्रापण एवं एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स के स्तर पर सामग्री के प्रबंध से संबंधित मामलों को सम्मिलित करते हैं।

आरटीपीपी अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन

2.9 सामग्री प्रापण एवं स्टोर्स संबंधित कार्यों के नियमन के लिए कम्पनी द्वारा तात्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) जो जुलाई 2000 में पांच कम्पनियों में विभाजित हो गया था, की क्रय एवं स्टोर्स मैन्युअल का अनुकरण करती रही। कम्पनी द्वारा समय समय पर क्रय मैन्युअल को संशोधित किया गया।

लोक प्रापण के नियमन के लिए राज्य सरकार द्वारा आरटीपीपी अधिनियम, 2012 लागू किया गया (22 मई 2012) एवं आरटीपीपी नियम, 2013 अधिसूचित किये (जनवरी 2013)। आरटीपीपी अधिनियम, 2012 राज्य सरकार द्वारा धारित अथवा नियंत्रित राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू होता है (अधिनियम की धारा-3)। आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 86 द्वारा इनके लागू होने की तिथि से माल के प्रापण, सेवाओं अथवा कार्यों से संबंधित सभी नियमों एवं विनियमों को उस सीमा तक निष्प्रभावी कर दिया गया जिस सीमा तक ये चीजें उन नियमों के अंतर्गत आती थी। अधिनियम की धारा 56 द्वारा कम्पनी को दिशानिर्देशों, क्रियाविधियों, सामान्य प्रपत्रों, मानक विशिष्ट विवरणों एवं अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों के अनुरूप मैन्युअल्स को जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही, धारा 56 के अंतर्गत एक प्रापण करने वाली कम्पनी द्वारा जारी किये गये सभी दिशानिर्देशों को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना आवश्यक था।

डिस्कॉम्स समन्वय फोरम द्वारा डिस्कॉम्स को क्रय मैन्युअल की समीक्षा करने एवं इसमें निर्दिष्ट की गई क्रियाविधियां आरटीपीपी अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों/वाक्यांशों के अनुरूप होने को सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया (जनवरी 2014)। तथापि, क्रय मैन्युअल का पुनरीक्षण नहीं किया गया एवं इस प्रकार डिस्कॉम्स द्वारा राज्य सरकार को कुछ शर्तों में ढ़ील प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया (अप्रेल 2016)। तथापि, राज्य सरकार की स्वीकृति प्रतीक्षित थी (मई 2017)।

बाद में, डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा मानक निविदा प्रलेख के साथ क्रय एवं स्टोर्स मैन्युअल को तैयार/पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति गठित की गई (8 अगस्त 2016)। तथापि, आरटीपीपी अधिनियम के अनुसार क्रय मैन्युअल, मानक निविदा प्रलेख, एवं स्टोर्स मैन्युअल का पुनरीक्षण नहीं किया गया था (अगस्त 2017)।

सरकार ने अपने उत्तर एवं निकासी सभा के दौरान बताया कि क्रय मैन्युअल का पुनरीक्षण अन्तिम चरण में था एवं पुनरीक्षित मैन्युअल को 2017-18 के दौरान लागू कर दिया जायेगा।

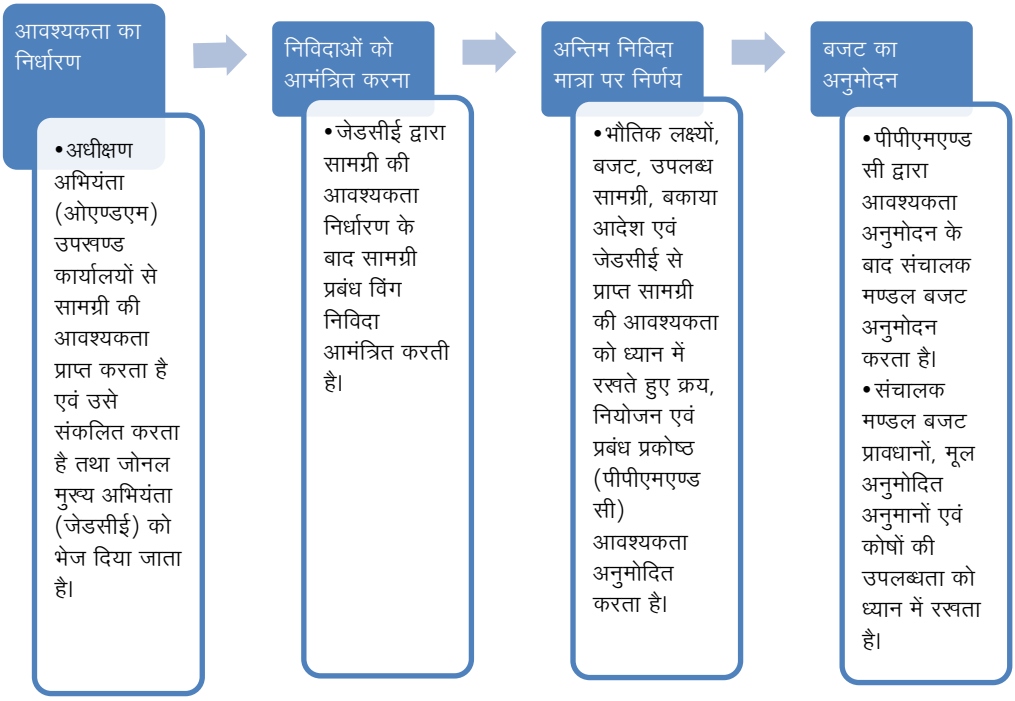
सामग्री का प्रापण

2.10 सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण एवं क्रय मैन्युअल की निर्धारित क्रियाविधियों की अनुपालना नहीं करने, विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली सामग्री के क्रय, सामग्री का अमितव्ययी क्रय, सुपुर्दगी सूची को समयपूर्व करना, एवं बिना उचित जांच एवं निरीक्षण के सामग्री का प्रापण करने में कमियां थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा द्वारा चयनित 40 निविदाओं में से 31 (77.50 प्रतिशत) में ₹ 164.54 करोड़ की धनराशि को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार कमियों को उजागर किया गया।

सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण

2.11 सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण क्रय एवं स्टोर्स मैन्युअल द्वारा मार्गदर्शित होता है। स्टोर्स मैन्युअल के अनुसार कम्पनी द्वारा केन्द्रीकृत खरीद वाली मदों के संबंध में वार्षिक रूप से एक निश्चित अनुमान तैयार करना आवश्यक है। क्रय मैन्युअल में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 'प्रापण नियोजन एवं प्रबंध (पीपीएम)' समिति[4] द्वारा मदानुसार वार्षिक आवश्यकता का निर्धारण किया जायेगा। भौतिक लक्ष्य, बजट प्रावधान, स्टॉक की स्थिति, स्टोर्स में एवं कार्यस्थल पर उपलब्ध भौतिक शेष, बकाया क्रयादेशों के विरुद्ध प्रतीक्षित सामग्री की मात्रा, एवं सामान्य प्रापण एवं लीड समय पर आधारित अगले वर्ष के लिए आंशिक मात्रा को पीपीएम समिति द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण एवं इसके अनुमोदन की वास्तविक प्रक्रिया नीचे दशाई गई है।

4 समिति के सदस्य एसई (एमएम), एसई (प्रापण), सीएओ (डब्ल्यूएम एण्ड एफएम), सीई (एमएम), एसई (प्लान) एवं सीई (जयपुर जोन)।



डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये थे (फरवरी 2014)। निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपखण्डीय स्तर पर सामग्री की कार्यानुसार एवं माहवार आवश्यकता के निर्धारण के बारे में बताया गया था। उपखण्डीय आवश्यकता का वृत्त स्तर पर संकलन एवं समीक्षा की जानी है। वृत्तानुसार आवश्यकता को आगे जोनल सीई (जयपुर जोन) द्वारा संकलित किया जाना था एवं पीपीएम समिति को सूचित किया जाना था। सम्पूर्ण सामग्री निर्धारण आवश्यकता पर आधारित एवं उपलब्ध बजट द्वारा चालित होना चाहिए था।

चयनित एसीओएस पर अभिलेखों की समीक्षा एवं चयनित एसीओएस के अधीन 21[5] उपखण्डीय स्टोर्स पर नमूना जांच द्वारा उजागर हुआ कि सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण के लिए निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण नहीं किया गया था। वृत्त कार्यालयों एवं उपखण्डों द्वारा जोनल सीई को भेजी गई कार्यानुसार/ उपखण्डानुसार सामग्री की आवश्यकता के संबंध में कोई प्रलेख नहीं रखे गये थे। कार्यानुसार/ उपखण्डानुसार सामग्री की आवश्यकता निर्धारण शीट/ प्रलेखों के अभाव में, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके;

- उपखण्डानुसार संचालन एवं रखरखाव कार्यों के लिए जोनल सीई द्वारा निर्धारित की गई सामग्री की आवश्यकता की पर्याप्तता एवं
- क्या संचालन एवं रखरखाव कार्य/ वितरण नेटवर्क में आवर्धन की सामग्री की कमी के कारण बाधित हुई थी।

5 (i) भांकरोटा (ii) जयपुर डी-III (iii) शाहपुरा (iv) चोमू ए1 (v) सांभर (vi) दूदू (vii) थानागाजी (viii) कोटपुतली (ix) चाकसू (x) बस्सी (xi) भिवाड़ी (xii) राजगढ़ (xiii) नीमराणा (xiv) बानसूर (xv) मालाखेड़ा (xvi) लक्ष्मणगढ़ (xvii) कोटकासिम (xviii) अलवर ए-II (xix) कोटा ग्रामीण (xx) इटावा एवं (xxi) चेचट।

हमने देखा कि डिपोजिट कार्यों, 11 केवी एवं निम्न तनाव के लिए नये कार्यों एवं आवर्धन कार्यों, मरम्मत एवं रखरखाव, केबल नेटवर्क, एवं शहर केन्द्रित कार्यक्रम के लिए अन्य विविध कार्यों के लिए कुल 261 मदों में से 229 मदों के संबंध में वर्ष 2013-14 के लिए जोनल सीई (जयपुर जोन) द्वारा सूचित की गई मात्राएं पिछले वर्ष किये गये कार्यों के समान थी। इसी प्रकार 253 मदों में से 211 के संबंध में वर्ष 2015-16 के लिए इन्हीं कार्यों के लिए सूचित की गई मात्राएं वर्ष 2014-15 के समान थी।

यह दर्शाता है कि फिल्ड कार्यालयों से सामग्री की आवश्यकता प्राप्त नहीं हुई थी एवं वर्तमान में चल रहे कार्यों के लिए सामग्री की वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान दिये बिना चालू वर्ष के लिए सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण पिछले वर्ष के आधार पर किया गया था।

इस प्रकार, जोनल सीई की आवश्यकताओं के आधार पर ही सीई (एमएम) द्वारा निविदा की गई सामग्री तदर्थ आधार पर थी एवं इसलिए फिल्ड कार्यालयों की वास्तविक आवश्यकता की सूचक नहीं थी। साथ ही, यह देखा जा सकता है कि कम्पनी ने पीपीएम समिति द्वारा सामग्री की आवश्यकता निर्धारण तय करने से पूर्व ही निविदाएं आमंत्रित कर ली थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि निविदाओं को जारी करने में होने वाली देरी को टालने के लिए भूतकाल के उपभोग पैटर्न के अनुसार पीपीएम समिति द्वारा सामग्री आवश्यकता का अनुमोदन किया गया। आगे यह बताया गया कि डिस्कॉम्स के अध्यक्ष के दिशानिर्देशानुसार विस्तृत आवश्यकता को प्राप्त किया जा रहा था एवं वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए सामग्री की आवश्यकता का समय पर निर्धारण करने के लिए प्रक्रियागत किया जा रहा था।

सामग्री की आवश्यकता का अनुपयुक्त अनुमोदन

2.11.1 क्रय मैन्युअल में निर्धारित क्रियाविधि एवं डिस्कॉम्स अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये (फरवरी 2014) आदेशों के अनुसार वास्तविक आवश्यकताओं को अनुमोदित करने के स्थान पर पीपीएम समिति द्वारा वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान की गई निविदाओं की मात्राओं का अनुमोदन किया। इससे 2015-16 के दौरान ₹ 70.13 करोड़ मूल्य वाली आठ[6] मदों की 6.20 लाख इकाइयों के आवश्यकता से अधिक क्रय के अनुमोदन को बढ़ावा मिला। जोनल मुख्य अभियंता द्वारा स्टोर्स में इन मदों की अधिक उपलब्धता (2.40 लाख इकाइयां) को इंगित किया जा चुका था। साथ ही, 2016-17 के दौरान, इस तथ्य के उपरांत कि इन मदों की वास्तविक आवश्यकता शून्य थी पीपीएम समिति द्वारा ₹ 138.17 करोड़ मूल्य वाली नौ[7]

6 11 केवी की जीआई पिन्स (3,26,437 इकाइयां); जीआई पिन एलटी (2,79,261 इकाइयां); 11 केवी सीटी/ पीटी 200/5 (1,824 इकाइयां); 11 केवी सीटी/ पीटी 50/5 (500 इकाइयां); 11 केवी सीटी/ पीटी 15/5 (1,000 इकाइयां); 12 केवी ओ/डी वीसीबी कियोस्क (2,000 इकाइयां); एलटी वितरण बॉक्स यू/ जी केबल 100 एम्पीयर (3,000 इकाइयां); सर्ज अरेस्टर्स 11 केवी एसटी टाइप (6,000 इकाइयां)।

7 चार कोर एलटी केबल 185 वर्ग मीमी (200 किमी), चार कोर एलटी केबल 120 वर्ग मीमी (100 किमी), चार कोर एलटी केबल 95 वर्ग मीमी (100 किमी), कंट्रोल केबल 4 सी गुणा 4 वर्गमीटर (25 किमी), कंट्रोल केबल 6 सी गुणा 4 वर्गमीटर (25 किमी), स्पेशल मीटर्स एचटी टीवीएम (3,780 इकाइयां), एलटी टीवीएम मीटर्स (4,270 इकाइयां), 11/ 0.4 केवी डीटीज (29,385 इकाइयां) एवं शेफ्टी शूज (14,535 इकाइयां)।

मदों की 0.52 लाख इकाइयों की आवश्यकता का अनुमोदन किया गया। इसने अधिक सामग्री के क्रय को बढ़ावा दिया जिसकी चर्चा **अनुबंध 5** के क्रम संख्या 3 में की गई।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया कि पीपीएम समिति द्वारा आवश्यकता से अधिक मात्राओं का अनुमोदन किया गया लेकिन बाद में कुछ मदों को क्रय नहीं किया गया था अथवा इनकी एनआईटी को निरस्त कर दिया गया था।

2.11.2 स्टोर्स मैन्युअल के अनुसार आपात स्थितियों से निपटने के लिए एवं सामग्री की सुपुर्दगी में देरी के विरुद्ध सुरक्षा के लिए बफर सामग्री रखी जाती है। साथ ही क्रय मैन्युअल में प्रावधान था कि आवश्यकता के अनुमोदन के समय सामान्य प्रापण पर आधारित आगामी वर्ष के लिए आंशिक मात्रा एवं आपूर्ति के लिए लीड समय को जोड़ा जाना चाहिए। कम्पनी शेष बचे हुए कार्यों के लिए 15 प्रतिशत मात्रा एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए 25 प्रतिशत मात्रा सामान्यतः जोड़ रही थी। हमने देखा किः

- पीपीएम समिति द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए आवश्यकता का निर्धारण करते समय 39 मदों के संबंध में शेष बचे हुए कार्यों के लिए 15 प्रतिशत एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए 25 प्रतिशत मात्राओं को नहीं जोड़ा गया था।
- वर्ष 2014-15 के दौरान, पीपीएम समिति द्वारा 166 मदों के संबंध में अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए 25 प्रतिशत मात्रा को नहीं जोड़ा गया था। साथ ही, चार मदों के संबंध में शेष बचे हुए कार्यों एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के लिए कोई मात्रा नहीं जोड़ी गई थी।

इस प्रकार, पीपीएम समिति द्वारा सामग्री की आवश्यकता निर्धारण का अनुमोदन करने में एकरूपता नहीं थी। साथ ही, इन मदों के संबंध में बचे हुए कार्यों एवं आगामी वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के लिए मात्राओं को नहीं जोड़ने के लिए कोई कारण अभिलेखित नहीं थे।

सरकार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान, कम्पनी द्वारा आवश्यकता का निर्धारण मई 2014 में किया गया था एवं इसलिए यह वास्तविक/ यर्थाथवादी आधार पर आधारित थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा किया गया आवश्यकता निर्धारण के अनुसार स्टोर्स में इन मदों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी। सरकार /कम्पनी द्वारा 2013-14 के दौरान निर्धारण के बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया।

सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण

2.11.3 वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान पीपीएम समिति द्वारा निर्धारित की गई सामग्री की आवश्यकता एवं मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा की गई वास्तविक खरीद

निम्नानुसार थीः

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीपीएम समिति द्वारा अनुमोदित सामग्री की आवश्यकता		वास्तविक क्रय	अनुमोदित आवश्यकता के विरुद्ध अधिक/ (कम) क्रय
2012-13	1132.53	1 जून 2012	980.85	(151.68)
2013-14	1366.20	13 जुलाई 2013	1077.12	(289.08)
2014-15	972.72	6 अगस्त 2014	852.50	(120.22)
2015-16	1060.32	9 जून 2015	884.57	(175.75)
2016-17	878.02	1 जून 2016	824.45	(53.57)

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान पीपीएम समिति द्वारा वित्तीय वर्ष शुरु होने से पूर्व कभी भी सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण क्रय मैन्युअल के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया था। सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण वित्तीय वर्ष शुरु होने के 62 से 128 दिनों के बाद किया गया था। वास्तविक खरीद अनुमोदित आवश्यकताओं से कम थी।

सरकार द्वारा बताया गया कि पीपीएम समिति द्वारा आवश्यकता के निर्धारण में देरी सामग्री के प्रापण एवं जारी करने की सार्वकालिक प्रक्रिया के कारण थी। इसलिए, आवश्यकता का निर्धारण एक समय विशेष पर नहीं किया जा सका क्योंकि आपूर्तियां लगातार की जा रही थी। आगे यह बताया गया कि एक जनोपयोगी सेवा होने के नाते, आवश्यकताओं का निर्धारण सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं एवं स्थानीय स्वशासन की अन्य अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। तथ्य यही रहा कि कम्पनी क्रय मैन्युअल के अनुसार सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण करने का एक तंत्र विकसित नहीं कर सकी।

अभिलेखों की हमारी संवीक्षा द्वारा सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण में कमियों को इंगित करने वाले दो दृष्टान्त उजागर किये गये जिसकी चर्चा नीचे की गईः

वास्तविक आवश्यकता को निर्धारित किये बिना केबल का प्रापण

2.11.4 कम्पनी द्वारा आरमर्ड पावर केबल[8] की आवश्यकता का निर्धारण एवं किया गया क्रय निम्नानुसार था।

विवरण	निर्धारण/ अन्तिमीकरण/आदेश दिया गया	आपूर्तियां प्राप्त की गई
मुख्य अभियंता (ओएण्डएम), जयपुर जोन द्वारा सूचित की गई (दिसम्बर 2013) आवश्यकता एवं आर-एपीडीआरपी[9] कार्यों पर आधारित 2014-15 वर्ष के लिए मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा केबल की आवश्यकता का निर्धारण किया गया।	750 किमी	
पीपीएम समिति द्वारा आवश्यकता का अंतिम निर्धारण (अगस्त 2014)	187 किमी	
कम्पनी द्वारा टीएन 4493 के अधीन दिये गये (जुलाई 2015) क्रयादेश एवं प्राप्त की गई आपूर्तियां	395 किमी	355.98 किमी
कम्पनी ने एक नई निविदा (टीएन 4522) खोली (अगस्त 2015) एवं क्रयादेश दिया (नवम्बर 2015) एवं आपूर्तियां प्राप्त की (मई 2016)।	350 किमी	88.05 किमी

8 11 केवी, 3 सी गुणा 120 एक्सएलपीई आरमर्ड पावर केबल

9 रि-स्ट्रक्चर्ड एक्सिलरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफॉर्मस प्रोग्राम।

हमने देखा कि वर्ष 2016-17 के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता (20 अप्रेल 2016 तक 248.32 किमी) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा टीएन 4493 एवं टीएन 4522 के विरुद्ध लम्बित आपूर्तियों को स्थगित कर दिया गया (मई 2016)।

हमने देखा किः

- आवश्यकता का निर्धारण यर्थाथवादी नहीं था क्योंकि पीपीएम समिति द्वारा केवल 187 किमी केबल की आवश्यकता का निर्धारण किया गया जबकि मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए 750 किमी की आवश्यकता का निर्धारण किया गया। साथ ही, आवश्यकता एवं प्रापण के बीच कोई संबंध नहीं था क्योंकि निविदाएं 395 किमी के लिए बिना किसी आधार के आमंत्रित की गई थी। कम्पनी द्वारा टीएन 4493 की सुपुर्दगी अनुसूची को भी पूर्व में खिसका दिया एवं बिना किसी आवश्यकता के एक नई निविदा (टीएन 4522) के अधीन क्रयादेश दिये गये।
- 31 मार्च 2017 को कम्पनी के पास 170.62 किमी सामग्री उपलब्ध थी जो कि अगले 14 महिनों (2015-16 के उपभोग पैटर्न के आधार पर 11.86 किमी प्रति माह) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त थी।
- कम्पनी द्वारा बिना किसी आवश्यकता के सामग्री का ढ़ेर लगाया गया क्योंकि 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान क्रय की गई 444.02 किमी केबल में से मार्च 2017 तक केवल 273.40 किमी केबल ही उपयोग में लाई जा सकी।

बिना आवश्यकता के केबल के क्रय के परिणामतः गुणवत्ता में गिरावट होने एवं गारण्टी अवधि जो आपूर्ति की तिथि से 18 माह थी के समाप्त होने के अतिरिक्त 170.62 किमी केबल के विरुद्ध ₹ 9.15 करोड़ के कोष अवरुद्ध हुए।

सरकार ने बताया कि उपभोग पैटर्न, उपलब्ध सामग्री एवं निरीक्षणाधीन मात्रा को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति की शेष मात्रा को स्थगित किया गया था। साथ ही, इस मद के लिए बाद में एनआईटी जारी नहीं की गई थी। तथ्य यही रहा कि आवश्यकता के अयथार्थवादी निर्धारण के कारण कम्पनी द्वारा केबल का ढ़ेर लगा दिया गया। साथ ही, आगामी निविदात्मक मात्राओं के निरस्तीकरण के बाद भी सामग्री अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

सामग्री के शेषों को ध्यान में नहीं रखने के कारण आवश्यकता का अनुचित निर्धारण

2.11.5 कम्पनी द्वारा 33 केवी एचटी एक्सएलपीई 3 सी गुणा 300 एसक्यूएम का क्रय किया गया जो निम्न थीः

टीएन 4267 (फरवरी 2011 से जून 2011)	345 किमी
टीएन 4375 (फरवरी 2013 से मार्च 2014)	276 किमी
टीएन 4400 (दिसम्बर 2013)	67.11 किमी

कम्पनी द्वारा केबल के स्टॉक की पर्याप्त स्थिति को देखते हुए टीएन 4400 के अधीन 223.89 किमी केबल की आपूर्ति को स्थगित कर दिया गया (मार्च 2014)। अधीक्षण अभियंता (क्रय) द्वारा सीएलपीसी को बताया (सितम्बर 2015) कि 2014-15 के दौरान केबल का उपभोग केवल 19.13 किमी था एवं विभिन्न स्टोर्स में 105 किमी का अन्तिम शेष था जो दो वर्ष से

अधिक के लिए पर्याप्त था। तदनुसार, सीएलपीसी द्वारा स्थगित आपूर्तियों को निरस्त कर दिया गया (सितम्बर 2015)।

हमने देखा कि :

- सामग्री के शेषों (फिल्ड कार्यालयों को आपूर्ति की गई सामग्री) को ध्यान में नहीं रखने के कारण कम्पनी द्वारा केबल की आवश्यकता का अनुमान अधिक लगाया गया जिसके परिणामतः टीएन 4375 एवं टीएन 4400 के अधीन सामग्री का अधिक क्रय किया गया। मार्च 2017 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान एसीओएस के पास केबल के अन्तिम शेष 12.15, 109.95, 105.94, 70.17 एवं 2.34 किमी थे।
- उपखण्डीय भण्डारों को जारी की गई सामग्री भी उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाई गई थी। यहां तक कि दो वृत्तों (कोटा एवं जयपुर शहर वृत्त) के नौ उपखण्डों के पास 2012-13 एवं 2015-16 के दौरान सामग्री का शेष 73.46 किमी एवं 99.26 किमी के मध्य था।

इस प्रकार, सामग्री की आवश्यकता के अनुचित निर्धारण के द्वारा 2012-14 के दौरान अधिक क्रय को बढ़ावा दिया गया जिसके कारण ₹ 6.83 करोड़ के कोष अवरुद्ध हुए एवं अप्रयुक्त केबल की गुणवत्ता में गिरावट आने की संभावना थी। सामग्री अगले चार वर्षों के लिए आवश्यकता को पूरा करेगी। केबल की गारण्टी अवधि भी समाप्त हो गई थी क्योंकि यह आपूर्ति की तिथि से 18 माह थी।

निकासी सभा के दौरान सरकार/ कम्पनी द्वारा बताया गया कि कम्प्यूटरीकरण के अभाव में ऐसे दृष्टान्त अपरिहार्य थे। सरकार ने ऐसी कमियों से निपटने के लिए उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) को क्रियान्वित करने पर जोर दिया एवं सूचित किया कि ईआरपी को 2017-18 के अंत तक लागू कर दिया जायेगा।

निविदाओं का निर्धारण

2.12 चयनित 40 निविदाओं में से 29 निविदाओं में उनको अन्तिम रूप दिये जाने में देरी थी एवं नौ मामलों में कम्पनी द्वारा प्रति प्रस्ताव की निर्धारित क्रियाविधि की अनुपालना नहीं की गई जैसा कि विवरणानुसार नीचे दिया गयाः

निविदाओं को अन्तिम रूप दिये जाने में देरी

2.12.1 क्रय मैन्युअल के वाक्यांश 22.8 में क्रय के मामलों को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए निविदाओं को खोलने की तिथि से आशय-पत्र/ क्रयादेश जारी करने तक अधिकतम 120 दिनों की समयावधि का प्रावधान था। फर्म की योग्यता निर्धारण करने के लिए कार्यस्थल निरीक्षण एवं मीटर एवं प्रोटेक्शन विंग द्वारा नमूना जांच की आवश्यकता वाले मामलों में 20 दिनों की अतिरिक्त समयावधि अनुमत्त की जा सकती थी। यदि किसी निविदा को निर्धारित समयावधि में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया जाता है तो इसको अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा अनुमादित कराया जायेगा। संबंधित प्राधिकारी द्वारा अगले उच्चतर प्राधिकारी को निविदा की सिफारिश करते समय निर्दिष्ट समयावधि में निविदा को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के लिए कारणों को दर्शाना होता है।

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 40 में एक निविदा को अंतिम रूप दिये जाने के लिए अधिकतम 70 दिनों की समयावधि का प्रावधान है। नियम में आगे प्रावधान है कि निर्दिष्ट समयावधि में निविदाओं को अंतिम रूप देने में असफल रहे जिम्मेदार प्राधिकारी के मामले में निर्णय के लिए निविदाओं को अगले उच्चतर प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

चयनित 40 निविदा मामलों की समीक्षा में उजागर हुआ कि कम्पनी द्वारा 29 निविदाओं को 120 दिनों की निर्दिष्ट समयावधि से अधिक समय में अंतिम रूप दिया गया। निविदाओं को अंतिम रूप दिये जाने में देरी की अवधि 4 दिनों एवं 589 दिनों के मध्य थी। साथ ही, अगले उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना इन निविदाओं को अंतिम रूप देते समय संबंधित प्राधिकारी द्वारा क्रय मैन्युअल एवं आरटीपीपी नियमों का उल्लंघन किया गया। मीटर्स के क्रय के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिये जाने में देरी के दो मामलों के कारण पुनः क्रयादेशों अथवा मूल्य गिरावट वाक्यांशों को लागू नहीं करने के कारण कम्पनी पर ₹ 2.14 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा जिसकी चर्चा नीचे की गई।

विवरण	**मामला 1:टीएन 2149**	**मामला 2: टीएन 2158**
निविदाएं खोली गई	नवम्बर 2011	जून 2012
सफल निविदादाताओं के मीटर्स के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गये	दिसम्बर 2011[10]	अगस्त 2012[11]
जांच रिपोर्टस प्राप्त हुई	जुलाई एवं अक्टूबर 2012	अप्रेल 2013
नमूने भेजने एवं जांच रिपोर्टस की प्राप्ति में समयांतराल	7 एवं 10 माह	8 माह
मूल्य निविदा खोली गई	फरवरी 2013	दिसम्बर 2013
क्रयादेश जारी करना	फरवरी 2013	मई 2014
निविदा को खोलने एवं क्रयादेश जारी करने के मध्य समयांतराल	14 माह	22 माह

हमने देखा कि नई निविदाओं के अधीन दरें वर्तमान में चल रही निविदाओं (क्रमशः टीएन 2097 एवं टीएन 2151) से कम थी। निविदाओं को अन्तिम रूप दिये जाने में देरी के परिणामतः

- मामला 1: कम्पनी द्वारा पिछली निविदा (टीएन 2097) के अंतर्गत 15,714 मीटर्स के लिए एक अतिरिक्त क्रयादेश जारी किया जाना था (मई 2012) जिसके कारण ₹ 1.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सरकार द्वारा बताया गया कि मीटर्स की जांच का पता लगाने के लिए कम्पनी द्वारा लगातार प्रयास किया गया था एवं कम्पनी की तरफ से इसमें कोई देरी नहीं थी।

- मामला 2: कम्पनी मूल्य में गिरावट वाले वाक्यांश को लागू नहीं कर सकी एवं वर्तमान में जारी निविदा (टीएन 2151) के अधीन प्राप्त की गई आपूर्तियों को स्वीकार करना

10 इलेक्ट्रीकल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट एसोसिएशन, वड़ोदरा।

11 सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीटयूट, बैंगलुरू।

पड़ा जिसके कारण ₹ 93.44 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में जारी निविदा एवं नई निविदा के अधीन आपूर्तिकर्त्ता एक समान थे।

सरकार द्वारा बताया गया कि सामग्री की उपलब्धता की दृष्टि से उच्चतर प्राधिकारियों के आदेशानुसार प्रक्रिया को रोक कर रखा गया था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कम्पनी मूल्य निविदाओं को खोलने के बाद आपूर्तियों को स्थगित कर सकती थी।

प्रति प्रस्ताव की निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना नहीं करना

2.12.2 कम्पनी द्वारा क्रय मैन्युअल में निर्धारित की गई मोलभाव एवं निविदादाताओं को प्रति प्रस्ताव देने की क्रियाविधि को संशोधित किया गया (अप्रेल 2012)। संशोधित प्रक्रिया में बताया गया था कि सक्षम प्राधिकारी एल-1 के साथ मोलभाव एवं संभव सीमा तक मूल्य में कमी की मांग कर सकता है। एल-1 फर्म का प्रस्ताव तब तक अनुमोदित नहीं किया जायेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि एल-1 फर्म द्वारा दिये गये मूल्य अनुमानित दरों से अधिक नहीं है तथा इन अनुमानित दरों की गणना वर्तमान में चल रहे कार्यों/ वर्तमान में डाली गई निविदाओं, वर्तमान में चल रहे राज्य के अन्य डिस्कॉम्स द्वारा दिये गये अनुबंधों, इत्यादि के अद्यतन मूल्यों के आधार पर की गई थी। निम्नतम निविदादाता द्वारा मोलभाव के बाद भी दरों में की गई कमी के असंतोषजनक पाये जाने के पश्चात, सक्षम प्राधिकारी अन्य योग्य निविदादाताओं को दरों का प्रति प्रस्ताव दे सकता था।

हमने देखा कि कुल 40 चयनित निविदाओं में से नौ[12] निविदाओं में निम्नतम निविदादाता द्वारा प्रति प्रस्ताव को खारिज करने के बाद कम्पनी द्वारा अन्य योग्य निविदादाताओं को अनुमानित दरों पर प्रति पस्ताव नहीं दिये गये। कम्पनी द्वारा अन्य योग्य निविदादाताओं को अनुमानित दरों पर क्रयादेश जारी करने की संभावनाओं को तलाशने के स्थान पर निम्नतम निविदादाताओं को उच्चतर मूल्यों पर प्रस्ताव दिया गया। निम्नतम निविदादाताओं द्वारा स्वीकार किये गये उच्चतर मूल्यों पर तब अन्य निविदादाताओं को प्रस्ताव दिया गया।

निर्धारित की गई मोलभाव एवं प्रति प्रस्ताव देने की प्रक्रिया का अनुपालन करके निविदाओं को प्रदान करके कम्पनी द्वारा ₹ 9.61 करोड़ (**अनुबंध-3**) तक की धनराशि बचाई जा सकती थी।

निकासी सभा के दौरान प्रबंधन ने बताया कि कम्पनी को एक उचित दर पर प्रति प्रस्ताव देने पड़े अन्यथा यह निविदा प्रक्रिया के निरस्तीकरण के जोखिम में पड़ जाती क्योंकि कम्पनी केवल एक बार ही प्रति प्रस्ताव दे सकती थी। तथापि, सरकार ने सुझाया कि कम्पनी द्वारा अपने अनुमानित मूल्यों का प्रति प्रस्ताव सभी निविदादाताओं को दिया जाना चाहिए।

सामग्री के प्रापण में कुशलता एवं प्रभावशीलता

विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली सामग्री का प्रापण

2.13 तकनीकी समिति वर्तमान वितरण नेटवर्क के लिए उपयुक्त सामग्री के तकनीकी मानक / विशिष्ट विवरणों को अन्तिम रूप देती है। सामग्री के विभिन्न प्रकार के विशिष्ट विवरणों को निविदा प्रपत्रों एवं क्रयादेशों में सम्मिलित किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यह सुनिश्चित

12 टीएन संख्या 2181, 4364, 2169, 4377, 2163, 2218, 2180, 2176 एवं 4407

किया जाना आवश्यक था कि सामग्री निर्धारित विशिष्ट विवरणों की पुष्टि करने वाली थी। साथ ही, कम्पनी द्वारा भी सामग्री के निरीक्षण एवं जांच के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था कि आपूर्तित सामग्री निर्धारित विशिष्ट विवरणों की पुष्टि करने वाली थी।

अभिलेखों की विस्तृत संविक्षा के लिए चयनित 40 निविदाओं में से छह में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री अथवा निर्धारित विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली सामग्री के प्रापण को देखा गया। इन मामलों द्वारा ₹ 83.80 करोड़ मूल्य की घटिया सामग्री के क्रय को उजागर किया गया जिसकी चर्चा नीचे की गई:

दोषपूर्ण थ्री फेज मीटर्स की आपूर्ति

2.13.1 ऑप्टीकल पोर्ट कम्यूनिकेशन सुविधा वाले मीटर बॉक्स के साथ ₹ 2,565 प्रति मीटर की दर पर तीन फेज[13] वाले 19,660 एनर्जी मीटर्स की आपूर्ति के लिए कम्पनी द्वारा जीनस पावर इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड को क्रयादेश (टीएन 2156) जारी किया गया (मार्च 2013)। ऑप्टीकल पोर्ट एवं निम्न पावर रेडियो कम्यूनिकेशन सुविधा के साथ ₹ 2,990 प्रति मीटर की दर पर तीन फेज[14] वाले 80,000 मीटर्स की आपूर्ति के लिए जीनस इनोवेशन लिमिटेड को टीएन 2157 के अधीन एक अन्य क्रयादेश भी जारी किया गया (मार्च 2013)। क्रयादेशों के वाक्यांश 19 में प्रावधान था कि कम्पनी अथवा मीटर जांच प्रयोगशाला द्वारा दोषपूर्ण घोषित किये गये मीटर्स को कम्पनी की पूर्ण संतुष्टि तक आपूर्तिकर्ता द्वारा सूचित किये जाने के 45 दिनों में बदल दिया जायेगा।

दोनों निविदाओं के नियम एवं शर्तों के अनुसार आपूर्तिकताओं द्वारा आईएसः 13779-1999/ संबंधित आईईसी मानक (नवीनतम संशोधनों सहित) के अनुसार सभी परीक्षणों के लिए टाइप परीक्षण प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना आवश्यक था। टाइप परीक्षणों /अतिरिक्त टाइप परीक्षण प्रमाणपत्र राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला/ इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला/ सीपीआरआई (विशेष उपकरण/ परीक्षण के लिए एनएबीएल प्रमाणित) मानक प्रयोगशालाओं में से किसी एक द्वारा जारी किये जाने थे।

निविदा स्टेज पर एवं आपूर्तियों के शुरु होने से पूर्व आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किये गये मीटर्स को निर्दिष्ट परीक्षणों को पास करना आवश्यक था। सम्पूर्ण आपूर्तियों को केवल शुरुआती नमूनों के अनुमोदन के बाद ही स्वीकार किया जाना था। साथ ही, प्रत्येक समूह/उप-समूह से लिये गये नमूने कम्पनी की केन्द्रिय परीक्षण प्रयोगशाला पर किये जाने वाले परीक्षणों के भिन्न-भिन्न प्रकारों के अधीन थे।

हमने देखा कि दोनों फर्मों द्वारा आपूर्ति किये गये मीटर्स ने निविदा की भिन्न-भिन्न स्टेजों पर निर्धारित परीक्षण पास किये गये थे एवं तदनुसार कम्पनी द्वारा मीटर्स की निविदात्मक आपूर्तियों को स्वीकार किया गया था। फिल्ड कार्यालयों द्वारा भी उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटर्स संस्थापित कर दिये गये थे। तथापि, दोनों फर्मों द्वारा आपूर्ति किये गये मीटर्स में विद्युत के

13 ऑप्टीकल पोर्ट कम्यूनिकेशन सुविधा वाले मीटर बॉक्स के साथ बैकलिट एलसीडी डिसप्ले के साथ एसी स्टेटिक थ्री फेज चार वायर 10-60 एम्पियर रेटिंग होल करंट क्लास 1.0 एक्यूरेसी केडब्ल्यूएच एनर्जी मीटर्स।

14 ऑप्टीकल पोर्ट एवं निम्न पावर रेडियो कम्यूनिकेशन सुविधा के साथ बिना मीटर बॉक्स के पॉली कार्बोनेट मीटर केस के साथ बैकलिट एलसीडी डिसप्ले के साथ थ्री फेज चार वायर 10-60 एम्पियर रेटिंग।

उपभोग के पठन के संबंध में फिल्ड कार्यालयों द्वारा कुछ अजीब कमियां देखी गई (फरवरी 2016)। यह देखा गया कि मीटर पठन के एक निश्चित बिंदु पर मीटर्स खराब हो गये थे एवं जब विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आया तब मीटर्स स्वतः ही पठन के उस बिंदु से उल्टे घूमने लगे जिस बिंदु पर खराब हो गये थे। इस प्रकार, विद्युत आपूर्ति बंद होने पर मीटर पठन के निश्चित बिंदु के बाद मीटर का मेमोरी रजिस्टर विद्युत के उपभोग को दर्ज करने में विफल हुआ। तथापि, विद्युत की निरन्तर आपूर्ति के मामले में मीटर्स का व्यवहार सामान्य था एवं सत्यता निर्धारित सीमाओं में पाई गई थी।

कम्पनी द्वारा मामले की जांच की गई (मई 2016) एवं मीटर्स के विचित्र व्यवहार की पुष्टि की। इस प्रकार, अधीक्षण अभियंता (मीटर एवं सुरक्षा) द्वारा सिफारिश की गई कि फर्मों द्वारा आपूर्तित सभी मीटर्स को बदला जाना चाहिए क्योंकि मीटर्स के विचित्र व्यवहार के कारण कम्पनी को वित्तीय हानि हो सकती थी। प्रबंध निदेशक द्वारा भी सभी मीटर्स को बदलने के लिए आदेशित किया गया था (जुलाई 2016) यदि यह दोष सिद्ध हो गया था एवं फर्म द्वारा स्वीकार किया गया था। कम्पनी की विधि विंग द्वारा भी सुझाया गया (जुलाई 2016) कि मीटर एवं सुरक्षा (एमएण्डपी) विंग द्वारा परीक्षण किये गये मीटर्स के द्वारा विचित्र व्यवहार किया गया था। जैसा कि प्रत्येक मीटर की कार्यस्थल पर जांच एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी इसलिए, यह उपयुक्त होगा कि किसी राजस्व हानि से बचने के लिए टीएन 2156 एवं टीएन 2157 के अधीन आपूर्ति किये गये सभी मीटर्स को प्राथमिकता के आधार पर सर्किट से बाहर निकाल लेना चाहिए एवं फर्मों को सभी मीटर्स को बदलने के लिए आदेश दिया जाना चाहिए।

यह मामला फर्मों को सूचित किया गया (मार्च 2016) लेकिन अधीक्षण अभियंता (एमएण्डपी) एवं विधि विंग द्वारा दी गई सलाहानुसार कम्पनी द्वारा निविदाओं के अधीन क्रय किये गये मीटर्स को बदलने के लिए कोई आदेश कभी भी जारी नहीं किया गया। तथापि, प्रबंध निदेशक के स्तर पर आयोजित (जुलाई 2016) एक सभा के दौरान फर्मों द्वारा स्टोर्स में पड़े हुए केवल खराब मीटर्स को बदलने के लिए आश्वासन दिया गया था।

मार्च 2017 तक, जीनस इनोवेशन लिमिटेड एवं जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा आपूर्ति किये गये कुल 99,660 मीटर्स के विरुद्ध केवल 5,000 मीटर्स बदले जा चुके थे (सितम्बर 2016)।

यह दर्शाता है कि जांच प्रक्रियाऐं, निर्धारित विशिष्ट विवरणों के अनुसार मीटर्स की शुद्धता को सुनिश्चित करने में विफल रही क्योंकि खराब मीटर्स को भिन्न-भिन्न समयांतरालों पर किये गये सभी प्रकार के परीक्षणों को पास करना बताया गया था। साथ ही, मीटर्स में विचित्र प्रकार के दोष सिद्ध होने के बाद भी कम्पनी सभी मीटर्स को बदलने को सुनिश्चित करने में विफल रही। कम्पनी द्वारा ₹ 28.96 करोड़ की लागत पर क्रय किये गये दोषपूर्ण मीटर्स को नहीं हटाया गया था एवं उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई विद्युत के पठन को दर्ज नहीं करने के कारण हानि वहन कर रही थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों की सभा में लिये गये निर्णयानुसार (30 मई 2017) सभी अधीक्षण अभियंताओं (ओएण्डएम) को टीएन 2156 एवं टीएन 2157 के अधीन आपूर्ति किये गये सभी थ्री फेज मीटर्स बदलने को सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया जा चुका था।

अप्रचलित तकनीक वाले मीटर्स का क्रय

2.13.2 राज्य सरकार के वित्तीय पुनर्संरचना कार्यक्रम, 2012 (एफआरपी) के अनुसार कम्पनी द्वारा मार्च 2013 तक सभी दोषी उपभोक्ताओं (सरकारी एवं पीएचईडी[15] जैसे वृहत उपभोक्ता) के लिए प्रीपेड मीटर्स स्थापित करने आवश्यक थे।

कम्पनी द्वारा निविदा आमंत्रित की गई (अप्रेल 2012) जिसमें एचपीएल एल-1 निविदादाता थी एवं इसने दोनों (10-60 एवं 20-80 एम्पीयर) प्रकार की रेटिंग के एक समान मीटर्स का प्रस्ताव दिया। इसने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित किये गये मीटर्स कम्पनी की आवश्यकताओं के अनुसार दोनों प्रकार की रेटिंग के मानदण्ड पूरे करते थे। सीएलपीसी द्वारा ₹ 6,765 प्रति मीटर के मोलभाव मूल्य पर 42,000 मीटर्स के लिए एचपीएल (निम्नतम निविदादाता) पर क्रयादेश जारी करने का निश्चय किया (28 अगस्त 2014)। तथापि, समान क्रय समिति के एक सदस्य द्वारा महसूस किया गया कि एचपीएल के पास अनुभव का अभाव था एवं इसलिए मामले को संचालक मण्डल के सामने रखा जाना चाहिए। तथापि, सीएलपीसी द्वारा प्रतिस्पर्धी मूल्य नहीं मिलने के आधार पर निविदा को निरस्त करने का निश्चय किया गया (12 सितम्बर 2014)। इस प्रकार, मामले को संचालक मण्डल के सामने नहीं रखा गया।

कम्पनी द्वारा प्रतिस्पर्धी मूल्यों एवं निविदाओं में वृहत भागेदारी को सुनिश्चित करने के लिए मानदण्ड (भूतकाल में की गई न्यूनतम आपूर्ति की मात्रा) में ढ़ील देकर एक नई निविदा[16] खोली गई (फरवरी 2015)। दोनों प्रकार (10-60 एवं 20-80 एम्पीयर) की रेटिंग्स के लिए ₹ 10,440 प्रति इकाई दर पर एचपीएल एक बार फिर एल-1 रही। एचपीएल द्वारा प्रस्तावित मीटर्स पिछली निविदा के समान थे। कम्पनी द्वारा निविदादाताओं के साथ मोलभाव किया गया (अगस्त 2015) एवं सभी तीनों निविदादाताओं को ₹ 9,500 प्रति मीटर की मोलभाव की गई दर पर 43,883[17] मीटर्स की आपूर्ति के लिए क्रयादेश जारी किये गये। एचपीएल द्वारा फरवरी 2016 तक कम्पनी को 12,849 मीटर्स की आपूर्तियां कर दी थी।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा ₹ 3.51 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर मीटर्स क्रय किये गये क्योंकि दोनों निविदाओं में एक समान मीटर्स थे।

अभिलेखों की आगे समीक्षा से उजागर हुआ कि मीटर्स स्थापित नहीं किये जा सके क्योंकि (i) पीएचईडी कनेक्शंस सुपर ट्रांसफॉर्मरस में दिये गये थे (ii) ट्रांसफॉर्मर का बॉक्स वैल्ड किया हुआ था (iii) कस्टमर इंटरफेस यूनिटस लगाने के लिए आदेशों का अभाव था एवं (iv) पीएचईडी मीटर बॉक्सों में जगह कम थी। इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका एवं मई 2017 तक कुल 12,849 प्रीपेड मीटर्स में से केवल 2,366 मीटर्स ही स्थापित किये जा सके। शेष मीटर्स कम्पनी के विभिन्न स्टोर्स में पड़े हुए थे (मई 2017)।

15 जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) राज्य में पानी की आपूर्ति करता है एवं मुख्य दोषी उपभोक्ताओं में से एक है।

16 टीएन 2297

17 एचपीएल द्वारा कम्पनी को 12,849 मीटर्स आपूर्ति किये गये, सिक्योर मीटर्स द्वारा एवीवीएनएल को 14,334 मीटर्स आपूर्ति किये गये एवं जीनस पावर द्वारा जेडीवीवीएनएल को 16,700 मीटर्स आपूर्ति किये गये।

लेखापरीक्षा संवीक्षा द्वारा उजागर किया गया कि प्रीपेड मीटर्स पीएचईडी पर स्थापित किये गये थे एवं मीटर्स को रिचार्ज कराने के लिए 30 दिनों की अनुग्रहावधि प्रदान की गई थी। यद्यपि, मीटर्स में रिचार्ज करने के लिए ऑनलाइन कम्यूनिकेशन फिचर नहीं था। इसके परिणामतः मूल रूप से चार्ज की गई धनराशि के उपयोग करने के बाद विद्युत आपूर्ति स्वतः ही बंद हो जाती थी। इससे पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण जनता में असंतोष पैदा हो गया।

इस मामले पर राज्य सरकार द्वारा चर्चा की गई एवं यह निश्चय किया गया (फरवरी 2016) कि प्रीपेड मीटर्स पीएचईडी पर स्थापित नहीं किये जाने चाहिए। अधीक्षण अभियंता (आईटी) को मीटर्स के सोफ्टवेयर में उपयुक्त संशोधनों को सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया गया। कम्पनी द्वारा एचपीएल को सोफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने, मीटर के साथ बाहरी मॉडम को संस्थापित करने, ऑनलाइन मीटर पठन उपलब्ध कराने के लिए सर्वर को संस्थापित करने, एसएमएस सुविधा इत्यादि के लिए अनुरोध किया गया (मार्च 2016)। एचपीएल द्वारा उत्तर दिया गया (मार्च 2016) कि आवश्यक संशोधन अतिरिक्त लागत पर किये जायेंगे एवं कम्पनी को एक वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 2016)।

सीएलपीसी द्वारा मामले की चर्चा की गई (अगस्त 2016) एवं देखा गया कि किसी अन्य जनोपयोगी सेवा से किसी भूतकालीन उदाहरण के अभाव में एचपीएल द्वारा मांगे गये मूल्य की उपयुक्तता का पता नहीं लगाया जा सकता था। प्रीपेड मीटर्स को स्थापित करने के लिए औचित्य एवं क्रियाविधि का परीक्षण करने के लिए गठित की गई (जुलाई 2016) समिति द्वारा भी देखा गया (अगस्त 2016) कि प्रीपेड मीटर्स द्वारा वांछित परिणाम नहीं दिये गये थे एवं मीटर्स अप्रचलित तकनीक वाले थे। इस समिति द्वारा भी सुझाया गया कि लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर इन मीटर्स पर आगे निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

सरकार द्वारा बताया गया कि नई निविदा मे आपूर्ति के लिए कार्य के क्षेत्रों में मीटर्स की संस्थापना को भी सम्मिलित किया गया था जिसने नई निविदा में मीटर्स की लागत को बढ़ा दिया था। साथ ही, अस्थायी विद्युत कनेक्शनों पर प्रीपेड मीटर्स की संस्थापना का मामला विचाराधीन था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर्स को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही थी एवं एफआरपी योजना 2012 के अनुसार इन मीटर्स के प्रापण के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जायेगा। उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था क्योंकि कम्पनी द्वारा एक अलग कार्यादेश के माध्यम से मीटर्स की स्थापना का कार्य प्रदान किया गया था जिसे टीएन 2297 की लागत में नहीं जोड़ा गया था। इस प्रकार, अप्रचलित तकनीक के मीटर्स के प्रापण पर ₹ 12.21 करोड़ का व्यय किया गया। साथ ही, एफआरपी 2012 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कम्पनी इन मीटर्स को स्थापित नहीं कर सकी थी (अगस्त 2017)।

अनुमोदित विशिष्ट विवरणों से हटकर रिंग मेन यूनिटस का क्रय

2.13.3 कम्पनी द्वारा स्काडा[18] अनुकूलित रिंग मैन यूनिटस के क्रय के लिए निम्नानुसार क्रयादेश[19] जारी किये गये (जुलाई 2015):

स्नाइडर इलेक्ट्रीक इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड, जयपुर	दो पौंड की 371 आरएमयूज	₹ 3.39 लाख प्रति इकाई
क्रोम्प्टन ग्रीव्ज लिमिटेड, नासिक	दो पौंड की 742 आरएमयूज	₹ 3.39 लाख प्रति इकाई

आरएमयूज का क्रय इस शर्ताधीन था कि स्काडा की अनुकूलता के लिए आवश्यक संकेत कम्पनी की सूचना तकनीक (आईटी) विंग द्वारा स्काडा क्रियान्वयन एजेन्सी (डोंगफांग इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी लिमिटेड) को सूचित किये गये विशिष्ट विवरणानुसार होने चाहिए।

<u>स्नाइडर इलेक्ट्रीक इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड</u>

हमने देखा कि आरएमयूज, संकेतों की अनुमोदित सूची में सम्मिलित 10 प्रकार के संकेतों को प्रसारित नहीं कर रहे थे। आरएमयूज द्वारा डिजिटल आगत/ निर्गत को प्रसारित नहीं किये जाने के कारण स्काडा क्रियान्वयन एजेंसी इन संकेतों को स्काडा सिस्टम के साथ संयोजित करने एवं समनुरूप बनाने में असमर्थ थी। मामला फर्म को बताया गया (जून 2016) लेकिन फर्म द्वारा न तो दोष निवारण करने के लिए कोई कार्यवाही की गई एवं न ही कम्पनी द्वारा उठाये गये सवालों का उत्तर भी दिया। कई स्मरण पत्रों (जुलाई 2016 से सितम्बर 2016) के बाद फर्म द्वारा उत्तर दिया गया (अक्टूबर 2016) कि आरएमयूज की आपूर्ति अनुमोदित ड्राइंग एवं विशिष्ट विवरणों के अनुसार की गई थी।

कम्पनी द्वारा बिना किसी सत्यापन/ जांच एवं स्काडा क्रियान्वयन एजेंसी से सलाह के फर्म के जवाब पर सामान्य तौर पर भरोसा किया गया। मार्च 2017 तक फर्म से क्रय किये गये आरएमयूज को स्काडा सिस्टम के साथ एकीकृत नहीं किया जा सका था।

<u>क्रोम्प्टन ग्रीव्ज लिमिटेड</u>

निरीक्षणाधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट (लोट IV के लिए जनवरी 2016) में गारन्टिड तकनीकी मानदण्डों (जीटीपी) से विचलित होने के बारे में इंगित किया गया था। विचलन था कि प्रोटेक्शन करण्ट ट्रांसफॉर्मर (सीटी) को सीधे बुशिंग पर चढ़ाने के स्थान पर एक अलग माउण्टिंग प्लेट पर स्थापित किया गया था। फर्म द्वारा उत्तर दिया गया (फरवरी 2016) कि उत्तम सुगम्यता एवं रखरखाव में सुविधा के लिए प्रोटेक्शन सीटीज को केबल बॉक्स के अंदर की ओर बैक प्लेट पर स्थापित किया गया था। फर्म द्वारा आगे बताया गया कि निविदाधीन सभी आरएमयूज की आपूर्ति समान सीटी व्यवस्था के साथ पूर्ण की जा चुकी थी। अधीक्षण अभियंता जयपुर शहर वृत्त (जेसीसी) द्वारा रिपोर्ट किया गया (फरवरी 2016) कि यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं था कि क्या ऐसी सीटी व्यवस्था के साथ फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये आरएमयूज स्काडा की आवश्यकता से पूरी तरह से मेल खाते थे क्योंकि आरएमयूज स्काडा पर अभी भी क्रियाशील नहीं थे। उसने यह भी बताया कि आरएमयूज की तकनीकी उपयुक्तता तकनीकी विशिष्ट विवरण समिति द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।

18 सुपरवाइजरी कंट्रोल एण्ड डाटा एक्विजिसन।

19 टीएन 2292

कम्पनी द्वारा, तथापि, इस आधार पर आपूर्तियों को स्वीकार करने का निश्चय किया गया (फरवरी 2016) कि ऐसी सीटी व्यवस्था के साथ फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये स्थापित आरएमयूज में कोई कठिनाई नहीं देखी गई थी। साथ ही, फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये आरएमयूज की सीटी व्यवस्था के अनुसार सीई (एमएम) के स्तर पर आरएमयूज के ड्राइंग के पुनरीक्षण किया गया। तथापि, फिल्ड अधिकारियों द्वारा देखा गया कि कार्य संचालन के दौरान सीटी के टूटफूट होने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता था। आपात स्थिति के लिए प्रोटेक्शन सीटीज के 15 अतिरिक्त सेटों की आपूर्ति की शर्त के साथ कम्पनी द्वारा आरएमयूज की आपूर्तियों को स्वीकार किया गया। तथापि, तकनीकी विशिष्ट विवरण समिति द्वारा आरएमयूज की तकनीकी उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया गया था।

कम्पनी ने, इस प्रकार, स्नाइडर इलेक्ट्रीकल इंफ्रास्टक्चर से तकनीकी उपयुक्तता सुनिश्चित किये बिना ₹ 12.58 करोड़ मूल्य के 371 आरएमयूज का क्रय किया जबकि इन्हें स्काडा के साथ एकीकृत नहीं किया जा सका था। साथ ही, अनुमोदित ड्राइंग्स एवं विशिष्ट विवरणों के विचलन में कम्पनी द्वारा तकनीकी विशिष्ट विवरण समिति के अनुमोदन के बिना क्रोम्प्टन ग्रीव्ज से ₹ 25.16 करोड़ के 742 आरएमयूज को क्रय किया गया। हमने देखा कि सीटी प्रोटेक्शन सैट की लागत (लगभग ₹ 501.59 प्रति इकाई) एवं आरएमयू की लागत (लगभग ₹ 3.39 लाख प्रति इकाई) के बीच व्यापक अंतर के मध्यनजर सीटी प्रोटेक्शन के 15 अतिरिक्त सेटों की आपूर्ति की शर्त पर आपूर्तियों को स्वीकार करने का निर्णय तर्कसंगत नहीं था।

सरकार ने बताया कि स्नाइडर इलेक्ट्रीकल इंफ्रास्टक्चर द्वारा अधीक्षण अभियंता (आईटी) को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया (जून 2017) जिसकी जांच की जा रही थी। साथ ही, कम्पनी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे थे कि फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये आरएमयूज स्काडा सिस्टम के साथ अच्छी तरह एकीकृत की जा सके / मेल खा सके। क्रोम्प्टन ग्रीव्ज के संबंध में बताया कि सीटीज प्रोटेक्शन की स्थिति में किया गया परिवर्तन, तकनीकी विशिष्ट विवरण से भिन्न नहीं था एवं इस प्रकार तकनीकी विशिष्ट विवरण अनुमोदन समिति की स्वीकृति के लिए आवश्यकता अभिकल्पित नहीं थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योकि कम्पनी के निरीक्षणाधिकारी द्वारा स्वयं गारन्टिड तकनीकी मानदण्डों से विचलित होने के बारे में इंगित किया गया था। साथ ही, अधीक्षण अभियंता (जेसीसी) के अनुसार भी यह आवश्यक था कि आरएमयूज की तकनीकी उपयुक्तता को तकनीकी विशिष्ट विवरण समिति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। हमने देखा कि अनुमोदित गारन्टिड तकनीकी मानदण्डों से कोई भी विचलन, तकनीकी विशिष्ट विवरण अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित कराया जाना था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्मों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री तकनीकी विशिष्ट विवरणों से मेल खाती हुई थी।

निकृष्ट/दोषपूर्ण ईएचवी ग्रेड ट्रांसफॉर्मर तेल का उपयोग

2.13.4 कम्पनी द्वारा ₹ 80,441.65 प्रति किलोलीटर की दर पर 1,500 किलोलीटर (केएल) ईएचवी ग्रेड ट्रांसफॉर्मर तेल की आपूर्ति के लिए सविता ऑइल टेक्नोलॉजिज लिमिटेड, नवी मुम्बई (आपूर्तिकर्ता) के पक्ष में क्रयादेश (टीएन 2172) जारी किया (सितम्बर 2012)। क्रयादेश के वाक्यांश 11 में प्रावधान था कि निरीक्षण किये गये प्रत्येक लोट के समेकित नमूने लिये जायेंगे एवं क्रयादेश में निर्धारित गारन्टिड तकनीकी विवरणों की पूर्ण जांच

के लिए सीपीआरआई[20], बैंगलूरू भेजे जायेंगे। भुगतान की शर्तों में (वाक्यांश 5) में प्रावधान था कि प्रत्येक प्रेषण का 85 प्रतिशत भुगतान बिलों के विरुद्ध किया जायेगा एवं शेष 15 प्रतिशत भुगतान सीपीआरआई, बैंगलूरु से सफल टाइप टेस्ट रिपोर्टस के प्राप्त होने के बाद जारी किया जायेगा। समेकित नमूने के असफल हो जाने के मामले में, शेष 15 प्रतिशत भुगतान को कम्पनी द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

दिसम्बर 2012 से जुलाई 2013 के दौरान कम्पनी द्वारा छह लोटस में आपूर्तियां प्राप्त की गई। प्रत्येक लोट से समेकित नमूने लिये गये एवं गारन्टिड तकनीकी विवरणों की पूर्ण जांच के लिए सीपीआरआई, बैंगलूरु भेजे गये। कम्पनी द्वारा भी अपनी केन्द्रिय जांच प्रयोगशाला, जयपुर (सीटीएल) पर नमूनों की जांच की गई। सीपीआरआई, बैंगलूरु से लोटानुसार रिपोर्टस के लम्बित रहते एवं सीटीएल से मंजूरी लेने के बाद कम्पनी द्वारा ट्रांसफॉर्मर तेल को प्रयुक्त करने के लिए फिल्ड अधिकारियों को अनुमत किया गया।

हमने देखा कि सीपीआरआई की जांच में छह समेकित नमूनों में से चार असफल हो गये एवं कम्पनी को इसकी जांच रिपोर्टस जुलाई 2013 एवं नवम्बर 2013 के बीच प्राप्त हुई। तथापि, ट्रांसफॉर्मर तेल को प्रयुक्त नहीं करने के लिए फिल्ड अधिकारियों को अधीक्षण अभियंता (एमएम) द्वारा देरी से आदेश जारी किये गये (अगस्त 2014)। आपूर्तिकर्त्ता को भी फिल्ड कार्यालयों से अप्रयुक्त तेल को उठाने के लिए आदेशित किया गया था (अगस्त 2014)। असफल हुए लोटस में लगभग[21] 1,000 किलोलीटर ट्रांसफॉर्मर तेल सम्मिलित था जिसमें से 750 किलोलीटर (75 प्रतिशत) तेल को आदेश प्राप्त होने तक फिल्ड कार्यालयों द्वारा प्रयुक्त कर लिया गया था। शेष 250 किलोलीटर तेल को आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उठाया गया था।

यह दर्शाता है कि क्रयादेश में निर्धारित गारन्टिड तकनीकी विवरणों की उचित जांच को सुनिश्चित करने में सीटीएल, जयपुर विफल रही। साथ ही, अधीक्षण अभियंता (एमएम) द्वारा आदेशों को जारी करने में देरी से ₹ 4.89 करोड़ मूल्य के 750 किलोलीटर खराब ट्रांसफॉर्मर तेल के उपयोग को बढ़ावा दिया।

सरकार द्वारा बताया गया कि आपूर्तित ईएचवी ग्रेड ट्रांसफॉर्मर तेल की उचित गुणवत्ता एवं निर्दिष्ट मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए सीटीएल पर केवल तेल की सघनता एवं मात्रा की जांच की जा रही थी। साथ ही, एक अथवा दो टाइप टेस्टों में फेल होने के कारण तेल की गुणवत्ता में गिरावट नहीं आती है। टीएन 2172 के अन्तर्गत आपूर्तित एवं प्रयुक्त तेल की कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं थी। उत्तर समहतिकारक नहीं था क्योंकि यदि तेल की गुणवत्ता निर्दिष्ट मानदण्डों में होती तो कम्पनी द्वारा आपूर्तिकर्त्ता को अप्रयुक्त तेल को उठाने के लिए निर्देश नहीं दिया गया होता। अधीक्षण अभियंता (एमएम) द्वारा निर्देश जारी करने में देरी के संबंध में प्रबंधन ने निकासी सभा के दौरान बताया कि रिपोर्टस के संबंध में एसीओएस एवं एमएम विंग के बीच कोई संवाद संबंधी अंतराल रह गया था।

20 केंद्रीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान।

21 खराब लोटस के अंतर्गत आपूर्ति 999.85 केएल थी जिसमें से 749.89 केएल ट्रांसफॉर्मर तेल फिल्ड कार्यालयों द्वारा उपयोग में ले लिया गया था।

सामग्री का अमितव्ययीपूर्ण क्रय

2.14 प्रापण प्रक्रिया के साथ सम्बद्ध अथवा सार्वजनिक कोषों से माल एवं सेवाओं के क्रय में लगे हुए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार प्राधीकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए कि सामग्री विशिष्ट विवरणों के साथ क्रय की गई है, मूल्य उचित हैं, एवं निविदादाताओं की मिलीभगत न्यूनतम है। ₹ 6.31 करोड़ की सामग्री के अमितव्ययीपूर्ण क्रय को इंगित करने वाले दृष्टांतों में चयन किये गये 40 निविदाओं में से चार निविदाओं में तीन मामले देखे गये जिनको नीचे दिया गया है।

उच्च मूल्यों पर ट्रांसफॉर्मरस की आपूर्ति लेने के कारण अतिरिक्त व्यय

2.14.1 अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के वाक्यांश 1.60 में प्रावधान था कि मूल्य गिरावट वाक्यांश आगामी निविदा की मूल्य निविदा को खोलने की तिथि से लागू होगा। यदि सुपुर्दगी सूची समाप्त नहीं होने एवं आपूर्तिकर्त्ता द्वारा नई निविदा में प्राप्त निम्न दरों पर शेष मात्रा की आपूर्ति के लिए सहमत नहीं होने पर, सुपुर्दगी सूची के अनुसार आदेशित मात्रा की सीमा तक शेष मात्रा नई निविदा को खोलने के तिथि से तीन माह स्वीकार की जानी थी। साथ ही, सुपुर्दगी सूची में निर्धारित मात्रा से अधिक की आपूर्ति को नई निविदा को खोलने के तीन माह की अवधि में किसी भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जायेगा। मूल सुपुर्दगी सूची को समयपूर्व नही खिसकाया जायेगा एवं आपूर्ति नहीं की गई मात्रा के संबंध में पूराने क्रयादेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

कम्पनी ने मीटरबॉक्स के साथ 25 केवीए (एल्यूमिनियम वाउण्ड) थ्री फेज वितरण ट्रांसफॉरमर्स की आपूर्ति के लिए विभिन्न फर्मों पर क्रयादेश (टीएन 2137) जारी किये (अप्रेल 2012)। कम्पनी ने आपूर्तियों को शुरु करने की मूल सूची को चार माह तक बढ़ा दिया (अगस्त 2012)।

आगामी निविदा (टीएन 2176) की मूल्य निविदा खोली गई (30 अक्टूबर 2012) जिसमें निम्नतम दर ₹ 44,100 प्रति ट्रांसफॉर्मर पर तय की गई। नई निविदा में दर वर्तमान में चल रहे टीएन 2137 की अद्यतन दर (₹ 47,003.61 प्रति ट्रांसफॉर्मर) से कम थी।

हमने देखा कि 32 आपूर्तिकर्ताओं ने घटायी गई दर को स्वीकार नहीं किया। कम्पनी ने आदेशों में दर्शाई गई सुपुर्दगी सूची के अनुसार इन फर्मों से आपूर्तियों को इस तथ्य पर विचार किये बिना स्वीकार किया कि मूल सुपुर्दगी सूची को चार माह तक बढ़ा दिया था। कम्पनी द्वारा ऐसा करके उच्च दरों पर 5,593 ट्रांसफॉरमर्स की ऐसी आपूर्तियों को स्वीकार किया जिसके परिणामतः ₹ 1.62 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

सरकार ने बताया कि मूल्य गिरावट वाक्यांश मूल सुपुर्दगी सूची के अनुसार लागू था क्योंकि कम्पनी द्वारा भुगतानों में देरी को ध्यान में रखते हुए केवल आपूर्तिकताओं को राहत प्रदान करने के लिए बढ़ाई गई सूची अनुमत की गई थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि सुपुर्दगी सूची में वृद्धि इस शर्त के साथ थी कि कम्पनी को कोई वित्तीय हानि नहीं होनी चाहिए थी।

उच्च मूल्यों पर खम्भों के क्रय के कारण अतिरिक्त व्यय

2.14.2 कम्पनी ने प्लेन सीमेंट कोंक्रीट (पीसीसी) खम्भों के तहत आठ मीटर (टीएन 4468 के अधीन 1,52,160 खम्भे) एवं नो मीटर (टीएन 4467 के अधीन 2,77,691 खम्भे) खम्भों के क्रय के लिए सफल निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं खोली (जून 2014)।

आठ मीटर खम्भे की निम्नतम दर (₹ 1,599 प्रति इकाई) पिछली निविदा के अद्यतन मूल्य (₹ 1,524.09 प्रति इकाई) से अधिक थी। नो मीटर खम्भों के संबंध में निम्नतम दर ₹ 2,147.25 प्रति इकाई थी। कम्पनी ने एल-1 दरों पर अन्य निविदादाताओं को प्रतिप्रस्ताव दिये लेकिन उन्होंने कम्पनी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कम्पनी ने अपने प्रस्ताव को भी कई बार बढ़ाया एवं आखिरकार आठ एवं नो मीटर खम्भों के लिए निम्नानुसार क्रयादेश प्रदान किये:

खम्भों की संख्या	प्रति खम्भा दर	टिप्पणी
आठ मीटर खम्भे		
19,500	₹ 1,599	एल-1 दर पर तीन निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (जुलाई 2014)।
36,000	₹ 1,599	तीन निविदादाताओं में से एक द्वारा अतिरिक्त मात्रा स्वीकार की गई जिसने निम्नतम दर को स्वीकार किया।
16,200	₹ 1,609	पांच निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (जुलाई 2014)।
1,06,000	₹ 1,685	निविदाधीन मात्रा को बढ़ाने के बाद 56 निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (सितम्बर 2014)।
नो मीटर खम्भे		
5,600	₹ 2,147.25	एल-1 निविदादाता को क्रयादेश दिया गया (जुलाई 2014)।
31,500	₹ 2,161	छह निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (जुलाई 2014)।
12,000	₹ 2,225	दो निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (जुलाई 2014)।
3,500	₹ 2,240	एक निविदादाता को क्रयादेश दिया गया (अगस्त 2014)।
2,17,109	₹ 2,340	55 निविदादाताओं को क्रयादेश दिये गये (सितम्बर 2014)।

हमने देखा कि सीएलपीसी ने आठ मीटर खम्भों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अल्पावधि निविदा आमंत्रित करने का निश्चय किया (जुलाई 2014) लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा सीएलपीसी हर बार उच्च मूल्यों को प्रस्तावित करके निविदादाताओं के साथ मोलभाव करती गई।

हमने देखा कि कम्पनी ने पिछली निविदा/अन्य डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई निविदा/ आगामी निविदा के आधार पर गणना की गई दरों के स्थान पर अतार्किक उच्च दरों पर क्रयादेश प्रदान किये। यह इस तथ्य से स्थापित हुआ कि कम्पनी ने ₹ 1,440 प्रति इकाई की दर पर आगामी निविदा (टीएन 4505[22]) के अधीन आठ मीटर खम्भों के लिए क्रयादेश प्रदान किये गये एवं इस अवधि के दौरान अन्य डिस्कॉम्स द्वारा भी निविदाओं को अन्तिम रूप दिया गया था। आठ मीटर खम्भों के मामले में एवीवीएनएल ने टीएन 834 के अधीन ₹ 1,599.98 प्रति इकाई पर क्रयादेश जारी किये एवं जेडीवीवीएनएल ने टीएन 1046 के अधीन ₹ 1,611 प्रति इकाई पर क्रयादेश जारी किये। नो मीटर खम्भों के मामले में, एवीवीएनएल ने इस अवधि के दौरान ₹ 2,255.09 प्रति इकाई के मूल्य पर एक निविदा (टीएन 889) को अन्तिम रूप दिया।

कम्पनी ने अतार्किक उच्च दरों पर खम्भों को क्रय करके ₹ 2.66 करोड़[23] का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

22 अगस्त 2015 में अन्तिम रूप दिया गया।

23 आठ मीटर खम्भों के लिए ₹ 0.81 करोड़ [1,06,402 X (₹ 1,685 - ₹ 1,609) एवं नो मीटर खम्भों के लिए ₹ 1.85 करोड़ [2,17,109 X (₹ 2,340 - ₹ 2,255]।

सरकार ने बताया कि क्रय मैन्युअल के अनुसार एवं कम्पनी के हितों में निविदादाताओं को उचित प्रस्ताव देने के लिए सभी संभव प्रयास किये गये। साथ ही, निकासी सभा के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि कम्पनी द्वारा दिये गये विभिन्न बढ़ोतरी वाले प्रस्तावों को बार बार निविदादाताओं द्वारा स्वारिज किया गया था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि निम्न दरों पर अन्य डिस्कॉम्स द्वारा क्रयादेश प्रदान करने की स्थिति में स्वम्भों के मूल्यों की घटती हुई प्रवृति होने के उपरांत भी कम्पनी ने निविदादाताओं की मिलीभगत को समाप्त करने के लिए प्रयास नहीं किये। साथ ही, अल्पावधि निविदा आमंत्रित नहीं करने के लिए कारण अभिलेखित नहीं थे जैसा कि सीएलपीसी द्वारा निश्चय किया गया था।

निविदा के निरस्तीकरण के कारण उच्च मूल्यों पर मीटर्स का क्रय

2.14.3 कम्पनी ने तीनो डिस्कॉम्स के लिए 17.75 लाख सिंगल फेज स्टेटिक मीटर्स के क्रय के लिए टीएन 2248 के अधीन 17 निविदादाताओं की तकनीकी निविदाएं खोली (6 अगस्त 2014)। तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन एवं सीएलपीसी द्वारा अनुमोदन के बाद 12 निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं खोली गई (26 नवम्बर 2014)। पिछली निविदा (टीएन-2158) के अधीन ₹ 858.01 प्रति मीटर के आदेशित मूल्य के विरुद्ध न्यूनतम मूल्य सभी को मिलाते हुए ₹ 689.27 प्रति मीटर था। अतिरिक्त टाइप टेस्ट/ छेड़छाड़ टेस्ट पास नहीं किये जाने वाले निविदादाताओं की मूल्य निविदा खोलने, कुछ अन्य निविदादाताओं द्वारा उद्धत की गई करों/ लेवीज की दर वर्तमान दरों से मेल नहीं कर रही थी, निम्नतम निविदादाता बिहार राज्य में एक जनोपयोगी सेवा द्वारा निषिद्ध किया हुआ था एवं निविदादाताओं द्वारा सूचना को अपूर्ण प्रस्तुतीकरण के संबंध में एक निविदादाता (एचपीएल इलेक्ट्रीक एण्ड पावर लिमिटेड- एचपीएल) की शिकायत के मध्यनजर तथापि, सीएलपीसी ने निविदा को निरस्त करने एवं एक अल्पावधि निविदा आमंत्रित करने का निश्चय किया (12 दिसम्बर 2014)।

हमने देखा कि निम्नलिखित तथ्यों के मध्यजनर निविदा को निरस्त करने का सीएलपीसी का निर्णय न्यायसंगत नहीं थाः

- तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा चार निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं खोलने की सिफारिश की जो टीएन-2151 एवं टीएन-2246 में अपनाई गई भूतकालीन परम्परा के आधार पर अतिरिक्त टाइप टेस्ट/ छेड़छाड़ टेस्ट पास नहीं कर सके। तकनीकी-वाणिज्यिक समिति का दृष्टिकोण था कि ये फर्में आपूर्ति पूर्व के नमूनों की प्रस्तुति के समय पर विशिष्ट विवरणों की पालना कर सकती थी
- कम्पनी द्वारा तुलनात्मक विवरण तैयार करते समय उन दो निविदादाताओं के संबंध में करों/ लेवीज की वर्तमान दरों पर विचार किया जिन्होंने प्रचलित दरों के स्थान पर करों/ लेवीज की भिन्न- भिन्न दर उद्धत की थी
- यह सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख में कोई प्रलेख नहीं थे कि एल-1 फर्म को बिहार राज्य में एक जनोपयोगी सेवा द्वारा निषिद्ध किया गया था। साथ ही, निविदा की शर्तानुसार एक निविदादाता को तभी अयोग्य ठहराया जा सकता था जब इसे राज्य की तीनों डिस्कॉम्स में से किसी के द्वारा निषिद्ध घोषित किया जा चुका हो।

हमने देखा कि कम्पनी ने 17.75 लाख मीटर्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक अल्पावधि निविदा (टीएन 2298) आमंत्रित की। योग्य निविदादाताओं की मूल्य निविदाएं खोली गई (5 मई 2015) जिनमें निम्नतम दर ₹ 749.73 प्रति मीटर थी।

कम्पनी ने अन्ततः चार लाख मीटर्स के लिए ₹ 740 के मोलभाव के पश्चात प्रति इकाई मूल्य पर एचपीएल को आदेश प्रदान किये (जून 2015) एवं आपूर्तियों को इस मूल्य पर स्वीकार किया गया।

इस प्रकार, टीएन 2248 के अविवेकपूर्ण निरस्तीकरण के परिणामतः उच्च मूल्यों पर मीटर्स के क्रय में कम्पनी को ₹ 2.03 करोड़ की हानि हुई।

सरकार ने बताया कि निविदा को न्यायसंगत आधार पर निरस्त किया गया था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि मूल्य निविदाएं तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी मूल्यांकन करने एवं सीएलपीसी द्वारा अनुमोदन के बाद खोली गई थी जिन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर विचार किया था।

सुपुर्दगी सूची से पूर्व आपूर्तियों को स्वीकार करना

2.15 अनुबंध की सामन्य शर्तों के वाक्यांश 1.23 में निर्दिष्ट था कि सुपुर्दगी अनुबंध का सार तत्व है एवं इस प्रकार, आपूतिकर्ताओं द्वारा सुपुर्दगी सूची की कड़ाई से पालना किये जाने की आवश्यकता है। सामान्यतः कम्पनी को अत्यावश्यकता के मामले को छोड़कर आपूर्तियों को सुपुर्दगी सूची से पूर्व स्वीकार नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के बिना सुपुर्दगी सूची से पूर्व सामग्री की प्राप्ति पर प्रकाश डालने वाले दो दृष्टान्तों की चर्चा नीचे की गई है:

अर्थिंग सैटस का क्रय

2.15.1 कम्पनी ने ₹ 422.68 (एक्स वर्क्स) प्रति सैट की दर पर 1,52,597 गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील रॉड टाइप अर्थिंग सैटस की आपूर्ति के लिए विभिन्न फर्मों पर क्रयादेश (टीएन 4534) जारी किये (सितम्बर 2015)। फर्मों द्वारा अक्टूबर 2015 एवं मई 2016 के बीच सामग्री की आपूर्ति करना आवश्यक था।

हमने देखा कि स्पष्ट तौर पर सामग्री के स्टॉक की खराब स्थिति (15 अगस्त 2015 को 11,565 सैटस) के मध्यनजर कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट सुपुर्दगी सूची से पूर्व सामग्री की आपूर्ति करने के लिए फर्मों को अनुरोध किया (सितम्बर 2015)। तदनुसार, 1,52,597 सैटस में से 1,46,391 सैटस की आपूर्ति के लिए सितम्बर एवं अक्टूबर 2015 में प्रेषण निर्देश जारी किये गये। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अक्टूबर 2015 तक अनुरोध की गई मात्रा की सुपुर्दगी कर दी गई।

आपूर्तियों को समयपूर्व खिसकाने का कम्पनी का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि सामग्री का औसत उपभोग सितम्बर 2015 से मई 2016 के दौरान लगभग 11,676 सैटस प्रति माह था। मई 2016 को, कम्पनी के पास सामग्री का शेष 55,703 सैटस था जो कि अगले चार माह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। हमने देखा कि कम्पनी ने सुपुर्दगी सूची से पूर्व सामग्री को स्वीकार करके न केवल कोषों को अवरुद्ध किया बल्कि ₹ 44.90 लाख के नकारात्मक मूल्य विचलन का लाभ भी नहीं उठा सकी। सामग्री का मूल्य लगातार घटता जा रहा था क्योंकि लागू होने वाला मूल्य विचलन नकारात्मक पक्ष की ओर था। यह सितम्बर 2015 में (-) 3.16 प्रतिशत से अप्रेल 2016 में (-) 13.14 प्रतिशत तक विचरित था।

सरकार ने बताया कि सामग्री की अत्यधिक आवश्यकता के मध्यनजर आपूर्ति को समय पूर्व किया गया था लेकिन यह इसके मिलती हुई सामग्री की कमी के कारण उपभोग नहीं किया जा सका। साथ ही, पहले ही यह पूर्वानुमान नहीं किया जा सका कि क्या सूचकांक नीचे की तरफ जायेंगे अथवा उपर की तरफ। तथ्य यही रहा कि समान मिलान करती हुई सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित किये बिना सुपुर्दगी सूची से पूर्व सामग्री को स्वीकार करने के निर्णय के कारण कोष अवरुद्ध हुए।

वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कियोस्कों का क्रय

2.15.2 कम्पनी ने वर्ष 2012-13 की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 12 केवी आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कियोस्क (वीसीबी कियोस्क) की 1,822 इकाइयों के लिए क्रयादेश (टीएन 2169) जारी किये (अगस्त 2012)। 1,822 इकाइयों में से 1,252 इकाइयां फरवरी 2014 तक सुपुर्दगी सूची के साथ स्टेलमेक लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा आपूर्तित की जानी थी। कम्पनी ने सामग्री की आपात आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फर्म को सुपुर्दगीयों को समयपूर्व करने का अनुरोध किया (सितम्बर एवं दिसम्बर 2012)। कम्पनी ने 174 इकाइयों (31 अगस्त 2013 को) की स्टॉक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 313 इकाइयों के लिए फर्म पर एक अतिरिक्त क्रयादेश भी जारी किया (सितम्बर 2013)। आपूर्तिकर्ता (स्टेलमेक लिमिटेड) ने, तथापि, कम्पनी के ध्यान में लाया (नवम्बर 2013) कि टीएन 2169 के अधीन आपूर्तित 863 वीसीबी कियोस्क संस्थापन के अभाव में स्टोर्स पर पहले से ही पड़े हुए थे।

कम्पनी ने वर्ष 2013-14 की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक नई निविदा (टीएन 2207) को भी अन्तिम रूप दिया (दिसम्बर 2013) एवं स्टेलमेक लिमिटेड (678 इकाइयां) एवं तोशिबा लिमिटेड (828 इकाइयां) को क्रयादेश जारी किये। सामग्री की आपात आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फर्म को उनकी सुपुर्दगीयों को समयपूर्व करने का अनुरोध भी किया गया (फरवरी 2014)। इस प्रकार, कम्पनी ने वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 3641 वीसीबी कियोस्कों के लिए क्रयादेश जारी किये।

टीएन 2169 एवं टीएन 2207 के अधीन वीसीबी कियोस्कों की आपूर्ति एवं उनके संस्थापन की समीक्षा से उजागर हुआ कि स्टेलमेक लिमिटेड की 863 इकाइयां एवं तोशिबा लिमिटेड की 672 इकाइयां स्टोर्स पर आपूर्ति से लेकर क्रमशः 533 एवं 724 दिनों तक भण्डार में पड़ी रही। फिल्ड की आपात आवश्यकताओं को उद्धत करते हुए वीसीबी कियोस्कों की आपूर्तियों को समयपूर्व करने के लिए जारी किये गये निर्देश, इस प्रकार, न्यायसंगत नहीं थे। कम्पनी द्वारा 1,535 वीसीबी कियोस्कों का अनावश्यक क्रय करके वीसीबी कियोस्क की गारंटी अवधि कालातीत होने के अलावा एक सारभूत अवधि के लिए ₹ 38.39 करोड़ की कोष राशि को अवरुद्ध किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि राज्य सरकार के 60 दिवसीय कार्यक्रम को लागू करने के लिए टोंक, अलवर एवं सवाईमाधोपुर वृत्तों की अत्यावश्यक मांग पर वीसीबी कियोस्क क्रय किये गये थे। इसके अतिरिक्त, प्रबंध निदेशक ने उपलब्ध सामग्री के अतिरिक्त इन वृत्तों पर 203 वीसीबी कियोस्क उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश जारी किये (जून 2014)। निकासी सभा में प्रबंधन ने यह भी बताया कि वीसीबी कियोस्कों की सुपुर्दगी एवं संस्थापन के मध्य समयांतराल इसके संस्थापन कार्य अलग एजेंसी को दिये जाने के कारण था। साथ ही, सभी वीसीबी कियोस्क कम्पनी द्वारा स्थापित किये गये थे। तथ्य यही रहा कि वीसीबी

कियोस्कों के संस्थापन में महत्वपूर्ण देरी थी एवं साथ ही कुछ कियोस्क उनकी गारण्टी अवधि के समाप्त हो जाने के बाद संस्थापित किये गये थे।

सामग्री का अनुचित निरीक्षण/ जांच

2.16 कम्पनी के निरीक्षण प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित सामग्री आवश्यक गुणवत्ता एवं विशिष्ट विवरणों की पुष्टि करती है। साथ ही, सामग्री के भिन्न- भिन्न प्रकारों को नामित प्रयोगशालाओं में आवश्यक जांच के बाद स्वीकार किया जाना था। हमने देखा कि चार मामलों में जहां कम्पनी ने बिना उचित निरीक्षण एवं जांच के सामग्री को क्रय किया, एवं जहां जिम्मेदार आपूर्तिकर्ताओं एवं अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही पर्याप्त नहीं थी, वहां तुरंत कार्यवाही करने में विफलता के कारण घटिया सामग्री का उपयोग किया गया।

दृष्टान्तों की चर्चा नीचे संक्षिप्त रूप से की गई है।

नॉन स्टार रेटेड ट्रांसफॉरमर्स का क्रय

2.16.1 कम्पनी ने ₹ 1.47 करोड़ मूल्य के 16 केवीए के 368 थ्री फेज (एल्यूमिनियम वाउण्ड) चार स्टार रेटेड वितरण ट्रांसफॉरमर्स की आपूर्ति के लिए सेंच्यूरी इन्फ्रा पावर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (फर्म) को एक क्रयादेश (टीएन 2217) प्रदान किया (अप्रेल 2014)। ट्रांसफॉरमर्स पर बीई/ सीआईपी/ 03/0300/10 यूनिक लेबल सीरीज कोड वाला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) का स्टार लेबल लगा होना आवश्यक था। फर्म ने जुलाई 2015 तक ट्रांसफॉरमर्स की आपूर्ति पूर्ण की।

हमने देखा कि बीईई ने फर्म को 9 अगस्त 2014 तक की वैद्यता अवधि के साथ स्टार रेटेड लेबल लगाने के लिए अनुमति प्रदान की (अगस्त 2011)। फर्म द्वारा आवश्यक जांच रिपोर्टस एवं अन्य प्रलेखों को प्रस्तुत करने के बाद बीईई ने 19 मई 2015 से अनुमति का नवीनीकरण किया (1 जून 2015)। इस प्रकार, फर्म, बीईई (वितरण ट्रांसफॉरमर्स के लेबलों पर विवरण एवं उनके प्रदर्शन के तरीके) विनियम, 2009 के अनुसार 10 अगस्त 2014 से 18 मई 2015 तक की अवधि के दौरान स्टार रेटिंग लेबल लगाने के लिए योग्य नहीं थी।

कम्पनी की निरीक्षण प्राधिकारियों ने, तथापि, इन तथ्यों को संज्ञान में नहीं लिया तथा 1 अक्टूबर 2014 एवं 26 नवम्बर 2014 के मध्य फर्म को जारी किये गये चार प्रेषणादेशों के विरुद्ध निविदा/ क्रयादेश के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में ₹ 0.86 करोड़ मूल्य के 220 नॉन स्टार रेटेड ट्रांसफॉरमर्स की आपूर्तियों को स्वीकार किया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया लेकिन बताया कि कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई सामग्री में कोई कमी नहीं थी। बीईई के साथ प्रक्रियात्मक देरी के कारण आपूर्तिकर्ता स्टार लेबलिंग उपलब्ध नहीं करा सका।

सामग्री का अनुचित निरीक्षण

2.16.2 कम्पनी ने ₹ 61,970.80 प्रति किमी के एफओआरडी[24] मूल्य पर 2,521 किमी एसीएसआर डॉग कंडक्टर की आपूर्ति के लिए राजस्थान ट्रांसफॉरमर्स एण्ड स्वीचगीयर्स,

24 फ्री ऑन रेल डेस्टिनेशन।

जयपुर (फर्म) को क्रयादेश (टीएन 4397) प्रदान किया (अप्रेल 2013)। कम्पनी के निरीक्षण प्राधिकारी ने प्रस्तावित सामग्री का कार्यस्थल (फर्म का परिसर) पर निरीक्षण किया एवं 7 अक्टूबर 2013 तक जारी किये गये प्रेषणादेशों के लिए कंडक्टर के चार लोटस (1,129.31 किमी) को अनुमति प्रदान की। साथ ही, कंडक्टर के 140 ड्रम्स (312.17 किमी) की आपूर्ति के लिए अन्य प्रेषणादेश जारी किया गया (18 अक्टूबर 2013)।

फर्म द्वारा आपूर्तित सामग्री की निम्न गुणवत्ता के संबंध में कम्पनी को झालावाड़ एसीओएस के विशिष्ट संदर्भ के साथ एक अज्ञात शिकायत प्राप्त हुई (अक्टूबर 2013)। शिकायतकर्ता ने कम्पनी अधिकारियों एवं फर्म के संबंधित कार्मिक के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने दर्शाया कि कम्पनी के कार्मिक फर्म के निर्देशों पर सीटीएल पर जांच के लिए केवल निश्चित नमूनें ही चयन कर रहे थे।

मुख्य अभियंता (एमएम) ने शिकायत को सत्यापित करने के लिए एक समिति गठित की (29 अक्टूबर 2013)। समिति ने 23 सितम्बर 2013 (44.59 किमी कंडक्टर वाले 20 ड्रम्स) एवं 7 अक्टूबर 2013 (89.19 किमी कंडक्टर वाले 40 ड्रम्स) को जारी किये गये प्रेषणादेशों के अधीन एसीओएस झालावाड़ पर प्राप्त हुई आपूर्तियों के विरुद्ध सीटीएल जांच के लिए तीन[25] ड्रम्स का चयन किया। कम्पनी द्वारा सीटीएल, जयपुर पर जांच के दौरान तीन ड्रम्स की सामग्री की गुणवत्ता में निम्नलिखित मुख्य विसंगतियां देखी गईः

विवरण	ड्रम संख्या		
	825	965	1000
4.67 एमएम न्यूनतम आवश्यकता के विरुद्ध एल्यूमिनियम स्ट्रैण्डस का व्यास	4.38 एमएम से 4.40 एमएम	4.51 एमएम से 4.52 एमएम	4.26 एमएम से 4.41 एमएम
2.57 केएन के गारन्टिड तकनीकी मापदण्ड के अनुसार सभी स्टील स्ट्रैण्डस का ब्रेकिंग लोड	1.38 केएन से 1.56 केएन	1.34 केएन से 1.42 केएन	0.98 केएन से 1.20 केएन
2.64 केएन की न्यूनतम आवश्यकता के विरुद्ध सभी एल्यूमिनियम स्ट्रैण्डस की टेन्सिल स्ट्रैन्थ	2.46 केएन से 2.63 केएन	2.43 केएन से 2.56 केएन	2.13 केएन से 2.40 केएन
1.65 ओम /किमी के अधिकतम के विरुद्ध एल्यूमिनियम स्ट्रैण्डस की प्रतिरोधकता	1.79 से 1.81 ओम /किमी	1.69 से 1.72 ओम /किमी	1.81 से 1.89 ओम /किमी

मीलीमीटर (एमएम), किलोन्यूटन (केएन), ओम (इलेक्ट्रीकल प्रतिरोध की प्रमापित अंतर्राष्ट्रीय इकाई)

उपरोक्त के अतिरिक्त, ड्रम संख्या 825 में 535 मीटर की दूरी पर निर्माण दोष की जांच के दौरान सभी सातों स्टील स्ट्रेंडस टूटे हुए पाये गये। सीएलपीसी ने शेष आपूर्ति (1,258.48 किमी) एवं 23 सितम्बर 2013 एवं 7 अक्टूबर 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेशों के विरुद्ध एसीओएस झालावाड़ पर की गई आपूर्तियों को निरस्त करने तथा निरस्त की गई मात्रा (1,258.48 किमी) के पांच प्रतिशत की अधिकतम शास्ति

25 ड्रम संख्या 825 (23 सितम्बर 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेश के अधीन) एवं ड्रम संख्या 965 एवं 1000 (7 अक्टूबर 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेश के अधीन)।

(₹ 32.85 लाख) लगाने का निश्चय किया (23 जनवरी 2014)। तथापि, अलवर एसीओएस एवं बहरोड़ उपस्टोर ने सीएलपीसी के निर्णय के उपरांत भी 18 अक्टूबर 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेश के विरुद्ध अधीक्षण अभियंता (प्रापण) के आदेशों पर फर्म से 133.79 किमी कंडक्टर स्वीकार किया (मार्च 2014)।

एक अज्ञात शिकायतकर्ता ने, इस प्रकार, कम्पनी के कार्मिकों द्वारा सामग्री की घटिया गुणवत्ता के क्रय पर प्रकाश डालते हुए एक व्हिसल ब्लोवर होना सिद्ध किया।

हमने देखा कि सीटीएल जांच के लिए एसीओएस झालावाड़ से चयन किये गये ड्रम्स विभिन्न एसीओएस पर 120 ड्रम्स (267.574 किमी) एवं 140 ड्रम्स (312.170 किमी) के लोट से संबंधित थे जो क्रमशः 23 सितम्बर 2013 एवं 7 अक्टूबर 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेशों से संबंधित थे। कम्पनी ने फर्म से ₹ सात करोड़ मूल्य वाले लगभग 1,130 किमी (एसीओएस झालावाड़ को की गई आपूर्ति को छोड़कर जो निरस्त कर दी गई थी) कंडक्टर की आपूर्तियां प्राप्त की। जांच के दौरान देखी गई असामान्य विसंगतियां सामग्री की गुणवत्ता के बारे में गहरा शक पैदा करती है लेकिन कम्पनी ने फर्म से प्राप्त की गई समस्त सामग्री की जांच नहीं कराई। कम्पनी ने सामग्री की घटिया गुणवत्ता के क्रय के लिए जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं की। साथ ही, कम्पनी ने काली सूची में डालने के स्थान पर फर्म को केवल एक साल की अवधि के लिए आगे की निविदाओं में भाग लेने से निषिद्ध कर दिया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि स्टोर्स में सामग्री की प्राप्ति के बाद अब नमूने कम्प्युटर से उत्पन्न यादृच्छिक कार्यक्रम के माध्यम से चुने जा रहे हैं।

कम भार वाली सामग्री को स्वीकार करके आपूर्तिकर्ताओं को अदेय लाभ

2.16.3 कम्पनी ने क्लेम्प एवं टॉप हैम्पर के साथ 11 केवी क्रोस आर्म एंगल की 50,000 इकाइयों की आपूर्ति के लिए नाकोड़ा प्रोडक्टस, वड़ोदरा (फर्म) को क्रयादेश (टीएन 4413) जारी किया (20 मई 2013)। क्रयादेश में दिये गये तकनीकी विशिष्ट विवरणों के वाक्यांश सी के अनुसार भार में सहन सीमा (+) 2 प्रतिशत से (-) 4 प्रतिशत थी।

हमने देखा कि झालावाड़ एवं करौली एसीओएस ने 26 जून 2013 एवं 6 अगस्त 2013 को जारी किये गये प्रेषणादेशों (2076 एवं 2902) के विरुद्ध प्राप्त हुई आपूर्तियों में एंगल्स के कम भार के बारे में शिकायत की। झालावाड़ एसीओएस पर प्रेषणों का भार (प्रत्येक प्रेषणादेश के अधीन 1250 इकाइयां) 15.986 एमटी की निर्दिष्ट भार के विरुद्ध 15.240 एमटी एवं 15.155 एमटी था। वास्तविक भार निर्दिष्ट भार से क्रमशः 4.67 प्रतिशत एवं 5.20 प्रतिशत कम था। करौली एसीओएस के संबंध में, प्रेषणादेश (2076)के विरुद्ध प्राप्त हुई 1,250 इकाइयों की प्रेषित मात्रा का भार 15.055 एमटी था जो निर्दिष्ट भार से 5.82 प्रतिशत कम था। इसके अतिरिक्त, कम भार की एक और शिकायत अलवर एसीओएस से भी प्राप्त हुई थी (जुलाई 2013) जहां 1,250 इकाइयों (प्रेषणादेश नम्बर 2076) का प्रेषित भार 15.986 एमटी के स्थान पर 14.660 एमटी था (निर्दिष्ट भार से 8.29 प्रतिशत कम)।

सीएलपीसी ने झालावाड़, करौली एवं अलवर एसीओएस के स्टोर्स में पड़ी हुई सामग्री को वापस उठाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को आदेश जारी करने के लिए कम्पनी को निर्देशित किया (11 दिसम्बर 2013)। कम्पनी ने, तथापि, ऐसा नहीं किया।

बाद में, सामग्री की स्थिति के बारे में जेपीडीसी, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं अलवर एसीओएस से पूछताछ पर यह पाया गया कि सामग्री या तो स्टोर्स में पड़ी हुई थी अथवा फिल्ड कार्यालयों को जारी कर दी गई थी। मामले पर एक बार फिर सीएलपीसी की सभा में चर्चा की गई (जुलाई 2014) जिसमें यह दोहराया गया था कि फर्म को विभिन्न स्टोर्स में पड़ी हुई घटिया सामग्री को वापस उठानी चाहिए। सीएलपीसी ने क्रोस आर्म एंगल्स के कम भार वाली आपूर्तित सामग्री के मूल्य के दो गुणे के बराबर राशि की शास्ति लगाने का भी निर्देश दिया।

हमने देखा कि 2076 एवं 2902 प्रेषणादेशों के अधीन सामग्री (25,000 इकाइयां) कम्पनी के 10 एसीओएस को जारी की गई थी (प्रत्येक प्रेषणादेश के अधीन प्रत्येक एसीओएस को 1,250 इकाइयां)। तथापि, केवल 10,000 इकाइयों की मात्रा को शामिल करते हुए छह[26] (प्रेषणादेश नम्बर 2076) एवं दो[27] (प्रेषणादेश नम्बर 2902) एसीओएस को भेजे गये प्रेषणों के लिए कार्यवाही की गई थी। कम्पनी ने 2076 एवं 2902 नम्बर प्रेषणादेशों के अधीन शेष एसीओएस को आपूर्तित सामग्री (15,000 इकाइयां) के भार की पुष्टि करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। साथ ही, सीएलपीसी के आदेश पर तुरंत कार्यवाही करने में कम्पनी की विफलता ने फिल्ड कार्यालयों द्वारा सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दिया।

सरकार ने बताया कि कुछ स्टोर्स पर प्राप्त हुई सामग्री का भार निर्धारित सीमा में पाया गया था। अन्य स्टोर्स में, सामग्री को शास्ति के साथ स्वीकार किया गया था क्योंकि फिल्ड कार्यालयों को सामग्री पहले ही जारी कर दी गई थी। तथ्य यही रहा कि कम्पनी ने फिल्ड में घटिया सामग्री का उपयोग किया।

निरीक्षण प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का अभाव

2.16.4 कम्पनी ने ₹ 8.18 लाख की लागत पर 300 नो मीटर पीसीसी पोल्स की आपूर्ति के लिए अंकित इंडस्ट्रीज (आपूर्तिकर्ता) को क्रयादेश (टीएन 4374) जारी किया (अक्टूबर 2012)। क्रयादेश के वाक्यांश 15 (निरीक्षण, परीक्षण एवं जांच) में बताया गया था कि आपूर्तिकर्ता इस तथ्य के समर्थन में निर्माता से जांच परिणामों को प्रस्तुत करेगा कि पोल्स के निर्माण में आवश्यक मात्रा में उच्च टेन्साइल स्टील वायर प्रयुक्त किया गया था। आपूर्तिकर्ता द्वारा यह प्रमाणित करना भी आवश्यक था कि पोल्स के निर्माण में प्रयुक्त सीमेण्ट, प्री-स्ट्रेस्ड स्टील वायर्स, माइल्ड स्टील बार, एग्रीगेटस एवं अन्य सामग्री आवश्यक विशिष्ट विवरणों के अनुसार थी।

निरीक्षण प्राधिकारी (सहायक अभियंता-एआई, गंगापुर सिटी) ने 100 पोल्स का निरीक्षण किया (नवम्बर 2012) एवं सत्यापित किया कि पोल्स आवश्यक विशिष्ट विवरणों से मेल खाते हुए थे। आपूर्तिकर्ता ने भी प्रमाणित किया कि निरीक्षण के लिए प्रस्तावित किये गये सभी पोल्स क्रयादेश में निर्धारित डिजाइन, स्ट्रैन्थ एवं कारीगरी के अनुसार थे एवं पोल्स के निर्माण में

26 झालावाड़, करोली, जयपुर जिला वृत्त, दौसा, सवाईमाधोपुर एवं अलवर।

27 झालावाड़ एवं टोंक।

सीमेण्ट, प्री-स्ट्रेस्ड स्टील वायर्स, माइल्ड स्टील बार, एग्रीगेटस एवं अन्य सामग्री निर्धारित विशिष्ट विवरणों के अनुसार प्रयुक्त की गई थी।

अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम), सवाईमाधोपुर ने तथापि, शिकायत की (मार्च 2013) कि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्तित पोल्स की गुणवत्ता बहुत खराब थी। उसने रिपोर्ट किया कि एक डिपोजिट कार्य के लिए आवंटित किये गये सभी 43 पोल्स खड़े करते समय टूट गये थे एवं 20 वायर्स की आवश्यकता के विरुद्ध पोल्स के भीतर की ओर केवल 16 स्टील वायर्स पाये गये थे। साथ ही, पोल्स में गैल्वनाइज्ड आयरन वायर नहीं थे। आपूर्तिकर्ता ने स्वीकार किया (14 मार्च 2013) कि पोल्स खराब गुणवत्ता के थे एवं बताया कि पोल्स के निर्माण के लिए एक नये ठेकेदार को लगाने के कारण यह लापरवाही घटित हुई। आपूर्तिकर्ता ने यह भी स्वीकार किया कि पोल्स के निर्माण में वायर्स की कम मात्रा प्रयुक्त करने के कारण पोल्स टूट गये थे। कम्पनी ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की (मार्च 2013)।

समिति ने रिपोर्ट किया (मार्च 2013) कि टूटे हुए पोल्स कार्यस्थल पर अथवा स्टोर्स में नहीं पाये गये। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि किसी भी कार्य स्थल पर पोल्स के स्टील पार्टस मौजूद नहीं थे एवं किसी ने जानबूझकर पोल्स को नष्ट किया एवं स्टील पार्टस को ले गया। तथ्यों को भ्रमित करने के लिए अन्य पोल्स की क्रम संख्या के साथ छेड़छाड़ करके छोड़ा गया था। टीम ने पोल को क्षतिग्रस्त हालत में पाया जिसमें 16 हाई टेन्साइल स्टील वायर्स थे एवं गैल्वनाइज्ड आयरन वायर नहीं था। पोल्स के निर्माण में प्रयुक्त कॉन्क्रीट मिक्स, तथापि, घटिया गुणवत्ता के प्रतीत हुए।

सीएलपीसी ने फर्म को एक साल की अवधि के लिए अगली निविदा में भाग लेने से निषिद्ध कर दिया (अप्रेल 2013)। सीएलपीसी ने प्रथम लोट (99 पोल्स) के लिए भुगतान को रोकने एवं शेष मात्रा के लिए आदेश को निरस्त करने के लिए निर्देशित भी किया था। शेष मात्रा को निरस्त करने का निर्णय, तथापि, अतार्किक था क्योंकि आपूर्तिकर्ता मार्च 2013 तक आपूर्तियों को पूरा कर चुका था। पिछले लोटस के अधीन आपूर्तित सामग्री की घटिया गुणवत्ता की जानकारी होने के उपरांत भी 102 पोल्स के अन्तिम लोट के लिए प्रेषणादेश जारी किया गया (5 मार्च 2013)।

कम्पनी ने, तथापि, निरीक्षण प्राधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिसके द्वारा सामग्री की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के आधार पर आपूर्तिकर्ता से सामग्री को स्वीकार किया गया था।

सरकार ने बताया कि निरीक्षण यादृच्छिक आधार पर किया गया था जो सम्पूर्ण लोट की गुणवत्ता को नहीं दर्शाता था एवं कम्पनी इस प्रणाली को सुधारने के लिए प्रयास कर रही थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि सभी पोल्स घटिया गुणवत्ता वाले थे।

सामग्री प्रबंध

2.17 एक कुशल सामग्री प्रबंध तंत्र का लक्ष्य सामग्री के आधिक्य को खत्म करके पूंजी निवेश को न्यून करना, आवश्यक सामग्री की समय पर उपलब्धता, उचित स्टॉक सुरक्षा सीमा को बनाये रखते हुए मांग उच्चावचनों पर नियत्रण करना, एवं अप्रचलन एवं गुणवत्ता में गिरावट से होने वाली हानि के जोखिम को न्यून करना होता है। सामग्री प्रबंध के लिए मुख्य रूप से

अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) जिम्मेदार है। लेखापरीक्षा परिणामों द्वारा सामग्री प्रबंध के अंतर्गत निष्क्रिय सामग्री, अधिक प्रापण, चोरी, आगजनी, गबन एवं कमी जैसी ₹ 73.64 करोड़ मूल्य की विसंगतियां उजागर की गई।

सामग्री नियंत्रण

2.18 क्रय मैन्युअल में प्रावधान है कि क्रय की जाने वाली मदों की मात्रा जहां तक संभव हो सके सामग्री के न्यूनतम स्तर; पुनः आदेश स्तर, अधिकतम स्तर, मूल्य विश्लेषण (एबीसी), गतिविधि विश्लेषण इत्यादि जैसी सामग्री नियंत्रण तकनीकों से मार्गदर्शित होनी चाहिए। स्टोर्स मैन्युअल के अनुसार सामग्री की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने तथा आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा सामग्री की सुपुर्दगी में विलम्ब से निपटने के लिए कम्पनी द्वारा बफर स्टॉक की मात्रा को बनाए रखना भी आवश्यक था। सामग्री एवं इसके बफर स्टॉक के आवश्यक स्तरों का निर्धारण स्टोर कार्यालयों की सिफारिशों एवं कोषों की उपलब्धता के आधार पर मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा किया जाना था।

कम्पनी द्वारा, तथापि, सामग्री के समुचित प्रबंध के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण स्तरों को निश्चित नहीं किया गया था। कम्पनी द्वारा सामग्री में निवेश, सामग्री अवधारण लागत, तथा सामग्री के अप्रचलन एवं इसकी गुणवत्ता में गिरावट की जोखिम को कम करने के लिए मूल्य विश्लेषण भी नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान सामग्री की स्थिति निम्न प्रकार थी:

(*₹ करोड़ में*)

विवरण		**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
प्रारम्भिक स्टॉक	एसीओएस	235.50	323.75	388.83	334.11	377.03
	उपखण्डीय स्टोर्स	171.93	140.18	164.97	152.62	162.91
	कुल	**407.43**	**463.93**	**553.80**	**486.73**	**539.94**
वर्ष के दौरान क्रय		980.85	1077.12	852.50	884.57	824.45
अन्तिम स्टॉक	एसीओएस	323.75	388.83	334.11	377.03	362.39
	उपखण्डीय स्टोर्स	140.18	164.97	152.62	162.91	142.46
	कुल	**463.93**	**553.80**	**486.73**	**539.94**	**504.85**
वर्ष के दौरान उपभोग		924.35	987.25	919.57	831.36	859.54
औसत मासिक उपभोग		77.03	82.27	76.63	69.28	71.63
मासिक उपभोग[28] के आधार पर सामग्री		5.66	6.19	6.79	7.41	7.29

यह देखा जा सकता है कि 2014-15 एवं इसके बाद औसत मासिक उपभोग घटने के उपरांत भी 2012-13 से 2015-16 के दौरान मासिक उपभोग के संदर्भ में सामग्री धारण 5.66 माह से बढ़कर 7.41 माह हो गया एवं इसके बाद 2016-17 के दौरान यह सीमांत रूप से 7.29 माह तक घट गया। इसने एसीओएस तथा उपखण्ड भण्डारों पर सामग्री भण्डारण के उच्च स्तर को इंगित किया।

समापन सभा के दौरान सरकार एवं कम्पनी के प्रबंधन ने बताया कि सामग्री के महत्वपूर्ण स्तरों के निर्धारण, मूल्य विश्लेषण, सामग्री चलन विश्लेषण लेखांकन, एवं सामग्री को जारी करने के

28 मासिक उपभोग के आधार पर स्टॉक = औसत स्टॉक / (उपभोग की गई सामग्री /12 माह)।

तंत्र को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किये जायेंगे। सरकार ने उत्तर में बताया कि कम्पनी ईआरपी तंत्र को क्रियान्वित कर रही है जिसमें सामग्री प्रबंध को एक मोडयूल के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

सामग्री का चलन विश्लेषण

2.18.1 अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा एसीओएस में उपलब्ध स्लो मूविंग, नॉन मूविंग एवं अप्रचलित मदों के संबंध में निर्देश जारी किये गये (30 मार्च 2015)। इन निर्देशों के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान कुल मात्रा में से 10 प्रतिशत मात्रा तक जारी की गई मदों को स्लो मूविंग मदों के रूप में ध्यान में रखा जाना था। जो मदें पिछले दो वर्षों से अधिक की अवधि में जारी नहीं की गई थी उन्हें नॉन मूविंग मदों के रूप में ध्यान में रखा जाना था। जिन मदों को पिछले दो वर्षों से अधिक की अवधि में जारी नहीं किया गया एवं भविष्य में जिनके प्रयुक्त किये जाने की संभावना नहीं थी उन्हें अप्रचलित मदें घोषित किया जाना था। अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा संचालक मण्डल को त्रैमासिक आधार पर सर्वेक्षण रिपोर्टस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था।

हमने देखा कि एसीओएस एवं उपखण्ड भण्डारों द्वारा स्लो मूविंग, नॉन मूविंग एवं अप्रचलित मदों को पहचानने के लिए नियमिताधार पर सामग्री का चलन विश्लेषण नहीं किया गया। यहां तक कि त्रैमासिक आधार पर रिपोर्टस भी संचालक मण्डल को प्रस्तुत नहीं की गई थी। सामग्री सत्यापक (आंतरिक अंकेक्षण) द्वारा एसीओएस एवं उपखण्ड भण्डारों के भौतिक सत्यापन के समय सामग्री का चलन विश्लेषण किया गया। तथापि, प्रत्येक एसीओएस एवं उपखण्ड भण्डार का भौतिक सत्यापन नियमिताधार पर नहीं किया गया था।

सरकार ने बताया कि स्टॉफ की कमी के कारण कुछ भण्डारों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। नियमिताधार पर संचालक मण्डल को रिपोर्टस प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध में उत्तर मौन था।

भण्डारण निर्गम दर का अनुचित निर्धारण

2.18.2 स्टोर्स मैन्युअल के वाक्यांश 9.17 में प्रावधान था कि सामग्री की सुपुर्दगी के बाद किये गये समस्त प्रभारों यथा भाड़ा, सामग्री हैण्डलिंग एवं स्टेकिंग, देख-रेख, संस्थापन, हैण्डलिंग इत्यादि को 'भण्डारण' शीर्ष के अंतर्गत खाताबही में दर्ज किये जाते हैं। अधीक्षण अभियंता (आई एण्ड एस) द्वारा संबंधित एसीओएस की सिफारिशों के आधार पर एवं वृत्त लेखाधिकारी के परामर्श से सभी एसीओएस के लिए एक वार्षिक समान भण्डारण दर निर्धारित की जानी आवश्यक थी। वार्षिक समान भण्डारण दर की गणना इस प्रकार से की जानी थी कि कुल अनुमानित वार्षिक व्यय को वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली संभावित सामग्री पर प्रभारित किया जा सके। भण्डारण दर को भण्डारण प्रभारों के रूप में स्टोर निर्गम नोट के माध्यम से जारी की गई सामग्री के मूल्य पर आरोपित किया जाना था।

हमने देखा कि अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा कुल अनुमानित वार्षिक भण्डारण व्यय पर आधारित एक समान भण्डारण दर निर्धारित नहीं की गई तथा इसके स्थान पर सामग्री की लागत को 15 प्रतिशत से बढ़ाने के बाद एक 'स्टोर निर्गम दर' (एसआईआर) की गणना की गई। इस प्रकार गणना की गई एसआईआर को कार्य की लागत के पूंजीयन के उद्देश्य के लिए फिल्ड कार्यालयों/ कार्यों को जारी की गई सामग्री की लागत पर प्रभारित किया जाना था।

स्टोर्स मैन्युअल में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार वास्तविक भण्डारण दर के अभाव में लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या कम्पनी द्वारा कार्यों पर भण्डारण की लागत अतिप्रभारित/ न्यूनप्रभारित की गई।

सरकार ने बताया कि कार्यों की प्रभारयोग्य लागत में भण्डारण की तीन प्रतिशत की दर को शामिल किया गया था। तथ्य यही रहा कि कम्पनी द्वारा भण्डारण पर किये गये वास्तविक व्यय के स्थान पर एक प्रमाप दर प्रभारित की गई।

सामग्री लेखांकन

2.18.3 स्टोर्स मैन्युअल में भिन्न- भिन्न कार्यों एवं सामग्री के प्रकार के लिए सीओएस (कंट्रोल ऑवर स्टोर) फॉर्म्स के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से स्टोरकिपिंग, लेखांकन, एवं सामग्री नियंत्रण तंत्र निर्धारित था। एसीओएस एवं उपखण्ड भण्डारों को कुशल लेखांकन; निगरानी, नियंत्रण, एवं प्रभावकारी सूचना तंत्र के लिए इन सीओएस फॉर्म्स में सामग्री का अभिलेख रखना अनिवार्य है।

हमने देखा कि चुने गये एसीओएस द्वारा निर्धारित सीओएस फॉर्म्स में सभी खाताबहियों को संधारित नहीं किया गया था। आगे, नमूना जांच किये गये 21 उपखण्ड स्टोर्स पर अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि किसी भी स्टोर्स द्वारा निर्धारित सीओएस फॉर्म्स में अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया। एसीओएस एवं उपखण्ड स्टोर्स ने बाजार से बहियां खरीदी जो कि भिन्न-भिन्न प्रारूप में थी एवं प्रबंधन को आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करायी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि प्रचलित परम्परानुसार प्रत्येक स्टोर पर सीओएस 12 एवं सीओएस 14 संधारित किये गये हैं। एसीओएस को ये विवरण संधारित करने के लिए कठोरतापूर्वक आदेश दिये जा चुके हैं। निर्धारित प्रारूप में एसीओएस तथा उपखण्डीय स्टोर्स द्वारा सभी बहियों को धारित नहीं करने के संबंध में उत्तर मौन था।

सामग्री का निरीक्षण एवं जांच

2.18.4 स्टोर्स मैन्युअल के वाक्यांश 7.7 में प्रावधान है कि निरीक्षण प्राधिकारी क्रयादेश एवं अनुमोदित नमूनों यदि कोई हो, के संदर्भ में सामग्री का निरीक्षण करेगा एवं सत्यापित करेगा कि यह सामग्री विशिष्ट विवरणों के अनुरूप है। यदि इसका विवरण/जांच रिपोर्टें/ सामग्री अनुमोदित नमूनों अथवा विशिष्ट विवरणों से मेल नहीं खाते हैं तब इसको स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं रजिस्टर में फॉर्म सीओएस 9 में इस बात की प्रविष्टि की जायेगी। आपूर्तिकर्ता को भी इसके बारे में फॉर्म सीओएस 10 के माध्यम से सूचित किया जायेगा। आगे वाक्यांश 9.6 के अनुसार, विभिन्न क्रयाधिकारियों द्वारा फर्मों से प्राप्त नमूनों पर उचित रूप से लेबल लगाया जायेगा एवं नमूना रजिस्टर में फॉर्म सीओएस 25 में इसकी प्रविष्टि की जायेगी।

हमने देखा कि चयन किये गये चार एसीओएस में से तीन[29] एसीओएस द्वारा फॉर्म सीओएस 25 (जांच के लिए फर्मों से प्राप्त किये गये नमूने), एवं सीओएस 10 (नमूनों के फेल हो जाने की सूचना/ फर्मों को अस्वीकृति मिमो) में रजिस्टर संधारित नहीं किया गया। फॉर्म 25 एवं 10 के अभाव में, यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि क्या एसीओएस द्वारा सामग्री की अनिवार्य

29 जयपुर शहर वृत्त, जयपुर जिला वृत एवं अलवर

जांच की गयी थी एवं फेल हुए नमूनों को सामग्री में शामिल करने के स्थान पर आपूर्तिकर्ताओं को भेज दिया गया था।

सरकार ने बताया कि स्टोर्स मैन्युअल के अनुसार सीओएस-9, 10 एवं 25 संधारित करने के लिए सभी स्टोर्स को आदेश जारी किये जा रहे थे।

सामग्री को जारी करना

2.18.5 स्टोर्स मैन्युअल के वाक्यांश 8.2 में प्रावधान है कि संचालन एवं रखरखाव/पूंजीगत कार्यों के लिए स्वीकृत अनुमान/उप- अनुमान के विरुद्ध जारी किये गये कार्यादेश के लिए आवश्यक प्रत्येक वर्ग / सामग्री के प्रकार की अनुमानित मात्रा को फॉर्म सीओएस 16 में एक अनुमान कार्ड संधारित किया जायेगा। वाक्यांश 8.3 के अनुसार, स्टोर्स से जारी की जाने वाली समस्त सामग्री अनुमान कार्ड के साथ प्राप्त अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्टोर्स प्रार्थना-पत्र (सीओएस 17) कहे जाने वाले एक मांग-पत्र के आधार पर जारी की जानी चाहिए। मांग-पत्र जारी करने वाले अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि मांग-पत्र उचित वर्गीकरण के साथ सही ढ़ंग से जारी किये गये थे एवं सामग्री का उपयोग मांग-पत्र एवं अनुमान कार्ड में दर्शाये गये वास्तविक कार्यों, जॉब इत्यादि पर किया गया था। साथ ही, संबंधित अधीक्षण अभियंता / अधिशाषी अभियंता सामग्री मांग पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के नाम के साथ उनके नमूना हस्ताक्षरों सहित एसीओएस को सूचित करेगा। भण्डारपाल ऐसे नमूना हस्ताक्षरों के संबंध में एक रजिस्टर संधारित करेगा एवं सामग्री जारी करने से पूर्व मांग-पत्र के साथ मिलान करेगा।

हमने देखा कि चयन किये गये सभी एसीओएस में उपखण्डों द्वारा प्रस्तुत किये गये मांग-पत्रों (सीओएस 17) पर कार्य पहचान मिमो का संदर्भ दर्ज नहीं था एवं सामग्री को अनुमान कार्ड प्रस्तुत किये बिना जारी कर दिया गया। साथ ही, संबंधित अधीक्षण अभियंता / अधिशाषी अभियंता द्वारा एसीओएस से सामग्री मांग पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के नाम एवं नमूना हस्ताक्षर के बारे में सूचित नहीं किया गया। एसीओएस द्वारा बिना यह सुनिश्चित किये कि मांग-पत्र अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किये गये थे, उपखण्डों/ कार्यों को सामग्री भी जारी कर दी गई। कोटा,जेपीडीसी एवं जेसीसी एसीओएस पर 234 स्टोर निर्गम नोट्स की नमूना जांच में उजागर हुआ कि 108 स्टोर निर्गम नोट्स पर सामग्री के प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर नहीं लिये गये, 47 नोट्स पर प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षरों को सत्यापित नहीं किया गया, एवं 57 नोट्स में सामग्री प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते थे।

सामग्री अभिलेखों का अनुचित संधारण

2.18.6 प्रबंध निदेशक द्वारा सामग्री के प्रबंध से संबंधित अभिलेख संधारित करने के लिए समय-समय पर जारी किये गये सुझावों की अनुपालना के लिए उपखण्डों को निर्देश जारी किये गये (नवम्बर 2016)। 21 उपखण्डों जिनके द्वारा चयन किये गये एसीओएस से सामग्री प्राप्त की गई, के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्न विसंगतियां उजागर हुईः

- चुने गये सभी उपखण्डों द्वारा प्रत्येक कार्यादेश के लिए कार्य पहचान मिमो के अनुसार जॉब कार्ड, निर्देशानुसार (26 फरवरी 2010) ट्रांसफॉर्मर मूवमेंट रजिस्टर, प्रत्येक जॉब के लिए फॉर्म सीओएस 16 में सामग्री अनुमान कार्ड संधारित नहीं किया गया

साथ ही, सभी चयनित उपखण्डों में कार्यों पर लगे हुए कनिष्ठ अभियंताओं एवं ठेकेदारों द्वारा 'कार्यस्थल पर सामग्री खाता' संधारित नहीं किया गया

- 15 उपखण्डों के कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा जारी किये गये हस्तलिखित मांग-पत्रों को सहायक अभियंताओं द्वारा अनुमोदन किया गया। यह केवल मुद्रित मांग-पत्रों के विरुद्ध सामग्री की मांग करने एवं जारी करने के आदेशों (जून 2014) के उल्लंघन में किया गया था। भण्डारपालों द्वारा भी निर्देशों का उल्लंघन किया गया एवं इन हस्तलिखित मांग-पत्रों के विरुद्ध सामग्री को जारी किया गया

- 19 उपखण्डों (चोमू ए1 एवं जेसीसी डी-III के अतिरिक्त) के कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा उपखण्डीय स्टोर्स से प्राप्त की गई सामग्री का रजिस्टर संधारित नहीं किया गया। साथ ही, सभी 21 उपखण्डों में कार्य पर लगे ठेकेदारों द्वारा भी सामग्री रजिस्टर संधारित नहीं किया गया

- पांच[30] उपखण्डों पर भण्डारपालों द्वारा निर्धारित प्रारूप में खराब हुए एवं बदले गये ट्रांसफॉर्मरस का अभिलेख संधारित नहीं किया गया। साथ ही, सभी चयनित 21 उपखण्ड स्टोर्स में से किसी ने भी जले हुए ट्रांसफॉर्मरस से निकाले गये ट्रांसफॉर्मर तेल का अभिलेख संधारित नहीं किया तथा

- सामग्री सत्यापनकर्त्ता ने बताया (नवम्बर 2016) कि इटावा उपखण्डीय स्टोर के सहायक अभियंता ने वर्ष 2013-14 के लिए या तो सामग्री रजिस्टर संधारित नहीं किया अथवा उसको खो दिया

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि डब्ल्यूआईएम संख्या के अभाव में कार्य पहचान मिमो (डब्ल्यूआईएम) के बिना कभी-कभी सामग्री को जारी कर दिया गया। तथापि, जारी की गई सामग्री को अंततः विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध कर लिया गया। आगे यह बताया गया कि ओएण्डएम अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर संबंधी अभिलेख संधारित करने के लिए, एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता अथवा ओएण्डएम अधिकारियों द्वारा अधिकृत व्यक्ति को सामग्री सुपुर्द करने के लिए सभी एसीओएस को आदेश जारी किये जा रहे थे। फील्ड अधिकारियों को भी संबंधित अभिलेखों को संधारित करने के लिए आदेशित किया जा चुका है। साथ ही, सामग्री लेखे, मुद्रित मांग-पत्र, सामग्री रजिस्टर, ट्रांसफॉर्मर, एवं ट्रांसफॉर्मर तेल के अभिलेख संधारित करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही थी।

अपर्याप्त प्रलेखीकरण

2.18.7 गेट पास स्टोर्स से सामग्री की सुपुर्दगी लेने के लिए एक अधिकार पत्र है। यह कार्यों के लिए जारी की गई सामग्री के वास्तविक उपयोग को सुनिश्चित करता है जिसके लिए इसकी मांग की गई थी क्योंकि कनिष्ठ अभियंता मांग-पत्र एवं भण्डारपाल द्वारा जारी किये गये गेट पास के आधार पर सामग्री को अपनी अभिरक्षा में लेता है। साथ ही, गेट पास सामग्री नियंत्रण के एक टूल रूप में कार्य करता है क्योंकि यह आश्वासन प्रदान करता है कि वांछित सामग्री केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई थी।

30 कोटा ग्रामीण, इटावा, चेचट, दूदू एवं बस्सी।

कम्पनी द्वारा जारी किये गये (जून 2014) निर्देशानुसार भण्डारपालों द्वारा गेट पास को तीन प्रतियों में जारी किया जाना आवश्यक था। भण्डारपाल द्वारा एक प्रति को कार्यालय प्रति के रूप में अभिलेखों में रखा जाना था तथा एक-एक प्रति सामग्री के प्राप्तकर्त्ता एवं उपखण्ड के कनिष्ठ अभियंता जिसने सामग्री का मांग-पत्र जारी किया प्रत्येक को दी जानी थी। हमने देखा कि नमूना जांच के लिए चयनित 21 उपखण्डीय स्टोर्स में से 12 में भण्डारपालों द्वारा गेट पास की केवल दो प्रतियां जारी की गयी थी। लक्ष्मणगढ़ एवं डी-III मालवीयनगर उपखण्डीय स्टोर्स के भण्डारपाल द्वारा गेट पास की दोनों प्रतियां अपने पास रखी गयी थी।

गेट पास की प्रतियों के अभाव में, उपखण्डों पर कनिष्ठ अभियंता द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या मांगी गई सामग्री की आवश्यक मात्राएं अधिकृत व्यक्तियों द्वारा उठायी गयी थी क्योंकि उनके द्वारा सामग्री रजिस्टर भी संधारित नहीं किये गये थे।

मालाखेड़ा उपखण्डीय भण्डार पर, एक दृष्टान्त के रूप में, हमने पाया कि 2012-17 के दौरान भण्डारपाल द्वारा 2,677 ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर की प्राप्ति एवं कनिष्ठ अभियंताओं को जारी करना बताया गया। सामग्री की स्थिति में, इस प्रकार, ड्रॉप आउट फ्यूज के साथ आइसोलेटर्स की शून्य सामग्री को इंगित किया। भण्डारपाल ने 2,677 ड्रॉप आउट फ्यूज को जारी करना दर्शाते हुए गेट पास की कार्यालय प्रतियां भी संधारित की। सहायक अभियंता द्वारा, तथापि, इसकी पुष्टि की गई कि 852 ड्रॉप आउट फ्यूज भण्डार में पड़े हुए थे। उपखण्डीय भण्डार के भौतिक सत्यापन के द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई कि 852 इकाइयां भण्डार में पड़ी हुई थी। यह जाली गेट पास जारी होना दर्शाता है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि इसकी कड़ी अनुपालना करने के लिए जोनल सीई (ओएण्डएम जयपुर जोन) द्वारा उचित आदेश जारी किये जा चुके हैं। उत्तर, तथापि, मालाखेड़ा एवं लक्ष्मणगढ़ उपखण्डीय स्टोर्स में देखी गयी कमियों के बारे में मौन था।

वेब आधारित स्टोर्स एवं सामग्री प्रबंध तंत्र का क्रियान्वयन

2.18.8 कम्पनी द्वारा सभी वृत्त कार्यालयों एवं एसीओएस में वेब आधारित स्टोर्स एवं सामग्री प्रबंध तंत्र को विकसित करने के लिए ₹ 45.14 लाख की लागत पर स्पांको टेलीसिस्टमस एण्ड सोल्युशंस लिमिटेड (ठेकेदार) को एक कार्यादेश जारी किया गया (अक्टूबर 2007)। कार्य का प्राथमिक उद्देश्य सूचना उपलब्ध कराने तथा विभिन्न प्रापण एवं सामग्री संबंधी कार्यों के नियोजन, डीजाइनिंग, निगरानी, संचालन एवं नियंत्रण के लिए एक विस्तृत तंत्र के माध्यम से अनुमोदन संबंधी क्रियाविधियों में लगने वाले समय को कम करना था। फैक्ट्री स्वीकृति परीक्षण किया गया (16 अक्टूबर 2008) जिसमें सॉफ्टवेयर को सही पाया गया था।

कम्पनी द्वारा सभी फिल्ड कार्यालयों को 1 नवम्बर 2009 से सिस्टम के माध्यम से चालान एवं गेट पास उत्पन्न करने के लिए आदेशित किया गया (अक्टूबर 2009) अन्यथा नामित प्राधिकारियों द्वारा बिलों के भुगतान पर विचार नहीं किया जाना था। साथ ही, सामग्री की प्राप्ति के लिए जारी किये गये समस्त मांग-पत्र भी सिस्टम के माध्यम से उत्पन्न किये जाने थे।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा भी टैरिफ आदेश का अनुमोदन करते हुए (6 जून 2013) कम्पनी को सामग्री का कुशल प्रबंध करने एवं अनावश्यक प्रापण से बचने को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री प्रबंध सॉफ्टवेयर के त्वरित क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया गया (25 सितम्बर 2013)।

हमने देखा कि सॉफ्टवेयर में समस्याओं के कारण सॉफ्टवेयर के सभी मोडयूल पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहे थे। सॉफ्टवेयर केवल चालान एवं मांग-पत्र उत्पन्न करने के योग्य थे। कम्पनी द्वारा संचालन एवं रखरखाव (ओएण्डएम) का अनुबंध वैलियम टैक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर (फर्म) को प्रदान किया गया (अप्रेल 2014) लेकिन फर्म समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी एवं सॉफ्टवेयर को चालू नहीं कर सकी (अगस्त 2016)। साथ ही, आधारभूत संरचना के अभाव, सॉफ्टवेयर के बारे में ज्ञान के अभाव, मानवशक्ति की कमी, एवं इंटरनेट की धीमी गति के कारण फिल्ड कार्यालय सॉफ्टवेयर को उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं थे। फर्म का ओएण्डएम अनुबंध की अवधि अगस्त 2016 के बाद नहीं बढ़ायी गयी थी।

सरकार ने बताया कि आईएण्डएस विंग द्वारा विभिन्न बग्स /विसंगतियां देखी गयी एवं समय-समय पर अधीक्षण अभियंता (आईटी) को सूचित की गयी थी।

एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स का भौतिक सत्यापन

2.18.9 स्टोर्स मैन्युअल का वाक्यांश 11.2 मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण) के नियंत्रणाधीन कार्यरत सामग्री सत्यापनकर्त्ता द्वारा एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर सामग्री के वार्षिक सत्यापन को नियत करता है।

मार्च 2017 के अंत में कम्पनी के 13 एसीओएस, बहरोड़ में एक उप-भण्डार एवं 195 उपखण्डीय स्टोर्स हैं। हमने देखा कि कम्पनी द्वारा 2012-13 से 2016-17 के दौरान एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर सामग्री का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। एसीओएस की 37 भौतिक सत्यापन रिपोर्टस की समीक्षा से खुलासा हुआ कि भौतिक सत्यापन के अन्तर्गत सम्मिलित की गई समयावधि 12 माह एवं 51 माह के बीच थी। इसी प्रकार, 2012-13 से 2016-17 के दौरान 21 नमूना जांच किये गये उपखण्डीय स्टोर्स की 34 भौतिक सत्यापन रिपोर्टस की समीक्षा से उजागर हुआ कि भौतिक सत्यापन के अन्तर्गत सम्मिलित की गई समयावधि 16 माह एवं 57 माह के बीच थी।

कम्पनी द्वारा एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया जैसा कि स्टोर्स मैन्युअल के अन्तर्गत आवश्यक था। कम्पनी, इस प्रकार, स्टोर्स पर स्थित सामग्री की कमी/ आधिक्य का समय पर पता लगाने की स्थिति में नहीं थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि स्टाफ की कमी के कारण सभी भण्डारों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। तथापि, स्थिति को सुधारने के लिए सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे थे।

भौतिक सत्यापन के दौरान सामग्री की मदों का अपर्याप्त समाहन

2.18.10 भौतिक सत्यापन शुरु करने से पूर्व भण्डार सत्यापनकर्त्ता, भण्डार की सभी मदों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मानव शक्ति की व्यवस्था करने के लिए संबंधित एसीओएस/ उपखण्डीय भण्डार से अनुरोध करता है। स्टोर्स मैन्युअल के वाक्यांश 11.1 में प्रावधान था कि भण्डारपाल/ एसीओएस द्वारा सामग्री का यादृच्छिक भौतिक सत्यापन आवधिक रूप से इस तरह से किया जायेगा कि बिन की समस्त चीजें एक वर्ष में कम से कम तीन बार जांची जा सके एवं स्टोर्स मात्रा बहियों में शेष के साथ इसका मिलान किया जा सके। अध्यक्ष (डिस्कॉम्स) द्वारा भी एसीओएस/ स्टोर्स अधीक्षक (एसएस) को कंडक्टर

ड्रम्स, केबल ड्रम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मरस, ट्रांसफॉर्मर तेल के ड्रम्स, सीटीपीटी सेट इत्यादि जैसी उच्च मूल्य वाली मदों के संबंध में स्टोर्स के आंतरिक भौतिक सत्यापन करने के लिए आदेशित किया गया (1 सितम्बर 2016)। आदेशानुसार प्रत्येक माह यादृच्छिक रूप से चयनित भण्डार की कम से कम पांच अन्य मदों को एसीओएस/एसएस द्वारा भी भौतिक रूप से सत्यापित किया जाना आवश्यक था।

हमने देखा कि अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) एवं अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) द्वारा एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स के भौतिक सत्यापन करने के लिए भण्डार सत्यापनकर्त्ताओं को पर्याप्त मानवशक्ति उपलब्ध नहीं कराई गई। परिणामस्वरूप, भण्डार सत्यापनकर्त्ता स्टोर्स की सभी मदों पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सके। भण्डार सत्यापनकर्त्ताओं द्वारा 2012-17 के दौरान किये गये 37 भौतिक सत्यापनों (एसीओएस) में से 31 के दौरान 6.17 प्रतिशत एवं 53.06 प्रतिशत मदों को सम्मिलित नहीं किया जा सका। शेष छह भौतिक सत्यापन रिपोर्टस में या तो कुल मदों की संख्या को नहीं दर्शाया गया था अथवा मदों को भौतिक सत्यापन में सम्मिलित नहीं किया गया था।

साथ ही, चयनित चार एसीओएस में से किसी के द्वारा भी 2012-17 के दौरान स्टोर्स मैन्युअल के अनुसार निर्धारित आवधिकता में भण्डार का आंतरिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। तथापि, एक एसीओएस (जयपुर जिला वृत्त) द्वारा मार्च 2017 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान पांच निरीक्षण किये गये। साथ ही, 21 नमूना जांच किये गये उपखण्डीय स्टोर्स में भण्डारपालों/ सहायक अभियंताओं में से किसी के द्वारा भी सामग्री का यादृच्छिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। एसीओएस द्वारा भी अध्यक्ष (डिस्कॉम्स) के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई एवं केवल सीमित मदों के संबंध में सत्यापन किया गया। कोटा एसीओएस द्वारा भिन्न-भिन्न मदों के रूप में एक मद की विभिन्न रेटिंग्स मानते हुए सत्यापन को एक माह के दौरान एक मद तक सीमित कर दिया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि स्टोर्स की भारी संख्या के कारण भौतिक सत्यापन में सभी मदों को सम्मिलित करना भण्डार सत्यापनकर्त्ताओं के लिए संभव नहीं था। तथापि, सुधारात्मक उपाय किये जा रहे थे। इसके साथ ही, भण्डार के निरीक्षण के दौरान सामग्री की यादृच्छिक आवधिक जांच को अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा निरपवाद रूप से सत्यापित कर दिया जायेगा।

उपखण्डीय भण्डारों पर निगरानी का अभाव

2.18.11 प्रबंध निदेशक द्वारा परिपत्र/ दिशा-निर्देश जारी किये गये (मई 2006) जिसमें प्रावधान था कि अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) को उपखण्डों द्वारा 30 दिनों के भीतर सामग्री को उपयोग में नहीं लाने के कारण एवं सामग्री उपयोग में नहीं लेने के लिए की गयी कार्यवाही के बारे में विशेष रूप से बताना आवश्यक था। जोनल मुख्य अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता (एमएम) को सामग्री की सुपुर्दगी की आवश्यकता/ स्थगन के लिए आदेश जारी करने भी आवश्यक थे।

हमने देखा कि उपखण्डीय स्टोर के सहायक अभियंता, सहायक राजस्व अधिकारी एवं भण्डारपाल की समिति द्वारा 2012-13 के बाद अधीशाषी अभियंता (ओएण्डएम) एवं लेखाधिकारी को सामग्री के प्रत्यक्ष शेषों की नियमित रिपोर्टस प्रस्तुत नहीं की गई। समिति द्वारा

2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान कभी कभी रिपोर्टस प्रस्तुत की गई लेकिन रिपोर्टस में स्टोर्स पर पड़ी सामग्री की आवधिकता को नहीं दर्शाया गया था। अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) दिशा-निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने में विफल हुआ एवं दोषी सहायक अभियंताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे जोनल मुख्य अभियंता द्वारा सामग्री की आवश्यकता के अनुचित निर्धारण को बढ़ावा मिला। परिणामस्वरूप, उपस्खण्डीय स्टोर्स के पास पड़ी हुई सामग्री के प्रत्यक्ष शेषों पर ध्यान दिये बिना ही मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा सामग्री की आवश्यकता का निर्धारण किया गया जिससे आवश्यकता से अधिक सामग्री के क्रय को बढ़ावा मिला।

हमने आगे देखा कि अधीशाषी अभियंता (ओएण्डएम) द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अधीन कम से कम एक उपस्खण्डीय भण्डार का मासिक निरीक्षण करना तथा अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) एवं मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण) को रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था। तथापि, संबंधित अधीशाषी अभियंताओं द्वारा आवश्यक निरीक्षण नहीं किये गये। प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के अभाव से उपस्खण्डीय स्टोर्स द्वारा आदेशों की अवहेलना को भी बढ़ावा मिला।

इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर प्राधिकारी उपस्खण्डीय स्टोर्स के पास पड़ी हुई सामग्री की निगरानी एवं नियंत्रण करने में विफल रहे। उपस्खण्डीय स्टोर्स के पास पड़ी हुई सामग्री की अनुचित निगरानी एवं नियंत्रण द्वारा सामग्री अप्रचलन के जोस्खिम को बढ़ावा मिला। चयनित एसीओएस के अधीन उपस्खण्डीय स्टोर्स की भौतिक सत्यापन की 34 रिपोर्टस में 2012-17 के दौरान अवशिष्ट/ अनुपयोगी मदों का मूल्य ₹ 1.22 करोड़ के रूप में आंका गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि जोनल मुख्य अभियंता (ओएण्डएम, जयपुर जोन) द्वारा सभी अधीक्षण अभियंताओं को आदेशों की कड़ी अनुपालना के लिए उचित आदेश जारी किये जा चुके हैं।

निष्क्रिय सामग्री

टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री को स्वीकार करने के कारण निष्क्रिय सामग्री

2.19 कम्पनी द्वारा विभिन्न टर्नकी कार्य प्रदान किये गये जिनमें ठेकेदारों द्वारा बिल ऑफ क्वांटीटी के अनुसार सामग्री की आपूर्ति की गई एवं कार्यादेशानुसार परियोजना को चालू कर दिया गया। डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा विभिन्न टर्नकी कार्यों के अधीन कार्यरत ठेकेदारों से अधिशेष /अप्रयुक्त सामग्री को स्वीकार करने के लिए आदेशित किया गया (फरवरी 2009) बशर्ते कि सामग्री सही हालत में थी एवं सीटीएल में सफलतापूर्वक जांच ली गई हो। डिस्कॉम्स कॉर्डीनेशन फॉरम (डीसीएफ) ने टर्नकी ठेकेदारों द्वारा कम जमा करायी गयी सामग्री के लिए वसूली एवं जमा कराई गई अधिशेष सामग्री के लिए भुगतान की दरें निर्धारित की (31 अगस्त 2010)।

27 टर्नकी कार्यादेशों, जिनका समापन 2012-17 के दौरान हुआ, की समीक्षा से उजागर हुआ कि विभिन्न टर्नकी ठेकेदारों से कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई अधिकांश सामग्री अप्रयुक्त रही। कुछ मामलों में जहां कम्पनी द्वारा टर्नकी ठेकेदारों से केबल, मीटर प्रोटेक्शन बॉक्स, गल्वैनाइज्ड आयरन वायर्स, स्विच फ्यूज यूनीटस इत्यादि जैसी सामग्री स्वीकार की गई जो कि आवश्यक नहीं थी, की चर्चा **अनुबंध-4** में की गई है। ये मामले प्रकाश डालते हैं कि कम्पनी

द्वारा टर्नकी ठेकेदारों से ₹ 8.18 करोड़ की अधिशेष सामग्री स्वीकार की जो आदेशों के अभाव, सीएलपीसी द्वारा अनुबंधों के समापन में देरी, तकनीक में परिवर्तन इत्यादि के कारण भण्डार में अप्रयुक्त पड़ी रही।

निकासी सभा के दौरान, कम्पनी के प्रबंधन ने बताया कि किसी विवाद की स्थिति से बचने के लिए ठेकेदारों के भुगतान के निस्तारण के बाद ही सामग्री उपयोग में लाई गई थी। प्रबंधन इस बात पर सहमत था कि सामग्री का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र कर लेना चाहिए। सरकार की राय थी कि कम्पनी द्वारा टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री को स्वीकार नहीं करना चाहिए था अथवा स्वीकार की गई सामग्री का उपयोग जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए था।

सामग्री के अनावश्यक प्रापण के कारण निष्क्रिय सामग्री

2.20 ₹ 49.90 करोड़ मूल्य वाली सामग्री के अनावश्यक क्रय पर प्रकाश डालते हुए दो केस स्टडीज की संक्षिप्त चर्चा नीचे की गई हैं।

अविवेकपूर्ण क्रय के कारण ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स का उपयोग नहीं होना

2.20.1 कम्पनी द्वारा ₹ 1,067.64 प्रति इकाई (2,20,700) एवं ₹ 1,443 प्रति इकाई (1,66,000) की दर पर 3,86,700 ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स सैटस की आपूर्ति के लिए क्रयादेश/ अतिरिक्त क्रयादेश जारी किये गये (अगस्त 2008 से मार्च 2009)।

डिस्कॉम्स के अध्यक्ष ने फिल्ड कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टस, जिनमें कि कुछ उपद्रवियों द्वारा वितरण ट्रांसफॉर्मरस को आइसोलेट करने के लिए इस मद को इस्तेमाल करने एवं तेल एवं कॉपर वाइंडिंग्स की चोरी का प्रयास करने, के आधार पर ड्रॉप आउट फ्यूज कम इंसूलेटर सैटस की शेष आपूर्तियों को स्थगित करने के लिए आदेश दिया (21 सितम्बर 2009)। अध्यक्ष ने ग्रामीण लाइनों पर आइसोलेटर्स को प्रयुक्त नहीं करने के लिए भी निर्देशित किया क्योंकि ब्लॉक घण्टों के अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए वितरण ट्रांसफॉर्मरस पर लगे हुए आइसोलेटर्स को सिंगल फेज आपूर्ति से थ्री फेज आपूर्ति में बदलने के लिए प्रयुक्त किये जा रहे थे।

फर्म ने 1,95,200 आइसोलेटर्स की आपूर्ति कर दी थी एवं स्थगन की तिथि तक 27,100 आइसोलेटर्स निरीक्षणाधीन थे। अधीक्षण अभियंता (क्रय) ने 1,64,400 आइसोलेटर्स की आपूर्तियों के स्थगन के लिए आदेश जारी किये (25 सितम्बर 2009)। तथापि, सीएलपीसी ने 1,42,900 आइसोलेटर्स के लिए आदेश निरस्त करने का निश्चय किया (6 जनवरी 2011)। इसी बीच, सीएलपीसी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी करने में देरी के कारण स्थगन के उपरांत भी कम्पनी ने 21,500 आइसोलेटर्स क्रय किये। कम्पनी ने, इस प्रकार, फर्म से 2,43,800 आइसोलेटर्स क्रय किये।

मार्च 2017 को, ₹ 3.08 करोड़ मूल्य के 28,852 ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स सैटस एसीओएस के पास पड़े हुए थे। शेष मात्राएं उपखण्डीय स्टोर्स को जारी की गई थी। **जारी की गई मात्राओं में भी ₹ 4.55 करोड़ मूल्य के 42,660 सैटस भी शामिल थे जो एसीओएस द्वारा जारी किये गये थे (31 जनवरी 2015 के बाद) लेकिन सामग्री उपखण्डीय स्टोर्स पर प्राप्त हुई नहीं पाई गई। अधीक्षण अभियंता (क्रय) ने गायब हुए आइसोलेटर्स के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) को कहा (10 मई**

2016) लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई (मई 2017)। कम्पनी के पास उपखण्डों द्वारा स्थापित किये गये एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर पड़े हुए ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं थी। सीएलपीसी ने सामग्री को कम करने के लिए स्टॉक में उपलब्ध 11 केवी ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स को उपयोग में लाने के लिए सभी कदम उठाने का निश्चय किया (24 फरवरी 2016)।

हमने देखा कि तकनीकी समिति की सिफारिशों (अगस्त 2007) पर ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स का प्रथम बार क्रय किया गया था। ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स ने 11 केवी सिंगल फेज स्वीच फ्यूज को प्रयुक्त करने वाली विद्यमान प्रणाली का स्थान लिया। तकनीकी समिति ने ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स के क्रय की सिफारिश करते समय विद्यमान वितरण प्रणाली के साथ इनकी उपयुक्तता का निर्धारण नहीं किया जिसके परिणामतः वितरण ट्रांसफॉर्मर्स से विद्युत, ट्रांसफॉर्मर तेल एवं कॉपर वाइंडिंग्स की चोरी हुई।

साथ ही, कम्पनी ने नई सामग्री के कार्य निष्पादन की प्रतिक्षा नहीं की एवं वास्तविक फिल्ड आवश्यकताओं को निर्धारित किये बिना ही पिछली एल-1 दर (₹ 1,067.64 प्रति इकाई) के स्थान पर उच्च दर (₹ 1,443 प्रति इकाई) पर बढ़ाई गई मात्रा के लिए क्रयादेश जारी किये। डिस्कॉम्स के अध्यक्ष के आदेशों के उल्लंघन में एसीओएस ने ग्रामीण लाइनों पर संस्थापन के लिए फिल्ड कार्यालयों को सामग्री जारी की जिसने विद्युत की चोरी के लिए उपद्रवियों को अवसर प्रदान किया। ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स को उपयोग में लाने के लिए सभी कदम उठाने के लिए सीएलपीसी का निर्णय (24 फरवरी 2016) अक्टूबर 2016 से हानि में कमी कार्यक्रम, जिसमें स्थापित किये गये ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स को हटाना सम्मिलित था, के क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से तार्किक नहीं था। साथ ही, कम्पनी ने यहां तक कि आइसोलेटर्स के गायब हो जाने पर कोई जांच एवं शिकायत दर्ज नहीं की।

कम्पनी ने, इस प्रकार, ₹ 31.95 करोड़ मूल्य वाले ड्रॉप आउट फ्यूज कम आइसोलेटर्स का अविवेकपूर्ण क्रय किया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि टीएन 4185 के बाद आइसोलेटर्स क्रय नहीं किये गये। समापन सभा के दौरान प्रबंधन ने भी बताया कि आइसोलेटर्स के क्रय के बाद यह देखा गया कि विद्युत की चोरी के लिए आइसोलेटर्स का दुरुपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार, कम्पनी ने आइसोलेटर्स को आगे और अधिक क्रय नहीं करने का निर्णय किया एवं सामग्री को शहरी क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा रहा था जहां इनके दुरुपयोग की संभावना नहीं थी। सरकार/कम्पनी ने, तथापि, गायब हुए आइसोलेटर्स के लिए कारण उपलब्ध नहीं कराये।

मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज का बल्क में क्रय करना

2.20.2 जोनल मुख्य अभियंता (जयपुर जोन) ने जिला मुख्यालयों एवं नगरपालिका कस्बों के लिए 6,200 स्प्रिंग लोडेड सिंगल फेज एवं 9,300 थ्री फेज मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज की आवश्यकता प्रस्तुत की (28 अप्रेल 2006)। तकनीकी समिति ने मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज के प्रथम बार क्रय की दृष्टि से सिंगल फेज एवं थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज की एक ट्रायल मात्रा के लिए क्रय करने का निश्चय किया (अप्रेल 2008)। ट्रायल मात्रा की संतोषजनक निष्पादन के बाद मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज की एक साथ बड़ी मात्रा क्रय की जानी थी।

सीएलपीसी ने, तथापि, सम्पूर्ण कम्पनी के लिए एक ही क्रयादेश देने का निश्चय किया (10 दिसम्बर 2008)। 27,440 सिंगल फेज एवं 15,330 थ्री फेज मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज की आपूर्ति के लिए इकलौती फर्म (दिल्ली कंट्रोल डीवाइसेज) को क्रमशः ₹ 2,189 एवं ₹ 5,175.72 प्रति इकाई पर क्रयादेश दिया (दिसम्बर 2008)। कम्पनी के लिए प्रथम बार आपूर्तिकर्ता होने के कारण अन्य तीन निविदादाताओं को एक समान दरों पर सिंगल फेज एवं थ्री फेज मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज दोनों के लिए निविदा मात्रा का 10 प्रतिशत आवंटित किया। फर्म ने क्रयादेश को जारी करने की तिथि से चार माह की अनुसूचित सुपुर्दगी अवधि में आदेशित मात्रा की आपूर्ति कर दी थी।

सिंगल फेज (25 अगस्त 2009) एवं थ्री फेज बॉक्सेज (15 सितम्बर 2009) के लिए तीनों निविदादाताओं के नमूने समिति द्वारा अनुमोदित किये गये। कम्पनी ने तथापि, स्टॉक स्थिति (15 सितम्बर 2009 को 26,790 सिंगल फेज एंव 14,600 थ्री फेज बॉक्सेज) एवं सामग्री के कम उपयोग की दृष्टि से आपूर्तियों (9,360 सिंगल फेज एंव 6,570 थ्री फेज बॉक्सेज) पर स्थगन लगा दिया (6 अक्टूबर 2009)। फर्मों ने स्थगित की गई मात्रा को भी उठाने के लिए कम्पनी को निवेदन किया (22 मार्च 2011) क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से कम्पनी के लिए इस उत्पाद का निर्माण किया था। विस्तृत विचार-विमर्श एवं चर्चाओं के बाद, सीएलपीसी ने स्थगन को हटाने एवं आर-एपीडीआरपी भाग बी कार्यों के लिए बॉक्सेज को प्रयुक्त करने का निश्चय किया (29 नवम्बर 2012)।

मुख्य लेखाधिकारी (आंतरिक अंकेक्षण) की रिपोर्ट के अनुसार, 31 जनवरी 2015 को एसीओएस में 6,282 सिंगल फेस (₹ 1.37 करोड़) एवं 4,063 थ्री फेस (₹ 2.10 करोड़) डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज का स्टॉक पड़ा हुआ था। साथ ही, उपखण्डीय स्टोर्स में 7,759 सिंगल फेस (₹ 1.70 करोड़) एवं 3,753 थ्री फेस (₹ 1.94 करोड़) डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज का स्टॉक भी पड़ा हुआ था। **मुख्य लेखाधिकारी ने यह भी रिपोर्ट किया कि 17,749 सिंगल फेस (₹ 3.89 करोड़) एवं 3,767 थ्री फेस (₹ 1.95 करोड़) बॉक्सेज एसीओएस से प्रेषित किये गये थे लेकिन उपखण्डीय स्टोर्स द्वारा प्राप्त नहीं किये गये। अधीक्षण अभियंता (क्रय) ने जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) को कहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।** स्टॉक की बड़ी मात्रा को देखते हुए, सीएलपीसी ने थ्री फेज बॉक्सेज की लम्बित मात्रा (3,789) के लिए क्रयादेशों को निरस्त करने का निश्चय किया (फरवरी 2016)।

हमने देखा कि कम्पनी द्वारा 39,200 सिंगल फेस (₹ 8.58 करोड़) एवं 18,111 थ्री फेस (₹ 9.37 करोड़) मल्टी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज क्रय किये गये। मार्च 2017 को एसीओएस के पास 416 सिंगल फेस एवं 353 थ्री फेस बॉक्सेज पड़े हुए थे एवं शेष बॉक्सेज उपखण्डीय स्टोर्स को जारी किये गये थे। स्थापित किये गये एवं स्टोर्स पर पड़े हुए बॉक्सेज की संख्या कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थी। तथापि, चयनित एसीओएस के अधीन 21 उपखण्डीय स्टोर्स के अभिलेखों की नमूना जांच में उजागर हुआ कि 31 मार्च 2017 को 525 (सिंगल फेस) एवं 783 (थ्री फेस) बॉक्सेज का शेष था। साथ ही, कनिष्ठ अभियंता, चौमू-ए-1 को जारी किये गये (2009-10) 230 सिंगल फेस एवं 50 थ्री फेस बॉक्सेज 31 मार्च 2017 को अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

इस प्रकार, केवल ट्रायल मात्राओं के क्रय की सिफारिशों के विरुद्ध सीएलपीसी द्वारा बड़ी मात्राओं का क्रय किया जाना एवं फिल्ड कार्यालयों द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज का उपयोग नहीं करना ₹ 17.95 करोड़ के मूल्य की सामग्री का अनावश्यक क्रय को दर्शाता है। साथ ही, कम्पनी ने गायब हुए बॉक्सेज के मामले की जांच नहीं की एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

सरकार ने बताया कि फिल्ड एवं टीडब्ल्यू कार्यों में अत्यावश्यकता के कारण एनआईटी मात्रा क्रय की गई एवं सम्पूर्ण मात्रा को प्रयुक्त कर लिया गया। सरकार ने, तथापि, सामग्री के उपयोग के समर्थन में कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही, गायब हुए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज एवं सामग्री के उपस्थण्डीय स्टोर्स पर पड़े होने के मामले में उत्तर मौन था।

अतिरेक प्रापण के कारण सामग्री का निष्क्रिय होना

2.21 एसीओएस, उपस्थण्डीय भण्डारों पर अभिलेखों एवं एसीओएस/उपस्थण्डीय भण्डारों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की समीक्षा से खुलासा हुआ कि फिल्ड कार्यालयों से मांग के अभाव के कारण विभिन्न प्रकार की सामग्री अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। यह दर्शाता है कि सामग्री आवश्यकता से अधिक क्रय की गई थी। कमजोर सामग्री प्रबंधन के परिणामतः सामग्री के अधिक क्रय को इंगित करने वाले कुछ प्रतिकात्मक मामलों में ₹ 10.49 करोड़ के कोष अवरुद्ध हुए जिनकी चर्चा **अनुबंध–5** में की गई हैं।

सामग्री का भण्डारण

2.22 सामग्री के अनुचित रखरखाव के कारण सामग्री की छीजत एवं चोरी के मद्देनजर एसीओएस एवं उपस्थण्डीय भण्डारों पर सामग्री के उचित भण्डारण के लिए अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा आदेश जारी किये गये (सितम्बर 2014)। अन्य बातों के साथ- साथ आदेशों में प्रावधान था कि समान प्रकार की सामग्री को एक स्थान पर रखा जाये, स्टील सामग्री, सब-स्टेशनों के सैट, जीआई वायर्स की स्टेकिंग इस तरह करनी चाहिए कि जारी करने एवं भौतिक सत्यापन के समय इनको गिना जा सके, मीटर्स, कॉपर अवशिष्ट इत्यादि को कमरे के अंदर रखना चाहिए, गारण्टी अवधि के अधीन सम्मिलित मदों के मामले में विशेष रूप से सामग्री को 'प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन' के आधार पर जारी किया जाना चाहिए, निर्माण की अवधि, आपूर्तिकर्त्ता के नाम को इंगित करते हुए गारण्टी अवधि के अधीन सम्मिलित मीटरों, सीटीपीटी एवं ट्रांसफॉर्मरस के निविदानुसार अभिलेख रखने चाहिए एवं लोडिंग एवं स्टेकिंग भी तदनुसार करना चाहिए, बार्ब वायर फेंसींग एवं उचित रोशनी के माध्यम से इंडोर एवं आउटडोर सामग्री के लिए उच्च सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

चयनित चार एसीओएस तथा 21 उपस्थण्डीय स्टोर्स पर कार्यस्थल निरीक्षण द्वारा उजागर हुआ कि सामग्री को निर्धारित आदेशानुसार स्टेकिंग एवं उसका रखरखाव नहीं किया गया था। सामग्री अस्त-व्यस्त तरीके से बिखरी हुई थी। सामग्री के अनुचित भण्डारण के कारण सामग्री के सत्यापन नहीं होने के बारे में इन स्टोर्स की भौतिक सत्यापन रिपोर्टस में भी दर्शाया गया था। कार्यस्थल निरीक्षण द्वारा यह भी उजागर किया गया कि खराब ट्रांसफॉर्मरस एवं मीटर्स एक ढ़ेर में पड़े हुए थे जो कि स्टोर्स का एक बड़ा भाग था।

सामग्री के अनुचित भण्डारण के कारण सामग्री की कमी एवं आधिक्य रहा जैसा कि सामग्री सत्यापनकर्त्ताओं द्वारा उनकी भौतिक सत्यापन रिपोर्टस में इसको इंगित किया गया था। इसके कारण एसीओएस एवं उपस्खण्डीय स्टोर्स पर चोरी, आगजनी एवं गबन की घटनाएं भी घटित हुई।



जेपीडीसी एसीओएस पर ढ़ेर में पड़े हुए खराब ट्रांसफॉर्मरस



जेपीडीसी एसीओएस पर पड़ी हुई नई केबल्स एवं अवशिष्ट कंडक्टर

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सभी एसीओएस/ उपस्खण्डीय स्टोर्स के साथ उनके स्टोर्स में सामग्री की उचित स्टेकिंग के लिए नियमित अनुसरण किया जा रहा था।

सामग्री की कमी एवं आधिक्य

2.22.1 भण्डार लेखांकन के उद्देश्य के लिए स्टोर्स निर्गम एवं स्टोर्स प्राप्ति रसीद नोट्स के माध्यम से क्रमशः सामग्री की कमी एवं उसके आधिक्य के लिए समायोजन करने आवश्यक हैं। तथापि, संबंधित सहायक अभियंताओं/ सहायक भण्डारपालों द्वारा सामग्री की ऐसी कमी एवं उसके आधिक्य के लिए उचित औचित्य प्रस्तुत किया जाना है। साथ ही, अधीक्षण अभियंता

(आई एण्ड एस) द्वारा सामग्री की कमी एवं उसके आधिक्य के कारणों की जांच करना तथा सामग्री की कमी के कारण हुई हानि को अपलिखित करने के लिए स्वीकृति जारी करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, भौतिक सत्यापन रिपोटर्स में इंगित सामग्री की कमी/ आधिक्य को एक माह की अवधि में तथा कम से कम वित्तीय वर्ष के समापन पर समायोजित एवं ठीक करना आवश्यक है।

मार्च 2017 के अंत तक, सभी एसीओएस की भौतिक सत्यापन रिपोर्टस में ₹ 2.28 करोड़ की असमायोजित कमी एवं ₹ 2.61 करोड़ के आधिक्य को इंगित किया गया। साथ ही, 2012-17 के दौरान, चयनित एसीओएस के अधीन 21 उपस्खण्डीय स्टोर्स की 34 भौतिक सत्यापन रिपोर्टस में ₹ 0.77 करोड़ की कमी एवं ₹ 1.09 करोड़ का आधिक्य उजागर हुआ। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा, तथापि, स्टोर्स में सामग्री की ऐसी कमी एवं आधिक्य के कारणों की जांच नहीं की गई।

हमने देखा कि कम्पनी के स्टोर्स में सामग्री की कमी एवं आधिक्य की जांच वित्तीय वर्ष 1997-98 से लम्बित थी।

स्टोर्स में सामग्री की कमी एवं आधिक्य इंगित करता है कि बिना उचित प्रलेखीकरण एवं लेखांकन के सामग्री की आवक/जावक को दर्ज किया गया। उचित प्रलेखीकरण एवं लेखांकन के अभाव में सामग्री की चोरी एवं दुरुपयोग की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा सकता।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कोटा, जेपीडीसी एवं भरतपुर एसीओएस में आधिक्य एवं कमी को ठीक कर दिया जा चुका है।

चोरी, आगजनी एवं गबन के कारण सामग्री की हानि

2.23 स्टोर्स मैन्युअल में प्रावधान था कि सामग्री की हानि के सभी मामलों को एसीओएस/ अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) एवं सीएओ (आंतरिक अंकेक्षण) को तुरंत रिपोर्ट किया जायेगा एवं जांच की जायेगी तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार उनका निपटारा किया जायेगा। एसीओएस पर सहायक अभियंता द्वारा प्रारम्भिक जांच करना; पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराना; बीमा एजेंसी से हानि की पूर्ति के लिए दावा करना; एवं प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट, एफआईआर की प्रति एवं बीमा कम्पनी के पास दर्ज किये गये दावे की प्रति के साथ अधीक्षण अभियंता (आई एण्ड एस) को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था। जांच रिपोर्ट के आधार पर अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा भी विस्तृत जांच का आदेश देना एवं कार्यवाही करना आवश्यक था।

2012-17 के दौरान सभी एसीओएस पर ₹ 1.56 करोड़ मूल्य की चोरी एवं कमी के 14 मामलों के बारे में अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई। विभिन्न स्तरों पर अभिलेखों की संवीक्षा द्वारा तथापि एसीओएस पर 31 ऐसे मामलों में ₹ 2.20 करोड़ की हानि उजागर हुई। इस प्रकार, अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) के पास एसीओएस पर घटित चोरी, कमी एवं आगजनी के मामलों के बारे में उचित सूचना उपलब्ध नहीं थी। साथ ही, उपस्खण्डीय स्टोर्स पर चोरी, कमी एवं आगजनी की घटनाएं जो संबंधित अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) द्वारा नियंत्रित होती हैं, को रिपोर्ट करने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी। इस

प्रकार, एसीओएस एवं उपस्थण्डीय स्टोर्स पर चोरी एवं आगजनी के कारण हुई हानि का निर्धारण नहीं किया जा सका। हमने देखा कि कम्पनी द्वारा एसीओएस पर सामग्री का बीमा कराया गया लेकिन उपस्थण्डीय स्टोर्स के लिए बीमा नहीं कराया गया था।

सरकार ने बताया कि सामग्री की चोरी के मामले में जांच के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के संबंध में समस्त संभव कार्यवाही की जायेगी। साथ ही, कम्पनी के सभी उपस्थण्डीय स्टोर्स का बीमा कराने के लिए प्रधान कार्यालय को एक प्रस्ताव भेजा जा चुका था।

सक्षम प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रण एवं निगरानी के अभाव के कारण निर्धारित अभिलेखों का रख-रखाव नहीं करने तथा सामग्री के गबन, आगजनी एवं कमी पर प्रकाश डालते हुए चार दृष्टान्तों की चर्चा नीचे की गई है। ये दर्शातें हैं कि गबन एवं कपट के मामलों पर कार्यवाही में बहुत देरी की गई है।

कॉपर कॉइल की कमी

2.23.1 हमने देखा कि जेपीडीसी एसीओएस द्वारा 28 मई 2007 एवं 5 अक्टूबर 2013 के बीच की अवधि के दौरान 13 बार नीलामी का आयोजन किया गया लेकिन इसके द्वारा हर बार अभिलेखों में दर्शायी गई कॉपर कॉइल की वास्तविक मात्रा (कॉपर कॉइल की 50,350 किग्रा को सम्मिलित नहीं करते हुए जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी) से कम मात्रा नीलामी में प्रस्तावित की गई।

अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा, तथापि, एसीओएस द्वारा कम मात्राओं की बिक्री के कारणों को कभी संज्ञान में नहीं लिया। साथ ही, सामग्री की चोरी के बारे में निवासियों से शिकायतें प्राप्त हुई थी लेकिन शिकायतों की विश्वसनीयता की जांच के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। एसीओएस से सामग्री की चोरी के लिए एक निवासी द्वारा कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई (22 मई 2012) जिसके आधार पर पुलिस द्वारा चोरों को पकड़ा गया एवं उनसे 350 किग्रा कॉपर कॉइल बरामद की गई। पुलिस द्वारा बरामद की गई सामग्री के आधार पर एसीओएस द्वारा भी 350 किग्रा कॉपर की चोरी के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई। तथापि, एफआईआर दर्ज करने एवं कॉपर कॉइल की बरामदगी के बाद भी अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा इसकी जांच नहीं की गई।

बाद में, वार्ड कीपर का स्थानांतरण कर दिया गया (जुलाई 2014) तथा हैंडिंग ओवर एवं टेकिंग ओवर के दौरान 19.62 एमटी (₹ 98.11 लाख) कॉपर कॉइल की कमी का पता लगा। अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया (9 जुलाई 2014)। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एसीओएस/ स्टोर्स अधीक्षक/ वार्ड कीपर द्वारा कॉपर कॉइल की प्राप्ति में लापरवाही बरती गई थी। बहुधा मामलों में, स्टोर प्राप्ति नोटस बिना वजन कार्ड के तैयार किये गये थे। संबंधित सहायक अभियंता द्वारा वजन कार्ड में प्रविष्टि की गई मात्रा से कम अथवा अधिक सामग्री प्राप्त की गई जिसने एसीओएस के स्टाफ द्वारा मिलीभगत को इंगित किया। साथ ही, बहुधा मामलों में, वजन कार्डस पर स्टोर अधीक्षक एवं मैसेंजर द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये थे जिसने सामग्री के गबन को बढ़ावा दिया। रिपोर्ट के अनुसार, वाहन मूवमेंट रजिस्टर का भी उचित रूप से रखरखाव नहीं किया गया था तथा हाथ से भरे जाने वाले कॉलम एवं प्रविष्टियां खाली अथवा अपूर्ण थे। यह भी ज्ञात हुआ कि

एसीओएस द्वारा 6,470 किग्रा (₹ 32.35 लाख) कॉपर कॉइल की अतिरिक्त मात्रा उपखण्ड कार्यालयों को जारी की गई थी एवं इसके कारण सामग्री की कमी छुपी हुई थी।

हमने देखा कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के अभाव एवं एसीओएस द्वारा अभिलेखों के अनुचित रखरखाव के कारण सात वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 1.30 करोड़ की सामग्री के गबन को बढ़ावा दिया गया जिसने आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पूर्ण विफलता को इंगित किया। अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा निवासियों की शिकायतों एवं सामग्री सत्यापनकर्त्ता की रिपोर्टस पर उचित कार्यवाही करना आवश्यक था जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अपर्याप्त जनशक्ति एवं समय के कारण कॉपर कॉइल का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कॉपर कॉइल की कमी के संबंध में जांच के लिए कम्पनी द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित थी। आगे यह भी बताया कि अब कॉपर कॉइल की मात्रा को छांट लिया गया है एवं इसे स्टोर में अलग रख दिया गया है।

सामग्री का अनुचित भण्डारण तथा खराब सामग्री को जमा कराने में विफलता

2.23.2 प्रबंध निदेशक (जनवरी 2010) एवं अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) (जून 2014) द्वारा उपखण्डीय स्टोर्स को गारण्टी अवधि के दौरान खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस को सात दिनों की अवधि में एसीओएस के पास जमा कराने के लिए आदेश जारी किये गये थे। साथ ही, अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा कम्पनी के स्टोर्स में आगजनी की किसी घटना को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए आदेश जारी किये गये (सितम्बर 2014)। आदेशों में कहा गया था कि एसीओएस एवं उपखण्डीय अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि ट्रांसफॉर्मर तेल, ट्रांसफॉर्मरस, केबल, सीटीपीटी सैट जैसी ज्वलनशील मदों को स्टोर्स कार्यालय के उपर से गुजरने वाली किसी हाई टेंशन लाइन के नीचे नहीं रखी जाये, सीटीपीटी सैटस एवं गारण्टी अवधि में खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस के अभिलेख अलग-अलग रखे जाये, एवं सामग्री समय पर जमा कराई जाये।

हमने देखा कि मालाखेड़ा उपखण्डीय स्टोर पर आग लग गई थी (अप्रेल 2016)। समिति ने बताया कि शोर्ट सर्किट एवं 70,000 लीटर जले हुए ट्रांसफॉर्मर के तेल एवं खराब हुए वितरण ट्रांसफॉर्मरस के कारण आग फैली। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि ₹ 2.87 करोड़ मूल्य की सामग्री की हानि हुई। सामग्री की हानि में मुख्य रूप से 67 खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस (₹ 36.08 लाख) शामिल थे जो गारण्टी अवधि में थे, एवं 676 खराब ट्रांसफॉर्मरस (₹ 2.37 करोड़) जिनकी गारण्टी अवधि समाप्त हो चुकी थी। गारण्टी अवधि में खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस दो वर्षों से अधिक की अवधि से भण्डार में पड़े हुए थे। साथ ही, जला हुआ ट्रांसफॉर्मर का 70,000 लीटर तेल एकत्रित हो गया था क्योंकि इसे समय पर एसीओएस में जमा नहीं कराया गया था।

हमने देखा कि सहायक अभियंता द्वारा सामग्री के सुरक्षित स्थान पर भण्डारण के संबंध में दिये गये आदेशों की पालना नहीं की गई क्योंकि ज्वलनशील सामग्री (ट्रांसफॉर्मर का तेल एवं ट्रांसफॉर्मरस) को हाई टेंशन लाइन के नीचे रखा गया था एवं इस प्रकार, ऐसी कोई घटना अवश्यंभावी थी। साथ ही, गारण्टी अवधि के दौरान खराब हुए ट्रांसफॉर्मरस को भी समय पर एसीओएस में जमा नहीं कराया गया था।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा सामग्री के अनुचित भण्डारण के कारण ₹ 3.27 करोड़ (₹ 40.15 लाख मूल्य के ट्रांसफॉर्मर के तेल को सम्मिलित करते हुए) की सामग्री की हानि वहन की गई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि मामले में जांच के लिए एक समिति गठित की जा चुकी है।

अवशिष्ट सामग्री की कमी के लिए जांच में देरी

2.23.3 कम्पनी द्वारा एसीओएस अलवर में पड़े हुए 32.71 एमटी एसीएसआर कंडक्टर के निस्तारण के लिए ई-नीलामी की गई (3 जुलाई 2012)। तथापि, कम्पनी, फर्म को केवल 20.93 एमटी कंडक्टर ही प्रदान कर सकी (अगस्त एवं सितम्बर 2012) एवं शेष कंडक्टर एसीओएस के पास उपलब्ध नहीं था। एक समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया (अक्टूबर 2012) एवं पाया कि खाताबही के अनुसार कंडक्टर का शेष 14.15 एमटी था (19 सितम्बर 2012 तक) लेकिन एसीओएस के पास केवल एक से दो एमटी कंडक्टर ही उपलब्ध था। माप के अनुसार, 11.25 एमटी अवशिष्ट कंडक्टर की कमी थी।

अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित की गई (फरवरी 2013)। समिति द्वारा, तथापि, चार वर्षों से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी (मई 2017)। इस प्रकार, ₹ 15.19 लाख मूल्य की सामग्री के गबन के मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि मुख्य अभियंता (एमएम) एवं अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा समिति के सदस्यों के साथ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस मामले के संबंध में नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा था।

निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना नहीं करने के कारण गबन

2.23.4 सामग्री सत्यापनकर्त्ता द्वारा दिसम्बर 2009 से नवम्बर 2013 की अवधि के लिए जेसीसी के अन्तर्गत उपखण्डीय स्टोर (डी-III) के भौतिक सत्यापन के दौरान ₹ 64.92 लाख मूल्य की विभिन्न लम्बाई की केबल्स (22.23 किमी) एवं अन्य सामग्री की कमी को ध्यान में लाया गया। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में दर्शाया गया कि मांग-पत्र पुस्तिका की चार प्रतियां (4268/10 एवं 4268/11) उपलब्ध नहीं थी एवं इसकी पांचवी प्रति खाली थी जिसने मांग-पत्रों के दुरुपयोग के बारे में संदेह पैदा किया। स्टोर द्वारा भी ₹ 1.19 करोड़ मूल्य की सामग्री के लिए अप्रेल 2013 से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान सामग्री रजिस्टर में प्रविष्टियां नहीं की गई थी। सहायक अभियंता (डी-III) ने बताया (जनवरी 2014) कि स्टोर्स की उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच की गई थी एवं ₹ 35.30 लाख मूल्य की विभिन्न लम्बाई की केबल्स कम पाई गई थी। आंतरिक अंकेक्षण द्वारा देखा गया (फरवरी 2014) कि उपखण्ड से केबल की कोई आवश्यकता एवं मांग नहीं होने के बावजूद भी भण्डारपाल द्वारा जुलाई 2013 एवं नवम्बर 2013 के बीच विभिन्न मांग-पत्रों के माध्यम से एसीओएस से 4 सी गुणा 300 वर्गमीटर एलटी एक्सएलपीई केबल्स के 10 ड्रम्स जारी किये गये थे। हमने देखा कि निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं करने के कारण ₹ 35.30 लाख के गबन की घटना हुई क्योंकि एसीओएस एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) द्वारा सामग्री जारी की गई जो फिल्ड कार्यालय द्वारा आवश्यक नहीं थी। एसीओएस एवं अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) द्वारा यह

सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था कि सामग्री की मांग कार्यानुसार की जा रही थी एवं सामग्री केवल अभिहित कार्य के लिए जारी की गई थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सामग्री की कमी के लिए एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।

अवशिष्ट का निस्तारण

2.24 स्टोर्स मैन्युअल में प्रावधान था कि विद्युत लाइनों से उतारी गई सामग्री को, चाहे ठीक हालत में अथवा नहीं, सीओएस 24 में दर्ज किया जायेगा। उपयोगी सामग्री को सामग्री के शेष में शामिल करने की जरूरत है जबकि अनुपयोगी अवशिष्ट सामग्री को सामग्री क्रेडिट नोट के माध्यम से संबंधित एसीओएस के पास जमा कराया जाना चाहिए। एसीओएस द्वारा स्टोर प्राप्ति नोट तैयार करना एवं अवशिष्ट के रजिस्टर में प्रविष्टि करना आवश्यक था।

चयनित एसीओएस के अधीन 21 उपस्खण्डीय भण्डारों पर अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि भण्डारपालों द्वारा उतारी गई सामग्री को सीओएस 24 में दर्ज नहीं किया गया था। उपस्खण्डीय स्टोर्स द्वारा सामग्री क्रेडिट नोटस तैयार किये गये जो एसीओएस द्वारा स्वीकार कर लिये गये थे। इसने दर्शाया कि अवशिष्ट सामग्री पर कोई नियंत्रण नहीं था क्योंकि एसीओएस के पास उपस्खण्डीय भण्डार द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर लेखांकन किया गया था। लाइन/ परियोजनाओं को हटाने के समय उतारी गई वास्तविक सामग्री का अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

सामग्री के निस्तारण नियमों के अनुसार निस्तारित की जाने वाली सामग्री के संबंध में एसीओएस द्वारा त्रैमासिक सर्वेक्षण रिपोर्टस तैयार करना एवं सिफारिशें करना आवश्यक था। अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा स्टोर्स के निस्तारण के अनुमोदनार्थ सर्वेक्षण रिपोर्टस का सार निदेशक मण्डल के सामने रखा जाना था।

तथापि, चयनित एसीओएस द्वारा सर्वेक्षण एवं त्रैमासिक रिपोर्टस तैयार नहीं की गई। हमने देखा कि 2012-17 के दौरान अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) के आदेशों पर केवल 11 सर्वेक्षण रिपोर्टस तैयार की गई। साथ ही, सर्वेक्षण रिपोर्टस में नीलामी के लिए रखी जाने वाली मदों के अनुपयोगी होने के कारणों को नहीं दर्शाया गया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि उतारी गई सामग्री के उचित अभिलेख रखने के लिए फिल्ड अधिकारियों को आदेशित कर दिया जायेगा।

अवशिष्ट सामग्री की बिक्री

2.24.1 कम्पनी द्वारा 2014-15 तक एसीओएस स्तर पर अवशिष्ट सामग्री की खुली नीलामी का आयोजन किया गया था। इसके साथ-साथ, मेटल एवं स्क्रेप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) लिमिटेड के पार्टल के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी का आयोजन भी किया गया

था। 2012-17 के दौरान अवशिष्ट हुई सामग्री एवं की गई नीलामी का विवरण निम्नानुसार थाः

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल अवशिष्ट	नीलाम किया गया अवशिष्ट	अन्तिम शेष	विक्रय किये गये अवशिष्ट से कुल अवशिष्ट का प्रतिशत
2012-13	8.40	8.27	16.67	5.81	8.93	34.88
2013-14	9.00	10.23	19.23	6.86	10.84	35.67
2014-15	10.83	14.78	25.61	8.94	15.4	34.91
2015-16	14.87	63.05	77.92	59.71	17.91	76.63
2016-17	17.14	202.81	219.95	103.99	103.64	47.28
योग		**299.14**		**185.31**		

(नोटः प्रारम्भिक एवं अंतिम शेषों का मिलान नहीं हो रहा है। आंकड़े कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये है।)

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 तक निस्तारण के लिए अवशिष्ट सामग्री लगातार बढ़ती जा रही थी। यह 2015-16 में ₹ 63.05 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 202.81 करोड़ हो गई क्योंकि खराब हुए वितरण ट्रांसफॉर्मरस (2010 तक निर्मित) की मरम्मत को अमितव्ययी मान लिया गया था। कम्पनी वर्ष के दौरान सम्पूर्ण अवशिष्ट सामग्री की नीलामी नहीं कर सकी जिसके परिणामतः एसीओएस एवं उपखण्डीय स्टोर्स पर खाली स्थान की समस्याएं उत्पन्न हो गई। साथ ही, अधीक्षण अभियंता (आईएण्डएस) द्वारा एसीओएस पर पड़ी हुई अवशिष्ट सामग्री की प्रारम्भिक, प्राप्ति एवं अंतिम मात्रा का मिलान नहीं किया गया।

सरकार ने बताया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के तुरंत बाद अवशिष्ट सामग्री की ई-नीलामी शुरु की जा रही है। निकासी सभा के दौरान कम्पनी के प्रबंधन ने बताया कि अनावश्यक लाइनों की पहचान करने एवं अवशिष्ट सामग्री के निस्तारण के लिए एक विशेष अभियान शुरु किया जा चुका है। प्रबंधन ने आगे बताया कि कम्पनी के कर्मचारियों को अवशिष्ट सामग्री के निस्तारण के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा था।

स्टोर्स का बीमा

2.25 कम्पनी द्वारा चोरी, आगजनी इत्यादि के विरुद्ध एसीओएस पर सामग्री का बीमा शुरु किया गया (2010-11)। मार्च 2017 को, बीमा कम्पनियों द्वारा ₹ 40.44 लाख के 14 दावे स्वीकार किये गये, ₹ 53.34 लाख के 10 दावे खारिज किये गये, एवं ₹ 12.62 लाख के आठ दावे निर्णय के लिए लम्बित थे।

हमने देखा कि कम्पनी के उपखण्डीय स्टोर्स द्वारा भी बड़ी मात्रा में सामग्री की नई एवं अवशिष्ट मदों को रखा गया था। अनुचित भण्डारण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्टोर्स की स्थिति के कारण चोरी एवं आगजनी का जोखिम भी काफी अधिक है। तथापि, कम्पनी द्वारा चोरी एवं आगजनी के बहुत मामलों के उपरांत भी उपखण्डीय स्टोर्स का बीमा नहीं कराया गया। अभिलेखों की समीक्षा से उपखण्डीय स्टोर्स पर चोरी एवं आगजनी के छह मामले उजागर हुए जिसके कारण कम्पनी को ₹ 4.04 करोड़ की हानि हुई। कम्पनी बीमा पॉलीसियों के अभाव में हानि की पूर्ति नहीं कर सकी।

सरकार ने बताया कि सभी उपस्खण्डीय स्टोर्स के बीमा के लिए एक प्रस्ताव निदेशक (तकनीकी) के पास विचाराधीन था।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा परिणामों द्वारा सामग्री की आवश्यकता निर्धारण एवं प्रापण प्रणाली में कमियों को उजागर किया गया जिसने सामग्री के अमितव्ययी क्रय, विशिष्ट विवरणों की पुष्टि नहीं करने वाली सामग्री के क्रय, बिना आवश्यकता के सामग्री की समयपूर्व प्राप्ति तथा बिना उचित जांच एवं निरीक्षण के सामग्री को स्वीकार करने को बढ़ावा दिया। कम्पनी द्वारा एक वैज्ञानिक एवं प्रभावी सामग्री प्रबंध प्रणाली को नहीं अपनाया गया। सामग्री के महत्वपूर्ण स्तर निर्धारित नहीं किये गये एवं सामग्री के कुशल प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री मूवमेंट विश्लेषण नहीं किया गया था। इसके परिणामतः सामग्री स्टोर्स पर निष्क्रिय पड़ी रही। सामग्री को जारी करने एवं लेखांकन से संबंधित उचित अभिलेख नहीं रखे गये थे तथा भौतिक सत्यापन की प्रणाली अपर्याप्त थी जिसके कारण सामग्री की चोरी एवं गबन के मामले हुए।

सिफारिशें

- **कम्पनी द्वारा राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं उसके अधीन नियमों के अनुसार क्रय मैन्युअल को पुनरीक्षित करना चाहिए।**
- **कम्पनी को फिल्ड की आवश्यकताओं के अनुसार प्रापण को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री की आवश्यकता के निर्धारण की प्रक्रिया को धाराप्रवाह करना चाहिए।**
- **कम्पनी द्वारा निविदाओं को निर्धारित समयावधि में अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए एवं निर्धारण में देरी के मामले में उच्च प्राधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। निविदाओं एवं अनुबंधों को प्रदान करने के लिए निर्धारित क्रियाविधियों का विवेकपूर्ण ढ़ंग से अनुसरण आवश्यक है।**
- **कम्पनी को निरीक्षण एवं जांच क्रियाविधियों को सशक्त बनाया जाना चाहिए एवं आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा सामग्री की आपूर्ति के समय पर तकनीकी विशिष्ट विवरणों की कड़ी अनुपालना को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**
- **कम्पनी द्वारा सामग्री के कुशल प्रबंध के लिए सामग्री नियंत्रण तकनीकें अपनायी जानी चाहिए तथा सामग्री के उत्तम नियंत्रण एवं निगरानी के लिए निर्धारित अभिलेखों को उचित ढ़ंग से संधारित किया जाना चाहिए।**
- **कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट समयांतरालों पर भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्टस में पाई गई विसंगतियों पर सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।**

अध्याय III

अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

अध्याय III

3. अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

राज्य सरकार की कम्पनियों एवं निगमों द्वारा किये गये व्यवहारों की नमूना जांच से प्रकट हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित किये गये हैं।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.1 *उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में सुधार–राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011 का क्रियान्वयन*

राजस्थान सरकार (राज्य सरकार) ने निर्धारित समय सीमाओं के भीतर राज्य के लोगों को निर्धारित अधिसूचित सेवाओं की सुपुर्दगी प्रदान करने के लिए 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011' (आरजीडीपीएस अधिनियम, 2011) लागू किया (सितम्बर 2011)। राज्य सरकार द्वारा 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी नियम, 2011' (आरजीडीपीएस नियम, 2011) भी अधिसूचित किये गये (अक्टूबर 2011) जिनमें आरजीडीपीएस अधिनियम, 2011 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए क्रियाविधियों का प्रावधान है। राज्य सरकार का प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (एआरसीडी) आरजीडीपीएस अधिनियम/नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभागों को निर्देश/दिशानिर्देश/परिपत्र जारी करता है।

आरजीडीपीएस अधिनियम, 2011 की धारा 4 में निर्दिष्ट है कि पदनामित अधिकारी सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को निर्दिष्ट समय में अधिसूचित सेवा प्रदान करेगा। अगर किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट समय के भीतर किसी प्रकार की सेवा प्रदान नहीं की जाती है, तो वह व्यक्ति आवेदन की अस्वीकृति अथवा निर्दिष्ट समय सीमा की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के अन्दर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर कर सकता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील के फैसले की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर द्वितीय अपील भी दायर की जा सकती है। जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यह मानता है कि नामित अधिकारी सेवा प्रदान करने में विफल रहा या पर्याप्त तथा उचित कारणों के बिना देरी की, तो वह ₹ 500 से ₹ 5,000 के बीच एकमुश्त जुर्माना लगा सकता है जो कि अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नामित अधिकारी के वेतन से वसूली योग्य होगा।

मार्च 2016 तक, राज्य सरकार अधिनियम की धारा 3 के तहत 153 सेवाओं को अधिसूचित कर चुकी थी। 153 सेवाओं में से पांच सेवाएं ऊर्जा विभाग से संबंधित हैं जिसमें नए कनेक्शन जारी करना, बिजली बिलों में सुधार, मीटर्स के प्रतिस्थापन, बिजली आपूर्ति में सुधार, एवं आधारभूत सुविधाओं पर आधारित सेवाओं की सुपुर्दगी सम्मिलित हैं। राज्य की तीन[1] बिजली

1 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

वितरण कंपनियों द्वारा इस अधिनियम में निर्धारित निर्दिष्ट समयावधि के भीतर इन सेवाओं की सुपुर्दगी को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

वर्तमान लेखापरीक्षा (दिसंबर 2016 से मार्च 2017 तक) यह आकलन करने के लिए की गई कि क्या 'जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड' (कम्पनी) द्वारा इस अधिनियम में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में सुधार किया गया था। यह भी देखा गया था कि क्या कम्पनी ने आरजीडीपीएस अधिनियम एवं उसके अधीन नियमों के अनुसार अधिसूचित सेवाओं की सुपुर्दगी के बारे में उचित अभिलेखों को संधारित किया था एवं उपभोक्ताओं के बीच प्रचार एवं जागरुकता उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा 2014-15 से 2016-17 (अक्टूबर 2016 तक) की अवधि के दौरान बिजली बिलों में सुधार के लिए कम्पनी के निष्पादन का विश्लेषण किया गया। सरकार के उत्तर (जुलाई 2017) को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद को अन्तिम रूप दिया गया था।

कम्पनी का विद्युत वितरण नेटवर्क तीन जोन (जोधपुर, बीकानेर तथा बाड़मेर) में विभाजित किया गया है जो आगे 12 वृत्तों एवं वृत्तों के अन्तर्गत 155 उपखण्डों में विभाजित है। उपभोक्ताओं को लो टेंशन (एलटी) एवं हाईटेंशन (एचटी) श्रेणियों में बांटा गया है। साथ ही, कम्पनी ने एलटी उपभोक्ताओं को ग्रामीण तथा शहरी उपभोक्ताओं में वर्गीकृत किया। मार्च 2016 तक कम्पनी के पास 1,586 एचटी उपभोक्ताओं सहित 33.12 लाख उपभोक्ता थे। हमने एचटी तथा एलटी उपभोक्ताओं से संबंधित बिलिंग शिकायतों के संशोधन में कम्पनी के निष्पादन का आकलन करने के लिए 12 वृत्तों में से पांच[2] वृत्तों (42 प्रतिशत) का चयन किया। नमूना चयन के लिए प्राथमिक आधार एचटी तथा एलटी उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या थी। सभी वृत्तों के भौगोलिक प्रतिनिधित्व को रखने के लिए प्रत्येक जोन से कम से कम एक वृत्त चुना गया था।

एचटी श्रेणी में निष्पादन की समीक्षा जोधपुर शहर तथा पाली वृत्तों में की गई। दोनों वृत्तों में कम्पनी के कुल एचटी उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी[3] 37.64 प्रतिशत थी। शेष तीन वृत्तों में (चुरु, जोधपुर जिला वृत्त एवं बाड़मेर) एलटी श्रेणी में निष्पादन की समीक्षा की गई। एलटी उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए हमने उपभोक्ताओं की अधिकतम संख्या के अनुसार प्रत्येक वृत्त से दो उपखण्डों का चयन किया। चयनित छह[4] उपखण्डों में मार्च 2016 तक कम्पनी के 1.64 लाख उपभोक्ता समाविष्ट थे।

3.1.1 *बिजली के बिल को सुधारने के लिए अधिनियम के तहत अनुमत्त समयावधि*

विद्युत बिलों से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिकायतों को हल करने के लिए अधिनियम के

2 जोधपुर शहर वृत्त ,पाली, चुरु, जोधपुर जिला वृत्त एवं बाड़मेर।

3 जोधपुर शहर वृत्त (379 एचटी उपभोक्ता) और पाली वृत्त (218 एचटी उपभोक्ता)।

4 जोधपुर जिला वृत्त के अधीन बालेसर एवं मंडोर उपखण्ड; बाड़मेर वृत्त के अधीन सिवाना एवं चोहटन उपखण्ड; एवं चुरु वृत्त के अधीन चुरु एवं तारानगर उपखण्ड।

अन्तर्गत अनुमत्त समयावधि नीचे उल्लिखित है।

शिकायत का प्रकार	शिकायत के समाधान के लिए अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि
गलत बिल / अनुचित टैरिफ / बिजली बिल का प्राप्त नहीं होना /अपर्याप्त समयावधि के बारे में शिकायत	• अगर शिकायत ग्राहक द्वारा टेलीफ़ोन अथवा व्यक्तिशः की गई है, तो तीन घंटे के अन्दर। • अगर शिकायत डाक द्वारा प्राप्त की जाती है तो सात दिनों के अन्दर।
गणितीय त्रुटि या बिल के भुगतान के लिए अनुमत्त अपर्याप्त समयावधि	• उसी दिन जिस पर शिकायत मिलती है। • जिस दिन शिकायत डाक द्वारा प्राप्त हो चुकी है।
बिजली बिल के संबंध में अन्य शिकायतें	• सात दिनों के अन्दर।
अन्य शिकायतें (जहां मीटर की जांच सम्मिलित है)	• 30 दिनों में सत्यापन के बाद के 60 दिनों में सुधार किया जाना है।
विद्युत बिल के संबंध में हाई टेंशन उपभोक्ता की शिकायत	• तीन दिन में।

3.1.2 *आवश्यक अभिलेखों/पंजिकाओं के रख-रखाव का अभाव*

आरजीडीपीएस नियमों के नियम 17 के अनुसार नामित अधिकारी को फॉर्म -3 में एक रजिस्टर संधारित किया जाना आवश्यक था जिसमें आवेदक का नाम तथा पता,सेवा जिसके लिए आवेदन प्राप्त हुआ है, निर्दिष्ट समय सीमा की अंतिम तिथि, स्वीकृत/अस्वीकृत आवेदन, तथा पारित किये गये आदेश की तिथि एवं विवरण शामिल होगा। नियम 17 के अनुसार प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा पुनरीक्षणाधिकारी द्वारा क्रमशः फॉर्म-4, फॉर्म-5 तथा फॉर्म-6 में मामलों के अभिलेख संधारित करना भी आवश्यक है। इसके साथ ही, नियम 4 में निर्दिष्ट है कि नामित अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति आवेदक को फॉर्म-1 में इसकी पावती देगा तथा पावती पर इस सेवा को प्रदान करने की निर्दिष्ट समय सीमा की अंतिम तिथि का उल्लेख करेगा।

हमने देखा कि छह उपखण्ड कार्यालयों तथा एचटी बिलिंग अनुभाग में से किसी भी नामित अधिकारियों/ प्राधिकारियों के द्वारा अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2016 के दौरान वांछित रिकार्ड संधारित नहीं किया गया। यद्यपि, कम्पनी द्वारा उपखण्ड कार्यालयों एवं एचटी बिलिंग अनुभाग को पावती रसीदें उपलब्ध कराई गई थी लेकिन नामित अधिकारियों/ उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा इस अवधि के दौरान किसी भी आवेदक को शिकायत की पावती नहीं दी गई।

उपखण्डों तथा एचटी बिलिंग अनुभाग के सहायक अभियंताओं /लेखा अधिकारी ने उत्तर दिया (मार्च 2017) कि अधिक कार्य भार के कारण अभिलेख संधारित नहीं किये गये थे।

इस प्रकार, उपखण्ड निर्धारित अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में अधिनियम तथा आरजीडीपीएस नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे।

सरकार ने बताया (जुलाई 2017) कि आवश्यक अभिलेख सामान्य रूप से फील्ड कार्यालयों द्वारा संधारित किये जाते हैं। फील्ड कार्यालयों को फॉर्म्स 3, 4, 5 एवं 6 में अभिलेखों को संधारित करने एवं पावती रसीद जारी करने के लिए एक बार फिर से आदेशित किया जा चुका है। साथ ही, एचटी बिलिंग अनुभाग को अवधि (2014-17) के दौरान केन्द्रीकृत कर दिया गया था एवं उपखण्डों में एचटी उपभोक्ताओं से प्राप्त परिवेदनाओं को उनके समाधान के लिए तुरंत

एचटी बिलिंग अनुभाग को अग्रेषित कर दी गई थी। उत्तर सही नहीं था क्योंकि निर्धारित अभिलेखों को चयनित किसी भी उपखण्ड तथा एचटी बिलिंग अनुभाग द्वारा संधारित नहीं किया गया था। इसके साथ ही, उपखण्डों तथा एचटी बिलिंग अनुभाग के सहायक अभियंताओं /लेखा अधिकारियों द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि निर्धारित अभिलेख संधारित नहीं किये गये थे।

3.1.3 *राज्य सरकार को गलत सूचना रिपोर्ट करना*

राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार तथा समन्वय विभाग (एआरसीडी) द्वारा प्राप्त शिकायतों, शिकायतों के निपटान तथा उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई अपीलों के संबंध में निर्धारित प्रारूप में पाक्षिक सूचना प्रस्तुत करने के लिए संबंधित विभागों को आदेश जारी किये गये (मार्च 2012)। एआरसीडी ने कम्पनी द्वारा राज्य के लोगों को समय पर अधिसूचित सेवाओं की सुपुर्दगी की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया (जुलाई 2015)।

कम्पनी ने अधीक्षण अभियंता (एसई), परियोजना, नियोजन एवं निगरानी (पीपीएण्डएम) को एक नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया (अक्टूबर 2012) जिसके द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं को सेवाओं की सुपुर्दगी की निगरानी करना, प्रत्येक जोन से प्राप्त सूचना को संकलित करना, तथा निर्धारित प्रारूप में राज्य सरकार को पाक्षिक रूप से सूचना प्रस्तुत करना आवश्यक था। जोनल कार्यालय को दी जाने वाली सूचना उपखण्डों, खण्ड कार्यालयों, एवं वृत्त कार्यालय के माध्यम से प्रवाहित की जानी थी।

हमने देखा कि चयनित उपखण्डों ने उपभोक्ता की शिकायतों एवं उनके निपटान के बारे में कोई भी जानकारी को संकलित नहीं किया तथा खण्ड कार्यालयों को नहीं भेजा। इसके साथ ही, खण्ड कार्यालयों द्वारा भी कोई सूचना संकलित नहीं की गई तथा वृत्तों को नहीं भेजी गई। यहां तक कि वृत्त कार्यालयों ने भी उपखण्डों एवं खण्डों से बिना किसी आगत के अपने स्तर पर ही सूचना को संकलित किया तथा संबंधित जोनल कार्यालय को इसके पाक्षिक आंकड़े भेज दिए जिन्हें आगे एसई (पीपीएण्डएम) को भेज दिया गया। एसई (पीपीएण्डएम) ने कम्पनी के लिए सम्पूर्ण रूप से सूचना को संकलित किया तथा इसे राज्य सरकार को भेज दिया।

यह इंगित करता है कि जोनल कार्यालय द्वारा भेजी गई सूचना उपखण्डों द्वारा प्राप्त की गई एवं निपटाई गई शिकायतों के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित नहीं थी। इसने एसई (पीपीएण्डएम) द्वारा राज्य सरकार को गलत सूचना प्रस्तुत करने को भी बढ़ावा दिया।

जोनल कार्यालयों द्वारा एसई (पीपीएण्डएम) को भेजी गई पाक्षिक सूचना एवं एसई (पीपीएण्डएम) द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रतिवेदनों की हमारी संवीक्षा से खुलासा हुआ कि:

- प्राप्त की गई एवं दूर की गई शिकायत की प्रकृति तथा उसके प्रकार को इंगित किये बिना सभी पांच प्रकार की शिकायतों का एक समेकित आंकड़ा बाड़मेर तथा बीकानेर जोनों के अधीन चयनित वृत्त कार्यालयों द्वारा भेजा गया। सभी तीनों जोनल कार्यालयों द्वारा भी एसई (पीपीएण्डएम) को सभी पांच प्रकार की शिकायतों के समेकित आंकड़े प्रस्तुत किये गये
- एसई (पीपीएण्डएम) द्वारा भी प्राप्त की गई एवं दूर की गई सभी पांच प्रकार की शिकायतों का एक समेकित आंकड़े राज्य सरकार को सूचित किया गया। इसके साथ ही, यह भी बताया

गया कि सभी शिकायतों का निवारण इस अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अन्दर किया गया तथा यहां तक कि अधिनियम के लागू होने के बाद देरी का एक भी मामला नहीं था।

इस प्रकार, खण्ड स्तर से एसई (पीपीएण्डएम) तक सभी प्राधिकारी, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं को सेवाओं की सुपुर्दगी की निगरानी करने में विफल रहे। कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को गलत सूचना प्रदान की गई। इसके साथ ही, सूचित की गई जानकारी निर्धारित प्रारूपों में नहीं थी। राज्य सरकार भी अधिनियमानुसार कम्पनी द्वारा सेवाओं की सुपुर्दगी की निगरानी करने में विफल रही क्योंकि निर्धारित प्रारूपों में जानकारी को प्रस्तुत नहीं करने के लिए एआरसीडी द्वारा कोई निर्देश/सुझाव जारी नहीं किये गये।

सरकार ने बताया कि केन्द्रीकृत ग्राहक सेवा केंद्र एवं 33 केवी जीएसएस पर शिकायतों को दर्ज कराने का एक तंत्र विद्यमान है एवं इसलिए यह सही नहीं था कि अभिलेख संधारित नहीं किये गये थे। एसई (पीपीएण्डएम) ग्राहक सेवा केन्द्र के साथ साथ वृत्त कार्यालयों से सूचना एकत्र करता है। सभी पांच प्रकार की शिकायतों की सूचना समेकित करने के लिए निर्देश जारी किये जा चुके हैं। आरजीडीपीएस अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार सूचना का संकलन करने के लिए फील्ड कार्यालयों तथा ग्राहक सेवा केंद्र को भी निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपखण्ड एवं खण्ड कार्यालयों द्वारा सूचना को संकलित नहीं किया गया तथा वृत्त कार्यालयों को भी कोई सूचना नहीं भेजी गई। सहायक अभियंताओं द्वारा भी स्वीकार किया गया कि अधिक कार्य भार के कारण अभिलेख संधारित नहीं किये गये थे। यह भी देखा गया कि अधिनियम के लागू होने के बाद एसई (पीपीएण्डएम) द्वारा यहां तक कि देरी का एक भी मामला प्रतिवेदित नहीं किया गया लेकिन कम्पनी ने आगामी अनुच्छेद में अपने उत्तर में शिकायतों के निवारण में देरी के तथ्य को स्वीकार किया।

3.1.4 *शिकायतों के निवारण में विलंब*

फॉर्म 3 में रजिस्टर, पावती रसीदों तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेख/ डाटा के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा बिजली बिलों के सुधार से संबंधित शिकायतों के निपटान में देरी की सीमा का विस्तृत परीक्षण नहीं किया जा सका। इसलिए, हमने उपखण्डों पर संधारित की गई शिकायत/ आवेदन पत्रावली की संवीक्षा की जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यक्तिगत शिकायतें/ आवेदन शामिल थे। तथापि, आवेदन पत्रों का पृष्ठ क्रमांक अथवा सूचीयन अथवा आवेदन पत्रों पर पंजीकरण नम्बर का आबंटन अथवा पत्रावली में आवेदन पत्रों से सहसंबंधित शिकायत रजिस्टर के संधारण के अभाव के कारण पत्रावली में सभी आवेदन पत्र /शिकायतों की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

चयनित छः उपखण्डों पर संधारित की गई पत्रावलियों में पाई गई बिलों से संबंधित 10,367 आवेदनपत्रों /शिकायतों में से 6,680 (64 प्रतिशत) मामलों में आवेदनों के प्राप्त होने की तारीख अथवा उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख तथा कम्पनी द्वारा शिकायत निपटान की तिथि उपलब्ध नहीं थी। शेष 3,687 शिकायतों में से 'उपभोक्ता प्रभार तथा अनुमोदन रजिस्टर' (सीसीएण्डएआर) में दर्शायी गई 141 शिकायतों के निपटान की तिथि आवेदन की प्राप्ति की तिथि से पहले की दर्शायी हुई थी। इसलिए, उचित डाटा के अभाव के कारण 10,367 शिकायतों में से 6,821 (66 प्रतिशत) के सुधार में शामिल समयावधि सत्यापित योग्य नहीं थी।

शेष 3,546 शिकायतों में जहां आवेदन की प्राप्ति की तिथि तथा शिकायत निपटान की तिथि का उल्लेख किया गया था, हमने पाया कि 3,184 (90 प्रतिशत) शिकायतों के निपटान करने में देरी थी। इन शिकायतों के सुधार के लिए अधिनियम में अनुमत्त एक दिन की निर्दिष्ट समयावधि के विरुद्ध एक दिन से 233 दिनों की सीमा तक देरी की गई थी। 420 मामलों (13 प्रतिशत) में देरी 30 दिनों से अधिक की थी।

कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को 16.65 लाख शिकायतों के निपटान में विलंब का एक भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया (अधिनियम के लागू होने के बाद से 31 अक्टूबर 2016 तक सम्पूर्ण कम्पनी के लिए)। तथापि, चयनित एसडीओज में, 90 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण एक दिन से 233 दिनों के बीच की देरी के साथ किया गया था।

इस प्रकार, कम्पनी निर्धारित समयावधि के अन्दर उपभोक्ताओं के बिल संबंधित शिकायतों को हल करने में विफल रही। एसई (पीपीएण्डएम) ने अधिनियम में निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर सभी शिकायतों के समाधान करने के बारे में राज्य सरकार को सूचित किया था। शिकायतों को हल करने में समय सीमा का पालन करने में कम्पनी की विफलता तथा राज्य सरकार द्वारा निगरानी के अभाव में अधिनियम के लागू किये जाने के उद्देश्य को विफल किया जबकि निर्धारित समयावधि में सेवाओं की सुपुर्दगी प्राप्त करना लोकाधिकार था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि बिलिंग संबंधी शिकायतों के निवारण में देरी फील्ड कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण थी। कर्मचारियों की कमी से निपटने के लिए फील्ड कार्यालयों में कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया जा रहा था। साथ ही, अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अन्दर शिकायतों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए सभी फील्ड अधिकारियों को सलाह दी जा रही है तथा, यदि, शिकायतों के समाधान करने में देरी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई तब दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3.1.5 *एचटी बिलिंग में विसंगतियाँ*

दो चयनित वृत्तों में एचटी उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत पत्रावलियों की जांच में खुलासा हुआ कि कम्पनी को अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2016 की अवधि के दौरान बिलों से संबंधित 43 शिकायतें प्राप्त हुई। हमने देखा कि 43 में से 41 शिकायतों (95 प्रतिशत) को तीन दिनों की निर्धारित अवधि के विपरीत चार दिन एवं 135 दिनों के बीच की देरी के साथ हल किया गया।

सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं परिवेदनाओं के निवारण में देरी का कारण कर्मचारियों की भारी कमी को बताया। आगे यह भी बताया कि प्रत्येक मामले में संबंधित उच्चाधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक थी एवं इसलिए परिवेदनाओं के निवारण में देरी हुई।

3.1.6 *शिकायतों को स्वीकार नहीं करना*

उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों/ आवेदन पत्रों की संवीक्षा के आधार पर हमने देखा कि उपखण्डों तथा खण्ड कार्यालयों ने शिकायतों को हल करने के लिए उपभोक्ताओं के आवेदन पत्रों को तुरंत स्वीकार नहीं किया। आवेदकों को लाइनमैन से मीटर पठन की एक तथ्यात्मक रिपोर्ट लाकर देने एवं इसे संबंधित कनिष्ठ अभियंता से सत्यापित करवाकर देने के लिए कहा गया।

गणितीय त्रुटि/गलत बिलिंग से संबंधित शिकायतों को अधिनियमानुसार उसी दिन हल किया जाना आवश्यक था। तथापि, उपखण्डों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया ने उपभोक्ताओं को सेवा की सुपुर्दगी में देरी की क्योंकि लाईनमैन तथा कनिष्ठ अभियंताओं की फील्ड डयूटी के कारण तथ्यात्मक मीटर पठन को सत्यापित कराने में लगभग दो से छह दिनों का समय लगा।

चयनित उपखण्डों के सहायक अभियंताओं ने उत्तर दिया (मार्च 2017) कि उपभोक्ताओं के समय को बचाने के लिए सत्यापित तथ्यात्मक मीटर रीडिंग रिपोर्ट लाने को कहा गया था। तथापि, भविष्य में उपभोक्ताओं के आवेदन पत्रों को सीधे स्वीकार कर लिया जाएगा तथा क्रियाविधिनुसार कार्यवाही की जाएगी।

सरकार ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को सीधे स्वीकार कर लिया गया था तथा निवारण के लिए संबंधित लाइनमैन एवं कनिष्ठ अभियंताओं को भेजा गया। आगे यह बताया कि अब फीडर प्रभारी को सभी प्रकार की शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदारी दी जा चुकी है। शिकायतों को स्वीकार करने के संबंध में सरकार का उत्तर उपभोक्ताओं की शिकायतों/ आवेदन पत्रों की दृष्टि से सही नहीं था जो कि उपखण्डों के संबंधित सहायक अभियंताओं द्वारा स्वीकार किया गया था।

3.1.7 *पदनामित अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण का अभाव*

आरजीडीपीएस नियम 2011 का नियम 20 (4) राज्य सरकार को वित्तीय तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक इस अधिनियम के अन्तर्गत नामित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा पुनरीक्षणाधिकारी को उनके अपने कर्तव्यों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश देता है।

हमने देखा कि कम्पनी अथवा राज्य सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत नामित अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों/ प्राधिकारियों को अपने कर्तव्यों के बारे में अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया।

सरकार ने उत्तर दिया कि नए राजस्थान संपर्क पोर्टल के अंतर्गत शिकायतों के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा उचित प्रशिक्षण दिया गया था तथा आरजीडीपीएस अधिनियम के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से सहमतिकारक नहीं था कि उपखण्डों द्वारा आरजीडीपीएस अधिनियम के अधीन आवश्यक अभिलेखों को संधारित नहीं किया गया था तथा इसके साथ ही बिल से संबंधित शिकायतें सीधे तौर पर उपभोक्ताओं से प्राप्त नहीं हुई थी।

3.1.8 *उपभोक्ताओं के बीच जागरुकता का अभाव*

आरजीडीपीएस नियमों के नियम 7 के अनुसार नामित अधिकारी द्वारा जनसाधारण की सुविधा के लिए फॉर्म-2 में सूचना पट्ट पर सेवाओं से संबंधित सभी प्रासांगिक सूचना प्रदर्शित किया जाना आवश्यक था। सूचना पट्ट को कार्यालय के एक विशिष्ट स्थान पर स्थापित करने की आवश्यकता थी तथा अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। फॉर्म-2 में अधिसूचित सेवाओं का विवरण, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों, सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित समय सीमाओं, प्रथम अपील अधिकारी का

पदनाम एवं पता, पहली अपील के निपटारे के लिए निर्धारित समय सीमा, तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम एवं पते को सम्मिलित किया गया था।

आरजीडीपीएस नियमों के नियम 20(1) के अनुसार राज्य सरकार को निम्न बातें आवश्यक थीः

- जनता, विशेष रूप से वंचित समुदायों की समझ को आगे बढ़ाने, अधिनियम के तहत परिकल्पित अधिकारों का प्रयोग कैसे करें इसके लिए अभियानों एवं कार्यक्रमों को विकसित तथा व्यवस्थित करना
- कार्यक्रमों के विकास एवं संगठन में भाग लेने के लिए लोक प्राधिकारियों को प्रोत्साहित करना तथा स्वयं ऐसे कार्यक्रम करना
- अधिसूचित सेवाओं तथा आवेदन पत्रों की समय-सीमाओं एवं प्रक्रियाओं के बारे में लोक प्राधिकारियों द्वारा सटीक जानकारी को समय पर एवं प्रभावशाली प्रचार द्वारा बढ़ावा दिया जाना।

हमने देखा कि कम्पनी ने निर्दिष्ट समय के अन्दर अधिसूचित सेवाओं की सुपुर्दगी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं के बीच उनके अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। कम्पनी द्वारा उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया तथा ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों का प्रचार किया। हमने पाया कि प्रधान कार्यालय, चोहटन, चुरु तथा तारानगर उपखण्डों द्वारा तो सूचना प्रदर्शित करने के लिए सूचना पट्ट भी स्थापित नहीं किये गये थे जैसा कि अधिनियम के अधीन निर्धारित था।

3.1.9 *बिलिंग सिस्टम में विसंगतियां*

हमने देखा कि बिलिंग प्रणाली उपभोक्ताओं को प्रथम बिल जारी नहीं करना, मीटर रीडर द्वारा गलत मीटर पठन के कारण गलत बिलिंग, बिजली बिल का वितरण नहीं किया जाना, बिजली बिलों के भुगतान के लिए अनुमत्त अपर्याप्त समयावधि तथा अनुचित प्रभार लगाने जैसी विसंगतियों से भरी हुई थी जैसा कि नीचे बताया गया है।

- अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2016 की अवधि के दौरान पांच[5] चयनित उपखण्डों में नये जारी किये गये 32,481 एलटी कनेक्शनों में से 11,613 (35.75 प्रतिशत) मामलों में प्रथम बिल जारी करने में देरी हुई। देरी की समय सीमा 90 दिनों की निर्धारित अवधि के विपरीत एक से 50 महीनों के मध्य थी। देरी के कुल 11,613 मामलों में से उपभोक्ताओं से केवल 26 शिकायतों में देरी चार माह एवं 28 माह के मध्य पाई गई। कुछ उपभोक्ताओं ने बार-बार बिल जारी करने का अनुरोध किया लेकिन उपखण्डों ने प्रथम बिल को समय पर जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। चुरु उपखण्ड द्वारा ए-49[6] रजिस्टर संधारित नहीं किया गया तथा इस प्रकार, प्रथम बिल जारी करने में देरी सत्यापन योग्य नहीं थी।

5 मण्डोर, बालेसर, सिवाना, चोहटन एवं तारानगर।

6 ए-49 रजिस्टर सर्विस संख्या एवं उपभोक्ताओं को जारी किये गये नये विद्युत कनेक्शन को दर्शाता है। यह रजिस्टर कनेक्शन की तिथि एवं उपभोक्ता को जारी किये गये प्रथम बिल की तिथि भी दर्शाता है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कनेक्शन करने के बाद एक साथ लोट में पत्रावलियों को प्रस्तुत करने के कारण कुछ स्थानों, विशेष रूप से बीपीएल कनेक्शन जो ठेकेदारों द्वारा किये जाते हैं, में देरी हुई थी। देरी को सही करने के लिए प्रयास शुरु किये जा चुके हैं।

- हमारे द्वारा की गई 10,367 आवेदन पत्रों की संवीक्षा में से 7,746 (74.72 प्रतिशत) शिकायतें मीटर रीडर द्वारा ग़लत मीटर पठन लिये जाने से संबंधित थी। 550 मामलों में उपभोक्ता के परिसरों में जाये बिना ही मीटर रीडरों द्वारा मीटर पठन दर्ज किया गया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कम्पनी गलत मीटर पठन को रिपोर्ट करने पर बहुत सख्त है तथा दोषी मीटर रीडर के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी।

- चयनित उपखण्डों में हमने पाया कि बिजली बिलों को प्राप्त नहीं करने के संबंध में उपभोक्ताओं की 188 शिकायतें थी। हमने देखा कि ठेकेदारों ने अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2016 के दौरान 52,201 बिलों की सुपुर्दगी नहीं किये जाने के बारे में सूचित किया। तथापि, उपखण्डों ने ठेकेदारों द्वारा बिलों की सुपुर्दगी नहीं दिये जाने के कारणों का पता नहीं लगाया। इन उपभोक्ताओं द्वारा बकाया देयों का भुगतान करने के लिए उपखण्डों से बिल जारी करवाना पड़ा।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कार्यादेशों में पावती रसीद लेने का प्रावधान किया जा चुका है। साथ ही, देय तिथि, बिल की राशि इत्यादि के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए बिल जनरेट होने का एसएमएस पंजीकृत मोबाइल नम्बरों पर भेजा जा रहा है।

- विद्युत आपूर्ति के नियम तथा शर्तें, 2004 का वाक्यांश 36 (1) बिल के भुगतान के लिए इसको जारी करने की तिथि से 15 दिनों की समयावधि (पीएचईडी के मामले में 19 दिन) की अनुमति प्रदान करता है। अभिलेखों की जांच से पता चला कि कई मामलों में बिल के मुद्रण की तारीख से पहले बिल जारी करने की तारीख का उल्लेख था। इस प्रकार, इन मामलों में उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए निर्धारित समयावधि नहीं मिली।

सरकार ने बताया कि जब बिलों के वितरण में देरी हुई हो तब उपखण्डों द्वारा सामान्यतः उचित कारण उपलब्ध कराने पर उपभोक्ताओं के निवेदन पर देय तिथि को बढ़ा दिया जाता है।

- कम्पनी ने अगस्त 2013 में सूर-सागर उपखण्ड से मण्डोर उपखण्ड जो कि ग्रामीण उपखण्ड है, में 30 उपभोक्ताओं का स्थानांतरण किया। तथापि, मण्डोर उपखण्ड द्वारा इन उपभोक्ताओं से शहरी उपकर वसूलना बंद नहीं किया गया। सात उपभोक्ताओं के अनुरोध पर शहरी उपकर को सितंबर 2015 में हटा दिया गया। शेष मामलों में उपभोक्ताओं से शहरी कर की वसूली अभी भी की जा रही थी (मार्च 2017)।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सुधारात्मक कदम उठाये जा चुके थे तथा शेष उपभोक्ताओं पर शहरी उपकर नहीं लगाया गया था।

उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता है कि उपभोक्ताओं को इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं थी तथा इसलिए, बिल प्रणाली में भारी कमियों के उपरांत भी अधिनियम के तहत शिकायतें दर्ज नहीं कराई गई। इसके साथ ही, शिकायत दर्ज कराने वाले उपभोक्ताओं को अपीलीय प्राधिकारियों के बारे में भी जानकारी नहीं थी क्योंकि किसी भी उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायतों के निवारण के लिए कभी भी अपील दर्ज नहीं की।

सरकार ने बताया कि सेवाओं से संबंधित सभी सम्बद्ध सूचना को अब सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जा चुका है। साथ ही, ऊर्जा विभाग द्वारा दूरदर्शन, अखबार पर विज्ञापन तथा समय समय पर चौपाल एवं कैम्प आयोजन के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा की जा रही थी।

निष्कर्ष एवं अनुशंषाएं

कम्पनी, इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही तथा यह अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अन्दर उपभोक्ताओं के बिल संबंधित शिकायतों का समाधान भी नहीं कर सकी। राज्य सरकार भी अधिनियमानुसार कम्पनी द्वारा सेवाओं की सुपुर्दगी करने की निगरानी करने में विफल रही क्योंकि कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रारूपों में सूचना को प्रस्तुत नहीं करने पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं किए गए थे।

कम्पनी को अधिनियम में निर्धारित एवं निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर लोगों को सेवाओं की सुपुर्दगी को सुनिश्चित करने तथा बारीकी से इसकी निगरानी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उपखण्डों, खण्डों एवं वृत्त कार्यालयों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की पालना की जा सके। कम्पनी द्वारा भी अधिनियम के तहत अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसके साथ ही, निर्धारित समय के भीतर सेवाओं की सुपुर्दगी प्राप्त करने के उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में उनके बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कम्पनी को महत्वपूर्ण स्थानों पर नोटिस बोर्ड स्थापित करने एवं अभियानों को आयोजित करना चाहिए।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

3.2 *ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण में अत्यधिक देरी के कारण नुकसान*

अजमेर में 400 केवी जीएसएस के निर्माण में अत्यधिक देरी के कारण कम्पनी को मार्च 2017 तक ₹ 38.12 करोड़ का नुकसान हुआ।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा 400 केवी ग्रिड सब-स्टेशन योजना (जीएसएस) डीड़वाना के अन्तर्गत ट्रांसमिशन प्रणाली के निर्माण के लिए मारु ट्रांसमिशन सर्विस कम्पनी लिमिटेड (ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता-टीएसपी) नाम का एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) स्थापित किया गया (जून 2009)। इस ट्रांसमिशन प्रणाली में 400 केवी एकल सर्किट बीकानेर-डीडवाना लाइन, 400 केवी एकल सर्किट अजमेर-डीडवाना लाइन, तथा अन्य[7] संबंधित कार्य शामिल थे। कम्पनी द्वारा एसपीवी की खरीद के लिए सफल बोलीदाता को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया (30 सितंबर 2010)। ट्रांसमिशन सेवाओं की खरीद के लिए एक ट्रांसमिशन सेवा समझौता (टीएसए) भी टीएसपी एवं राज्य की तीनों[8] बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के मध्य निष्पादित किया गया (फरवरी 2011)।

टीएसए में बताया गया था कि अंतर-संयोजन सुविधाओं के साथ संयोजन के 72 घंटे पश्चात 'व्यावसायिक उत्पादन तिथि' (सीओओडी) घोषित किये जाने अथवा टीएसपी द्वारा चार्जिंग के लिए तैयार होने की घोषित तिथि के सात दिन बाद लेकिन यह ट्रांसमिशन प्रणाली कुछ कारणों से चार्ज के योग्य नहीं थी जिसके लिए टीएसपी जिम्मेदार नहीं था, को परियोजना का एक घटक माना जायेगा। टीएसपी द्वारा यह भी बताया गया कि एक बार परियोजना के किसी घटक द्वारा सीओडी प्राप्त करने को घोषित किया हुआ मान लिया जा चुका है तब परियोजना के ऐसे घटक के वास्तविक चार्जिंग तक ऐसे घटक को लक्ष्य उपलब्धि के समान उपलब्ध हुआ मान लिया जाएगा तथा इस सीमा तक ऐसे घटक के लिए लागू होने वाले मासिक ट्रांसमिशन प्रभार भुगतान के लिए देय होंगे।

टीएसपी द्वारा 16 दिसंबर 2013 को परियोजना द्वारा सीओडी के लक्ष्य को प्राप्त करने का दावा किया गया तथा टीएसए के नियमों एवं शर्तों के अनुसार डिस्कॉम्स से ट्रांसमिशन प्रभारों का दावा किया गया। डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा परियोजना के स्थापित होने की पुष्टि करने के लिए एक समिति का गठन किया गया (दिसंबर 2013)। समिति ने सूचित किया (जनवरी 2014) कि परियोजना को पूरी तरह से स्थापित नहीं किया गया था क्योंकि परियोजना के एक अंश (400 केवी अजमेर-डीडवाना लाइन) को स्थापित/ चार्ज नहीं किया गया था। टीएसपी द्वारा स्पष्ट किया गया (जनवरी 2014) कि 400 केवी अजमेर-डीडवाना लाइन को चालू करना संभव नहीं था क्योंकि लाइन की समाप्ति का छोर अर्थात अजमेर जीएसएस को कम्पनी

7 अन्य संबद्ध कार्यों में (i) 400/220 केवी, डीडवाना में 2 गुणा 315 एमवीए ग्रिड सब-स्टेशन के साथ 1 गुणा 100 एमवीए 220/132 केवी ट्रांसफार्मर एवं 1 गुणा 50 एमवीएआर, 400 केवी बस टाइप शंट रिएक्टर की स्थापना तथा (ii) 220 केवी सुजानगढ़-डीडवाना डबल सर्किट लाइन को सम्मिलित किया गया था।

8 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

द्वारा स्थापित नहीं किया गया था एवं लाइन को स्थापित करने में देरी के लिए टीएसपी जिम्मेदार नहीं था।

कम्पनी, डिस्कॉम्स तथा टीएसपी के मध्य आयोजित एक बैठक में (फरवरी 2014), कुल सम्पतियों से स्थापित की गई एवं प्रयुक्त की जा रही सम्पत्तियों के आधार पर 16 दिसंबर 2013 से टीएसपी को आनुपातिक मासिक ट्रांसमिशन प्रभारों (लगभग 70 प्रतिशत) को भुगतान करने का निश्चय किया। आनुपातिक आधार पर प्रभारों को जून 2014 या उससे पहले तक चुकाये जाने थे जब कम्पनी द्वारा 400 केवी जीएसएस अजमेर स्थापित किया गया था। यह भी निर्णय लिया गया कि अगर कम्पनी जून 2014 तक 400 केवी अजमेर जीएसएस को स्थापित करने में असफल होती है तो इस मुद्दे की समीक्षा की जाएगी तथा देय अवधि में समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

हमने देखा कि 24 महीने के अन्दर स्थापित करने की निर्धारित तिथि के साथ अजमेर में 400 केवी जीएसएस के निर्माण का कार्य कम्पनी द्वारा ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, मुंबई (ठेकेदार) को प्रदान किया गया (फरवरी 2011)। तथापि, कम्पनी द्वारा ठेकेदार को जमीन सौंपने में देरी, प्रस्तावित जीएसएस के उपर से गुजरने वाली 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन को नहीं हटाना, ठेकेदार द्वारा काम की धीमी प्रगति इत्यादि विभिन्न मुद्दों के कारण जीएसएस स्थापित नहीं किया जा सका (जनवरी 2017)।

कम्पनी ने काम की धीमी प्रगति के लिए समय-समय पर ठेकेदार को कई नोटिस जारी किए तथा बिलों से शास्ति की कटौती भी की गई। निर्धारित समयावधि के अंदर अजमेर जीएसएस को स्थापित नहीं किये जाने के कारण 400 केवी अजमेर-डीडवाना लाइन के पूर्ण उपयोग के बिना मारू ट्रांसमिशन को मासिक ट्रांसमिशन प्रभारों के भुगतान के लिए डिस्कॉम्स पर दायित्व उत्पन्न हुआ।

चूंकि कम्पनी जून 2014 तक 400 केवी अजमेर जीएसएस को स्थापित नहीं कर सकी, टीएसपी ने इस मामले पर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) के पास एक अपील दर्ज कराई (जुलाई 2014) एवं कहा कि डिस्कॉम्स द्वारा टीएसए के प्रावधानों के विपरीत मनमाने ढंग से देय प्रभारों के 70 प्रतिशत का भुगतान किया जा रहा था। आरईआरसी ने अपने निर्णय में (जनवरी 2015) डिस्कॉम्स को 16 दिसंबर 2013 से टीएसए की शर्तों के अनुसार टीएसपी को ट्रांसमिशन प्रभार चुकाने के लिए आदेशित किया क्योंकि यह 400 केवी अजमेर-डीडवाना लाइन की मानी गई सीओडी को प्राप्त कर चुकी थी। आरईआरसी ने अपने निर्णय में यह भी बताया कि कम्पनी ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि अजमेर में 400 केवी जीएसएस का निर्माण नहीं करना उसके नियंत्रण से बाहर था।

आरईआरसी के दिशानिर्देशानुसार, डिस्कॉम्स द्वारा टीएसपी को मासिक ट्रांसमिशन प्रभारों (16 दिसंबर 2013 से बकाया सहित) का पूरा भुगतान शुरू किया गया (अगस्त 2015)। तथापि, डिस्कॉम्स द्वारा 400 केवी अजमेर-डीडवाना लाइन के अप्रयुक्त भाग के कारण ट्रांसमिशन प्रभारों के लिए कम्पनी द्वारा जारी किये गये बिलों से टीएसपी को देय राशि का 30 प्रतिशत वसूल किया गया। मार्च 2017 तक, डिस्कॉम्स द्वारा ट्रांसमिशन प्रभारों के लिए कम्पनी द्वारा जारी किये गये बिलों से ₹ 38.12 करोड़ वसूल किया जा चुका था।

इस प्रकार, अजमेर में 400 केवी जीएसएस के निर्माण में असामान्य देरी के कारण कम्पनी द्वारा ₹ 38.12 करोड़ की हानि वहन की गई। अजमेर में जीएसएसएस की स्थापना तक कम्पनी इस हानि को वहन करना जारी रखेगी।

सरकार ने उत्तर में बताया (जून 2017) कि अजमेर में जीएसएस के पूर्ण नहीं होने से 400 केवी जीएसएस डीडवाना को चालू करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि अजमेर जीएसएस केवल वैकल्पिक आपूर्ति प्रदान करने के लिए था। आगे यह भी बताया गया कि कटौती को रोकने तथा कटौती की गई राशि की वसूली के लिए कम्पनी डिस्कॉम्स के साथ लगातार प्रयास कर रही थी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि ट्रांसमिशन प्रभार, ट्रांसमिशन लाइन को उपयोग में लेने के स्थान पर सीओडी को प्राप्त करने पर टीएसपी को देय थे।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.3 *शास्ति की वसूली नहीं करना*

कम्पनी ने एक विशेष ठेकेदार को सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन से बिना किसी समझौते के निष्पादन एवं सुरक्षा राशि जमा कराये ड्राई फ्लाई ऐश को उठाने की अनुमति प्रदान की। साथ ही, कम्पनी द्वारा, फ्लाई ऐश की आवंटित मात्रा को उठाने में तथा शास्ति की राशि जमा करने में असफल रहने के उपरान्त भी निविदा तथा स्वीकृति-पत्र के नियम एवं शर्तो के अनुसार सभी चार ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एसएसटीपीएस) की इकाईयों से उत्पादित लगभग 12 लाख मीट्रिक टन (एमटी) ड्राई फ्लाई ऐश की बिक्री के लिए निविदाएं (टीएन-2252 तथा 2281) आमन्त्रित की गई (अगस्त तथा नवंबर 2014)। अनुबंध के सामान्य नियम एवं शर्तों (भाग बी) में प्रावधान था कि अगर खरीदार द्वारा सामग्री उठाने, उठाई गए मात्रा के लिए फ्लाई ऐश के भुगतान तथा क्षतिपूर्ति के भुगतान में, यदि कोई हो, कोई चूक हुई हो तो अनुबंध समाप्ति के लिए दायी होगा। अनुबंध के समापन के परिणामस्वरूप कोई दावा अथवा क्षतिपूर्ति देय नहीं थी। सफल निविदादाता द्वारा फ्लाई ऐश की वार्षिक आवंटित मात्रा के एक महीने की मात्रा के मूल्य के बराबर सुरक्षा राशि जमा कराना आवश्यक थी। यदि निविदादाता अनुबंध के अन्तर्गत किसी भी शर्तों का पालन करने में विफल रहा तो कम्पनी को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से सुरक्षा जमा राशि को जब्त करने का अधिकार था। अनुबंध के लिए कार्यक्षेत्र एवं विशेष नियमों तथा शर्तों (भाग सी) में प्रावधान था कि खरीदार आवंटित मात्रा के मासिक औसत आधार पर फ्लाई ऐश को उठाने में विफल रहा एवं इस तरह की कमी को वेट सिस्टम[9] के माध्यम से निस्तारित किया गया, तो खरीदार इस कमी के लिए बिक्री मूल्य के साथ ₹ 150 प्रति एमटी पर गणना की गई शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा। ड्राई फ्लाई ऐश की मासिक उत्पादित मात्रा, वार्षिक उत्पादन बंद होने अथवा उत्पादन इकाई में अन्य समस्या के कारण कम होने पर तथा फ्लाई ऐश को डंप करने के लिए कोई वेट सिस्टम नहीं प्रयुक्त करने की दशा में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाना था।

9 वेट निपटान में राख को पानी के साथ मिश्रित किया जाता है तथा राख की स्लरी को निपटान क्षेत्र में ले जाया जाता है।

कम्पनी ने निविदा के नियमों एवं शर्तों के अनुसार निविदाओं को अंतिम रूप दिया तथा ड्राई फ्लाई ऐश की बिक्री के लिए निम्नलिखित चार फर्मों को स्वीकृति-पत्र (एलओए) प्रदान किये।

फर्म का नाम	स्वीकृति-पत्र की तिथि	वार्षिक आवंटित मात्रा (एमटी में)	दर प्रति एमटी (₹ में)
सिद्धि विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड (टीएन 2252)	11 नवंबर 2014	1,26,000	252
अंबुजा सीमेंट लिमिटेड (टीएन 2281)	3 जनवरी 2015	2,20,000	160
जे.के. सीमेंट वर्क्स (टीएन 2281)	3 जनवरी 2015	1,04,000	160
श्री सीमेंट लिमिटेड (टीएन 2281)	3 जनवरी 2015	7,50,000	160

स्वीकृति-पत्रों के वाक्यांश-11 में प्रावधान था कि ठेकेदारों द्वारा अनुबंध में देय शर्तों के लिए एक समझौता निष्पादित किया जाना था।

हमने देखा (नवम्बर/दिसम्बर 2016) कि श्री सीमेंट लिमिटेड ने कम्पनी के साथ समझौते को निष्पादित नहीं किया जैसा एलओए के वाक्यांश-11 के अन्तर्गत आवश्यक था। इसके साथ ही, इसने, एलओए एवं निविदाओं की शर्तों एवं नियमों के अनुसार ₹ एक करोड़[10] की सुरक्षा जमा राशि भी जमा नहीं कराई। तथापि, कम्पनी ने श्री सीमेंट लिमिटेड को एसएसटीपीएस से बिना समझौते को निष्पादित किये तथा सुरक्षा जमा राशि के फ्लाई ऐश उठाने की अनुमति दी गई।

साथ ही, ठेकेदारों द्वारा उठाए गई फ्लाई ऐश की मात्रा से संबंधित अभिलेखों की जांच में खुलासा हुआ कि सभी चारों ठेकेदार जनवरी 2015 से नवंबर 2016 के दौरान विभिन्न महीनों में आवंटित मात्रा को मासिक आधार पर उठाने में विफल रहे। फ्लाई ऐश उठाने में सर्वाधिक कमी श्री सीमेंट लिमिटेड से संबंधित थी। कुल 23 महीनों (जनवरी 2015 से नवंबर 2016) में से 21 महीनों में श्री सीमेंट लिमिटेड द्वारा फ्लाई ऐश की सम्पूर्ण आवंटित मात्रा नहीं उठाई गई।

हमने देखा कि ठेकेदारों द्वारा आवंटित मात्रा को नहीं उठाने के कारण कम्पनी द्वारा अगस्त 2015 से अक्टूबर 2016 के दौरान वेट सिस्टम के माध्यम से 1.77 लाख एमटी फ्लाई ऐश का निपटान किया गया। कम्पनी ने मासिक आधार पर आवंटित मात्रा को उठाने में हुई कमी के लिए शास्ति की गणना की तथा इसे जमा कराने के लिए ठेकेदारों को भी सूचित किया। तथापि, किसी भी ठेकेदार ने किसी भी महीने के लिए जुर्माना राशि जमा नहीं कराई जिसमें वे आवंटित मात्रा को उठाने में विफल रहे थे।

अक्टूबर 2016 तक ₹ 5.63 करोड़ की शास्ति होने के उपरांत भी कम्पनी द्वारा निविदा तथा एलओए के नियम एवं शर्तों के अनुसार ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई। अक्टूबर

10 वार्षिक आबंटित मात्रा /12 गुणा दर प्रति मीट्रिक टन अर्थात 7,50,000/12 गुणा 160।

2016 तक शास्ति की राशि एवं उपलब्ध सुरक्षा जमा राशि की स्थिति निम्नानुसार थीः

(₹ करोड़ में)

फर्म का नाम	उपलब्ध सुरक्षा जमा राशि	वसूल की जाने वाली शास्ति	उपलब्ध सुरक्षा जमा के विरुद्ध कमी
सिद्धि विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड	0.38	0.47	0.09
अंबुजा सीमेंट लिमिटेड	0.40	0.10	-
जे. के. सीमेंट वर्क्स	0.32	0.26	-
श्री सीमेंट लिमिटेड	0.39	4.80	4.41
कुल	**1.49**	**5.63**	**4.50**

कम्पनी ने अपने वित्तीय हितों को खतरे में डालते हुए उपलब्ध सुरक्षा जमा राशि के आधिक्य में शास्ति की राशि को बढ़ते जाने के लिए अनुमत्त किया। श्री सीमेंट लिमिटेड के साथ समझौते तथा सुरक्षा जमा राशि के अभाव में शास्ति की वसूली की संभावनाएं बहुत कम हैं।

सरकार ने बताया (मई 2017) कि कम्पनी ने समझौते के बिना श्री सीमेंट लिमिटेड को फ्लाई ऐश को उठाने की अनुमति दी क्योंकि कम्पनी का मुख्य उद्देश्य फ्लाई ऐश को एक उत्पादकीय तरीके से उपयोग में लाने को सुनिश्चित करना था तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए था जिसने उत्पादित की गई फ्लाई ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग का लक्ष्य रखा था। तथ्य यही रहा कि श्री सीमेंट लिमिटेड द्वारा बिना किसी समझौते तथा सुरक्षा जमा राशि जमा कराये फ्लाई ऐश को उठाया गया। साथ ही, दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी समझौता निष्पादित नहीं किया गया। समझौते तथा सुरक्षा जमा राशि के अभाव में कम्पनी फर्म पर आवंटित मात्रा को उठाने एवं शास्ति की वसूली करने के लिए बाध्य नहीं कर सकी।

3.4 कार्यादेश में दोषपूर्ण वाक्यांश के कारण अधिक भुगतान

कार्यादेश में दोषपूर्ण वाक्यांश के परिणामतः रेलवे रसीद भार से अधिक मार्गेत्तर हानियों को अनुमत्त करने पर सूरतगढ़ एवं कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर ठेकेदार को ₹ 2.08 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) अपने कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (केएसटीपीएस) एवं सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन (एसएसटीपीएस) के लिए साउथ इस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) के कोरबा कोलफील्डस से कोयला खरीदती है। कम्पनी ने कोरबा कोलफील्डस पर कच्चे कोयले के बेनेफिशिएशन /धोने एवं धुले हुए कोयले की केएसटीपीएस एवं एसएसटीपीएस पर आपूर्ति के लिए आर्यन कोल बेनेफिशिएशन प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) को कार्यादेश दिया (जुलाई 2006 एवं जनवरी 2013)। कम्पनी ने विद्युत स्टेशन पर प्राप्त वास्तविक वजन के आधार पर ठेकेदार को मार्गेत्तर हानि की अनुमति दी। आपूर्तियां पुराने (जुलाई 2006) कार्यादेश के विरुद्ध दिसंबर 2012 तक प्राप्त की गई थी। नए कार्यादेश के विरुद्ध आपूर्तियां जनवरी 2013 से शुरू हुई थी।

कार्यादेशों की समीक्षा (जनवरी 2017) में खुलासा हुआ कि कम्पनी ने नए कार्यादेश में मार्गेत्तर हानि से संबंधित वाक्यांश को संशोधित कर दिया था। जुलाई 2006 में दिये गये पुराने

कार्यादेश में प्रावधान था कि "रेक से रेक आधार पर प्राप्त बेनेफिशिएटेड कोल के वास्तविक वजन की गणना करते समय कम्पनी मासिक आधार पर अधिकतम 1.5 प्रतिशत मार्गेत्तर हानि की अनुमति देगी। इस उद्देश्य के लिए, पावर स्टेशनों पर प्राप्त साफ कोयले का वजन 1.5 प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा लेकिन यह संबंधित रैक के रेलवे रसीद भार से अधिक नहीं होगा"। जनवरी 2013 में दिए गए नए कार्यादेश में शामिल संशोधित वाक्यांश में प्रावधान था कि "कम्पनी प्रत्येक रेक पर पावर स्टेशनों पर प्राप्त बेनेफिशिएटेड कोल के वास्तविक वजन पर 0.80 प्रतिशत मार्गेत्तर हानि की अनुमति देगी। इस उद्देश्य के लिए, पावर स्टेशन पर प्राप्त बेनेफिशिएटेड कोल का वजन रेक से रेक आधार पर 0.80 प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा"। आरआर रसीद तक भुगतान को सीमित करने का कोई संदर्भ उपलब्ध नहीं था।

हमने देखा कि कम्पनी ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ विनियम, 2009 के अनुसार नये कार्यादेश में मार्गेत्तर हानि की दर को घटा दिया। तथापि, मार्गेत्तर हानि से संबंधित संशोधित नियम तथा शर्तें विवेकपूर्ण नहीं थीं क्योंकि संशोधित वाक्यांश ने हमेशा के लिए वास्तविक वजन पर ठेकेदार को 0.8 प्रतिशत लाभ की अनुमति इस तथ्य पर विचार किए बिना प्रदान की कि कोयले के भार में वृद्धि का लाभ रेलवे रसीद (आरआर) के वजन से अधिक अनुमत्त नहीं किया जाना था। आरआर वजन नमी इत्यादि जैसे सभी विशिष्ट मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए लोडींग बिंदू पर ठेकेदार द्वारा लोड की गई वास्तविक मात्रा को दर्शाता है। पुराने कार्यादेश में नियम एवं शर्तों द्वारा इस पहलू पर विचार किया गया था एवं इसलिए केवल आरआर भार तक के लिए मार्गेत्तर हानि को प्रतिबंधित किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा से खुलासा हुआ कि कम्पनी ने केएसटीपीएस एवं एसएसटीपीएस पर प्राप्त किये गये कोयले के वास्तविक भार को 0.8 प्रतिशत से बढ़ाया तथा तदनुसार भुगतान किये। कम्पनी को केवल आरआर भार की सीमा तक मार्गेत्तर हानि का लाभ प्रदान करना चाहिए था।

सरकार ने बताया (मई 2017) कि थर्मल पावर स्टेशन पर प्राप्त हुए कोयले के वास्तविक भार की गणना सकल भार में से खाली वैगन के भार को घटाने के बाद की गई थी। इसलिए, आरआर में दर्शाये गये भार को डिस्पैच किये गये कोयले के अधिकतम भार के रूप में नहीं माना जा सकता है। साथ ही, निविदादाताओं द्वारा निविदा की शर्तानुसार दरें उद्धत की गई थी तथा थर्मल स्टेशन पर प्राप्त किये गये वास्तविक भार पर मार्गेत्तर हानि को अनुमत्त करने वाले वाक्यांश निविदा की शर्तानुसार थे।

उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि आरआर भार से अधिक मार्गेत्तर हानियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए भार में नियमित वृद्धि के द्वारा ठेकेदार द्वारा लोड नहीं किये गये कोयले के लिए भुगतान को बढ़ावा दिया गया। इसके अतिरिक्त, नये कार्यादेश के वाक्यांश में परिवर्तन करने के लिए कारणों को अभिलेखित नहीं किया गया था। कार्यादेश में दोषपूर्ण वाक्यांश को शामिल करके कम्पनी द्वारा जनवरी 2013 से सितंबर 2016 के दौरान आरआर भार से अधिक मार्गेत्तर हानि के कारण एसएसटीपीएस (₹ 1.20 करोड़) एवं केएसटीपीएस (₹ 87.82 लाख) पर ठेकेदार को ₹ 2.08 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड

3.5 जिला खनिज फाउण्डेशन एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के लिए ग्राहकों से अंशदान की वसूली का अभाव

कम्पनी द्वारा ग्राहकों से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट और जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के लिए वसूली बहुत देरी से शुरु की गई जिसके कारण कम से कम ₹ 14.54 करोड़ को वसूलने का अवसर गंवा दिया गया।

भारत सरकार (जीओआई) ने 27 मार्च 2015 की अधिसूचना के द्वारा 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) को संशोधन किया तथा नई धाराएं 9 बी एवं 9 सी जोड़ी गई। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के संशोधन 12 जनवरी 2015 से लागू हुए माने गये। साथ ही, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के संशोधन से जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की स्थापना हुई।

धारा 9 बी	राज्य सरकारों द्वारा खनन संबंधित कार्यों से प्रभावित किसी भी जिले में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की स्थापना की जानी थी। एक खनन पट्टे के धारक द्वारा रॉयल्टी के अतिरिक्त, ऐसी रॉयल्टी के एक तिहाई तक सीमित राशि का डीएमएफटी में योगदान करना था।
धारा 9 सी	केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की स्थापना की जानी थी तथा एक खनन पट्टे के धारक द्वारा रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान एनएमईटी में किया जाना था।
14 अगस्त 2015	जीओआई द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियम, 2015 अधिसूचित किये गये (14 अगस्त 2015)।
16 सितम्बर 2015	जीओआई ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि डीएमएफटीज 12 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आए हुए माने जायेंगे।
17 सितम्बर 2015	जीओआई द्वारा खान एवं खनिज (जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान) नियम, 2015 अधिसूचित किये गये (17 सितम्बर 2015) जिनके द्वारा डीएमएफटी में अंशदान के लिए दरें निर्दिष्ट की गई। नियमानुसार, 12 जनवरी 2015 अथवा इसके पश्चात प्रदान किये गये खनन पटटों के धारकों को रॉयल्टी के 10 प्रतिशत की दर पर डीएमएफटी में अंशदान करना आवश्यक था जबकि 12 जनवरी 2015 से पहले प्रदान किये गये खनन पटटों के धारकों को रॉयल्टी के 30 प्रतिशत की दर पर अंशदान करना आवश्यक था।

राजस्थान सरकार (जीओआर) द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 अधिसूचित किये गये (31 मई 2016)। इन नियमों को 12 जनवरी 2015 से प्रभावी होना माना गया। जीओआर द्वारा भी राज्य के खनन प्रभावित जिलों में जिला मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) स्थापित किये गये (9 जून 2016)।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (कम्पनी) मुख्यतः रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लाइम स्टोन तथा लिग्नाइट खनिजों के खनन एवं विपणन में लगी हुई है। जनवरी 2017 को कम्पनी के पास सभी खनन पट्टे 12 जनवरी 2015 से पूर्व के प्रदान किये हुए थे तथा इस तरह इसे

12 जनवरी 2015 से प्रभावी रॉयल्टी के 30 प्रतिशत एवं रॉयल्टी के 2 प्रतिशत की दर से क्रमशः डीएमएफटीज एवं एनएमईटी को भुगतान करना आवश्यक था।

तथापि, कम्पनी ने 1 अप्रैल 2016 एवं 1 जून 2016 के बीच विभिन्न खनिजों के लिए ग्राहकों से डीएमएफटी तथा एनएमईटी के लिए अंशदान की वसूली शुरू[11] की। लिग्नाइट के संबंध में डीएमएफटी के पेटे अंशदान को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना (20 अक्टूबर 2015) के आधार पर ग्राहकों से वसूल नहीं किया गया जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तिथि अथवा खान एवं खनिज (जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान) नियम, 2015 लागू होने की तिथि जो भी बाद में हो, अंशदान की तिथि होगी। तथापि, एनएमईटी के भुगतान के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी। अन्य खनिजों के बिलों में डीएमएफटी तथा एनएमईटी को लेवी करने में देरी के कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये।

डीएमएफटी तथा एनएमईटी के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं पर कम्पनी द्वारा समय पर कार्य नहीं किया गया। अधिसूचनाएं क्रमशः 17 सितंबर 2015 तथा 14 अगस्त 2015 को जारी की गई लेकिन कम्पनी ने 1 अप्रैल 2016 एवं 1 जून 2016 के मध्य विभिन्न खनिजों के लिए ग्राहकों से वसुलियां प्रारम्भ की। यदि कम्पनी ने अधिसूचनाओं पर समय पर कार्यवाही की होती तो यह अक्टूबर 2015 से डीएमएफटी तथा एनएमईटी के पेटे ग्राहकों से कम से कम ₹ 14.54 करोड़ वसूल कर लेती।

हमने देखा कि कम्पनी ने वर्ष 2015-16 के लिए एनएमईटी के पेटे अपने स्वयं के कोषों से ₹ 1.14 करोड़ जमा कराये। तथापि, वर्ष 2015-16 के लिए डीएमएफटी के लिए कोई अंशदान नहीं दिया गया था (जनवरी 2017)।

सरकार ने बताया (अगस्त 2017) कि एनएमईटी तथा डीएमएफटी को भूतकालीन तिथि से लागू करने का मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन था। साथ ही, कम्पनी द्वारा कानूनी राय के आधार पर इन ट्रस्टों के गठन की तारीख से डीएमएफटी तथा एनएमईटी में अंशदान का प्रारम्भ किया जा चुका था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचनाओं के जारी होने के उपरांत भी कम्पनी द्वारा डीएमएफटी तथा एनएमईटी के लिए अंशदान वसूल नहीं किया गया।

11 रॉक फॉस्फेट (1 मई 2016), जिप्सम (1 जून 2016), लाइमस्टोन (1 अप्रैल 2016) तथा लिग्नाइट (1 अप्रैल 2016)।

3.6 कार्यादेश में अवास्तविक वाक्यांशों के कारण राजफोस की उत्पादन लागत बढ़ी एवं क्षतिपूर्ति का अनिवार्य भुगतान।

उत्पादन में कमी के लिए भुगतान/ क्षतिपूर्ति के संबंध में कम्पनी द्वारा कार्यादेश में अवास्तविक वाक्यांशों को समाहित किया गया जिसने वसूली की किसी सम्भावनाओं के बिना कम्पनी द्वारा ठेकेदार को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया। इससे ठेकेदार को ₹ 78.86 लाख की क्षतिपूर्ति के भुगतान का बढ़ावा मिला।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज़ लिमिटेड (कम्पनी) के द्वारा अपनी झामरकोटड़ा खान पर एक लाख मीट्रिक टन (एमटी) प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक राजफोस[12] पिसाई इकाई की डिजाइनिंग, स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव के लिए आर. के. धाभाई मिनरल्स एण्ड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) को कार्यादेश प्रदान किया गया (सितंबर 2013)। कार्यादेश 10 साल की अवधि के लिए डिज़ाइन, निर्माण, संचालन तथा स्वामित्व के आधार पर दिया गया था।

कार्यादेश की शर्तानुसार ठेकेदार द्वारा रॉक फॉस्फेट को पीसना एवं कार्यादेश में उल्लिखित दरों[13] पर अन्दर से परतदार वाल्व टाइप एचडीपीई[14] बैगों में राजफोस को भरा जाना आवश्यक था। कम्पनी को ग्राइंडिंग इकाई की स्थापना एवं राजफोस के पैक किये बैगों को सही ढ़ंग से जमाने के लिए पर्याप्त जगह तथा अधिकतम खुदरा मूल्य मुद्रित किये हुए वाल्व प्रकार के खाली एचडीपीई बैग उपलब्ध कराने थे। भीतर की तरफ लेमीनेशन के साथ खुले मुंह वाले एचडीपीई बैग का उपयोग करने की प्रचलित प्रथा के स्थान पर वाल्व प्रकार के एचडीपीई बैग के उपयोग करने का निर्णय प्रचलन में आया।

साथ ही, कम्पनी/ ठेकेदार के कारण हुई उत्पादन में कमी के कारण क्षतिपूर्ति का क्रमशः भुगतान/ वसूली का निर्धारण कार्यादेश में निम्न प्रकार था:

- प्रति माह 5,000 एमटी की दर से राजफोस का औसत उत्पादन मानते हुए रेटेड क्षमता के 60 प्रतिशत (60,000 टन प्रति वर्ष) के लिए कम्पनी के द्वारा भुगतान करना अनिवार्य था। कम्पनी स्वयं के कारण मासिक उत्पादन 5,000 एमटी से कम होने की दशा में, लागू दर के 50 प्रतिशत दर पर कमी के लिए **मासिक** आधार पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी तथा
- ठेकेदार द्वारा स्वयं के कारण प्रति वर्ष एक लाख एमटी की रेटेड क्षमता हासिल करने में असफल रहने की दशा में कम्पनी **वार्षिक** आधार पर कमी के लिए लागू दर के 50 प्रतिशत के आधार पर क्षतिपूर्ति वसूल करने की हकदार थी।

ठेकेदार ने निष्पादन गारंटी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया तथा 16 मई 2015 से राजफ़ोस का वाणिज्यिक उत्पादन शुरु हुआ।

12 एक उत्पाद जिसमें 18 से 20 प्रतिशत रॉक फॉस्फेट (पी2ओ5) शामिल हैं। सामग्री मुख्य रूप से किसानों द्वारा अम्लीय मिट्टी में सीधे उर्वरक के रूप में उपयोग में लाई जाती है।

13 माप तौल, बैगिंग एवं सिलाई सहित प्रति एमटी दरः प्रथम वर्ष (₹ 470); 2 से 6 वें वर्ष (₹ 551); सातवें एवं आठवें वर्ष (₹ 591); तथा नौंवें एवं दसवें वर्ष (₹ 621)।

14 उच्च घनत्व पॉलीएथीलीन बैग।

हमने देखा कि क्षतिपूर्ति वाक्यांश ने कम्पनी के वित्तीय हितों की रक्षा नहीं की। इस प्रकार ठेकेदार मासिक आधार पर 5,000 एमटी से नीचे उत्पादन के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली कर सकता था जबकि कम्पनी ठेकेदार के कारण रेटेड क्षमता में कमी के लिए वार्षिक आधार पर क्षतिपूर्ति वसूल करने की हकदार थी। वर्ष 2009-16 के दौरान, राजफोस की बिक्री[15] 0.34 लाख एमटी एवं 0.80 लाख एमटी के मध्य थी जबकि एक लाख एमटी प्रति वर्ष लक्षित उत्पादन के विरुद्ध वास्तविक उत्पादन[16] 0.02 लाख एमटी एवं 0.83 लाख एमटी के मध्य था। वर्ष 2012-13 के दौरान राजफोस की कोई बिक्री नहीं हुई थी। मांग के अभाव ने इंगित किया कि कम्पनी एक लाख एमटी प्रति वर्ष की रेटेड क्षमता तक राजफोस के उत्पादन के लिए निर्देश जारी करने की स्थिति में नहीं थी। मांग एवं आपूर्ति आदेशों के अभाव के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां कम्पनी कुछ महीनों में क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं कर सकी भले ही ठेकेदार स्वयं के कारण आवंटित मात्रा को उत्पादित करने में असफल रहा हो क्योंकि दक्षता को वार्षिक आधार पर मापा जाना था। इसके विपरीत, ठेकेदार आसानी से 5,000 एमटी प्रति माह का लक्ष्य हासिल कर सकता था क्योंकि संयंत्र की औसत कार्यचालन क्षमता 8,333 एमटी प्रति माह थी। वर्ष 2009-10 के दौरान कम्पनी द्वारा हासिल किया गया अधिकतम उत्पादन (0.83 लाख एमटी) 10 महीनों में उत्पादित किया जा सका। इस प्रकार, यह सिद्ध होता है कि ठेकेदार के हित में डाले गये वाक्यांशों की रचना करने से पहले राजफोस की कमजोर मांग को ध्यान में नहीं रखा गया था।

कम्पनी ने बताया (सितंबर 2017) कि नियमित नकद प्रवाह के लिए ठेकेदार को आश्वस्त करने के लिए ठेकेदार को क्षतिपूर्ति का प्रावधान मासिक आधार पर रखा गया था क्योंकि इसने महत्वपूर्ण पूंजी निवेश कर रखा था एवं परिचालन खर्चों के लिए इसे मासिक भुगतान करना पड़ता था। कम्पनी ने आगे बताया कि अब ठेकेदार को उत्पादन एवं उसे देय क्षतिपूर्ति में विचलन को कम करने के लिए 5,000 एमटी तक मासिक उत्पादन को प्रतिबंधित करने के लिए निर्देशित किया जा चुका था (अप्रैल 2017)। तथ्य यही रहा कि कम्पनी ने क्षतिपूर्ति के संबंध में एक अनुचित वाक्यांश को समाहित करके अपने वित्तीय हितों को खतरे में डाला।

अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी एवं जुलाई 2017) से खुलासा हुआ कि ठेकेदार 16 मई 2015 से 31 मार्च 2017 के दौरान 22 महीनों में से 11 महीनों में 5,000 एमटी प्रति माह के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। इन 11 महीनों में 55,000 एमटी के लक्षित उत्पादन के मुकाबले वास्तविक उत्पादन केवल 22,425 एमटी था। लक्ष्य में मासिक कमी 460 एमटी एवं 5,000 एमटी के मध्य थी।

ठेकेदार ने उत्पादन में कमी के लिए कम्पनी द्वारा संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति नहीं करने के कारणों को जिम्मेदार ठहराया जिसमें वाल्व प्रकार एचडीपीई बैग उपलब्ध नहीं कराने, बैग पर नए एमआरपी[17] के स्टैंसिल में देरी एवं राजफ़ोस के पैक किये गये बैगों को सही ढ़ंग से जमाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं कराने को सम्मिलित किया गया था। ठेकेदार ने इन कारणों

15 2009-10 (79,600 एमटी), 2010-11 (74,923 एमटी), 2011-12 (33,592 एमटी), 2012-13 (शून्य), 2013-14 (76,026 एमटी), 2014-15 (78,402 एमटी) एवं 2015-16 (53,139 एमटी)।

16 2009-10 (82,707 एमटी), 2010-11 (68,955 एमटी), 2011-12 (30,976 एमटी), 2012-13 (1,595 एमटी), 2013-14 (76,201 एमटी), 2014-15 (78,250 एमटी) एवं 2015-16 (62,698 एमटी)।

17 अधिकतम खुदरा मूल्य।

का हवाला देते हुए कम्पनी को उत्तरदायी बताकर उत्पादन में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए मासिक रूप से मांग उठाई। कम्पनी ने इन कारणों को स्वीकार किया (मार्च 2016) तथा ठेकेदार को ₹ 78.86 लाख[18] की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

हमने देखा कि कम्पनी की आवश्यकता के अनुसार बैगों की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण राजफ़ोस की स्वतः भराई के लिए वाल्व प्रकार के एचडीपीई बैग उपलब्ध नहीं कराये जा सके। इसके साथ ही, आवश्यक भूमि से कम आवंटन तथा कमजोर मांग के कारण पैक की गई राजफोस के ढेर लगने के कारण जगह की कमी हुई।

हमने देखा कि निम्नलिखित अतिरिक्त नियमों तथा शर्तों पर प्रचलित खुले मुंह वाले अंदर से लेमीनेशन सहित एचडीपीई बैगों को प्रयुक्त करने पर ठेकेदार सहमत हुआ जिसमें शामिल थाः

- वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से समय-समय पर भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी पर आधारित बढ़ोतरी/ घटोतरी के साथ ₹ 13.11 प्रति एमटी की दर पर श्रम प्रभारों के लिए भुगतान
- 10 वर्ष की संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए स्वपत के स्वरूप पर आधारित ₹ 12.72 प्रति एमटी की एक निश्चित दर पर धागे की लागत तथा
- खुले मुंह वाले एचडीपीई बैगों को प्रयुक्त करने के उपयुक्त बनाने के लिए संयंत्र के संशोधन के लिए ₹ 5.27 लाख का एकमुश्त भुगतान।

बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना वाल्व प्रकार के एचडीपीई बैगों की आपूर्ति के संबंध में कार्यादेश में अवास्तविक वाक्यांश को शामिल करने के लिए कम्पनी के संचालक मण्डल ने भी चिन्ताएं व्यक्त की थी। तथापि, इसने, इस अवास्तविक वाक्यांश को शामिल करने की जिम्मेदारी तय किए बिना ठेकेदार के अतिरिक्त नियम तथा शर्तों पर संयंत्र के संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2017)। इससे राजफोस के उत्पादन की लागत ₹ 25.83 प्रति एमटी से बढ़ गई।

कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2017) कि इस प्रकार के बैगों के लिए उचित प्रतिक्रिया वाली निविदाएं प्राप्त नहीं हुई तथा ये बैग ओपन टाइप बैगों की तुलना में महंगे भी थे। कम्पनी का उत्तर लेखापरीक्षा आक्षेप की पुष्टि करता है कि इन बैगों की लागत एवं उपलब्धता के संबंध में उचित बाजार सर्वेक्षण के बिना कम्पनी द्वारा नये प्रकार के बैगों को प्रयुक्त करने की परिकल्पना की गई थी।

18 स्रोत पर कर की कटौती सहितः ₹ 20.62 लाख (सितंबर 2016); ₹ 23.37 लाख (नवंबर 2016); ₹ 21.09 लाख (दिसंबर 2016), ₹ 13.78 लाख दिसम्बर 2016- जनवरी 2017 माह के लिए (गणना किये गये आंकड़े)।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

3.7 *टोल संग्रहण हेतु निविदाओं का प्रकियाकरण*

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) निर्माण-संचालन-हस्तान्तरण (बीओटी)/ सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल पर राजमार्गों, पुलों एवं सड़क ओवर ब्रिज (आरओबी) इत्यादि का निर्माण करती है। कम्पनी, राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 के प्रावधानों एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यूजर फी (टोल) की लेवी के माध्यम से रियायत अवधि के दौरान निवेश की वसूली करती है। संभावित लागतों एवं अपेक्षित टोल राजस्व को ध्यान में रखते हुए रियायत अवधि निर्धारित की जाती है। परियोजना पर किए गए निवेश (प्रत्याय सहित) की वसूली के बाद परियोजना को राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित कर दिया जाता है।

टोल संग्रहण की निविदाओं को प्रक्रियागत करने में रही कमियां 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के, राजस्थान सरकार के प्रतिवेदन संख्या 4 (वाणिज्यिक), इसके पश्चात इसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 के रूप में जाना जावे, के अनुच्छेद 3.6 में इंगित की गई थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 में वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान टोल संग्रहण निविदाओं के अंतिमीकरण में हुई देरी तथा टोल संग्रहण के लिए आमंत्रित निविदाओं के आरक्षित मूल्य के निर्धारण में कमियों पर प्रकाश डाला गया था।

राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा अनुच्छेद पर चर्चा की गई (जुलाई 2013)। चर्चा के दौरान, कोपू ने पाया कि टोल संग्रहण हेतु निविदाओं के प्रकियाकरण में प्रणालीगत कमियों के कारण निविदाओं के अंतिमीकरण में देरी हुई। कोपू द्वारा टोल संग्रहण अवधि को दो से तीन वर्ष तक बढ़ाने के लिए वर्तमान वार्षिक निविदा प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए, भविष्य में विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से टोल संग्रहण नहीं कराने के लिए तथा उचित स्तर पर निर्णय लेने के पश्चात अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के बारे में इसे सूचित करने के लिए अनुशंसा की गई (सितंबर 2015)।

वर्तमान लेखापरीक्षा (दिसंबर 2016 से मार्च 2017) यह जानने के लिए की गई कि क्या कम्पनी ने समयबद्ध रूप से टोल संग्रहण निविदाओं को अन्तिम रूप दिया, निविदाओं के आरक्षित मूल्य तय करने के लिए एक उचित प्रणाली विकसित की गई, तथा कोपू की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया था। लेखापरीक्षा, वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि के दौरान कम्पनी की टोल संग्रहण गतिविधि को समाहित करती है।

3.7.1 *टोल संग्रहण के लिए निविदाएं*

31 मार्च 2017 को कम्पनी 25 बीओटी परियोजनाओं पर टोल संग्रहण कर रही थी। वर्ष 2011-16 के दौरान 25 बीओटी परियोजनाओं में से 23 बीओटी परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया था जबकि शेष दो परियोजनाओं को पूर्व के वर्षों (2007-08 एवं 2009 -10) में पूरा किया जा चुका था।

उच्चतर आरक्षित मूल्य के कारण निविदादाताओं की भागेदारी नहीं करने के कारण, आरक्षित मूल्य की तुलना में अपर्याप्त प्रस्तावों के कारण निविदाओं का निरस्तीकरण, एवं कुछ मामलों में

सफल निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावों को वापस लेने के कारण वर्ष 2011-16 के दौरान कम्पनी को इन 25 सड़कों पर भिन्न-भिन्न अवधि के लिए 65 टोल संग्रहण अनुबंधों को प्रदान करने के लिए 138 बार 'निविदा आमंत्रण सूचना' (एनआईटीज) जारी करनी पड़ी।

वर्ष 2011-17 के दौरान पूर्ण की गई बीओटी परियोजनाओं, अंतिम रूप से तैयार निविदाओं एवं एनआईटीज को जारी करने की संख्या का विवरण नीचे दिया गया हैः

वर्ष	वर्ष के दौरान पूर्ण की गई बीओटी सड़कों की संख्या	अंतिम रूप दी गई निविदाओं की संख्या	आमंत्रित निविदाओं की संख्या
2011-12	01	02	09
2012-13	06	07	10
2013-14	04	09	20
2014-15	08	18	37
2015-16	04	15	27
2016-17	00	14	35
योग	**23**	**65**	**138**

3.7.2 *निविदा प्रक्रिया शुरु करने में देरी*

टोल संग्रहण के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया कम्पनी के परियोजना निदेशक द्वारा की जाने वाली ट्रैफिक गणना के साथ शुरू होती है तथा इसमें ट्रैफिक गणना के आधार पर आरक्षित मूल्य का निर्धारण, सक्षम समिति द्वारा आरक्षित मूल्य का अनुमोदन, निविदाओं का आमंत्रण, मूल्य निविदाओं को खोलना, निविदाओं का अंतिमीकरण, सुरक्षा राशि जमा कराने, अग्रिम किस्त राशि, उत्तरतिथिय चेक जमा कराने एवं निविदादाता के साथ समझौते का निष्पादन करने जैसी निविदादाताओं द्वारा औपचारिकताओं को पूरा करने को सम्मिलित किया जाता है। टोल नीति 2012, चल रहे अनुबंध की समाप्ति से पहले अपवादात्मक परिस्थितियों में जहां नये अनुबंध को अंतिम रूप नहीं दिया गया है उन मामलों में दरों में 7.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के पश्चात चल रहे अनुबंध को तीन महीने तक बढ़ाने की कम्पनी को अनुमति प्रदान करती है। इसलिए कम्पनी के लिए समय पर निविदा प्रक्रिया शुरु करना अनिवार्य है ताकि चल रहे अनुबंध के पूरा होने से पूर्व नयी निविदा को अन्तिम रूप दे दिया जाये।

कोपू ने भी कम्पनी को चालू अनुबंध की समाप्ति से कम से कम चार महीने पूर्व निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया (जुलाई 2013) जिससे निविदाओं को समय पर अंतिम रूप दिया जा सके। साथ ही, हर साल निविदा से बचने के लिए टोल संग्रहण अवधि को दो से तीन साल के लिए किया जा सकता है।

कम्पनी ने, तथापि, 14 महीनों की देरी के बाद इकाई कार्यालयों को इस बारे में निर्देश जारी किये (22 सितम्बर 2014)। अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि कम्पनी ने कोपू के निर्देशों के उल्लंघन करते हुए वर्ष 2013-17 के दौरान अंतिम रूप दी गई 56 निविदाओं में से 21 निविदाओं (38 प्रतिशत) में चल रहे अनुबंधों की समाप्ति से चार महीने पहले निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं की **(अनुबंध 6)**। परियोजना निदेशक ने, इन मामलों में, चल रहे टोल संग्रहण अनुबंधों की समाप्ति से 32 से 94 दिन पूर्व ट्रैफ़िक गणना प्रारम्भ की। निविदा प्रक्रिया शुरू करने में विलंब के चलते 12 निविदाओं के अंतिमीकरण में देरी हुई जिनको वर्तमान में

जारी अनुबंध के समापन के पश्चात 11 से 75 दिनों के अंदर अंतिम रूप दिया गया। निविदा प्रक्रिया शुरू करने में देरी के परिणामतः

- निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए निविदादाताओं को अपर्याप्त समय अवधि देना
- दो मामलों[19] में 7.5 प्रतिशत की दर को बढ़ाए बिना ठेकेदारों को अवधि में बढ़ोतरी अनुमत्त की जिससे ₹ 15.28 लाख का राजस्व नुकसान हुआ
- टोल नीति 2012 के उल्लंघन में पाली-नाडोल सड़क (सितंबर एवं दिसंबर 2013) पर ठेकेदार को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए बढ़ोतरी अनुमत्त की
- ठेकेदारों की ओर से स्वतः ही दिये गये प्रस्तावों को स्वीकार करके तीन मामलों[20] में कम दरों पर लघु अवधि के टोल संग्रहण अनुबंधों को प्रदान करने से ₹ 7.13 लाख की हानि तथा
- निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी के कारण दो[21] मामलों में ₹ 1.35 करोड़ की हानि।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने एक वर्ष से अधिक के लिए टोल संग्रहण अनुबंधों को प्रदान करने के लिए कोपू के दिशा-निर्देशों का भी पालन नहीं किया। वर्ष 2013-17 के दौरान, 56 में से 18 मामलों में इसने छः से 12 महिनों के बीच की अवधि के लिए अनुबंध प्रदान किये।

सरकार ने बताया (अगस्त 2017) कि टोल संग्रहण के लिए निविदाएं/ स्वतः प्रस्तावों को कम्पनी के हित में कार्यस्थल दशाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकरी द्वारा अनुमोदित किया गया था। तथापि, कोपू के निर्देशों की पालना नहीं करने के संबंध में इसने बताया कि नई निर्माण की जाने वाली सड़कों के संबंध में टोल संग्रहण के लिए प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिए इस पूर्वानुमान के साथ निविदाएं आमंत्रित की गयी थी कि एक वर्ष के बाद ट्रैफिक में वृद्धि हो जायेगी। उत्तर में निविदा प्रक्रिया को देरी से शुरु करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया। साथ ही, यह भी देखा जा सकता है कि अनुच्छेद में इंगित किये गये 18 मामलों में से केवल आठ सड़कें नई बनवाई गई थी।

3.7.3 *राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की अनुपालना का अभाव*

राजस्थान सरकार (राज्य सरकार) ने लोक प्रापण प्रक्रिया में लोक विश्वास बढ़ाने के लिए निविदादाताओं से निष्पक्ष एवं न्यायसंगत व्यवहार करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, दक्षता एवं मितव्ययिता को बढ़ावा देने, तथा पारदर्शिता, जवाबदेही एवं विश्वसनीयता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ 'राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता, अधिनियम 2012' (आरटीपीपी अधिनियम 2012) अधिनियमित किया (मई 2012)। राज्य सरकार ने भी आरटीपीपी अधिनियम 2012 के तहत राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता नियम, 2013 (आरटीपीपी नियम 2013) अधिसूचित किये (जनवरी 2013)।

19 मेड़ता- रास रोड़ (अक्टूबर 2014) एवं जहाजपुर-माण्डलगढ़ रोड़ (अप्रेल 2014)।

20 मंगलवाड-निम्बाहेड़ा रोड़ (सितंबर 2016), फतेहनगर-दरिबा रोड़ (सितंबर 2016) एवं सलूम्बर-कीर की चौकी रोड़ (सितंबर 2016)।

21 (i) 28 दिसम्बर 2016 से 24 फरवरी 2017 के दौरान मेड़ता-रास (₹ 0.36 करोड़) एवं (ii) 9 मई 2014 से 22 जुलाई 2014 के दौरान हनुमानगढ़-सुरतगढ़ (₹ 0.99 करोड़)।

आरटीपीपी नियम 2013 का नियम 43, ₹ 50 लाख से अधिक के अनुमानित मूल्य वाली निविदाओं के मामले में निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए 'निविदा आमंत्रण सूचना' (एनआईटी) के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की समयावधि प्रदान करता है।

हमने देखा कि 2011-17 के दौरान कम्पनी ने टोल संग्रहण के लिए 138 एनआईटीज में से 89 एनआईटीज (64.49 प्रतिशत) में नियम का उल्लंघन किया तथा निविदादाताओं को नियम में निर्धारित 30 दिनों के स्थान पर निविदाओं को जमा करने के लिए 9 से 26 दिनों के बीच की समयावधि की अनुमति दी गई। 89 एनआईटीज में निविदाएं जमा करने के लिए निविदादाताओं को दी गई समयावधि नीचे दी गई है।

निविदाओं को जमा करने के लिए अनुमत्त समयावधि (दिनों में)	**9 से 15**	**16 से 22**	**23 से 26**
एनआईटीज की संख्या	54	31	4

12 परियोजनाओं में निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की निर्धारित अवधि की अनुमति नहीं देने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। तथापि, अन्य मामलों में अभिलेखों की संवीक्षा में उजागर हुआ कि अल्पावधियों को अनुमत्त करने के मुख्य कारण निविदा प्रक्रिया शुरू करने में देरी, आरक्षित मूल्य के निर्धारण में देरी एवं पुनः आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के अंतिमीकरण नहीं किये जाने थे।

केस स्टडी: किशनगढ बास-खैरथल-बानसुर-कोटपूतली सड़क

कम्पनी ने सड़क के उच्च मूल्य निविदा के लिए दो साल की अवधि के लिए ₹ 13.83 करोड़ के आरक्षित मूल्य के साथ निविदाओं को जमा करने के लिए केवल 15 दिनों की समयावधि अनुमत्त की (7 अक्टूबर 2016)। कम्पनी के पास निविदा के अंतिमीकरण के लिए पर्याप्त समय था यदि इसने निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों की समयावधि अनुमत्त कर दी होती क्योंकि वर्तमान में चल रहा अनुबंध 26 दिसंबर 2016 को समाप्त हो रहा था। निविदा को वर्तमान में चल रहे अनुबंध की समाप्ति से डेढ़ महीने पहले ₹ 16.17 करोड़ में दो साल के लिए अंतिम रूप दिया गया (7 नवंबर 2016)। इस प्रकार, निविदादाताओं को 30 दिनों की अवधि में निविदाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देकर कम्पनी द्वारा प्रतिस्पर्धा को सीमित कर दिया गया।

इस प्रकार, कम्पनी ने निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए अल्पावधि प्रदान करके आरटीपीपी अधिनियम 2012 के उल्लंघन का कार्य किया।

सरकार ने बताया कि अप्रत्याशित स्थितियों में प्रापण संस्था, कारणों को अभिलेखित करने के बाद, आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 43 (7) में विनिर्दिष्ट अवधि की आधी अवधि तक निविदाओं को जमा करने के लिए घटा सकती है। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि निविदा समय में कमी के कारणों को अभिलेखित नहीं किया गया था। कम्पनी ने अधिकांश (64 प्रतिशत) मामलों में बिना कोई कारण बताये निविदा की अवधि को कम किया।

3.7.4 *आरक्षित मूल्य का निर्धारण*

कम्पनी द्वारा बनाई गई टोल नीति 2012 में प्रावधान है कि टोल संग्रहण के लिए निविदाओं के आमन्त्रण के लिए आरक्षित मूल्य का अंतिमीकरण संबन्धित परियोजना निदेशक द्वारा की गई ट्रैफिक गणना के आधार पर एक समिति द्वारा किया जायेगा।

3.7.5 *टोल नीति के अनुसार ट्रैफिक गणना नहीं कराना*

टोल नीति 2012 में संबंधित परियोजना निदेशक द्वारा की जाने वाली सात दिन की ट्रैफिक गणना के आधार पर आरक्षित मूल्य के निर्धारण को विनिर्दिष्ट किया गया। तथापि, तीन मामलों[22] में परियोजना निदेशकों ने, टोल नीति के अनुसार सात दिनों के लिए ट्रैफिक गणना नहीं की तथा तीन से पांच दिनों के लिए ट्रैफिक गणना के आधार पर आरक्षित मूल्य प्रस्तावित किया।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि प्रारम्भिक रूप से इन सड़कों पर सात दिनों के लिए ट्रैफिक गणना की गई थी लेकिन आरक्षित मूल्यानुसार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे। बाद में, आवश्यकता होने एवं आरक्षित मूल्य को पुनर्निर्धारित करने के कारण अल्प-अवधि की ट्रैफिक गणना की गई। इस तथ्य के मध्यनजर उत्तर सहमतिकारक नहीं था कि अल्प-अवधि की ट्रैफिक गणना के फलस्वरूप गलत आंकड़े तथा आरक्षित मूल्य के अपर्याप्त निर्धारण हो सकते हैं।

3.7.6 *नव-निर्मित सड़कों पर आरक्षित मूल्य का निर्धारण*

हमने देखा कि निर्माण की गई 23 नई सड़कों के लिए प्रथम टोल संग्रहण निविदा आमंत्रित करने के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारण करने में कम्पनी द्वारा एक सुसंगत तथा तार्किक दृष्टिकोण का पालन नहीं किया गया। कम्पनी ने 19 मामलों (**अनुबंध 7**) में ट्रैफिक गणना के आधार पर परियोजना निदेशक द्वारा प्रस्तावित आरक्षित मूल्य पर विचार नहीं किया तथा सड़कों की डीपीआर के आधार पर उच्च आरक्षित मूल्य तय किया। तीन[23] मामलों में, डीपीआर पर आधारित आरक्षित मूल्य पर विचार नहीं किया गया क्योंकि ट्रैफिक गणना ने एक उच्चतर आरक्षित मूल्य की गणना की। शेष एक मामले में (पाली-नाडोल सड़क), ट्रैफिक गणना के आधार पर निकाला गया आरक्षित मूल्य डीपीआर के अनुसार निर्धारित आरक्षित मूल्य के समान ही था।

हमारे विश्लेषण से उजागर हुआ कि सभी निविदाएं (छह मामले) जहां आरक्षित मूल्य ट्रैफिक गणना के आधार पर तय किया गया था, प्रथम प्रयास में ही कार्यादेश प्रदान कर दिये गये थे। तथापि, 16 मामलों में जहां कम्पनी ने डीपीआर पर आधारित उच्च आरक्षित मूल्य तय किया था, केवल एक मामले में निविदा (नसीराबाद-केकड़ी) को पहले प्रयास में प्रदान की गई जबकि शेष 15 मामलों में उच्चतर आरक्षित मूल्य के कारण निविदाओं में किसी निविदादाता ने भाग नहीं लिया। इन 15 मामलों में, कम्पनी को आरक्षित मूल्य कम करना पड़ा एवं प्रथम टोल संग्रहण अनुबंध प्रदान करने के लिए निविदाओं को दो से पांच बार पुनः आमंत्रित करना पड़ा। इससे टोल संग्रहण गतिविधि की शुरुआत में देरी हुई एवं कम्पनी ₹ 33.27 करोड़ का टोल राजस्व अर्जित करने के अवसर से वंचित हुई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि डीपीआर एवं परियोजना निदेशक द्वारा की गई ट्रैफिक गणना पर आधारित आरक्षित मूल्य में बहुत अधिक अंतर था। कम्पनी के हितों को

22 गोटन-सोजतः 29 जून 2012 (6:00 पूर्वाह्न) से 02 जुलाई 2012 (6:00 पूर्वाह्न) के दौरान तीन दिन; बाड़ी-बयाना-खेड़ली रोड़ः 7 मार्च 2016 से 12 मार्च 2016 के दौरान पांच दिन; तथा नसीराबाद-केकडी-देवली रोड़ः 25 जनवरी 2017 से 28 जनवरी 2017 के दौरान तीन दिन।

23 (i) महुआ-हिण्डोन- करौली, (ii) जोधपुर- औसियां एवं (iii) कोटपूतली-सीकर-कुचामण।

देखते हुए पहली बार डीपीआर/ ट्रैफिक गणना के उच्चतर आरक्षित मूल्य के आधार पर निविदाएं आमंत्रित करने का निश्चय किया गया।

डीपीआर पर आधारित आरक्षित मूल्य का निर्धारण, तथापि, एक विश्वसनीय मानदंड नहीं था जिसके परिणामतः निविदाएं रद्द की गई एवं राजस्व की हानि हुई।

3.7.7 *चल रहे अनुबंधों के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण*

हमने देखा कि वर्तमान में चल रही सड़कों हेतु आगामी टोल संग्रहण निविदाएं आमंत्रित करने के लिए आरक्षित मूल्य तय करने में कम्पनी द्वारा एकरूप दृष्टिकोण की पालना नहीं की गई। सात मामलों (**अनुबंध 8**) में कम्पनी ने टोल नीति में निर्धारित ट्रैफिक गणना के तंत्र पर विचार नहीं किया एवं इसके बजाय पिछले अनुबंध मूल्य में या तो 10 प्रतिशत वृद्धि या ट्रैफिक में पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि तथा पिछले टोल दरों में पांच प्रतिशत वृद्धि या ट्रैफिक में छह प्रतिशत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सड़कों का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया। अलग-अलग मापदंडों को अपनाकर निर्धारित किया गया आरक्षित मूल्य हमेशा ही ट्रैफिक गणना के आधार पर गणना किये गये आरक्षित मूल्य से अधिक रहा (7.52 एवं 58.14 प्रतिशत के मध्य)। आरक्षित मूल्य के पुनरीक्षण के कारण कम्पनी को दो से तीन बार निविदाएं आमंत्रित करनी पड़ी। पहली एनआईटी को जारी करने की तिथि से 38 एवं 187 दिनों के बीच की अवधि के पश्चात टोल संग्रहण अनुबंध प्रदान किए गए।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि डीपीआर एवं परियोजना निदेशक द्वारा की गई ट्रैफिक गणना पर आधारित आरक्षित मूल्य के बीच व्यापक अंतर था। कम्पनी के हितों को देखते हुए पहली बार डीपीआर/ ट्रैफिक गणना के उच्चतर आरक्षित मूल्यों के आधार पर निविदाएं आमंत्रित करने का निश्चय किया गया। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कम्पनी ने टोल नीति 2012 के प्रावधानों का पालन नहीं किया तथा अधिकांश मामलों में इसको उच्चतर आरक्षित मूल्य पर निविदादाताओं से प्रतिक्रिया के अभाव के कारण निविदाएं पुनः आमंत्रित करनी पड़ी।

3.7.8 *नई टोल नीति 2016 के अनुसार आरक्षित मूल्य का निर्धारण*

कम्पनी ने 1 अप्रैल 2016 से लागू होने वाली एक नई टोल नीति (टोल कर के संग्रहण के लिए निविदाओं की प्रक्रियाएं एवं शर्तों के मापदण्ड) 2016 को मंजूरी दी (मार्च 2016)। नई टोल नीति में निर्धारित किया गया था कि वर्तमान में जारी निविदाओं के लिए आरक्षित मूल्य ट्रैफिक गणना के आधार पर गणना किये गये मूल्य से अधिक होगा अथवा वर्तमान टोल अनुबंध को ट्रैफिक में वृद्धि के पेटे पांच प्रतिशत से बढ़ाने के साथ-साथ आधार तिथि के रूप में 1 अप्रेल को मानते हुए आगामी वर्ष में टोल दर में वास्तविक वृद्धि के बाद गणना किये गये मूल्य से अधिक होगा। नई टोल नीति में यह भी प्रावधान था कि अगर कोई निविदादाता निविदा में भाग नहीं लेता है अथवा आरक्षित मूल्य से कम दर उद्धत करता है तो आरक्षित मूल्य का निर्धारण निरस्त की गई निविदा में प्राप्त उच्चतम दर के आधार पर किया जाएगा।

हमने देखा कि वर्ष 2016-17 के दौरान अंतिम रूप दी गई 14 निविदाओं में से नई टोल नीति के आधार पर गणना किये गये आरक्षित मूल्य पर पहली बार में केवल पांच[24] (36 प्रतिशत) निविदाएं ही प्रदान की जा सकी। कम्पनी को निविदाओं के उच्चतर आरक्षित मूल्य होने के कारण निविदादाताओं द्वारा भाग नहीं लेने के कारण / आरक्षित मूल्य से निविदा मूल्य कम होने के कारण निविदाओं के निरस्तीकरण के कारण शेष रहे नो[25] मामलों में टोल संग्रहण अनुबंध प्रदान करने के लिए 30 बार निविदाएं आमंत्रित करनी पड़ी।

इस प्रकार, नई टोल नीति में दिये गये आरक्षित मूल्य को निर्धारित करने की प्रणाली के परिणामतः 64 प्रतिशत मामलों में निविदाएं बार-बार आमंत्रित करनी पड़ी। इस दृष्टिकोण से, प्रणाली पर पुनः विचार किये जाने की आवश्यकता है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि नई टोल नीति के आधार पर गणना किये गये आरक्षित मूल्य पर निविदाएं आमंत्रित करने के प्रयास किए गए तथा बाद में अधिक निविदादाताओं को आकर्षित करने के लिए आरक्षित मूल्य को घटाया गया था।

3.7.9 *एग्रीमेंट के निष्पादन में देरी*

वर्ष 2011-16 के दौरान पूर्ण की गई 23 नई सड़को में से सड़को के पूरे किये जाने के पश्चात भी तत्परता के साथ कम्पनी सात मामलों में (30.43 प्रतिशत) पहली टोल संग्रहण निविदा प्रदान नहीं कर सकी। हमने देखा कि कम्पनी के मुख्यालय ने निविदाओं को अंतिम रूप दिया तथा निविदादाताओं के साथ एग्रीमेंट के निष्पादन के लिए परियोजना निदेशकों को निर्देश जारी किये। तथापि, टोल प्लाजाओं अथवा टोल प्लाजाओं में विद्युत कार्यों अथवा अन्य छोटे कार्यों की अपूर्णता के कारण परियोजना निदेशकों द्वारा 50 दिन से 309 दिनों के बीच देरी के साथ निविदादाताओं के साथ एग्रीमेंटस का निष्पादन किया गया। इसके परिणामतः ठेकेदारों द्वारा टोल संग्रहण गतिविधि की शुरुआत में विलम्ब हुआ एवं कम्पनी द्वारा ₹ 18.08 करोड़ के टोल राजस्व एकत्र करने का अवसर खो दिया गया जैसा कि **अनुबंध 9** में वर्णित है।

इस प्रकार, टोल प्लाजाओं की अपूर्णता के कारण सड़कों को पूरा करने के उपरांत भी कम्पनी टोल की समय पर वसूली शुरू करने में विफल रही। किसी भी अस्थायी व्यवस्था के अभाव में टोल के भुगतान के बिना एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए ट्रैफिक का आवागमन जारी रहा।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि निर्धारित समय में काम पूरा होने की आशा में टोल संग्रहण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। तथापि, विभिन्न कारणों से कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सका।

3.7.10 *विभागीय टोल संग्रहण के कारण टोल राजस्व की हानि*

हनुमानगढ़-पीलीबंगा-सूरतगढ़ 24 किमी सड़क (26/0 से 50/0) पर टोल संग्रहण अनुबंध (11 मई 2010 से एक वर्ष की अवधि के लिए) 11 मई 2011 को समाप्त हो रहा था। मौजूदा ठेकेदार ने चल रहे अनुबंध मूल्य (₹ सात करोड़ प्रति वर्ष) में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि करके

24 (i) डबोक-मावली-चित्तौड़गढ़, (ii) पाली-नाडोल, (iii) बांसवाड़ा-रतलाम, (iv) किशनगढ़-बास-स्वैरथल-कोटपूतली एवं (v) बीकानेर बाईपास।

25 (i) महुआ-हिन्डौन-करौली, (ii) मेड़ता-रास, (iii) अलवर-बहरोड़-नारनौल, (iv) नसीराबाद-केकड़ी, (v) मंगलवाड़-निम्बाहेड़ा, फतेहनगर-दरिबा, सलूम्बर-कीर की चौकी, (vi) जयपुर-जोबनेर- कुमाचन-नागौर, (vii) कोटा-धरनावाड़ा, (viii) बड़ी-बायां-स्वेड़ली एवं (ix) हनुमानगढ़-सूरतगढ़।

अनुबंध को तीन माह बढ़ाने का प्रस्ताव दिया (फरवरी 2011)। कम्पनी ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया एवं नये अनुबंध की कार्यवाही की भी शुरूआत नहीं की क्योंकि शेष 26 किमी (0/0 से 26/0) सड़क जुलाई 2011 में पूर्ण हो जानी थी तथा तत्पश्चात ही संपूर्ण सड़क (0/0 से 50/0) के लिए निविदाएं आमंत्रित की जायेगी। इस प्रकार, कम्पनी ने इस सड़क पर 11 मई 2011 से विभागीय टोल संग्रहण प्रारम्भ किया।

सड़क के 0/0 से 26/0 तक के हिस्से के पूर्ण होने में देरी के कारण संपूर्ण सड़क के लिए नई निविदा फरवरी 2012 में प्रदान की जा सकी तथा ठेकेदार ने 9 मई 2012 से टोल संग्रहण प्रारम्भ किया। 11 मई 2011 से 9 मई 2012 की अवधि के दौरान कम्पनी ने ₹ 5.76 करोड़ का टोल संग्रहण किया तथा मानवशक्ति के लिए ₹ 22.06 लाख का व्यय किया।

अगर कम्पनी ने ठेकेदार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो यह कम से कम ₹ 1.97 करोड़ का अतिरिक्त टोल राजस्व कमा सकती थी (ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित मूल्य के आधार पर गणना की गई)।

सरकार ने बताया कि कम्पनी ने अनुमान लगाया था कि 26 किलोमीटर के शेष हिस्से पर जुलाई 2011 तक काम पूरा हो जाएगा तथा पूरी सड़क के लिए उच्चतर मूल्य पर निविदा प्राप्त कर सकती है। तथ्य यही रहा कि वर्तमान ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित मूल्य टोल नीति के अनुसार होने के साथ-साथ कम्पनी के लिए फायदेमंद भी था।

3.7.11 *ठेकेदार से वसूली का अभाव*

किशनगढ़-बास-खैरथल-कोटपुतली सड़क पर टोल के संग्रहण के लिए ठेकेदार (एसपी कंस्ट्रक्शंस) के साथ किये गये (जून 2015) एग्रीमेंट के वाक्यांश 12 में प्रावधान था कि यदि ठेकेदार देय तिथि पर किराए की किसी भी किश्त का भुगतान करने में विफल रहा अथवा समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया तो एग्रीमेंट को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, विभागीय टोल संग्रहण अथवा पुनर्विक्रय के कारण कम्पनी को हुई समस्त हानियों को वहन करने के लिए ठेकेदार दायी था।

हमने देखा कि कम्पनी ने किश्तों का भुगतान नहीं करने के लिए ठेकेदार के साथ समझौते को समाप्त कर दिया (14 अगस्त 2015) एवं सड़क पर विभागीय टोल संग्रह शुरू किया। कम्पनी ने ठेकेदार को काली सूची में भी डाल दिया तथा इसे भविष्य के अनुबंधों में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। टोल संग्रहण के लिए नया अनुबंध ₹ 5.91 करोड़ में एक वर्ष के लिए प्रदान किया गया (दिसंबर 2015)। नये अनुबंध के तहत टोल संग्रहण 26 दिसंबर 2015 से शुरू हुआ।

14 अगस्त 2015 से 25 दिसंबर 2015 की अवधि के दौरान टोल का संग्रहण 20 अगस्त 2015 से 12 सितंबर 2015 तक विभागीय रूप से किया गया तथा 12 सितंबर से 25 दिसंबर 2015 तक ठेकेदार के माध्यम से किया गया था। कम्पनी ने तीन बार (अगस्त 2015, सितंबर 2015 तथा अक्टूबर 2015) निविदाएं आमंत्रित की लेकिन उच्चतर आरक्षित मूल्य के कारण निविदादाताओं की गैर-भागीदारी अथवा पर्याप्त निविदाओं के प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें अंतिम रूप नहीं दे सकी।

हमने देखा कि एसपी कंस्ट्रक्शंस द्वारा अनुबंधात्मक दायित्वों के निष्पादन नहीं करने के परिणामतः कम्पनी द्वारा 14 अगस्त 2015 से 24 जून 2016 (एसपी कंस्ट्रक्शंस के अनुबंध के

समाप्ति की तिथि) की अवधि के दौरान ₹ 2.66 करोड़ के टोल राजस्व की निम्न वसूली की गई। टोल राजस्व की निम्न वसूली एग्रीमेंट के वाक्यांश 12 के अनुसार ठेकेदार से वसूली योग्य थी लेकिन कम्पनी ने इस राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरु नहीं की। इसके स्थान पर कम्पनी ने ठेकेदार का नाम काली सूची से हटा दिया (नवम्बर 2015) तथा उसे भावी अनुबंधों में भाग लेने के लिए अनुमत्त किया।

सरकार ने बताया कि ठेकेदार ने कानून एवं व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए असाधारण/ असामान्य परिस्थितियों में कार्य को छोड़ दिया था। सशक्त स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार ठेकादार को काली सूची से हटा दिया गया था तथा यह मामला समिति के पास लंबित था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि यदि कानून एवं व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए असामान्य परिस्थितियां होती तो इस अवधि के दौरान विभागीय रूप से तथा अन्य ठेकेदार द्वारा टोल एकत्रित नहीं किया गया होता।

3.7.12 *लाभ की हानि के पेटे ठेकेदार को अदेय राहत*

कम्पनी ने कोटपुटली-सीकर-कुचामन सड़क पर एसपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) को एक वर्ष की अवधि के लिए ₹ 30.51 करोड़ में टोल संग्रहण अनुबंध प्रदान किया (मई 2014)। इस सड़क पर पांच टोल बूथ हैं। जन आंदोलन के कारण 8 जुलाई 2014 से 10 फरवरी 2015 (218 दिन) की अवधि के दौरान एक टोल बूथ (चल्ला नीम का थाना) पर टोल संग्रहण गतिविधि स्थगित रही। कम्पनी ने अनुबंध मूल्य के आधार पर बूथ बंद रहने के कारण ठेकेदार द्वारा वहन की गई ₹ 4.30 करोड़ के टोल राजस्व की हानि का अनुमान लगाया। कम्पनी ने अपनी गणना में 218 दिनों की अवधि के लिए ₹ 44.99 लाख की ठेकेदार को हुई लाभ की हानि के पेटे छूट भी प्रदान की।

हमने देखा कि समापन अवधि के दौरान ठेकेदार लाभ के नुकसान की भरपाई के लिए योग्य नहीं था क्योंकि निविदा/ अनुबंध की शर्तों में इस तरह की किसी राहत का प्रावधान नहीं था तथा कम्पनी ठेकेदार से केवल अनुबंध मूल्य वसूल करने की हकदार थी। इसके साथ ही, ठेकेदार ने निविदाओं को प्रस्तुत करने के समय उद्धृत मूल्य में लाभ के अंश को पहले से ही शामिल कर लिया था। इस प्रकार, कम्पनी ने ठेकेदार को ₹ 44.99 लाख की अदेय राहत की अनुमति प्रदान की जिसे वसूल करने की आवश्यकता है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के आधार पर ठेकेदार को लाभ की हानि का भुगतान किया गया था। तथ्य यही रहा कि निविदा/ अनुबंध की शर्तों में ऐसे कोई लाभ के लिए प्रावधान नहीं दिया गया था।

3.7.13 *सड़क का कार्य अपूर्ण होने के कारण हानि*

नसीराबाद-केकड़ी-देवली सड़क पर टोल संग्रहण अनुबंध 2 नवंबर 2014 को समाप्त हो रहा था। वर्तमान में जारी निविदा की समाप्ति से पहले ही कम्पनी द्वारा दो साल के लिए ₹ 42.33 करोड़ की लागत पर नई निविदा को अंतिम रूप दे दिया गया था (22 अक्टूबर 2014)। तथापि, सड़क पर नए टोल प्लाजा के पूरा नहीं होने के कारण नए अनुबंध के तहत टोल संग्रहण की गतिविधि शुरू नहीं की जा सकी। इसलिए, कम्पनी ने अनुबंध मूल्य को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्तमान में जारी अनुबंध को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया। नए अनुबंध के अन्तर्गत टोल संग्रहण 31 जनवरी 2015 से शुरू हुआ। इसके परिणामतः विस्तारित अवधि के दौरान

कम्पनी को ₹ 2.26 करोड़ के टोल राजस्व की हानि हुई (नए अनुबंध में प्राप्त दरों के अनुसार गणना की गई)।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि समय पर कार्य एवं नये टोल प्लाजा के पूरा होने की आशा में निर्माण की गई नई सड़क के एक हिस्से सहित टोल संग्रहण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। तथापि, कार्य अनुसूचित समय में पूर्ण नहीं किया जा सका।

3.7.14 *दोषी ठेकेदारों के अनुबंध को समाप्त करने में देरी*

कम्पनी बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा राशि जमा (अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत) कराने पर सफल निविदादाताओं को टोल संग्रहण अनुबंध प्रदान करती है। ठेकेदार को टोल संग्रहण गतिविधि के प्रारंभ होने से पूर्व 10 प्रतिशत की टोल फीस की अग्रिम किश्त डिमांड ड्राफ्ट/चेक के रूप में तथा शेष 90 प्रतिशत राशि के लिए मासिक किस्त के पेटे उत्तर दिनांकित अग्रिम चेक प्रस्तुत करने भी आवश्यक है। ठेकेदार द्वारा किसी भी किस्त का भुगतान करने में विफल रहने के मामले में अनुबंध को समाप्त किया जाना तथा सुरक्षा जमा को जब्त किया जाना आवश्यक है।

हमने देखा कि कम्पनी ने ठेकेदारों द्वारा प्रथम दृष्टया किस्त के भुगतान में विफल रहने के पश्चात दो[26] मामलों में अनुबंधों को तुरंत रूप से समाप्त नहीं किया। इससे अनुबंधों की समाप्ति तक उपलब्ध सुरक्षा जमा के अतिरिक्त देय राशि के बढ़ते जाने को बढ़ावा मिला। इन मामलों में उपलब्ध सुरक्षा जमा का समायोजन करने के पश्चात ₹ 1.28 करोड़ की कमी की गणना की गई।

साथ ही हमने देखा कि कम्पनी ने बड़ी-बयाना-खेड़ली सड़क के लिए टोल संग्रहण अनुबंध उस ठेकेदार को प्रदान किया (मई 2016) जो पहले सुकेत-पिपलीया-भवानी मंडी सड़क के मामले में दोषी था (अप्रैल 2016)।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि टोल अनुबंध ठेकेदारों के मौखिक आश्वासन पर समाप्त नहीं किये गये थे।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 में इसी प्रकार की कमियों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने के उपरांत भी निविदाओं के प्रक्रियाकरण में देरी एवं आरक्षित मूल्य के अनुचित निर्धारण के कारण टोल संग्रहण गतिविधि लगातार बुरी तरह प्रभावित हुई। कम्पनी टोल प्लाजाओं के निर्माण में देरी तथा टोल नीति 2012 के उल्लंघन में ट्रैफिक गणना के स्थान पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टस (डीपीआरस) के आधार पर उच्चतर आरक्षित मूल्य तय करने के कारण नवनिर्मित सड़कों पर टोल संग्रहण गतिविधि आरम्भ करने में विफल रही। आरक्षित मूल्य के अनुचित निर्धारण से निविदादाताओं की भागीदारी नहीं होने को बढ़ावा मिला तथा कम्पनी को आरक्षित मूल्य को घटाकर कई बार निविदाओं को फिर से आमंत्रित करना पड़ा। कम्पनी ने निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए कम समयावधि की

26 (i)**सुकेत-पिपलिया-भवानीमंडी रोड़**: अप्रैल 2016 से फरवरी 2017 के दौरान मैसर्स चौधरी बिल्डर्स के विरुद्ध ₹ 0.78 करोड़ की कमी तथा (ii) **चेचट-मोड़क-रामगंजमंडी रोड़**: मार्च 2016 से नवंबर 2016 के दौरान मैसर्स जाट ट्रेडर्स के विरुद्ध ₹ 0.50 करोड़ की कमी।

अनुमति देकर राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता, अधिनियम 2012 (आरटीपीपी अधिनियम, 2012) के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

हम कम्पनी को निविदा प्रक्रियाकरण समय से शुरू करने तथा नवनिर्मित सड़कों एवं वर्तमान में जारी परियोजनाओं के आरक्षित मूल्य को तय करने के लिए एक उचित प्रणाली विकसित करने की सिफारिश करते हैं। कम्पनी वैज्ञानिक रूप से ट्रैफिक गणना करने तथा आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए विभिन्न मानदंडों को अपनाने के स्थान पर एकरूप मानदंडों को अपनाने पर विचार कर सकती है। निविदादाताओं को निविदाओं को जमा करने के लिए पर्याप्त समयावधि देकर कम्पनी को आरटीपीपी अधिनियम, 2012 के प्रावधानों का पालन भी करना चाहिए।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

3.8 *कर दायित्व के कम निर्धारण के कारण जुर्माने के रूप में ब्याज का परिहार्य भुगतान*

कम्पनी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईए के अन्तर्गत अनुमत्त अवधि से परे परियोजनाओं से कमाये गये लाभों तथा परिलाभों को शामिल करने के कारण वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कर दायित्व का कम निर्धारण किया गया। इसके परिणामतः अधिनियम की धारा 234 बी तथा 234 सी के अन्तर्गत ₹ 83.32 लाख के परिहार्य ब्याज के रूप में जुर्माने का भुगतान हुआ।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 80 आईए, उपधारा (4) में संदर्भित किसी व्यवसाय से निर्धारिती (उपक्रम अथवा एक उद्यम) को हुए लाभों एवं परिलाभों की इस धारा के अनुसार एवं प्रावधानों के अधीन लगातार 10 वर्षों की अवधि में 100 प्रतिशत की कटौती प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 80 आईए को एक बार फिर नीचे दिया गया है।

80-आईए (1) जहां एक निर्धारिती की सकल कुल आय में उपधारा (4) में संदर्भित एक उपक्रम या उद्यम द्वारा किसी भी व्यवसाय (ऐसे व्यवसाय को इसके बाद योग्य व्यवसाय के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) से प्राप्त किये गये किन्हीं भी लाभों एवं परिलाभों को शामिल किया गया है, वहां इस धारा के प्रावधानों के अनुसार एवं इसके तहत निर्धारिती की कुल आय की गणना करने में ऐसे व्यवसाय से प्राप्त किये गये लाभों एवं परिलाभों की दस लगातार निर्धारण वर्षों के लिए शत प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती अनुमत्त की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती, निर्धारिती के विकल्प पर, जिस वर्ष में उपक्रम अथवा उद्यम किसी आधारभूत सुविधा को संचालित करने के लिए विकसित एवं शुरू करता है अथवा दूरसंचार सेवा प्रदान करना शुरु करता है अथवा एक औद्योगिक पार्क विकसित करता है अथवा उपधारा (4) के वाक्यांश (iii) में संदर्भित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करता है अथवा बिजली उत्पादन करता है अथवा ट्रांसमिशन शुरु करता है अथवा विद्युत का वितरण करता है अथवा वतर्मान ट्रांसमिशन एवं वितरण लाइनों का सारभूत रूप से नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करता है, उस वर्ष से शुरू होने वाले पन्द्रह वर्षों में से किसी भी दस लगातार निर्धारण वर्षों के लिए उसके द्वारा दावा किया जा सकता है।

इसके साथ ही, अधिनियम की धारा 211 के साथ पठित अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, जहां देय अग्रिम कर ₹ 10000 अथवा अधिक है वहां एक निर्धारिती के लिए चार तिमाही किश्तों[27] में अग्रिम कर का भुगतान करना अनिवार्य है। निर्धारिती, अधिनियम की धारा 234 बी के अन्तर्गत अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज तथा धारा 234 सी के अन्तर्गत अग्रिम कर के स्थगन के लिए ब्याज के भुगतान करने के लिए दायी है। धारा 234 बी के अन्तर्गत, ब्याज वहां लागू होता है जहां निर्धारिती अग्रिम कर नहीं चुकाता है अथवा जहां भुगतान किया गया अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम है। धारा 234 सी के अन्तर्गत ब्याज वहां लागू होता है जहां निर्धारिती ने अग्रिम कर की किश्तों को कम निर्धारित किया है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने अप्रैल 2000 तथा अप्रैल 2012 के मध्य आठ पवन/ सौर ऊर्जा परियोजनाओं को निष्पादित किया। अधिनियम की धारा 80 आईए के प्रावधानों के अनुसार इन परियोजनाओं से प्राप्त लाभ तथा परिलाभ 100 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र थे। इन आठ[28] परियोजनाओं में से पांच परियोजनाओं पर कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2004-05 से धारा 80 आईए के अन्तर्गत कटौती का लाभ उठाना शुरू कर दिया था। अतः, ये पांच परियोजनाएं वित्तीय वर्ष 2013-14 तक कटौती के लिए पात्र थी।

हमने देखा (नवंबर 2016) कि कम्पनी द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अग्रिम कर का मूल्यांकन करते समय अधिनियम की धारा 80 आईए के अन्तर्गत इन पांच परियोजनाओं पर लाभों तथा परिलाभों की कटौती को भी ध्यान में रखा गया था। इस प्रकार, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के लिए कम कर देयता का आकलन किया एवं अग्रिम कर की सही किश्तों का भुगतान करने में विफल रही। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए भरी गई[29] (28 सितंबर 2015) मूल आयकर रिटर्न में कम कर देयता का निर्धारण किया गया था। यह गलती सितंबर 2016 में कम्पनी के ध्यान में आई तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एक संशोधित रिटर्न धारा 234 बी तथा 234 सी के अन्तर्गत ₹ 83.32 लाख[30] के ब्याज के दंड के साथ भरी गई (16 सितंबर 2016)।

इस प्रकार, कम्पनी ने अधिनियम की धारा 80 आईए के अन्तर्गत स्वीकृत वांछनीय अवधि से परे परियोजनाओं के लाभों एवं परिलाभों को ध्यान में रखने के कारण वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कर देयता का कम आकलन किया। इसके परिणामतः अधिनियम की धारा 234 बी तथा 234 सी के अन्तर्गत ₹ 83.32 लाख के परिहार्य ब्याज के रुप में जुर्माना हुआ।

सरकार ने अधिनियम की धारा 80 आईए के अन्तर्गत अस्वीकार्य कटौती का दावा करने के तथ्य को स्वीकार किया (जून 2017)। इसने, तथापि, यह तथ्य भी रखा कि कम्पनी को ₹ 67.68 लाख ब्याज के रुप में जुर्माना चुकाना ही पड़ता भले ही इस छूट का दावा नहीं किया गया होता क्योंकि खातों को अंतिम रूप देते समय अप्रत्यक्ष आय में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि

27 15 जून अथवा उससे पहले प्रथम किस्त (अग्रिम कर देयता के 15 प्रतिशत से कम नहीं), 15 सितंबर अथवा उससे पहले द्वितीय किस्त (पिछली किस्त को घटाने के बाद अग्रिम कर देयता के 45 प्रतिशत से कम नहीं), 15 दिसंबर अथवा इससे पहले तृतीय किस्त (पहले वाली किश्तों को घटाने के बाद अग्रिम कर देयता के 75 प्रतिशत से कम नहीं) तथा 15 मार्च अथवा उससे पहले चतुर्थ किश्त (पहले वाली किश्तों को घटाने के बाद अग्रिम कर देयता की सम्पूर्ण राशि)।

28 शेष तीन परियोजनाओं पर कटौती वित्तीय वर्ष 2006-07, 2009-10 एवं 2012-13 से शुरू की गई थी।

29 रिटर्न भरने की देय तिथि 30 सितंबर 2015 थी।

30 धारा 234 बी तथा 234 सी के अन्तर्गत ब्याज जुर्माना 14 सितंबर 2016 को जमा कराया गया था।

हुई थी जिसके कारण वास्तविक देय कर तथा जमा कराये गये अग्रिम कर में व्यापक अंतर आ गया। सरकार ने आगे बताया कि संशोधित रिटर्न के समय चुकाये गए ब्याज के रुप में जुर्माने की राशि सावधि जमाओं में निवेश रही जिससे ₹ 27.34 लाख का ब्याज अर्जित किया गया।

उत्तर सही नहीं था क्योंकि कम्पनी वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अप्रत्यक्ष आय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मार्च 2015 तक ₹ 67.68 लाख ब्याज के रुप में जुर्माने की गणना कर चुकी थी। इसने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि अस्वीकार्य कटौती की देरी से वसूली के कारण कर देयता के भुगतान में देरी से संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तिथि तक (16 सितंबर 2016) ब्याज के रूप में जुर्माने की राशि काफी हद तक बढ़ चुकी थी। संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तिथि तक धारा 234 बी तथा 234 सी के अन्तर्गत कुल जुर्माने की राशि ₹ 1.13 करोड़ थी जिसमें से ₹ 83.32 लाख केवल अधिनियम की धारा 80 आईए के अन्तर्गत अस्वीकार्य कटौती का दावा करने के कारण थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी, अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक देयों का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थी तथा इसलिए यह तर्क कि विलम्बित भुगतान ने इसे ब्याज अर्जित करने में सहायता की, सहमतिकारक नहीं है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

3.9 *व्यावहार्यता अन्तर अनुदान के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी सहभागिता प्रणाली पर ग्रामीण क्षेत्रों में बसों का संचालन*

परिचय

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना' (योजना) की घोषणा की (मार्च 2011)। इस योजना में 'सार्वजनिक-निजी सहभागिता' (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाओं के विस्तार करने की परिकल्पना की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जहां तक संभव हो सके सभी पंचायत मुख्यालयों को तहसील मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों, कृषि उपज मंडियों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, औद्योगिक क्षेत्रों, बस टर्मिनलों तथा रेलवे स्टेशनों के साथ जोड़ते हुए अगले तीन वर्षों में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बस संपर्क सुविधा प्रदान करना था। राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में 'राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम' (निगम) को नामांकित किया (मार्च 2011)।

निगम ने अलवर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा एवं करौली जिलों तथा कोटपुतली तहसील में ग्रामीण परिवहन सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना की व्यापक योजना एवं संभाव्यता रिपोर्ट सहित राज्य में ग्रामीण परिवहन सेवाओं के लिए एक संकल्पना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पीडीकोर लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (सलाहकार) के रूप में नियुक्त किया (जुलाई 2011)। संभाव्यता रिपोर्ट में समूह गठन के बारे में विस्तृत रिपोर्ट, बस संचालन योजना तैयार करना, लागत अनुमान एवं वित्तीय विश्लेषण, परियोजना कार्यान्वयन रणनीति एवं निविदा प्रक्रिया प्रबंधन शामिल किया गया था।

सलाहकार ने निगम को संकल्पना पत्र (जुलाई 2011) तथा संभाव्यता रिपोर्ट (फरवरी 2012) को प्रस्तुत किया। संभाव्यता रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि बस संचालक छह साल की पूर्व-निर्धारित अवधि के लिए प्रत्येक समूह के लिए मिडी बसों की खरीद, धारण, संचालन

एवं रखरखाव करेगा, किराये एवं विज्ञापन राजस्व को एकत्र करेगा एवं रखेगा तथा निगम को भुगतान करेगा अथवा हर समूह के लिए निश्चित व्यावहार्यता अंतर का भुगतान करने के लिए कहेगा। व्यावहार्यता अंतर द्वारा बसों के संचालन में बस संचालक द्वारा अर्जित किये गये राजस्व से किये गये अधिक व्यय को दर्शाया गया। बस संचालकों को देय व्यावहार्यता अंतर राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना था।

राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न अनियमितताओं का हवाला देते हुए नई निविदाएं आमंत्रित करने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की (दिसंबर 2016) तथा आखिरकार 1 अप्रैल 2017 से इस योजना को बंद कर दिया। तथापि, 31 मार्च 2017 तक बस संचालकों को देय व्यावहार्यता अंतर को अनुमत्त किया।

वर्तमान लेखापरीक्षा का आयोजन यह आकलन करने के लिए किया गया कि क्या निगम ने बजट घोषणा के अनुसार योजना को कार्यान्वित किया तथा वांछित परिणाम प्राप्त किए। मार्च 2017 तक, यह योजना निगम द्वारा राज्य के 19 जिलों में स्थित 49 संचालित[31] डिपोज में से 23 डिपोज में कार्यान्वित की जा रही थी। हमारे द्वारा 23 डिपोज में से चार (जयपुर, दौसा, करौली तथा हनुमानगढ़) में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। डिपोज का चयन 2015-16 तक निगम द्वारा अधिकतम व्यावहार्यता अंतर के भुगतान के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (फरवरी से अप्रैल 2017) में प्रधान कार्यालय तथा चयनित डिपोज पर रिकॉर्ड की समीक्षा की गई। अनुच्छेद में अन्य डिपो के संबंध में, जहां निगम द्वारा पर्याप्त सूचना प्रदान की गई, का वित्तीय प्रभाव भी शामिल है।

अनुच्छेद को निगम के उत्तरों (अगस्त 2017) को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया। सरकार ने निगम के उत्तर की पुष्टि की (सितम्बर 2017)।

3.9.1 *योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति*

सलाहकार ने अनुमान लगाया कि राजस्थान राज्य में जनवरी 2009 के अनुसार राज्य के 33 जिलों में 9,192 ग्राम पंचायतें थी। निगम 3,615 ग्राम पंचायतों में बस सेवाएं प्रदान कर रहा था जबकि चार ग्राम पंचायतें सड़कों से नहीं जुड़ी हुई थी। इस प्रकार, निगम को 5,573 ग्राम पंचायतों में इस योजना को लागू करना आवश्यक था। सलाहकार ने 9,188 ग्राम पंचायतों को बस कनेक्टीवीटी प्रदान करने के लिए लगभग 2,000 मिडी बसों (फील्ड सर्वेक्षण के अधीन 20 प्रतिशत विचलन को मानते हुए) की आवश्यकता का अनुमान लगाया।

निगम ने शुरू में इस योजना को 23 जिलों के 30 डिपो में कार्यान्वित किया। तथापि, मार्च 2017 तक, यह योजना केवल 19 जिलों के 23 डिपो में कार्यान्वित की जा रही थी। यह इंगित करता है कि निगम राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बस कनेक्टीवीटी प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा।

3.9.2 *योजना के क्रियान्वयन के विश्लेषण में लेखापरीक्षा की सीमाएं*

इस योजना के कार्यान्वयन में परिवहन विभाग की प्रमुख भूमिका थी क्योंकि यह मार्गों को अधिसूचित करने, पंजीयन प्रमाण पत्र तथा मार्ग परमिट जारी करने के लिए अधिकृत था। निगम तथा परिवहन विभाग ने, तथापि, फरवरी 2017 तथा अप्रैल 2017 के मध्य किये गये विभिन्न

31 कार्यशालाओं, डीलक्स डिपो एवं राज्य के बाहर स्थित डिपो को छोड़कर।

निवेदनों एवं जारी किए गए स्मरण पत्रों के उपरांत भी ग्राम पंचायतों एवं समुहों जहां योजना के अंतर्गत बस कनेक्टीवीटी नियोजित थी, से संबंधित जिलेवार सूचना/ अभिलेख, फरवरी 2012 के दौरान पहली बार आमंत्रित निविदाओं, ग्रामीण कनेक्टीवीटी बढ़ाने के लिए अधिसूचित मार्गों की संख्या, अधिसूचित मार्गों/ समूहों पर बसों के संचालन, योजना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों आदि से संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

निगम के उत्तर ने इस मामले को संबोधित नहीं किया।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर चयनित डिपोज में योजना के क्रियान्वयन में देखी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई हैं।

3.9.3 *व्यावहार्यता अंतर की दर का अनुचित निर्धारण*

निगम ने सलाहकार द्वारा तैयार किये गये आरएफपी प्रलेखों तथा संभाव्यता रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 11[32] जिलों के चिन्हित किये गये समूहों में बसों के संचालन के लिए निविदाएं आमंत्रित की (फरवरी 2012)। आरएफपी के वाक्यांश 1.7 (निविदा प्रक्रिया) में प्रावधान था कि निविदादाता निम्नलिखित रूपों में से किसी एक में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे;

- प्रीमियम प्रति किलोमीटर जो निविदादाता समूह के लिए निगम को भुगतान करेगा अथवा
- प्रति किलोमीटर व्यावहार्यता अंतर जो निविदादाता समूह के लिए निगम से मांग के लिए प्रस्तावित करेगा।

आरएफपी प्रलेख के साथ संलग्न किये गये फॉर्म एफ 1 (मूल्य प्रस्ताव प्रारूप) में भी निविदादाताओं को प्रीमियम अथवा व्यावहार्यता अंतर को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

निगम को केवल तीन जिलों (अलवर, दौसा तथा करौली) के लिए दो (स्टार रूरल बस लिंक्स, नई दिल्ली तथा करौली परिवहन सहकारी समिति लिमिटेड) फर्मों से निविदाएं प्राप्त हुई। स्टार रूरल बस लिंक्स (स्टार लिंक्स) ने ₹ 9.50 प्रति किलोमीटर (किमी) की दर पर व्यावहार्यता अंतर के भुगतान पर अलवर तथा दौसा जिलों के समूहों में बसों को संचालित करने के लिए प्रस्ताव दिया जबकि करौली परिवहन सहकारी समिति लिमिटेड (करौली परिवहन) ने करौली जिले के समूहों के लिए ₹ 25 प्रति किमी की दर से व्यावहार्यता अंतर की मांग की।

निगम ने सलाहकार द्वारा गणना की गई वीजीएफ की दर (₹ 4.48 प्रति किमी) एवं निविदादाताओं द्वारा प्रस्तावित दरों के बीच व्यापक अंतर को देखते हुए निविदादाताओं के साथ मोलभाव किया (मई तथा जून 2012)। मोलभाव के दौरान, स्टार लिंक्स ने अपनी दर को ₹ 9.35 प्रति किमी तक घटा दिया लेकिन करौली परिवहन ने अपनी दर को घटाने से इनकार कर दिया। निगम ने स्टार लिंक द्वारा प्रस्तुत संशोधित वित्तीय योजना का विश्लेषण करने के लिए सलाहकार को कहा (जून 2012)। सलाहकार ने सिफारिश की (जून 2012) कि निगम अलवर तथा दौसा जिलों के समूहों के लिए घटाई गई दर पर स्टार लिंक्स को अनुबंध प्रदान कर सकती है। इसने यह भी सिफारिश की कि विज्ञापन से राजस्व को ध्यान में रखने के बाद

32 अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर, डुंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा प्रतापगढ़।

दर को ₹ 0.05 प्रति किमी तक और घटाया जा सकता था। तथापि, स्टार लिंक्स आखिरकार ₹ 9.32 प्रति किमी की दर से सहमत हुआ (जून 2012)। छह वर्ष की अवधि के लिए व्यावहार्यता अंतर की दर तय करने में ध्यान में रखी गई बसों के संचालन की लागत, आय तथा यात्रीभार घटक निम्नानुसार थीः

माना गया यात्री भार घटक (प्रतिशत में)					
प्रथम वर्ष	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**	**चतुर्थ वर्ष**	**पंचम वर्ष**	**छठवाँ वर्ष**
42	**45**	**50**	**53**	**58**	**65**
संचालन की औसत अनुमानित लागत (₹ प्रति किमी में)					**19.79**
औसत अनुमानित आय (₹ प्रति किमी में)					**10.47**
व्यावहार्यता अंतर (₹ प्रति किमी में)					**9.32**

वित्त विभाग (राजस्थान सरकार) ने ₹ 9.32 प्रति किमी की व्यावहार्यता अंतर अनुदान की दर को मंजूरी दी। बाद में, करौली परिवहन भी स्टार लिंक्स द्वारा स्वीकार की गई दर पर बसों के संचालन के लिए सहमत हुआ (जुलाई 2012)। तदनुसार, निगम ने अलवर, दौसा तथा करौली जिलों के चुने हुए समूहों में बसों के संचालन के लिए निविदादाताओं के साथ समझौता किया (अक्टूबर तथा नवंबर 2012)।

हमने देखा कि निगम ने स्टार लिंक्स द्वारा प्रस्तुत वित्तीय योजना के आधार पर ₹ 9.32 प्रति किमी की दर को व्यावहार्यता अंतर की मॉडल दर के रूप में अपनाया। यह दर, वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान आगामी निविदाओं में छह साल की अवधि के लिए प्रत्येक समूह के लिए अधिकतम दर के रूप में प्रस्तावित की गई। यहां तक कि इन निविदाओं के अनुच्छेद-1 (प्राधिकार) के वाक्यांश 1.1 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि आरएफपी के नियमों तथा शर्तों के अनुसार बस संचालक निगम से ₹ 9.32 प्रति किमी के अधिकतम व्यावहार्यता अंतर को प्राप्त कर सकेंगे।

हमने आगे देखा कि बस संचालकों ने फॉर्म एफ 1 में, निगम द्वारा प्रस्तावित अधिकतम दर (₹ 9.32 प्रति किमी) बिना किसी सहायक वित्तीय योजना के दरें उद्धत की। निगम ने इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि बस संचालक व्यावहार्यता अंतर की अधिकतम निर्धारित दर परिकल्पित यात्री भार प्राप्त करने पर प्रीमियम सृजित करेगा, निम्नतम निविदादाता के पक्ष में छह वर्षों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया।

हमने देखा कि

- प्रत्येक समूह के लिए सबसे व्यवहार्य दर की गणना करने के लिए प्रत्येक समूह के लिए संभावित आय एवं व्यय को दर्शाते हुए कम्पनी द्वारा वित्तीय योजना तैयार नहीं की गई
- आरएफपी के वाक्यांश 1.7 के अनुसार निविदादाताओं को वित्तीय योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी लेकिन किसी भी निविदादाता द्वारा छह साल की अवधि के लिए प्रत्येक समूह के लिए संभावित राजस्व, व्यय, भार तत्व, तथा प्रीमियम /व्यावहार्यता अंतर को दर्शाते हुए योजना प्रस्तुत नहीं की गई। निगम ने भी निविदादाताओं द्वारा उद्धृत की गई दर को उचित ठहराते हुए निविदाओं के मूल्यांकन के समय पर वित्तीय योजनाएं प्राप्त नहीं की तथा

- निगम ने सलाहकार की सिफारिश पर ध्यान नहीं दिया कि व्यावहार्यता अंतर का भुगतान सीधे यात्री भार घटक से जुड़ा हुआ था।

इस प्रकार, निगम द्वारा निश्चित की गई व्यावहार्य अंतर की अधिकतम दर समूह की स्थिति एवं समूह पर यात्री भार घटक एवं लोगों के लिए परिवहन के अन्य साधनों की उपलब्धता जैसे अन्य अत्यावश्यक घटकों तथा आय एवं व्यय के किसी विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित नहीं थी जिन समूहों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी।

निगम ने राज्य के प्रत्येक जिले के हर समूह के लिए सभी दशाओं में व्यावहार्यता अंतर प्राप्त करने के लिए बस संचालकों को एक अवसर भी प्रदान किया। इस तथ्य से यह प्रमाणित होता है कि किसी भी बस संचालक ने किसी भी समूह के लिए प्रीमियम उद्धत नहीं किया तथा निगम को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान अंतिम रूप दिये गये सभी निविदाओं के संबंध में व्यावहार्यता अंतर का भुगतान करना पड़ा। चयनित जिलों में, निगम ने 27 में से 19 समूहों के लिए ₹ 6.88 से ₹ 9.21 प्रति किमी के मध्य दरों पर निविदाएं प्रदान की।

हमने आगे देखा कि निगम द्वारा अनुमानित घटक की तुलना में उच्चतर भार घटक के कारण जब बस संचालक अधिक राजस्व अर्जित कर रहे थे उसके दौरान निगम ने अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए आरएफपी/ निविदा आमन्त्रण सूचनाओं में पर्याप्त वाक्यांशों को शामिल नहीं किया। व्यावहार्यता अंतर के लिए भुगतान आरएफपी के वाक्यांश 7.2.1 के अनुसार बस संचालकों को जारी किये गये थे जिसने दैनिक वाहन उपयोग (किलोमीटर्स में) को निगम द्वारा स्वीकार किए गए व्यावहार्यता अंतर की दर से गुणा करने के आधार पर भुगतान की अनुमति दी।

वित्त विभाग ने बस संचालकों को देय राशि में क्रमिक कमी द्वारा व्यावहार्यता अंतर के उन्मूलन के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए निगम को निर्देशित किया (जनवरी 2014)। निगम ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि व्यावहार्यता अंतर में कमी की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि गणना छह साल की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय को ध्यान में रखते हुए की जा चुकी थी।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विभिन्न डिपोज में बस संचालकों द्वारा प्राप्त किया गया वास्तविक औसत भार घटक व्यावहार्यता अंतर की दर तय करने में परिकल्पित भार घटक की तुलना में बहुत अधिक (श्रीमाधोपुर डिपो में दोगुने से अधिक) था। चयनित[33] डिपो में बस

33 निगम ने करौली डिपो के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की।

संचालकों द्वारा प्राप्त किये गये वास्तविक औसत भार घटक निम्नानुसार थेः

डिपो का नाम	बस संचालक का नाम	वास्तविक औसत यात्री भार घटक (प्रतिशत में)			
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष
व्यावहार्यता अंतर की दर तय करने के लिए निगम द्वारा माना गया भार घटक (प्रतिशत)		**42**	**45**	**50**	**53**
जयपुर	नो-वैल इंडिया ट्यूर्स प्राइवेट लिमिटेड	69.00	71.25	70.17	-
दौसा	प्रशांत इलेक्ट्रॉनिक्स	42.83	-	50.86	-
	स्टार लिंक्स	57.00	61.50	57.10	55.00
हनुमानगढ़	गुरजीत सिंह	64.75	66.83	67.26	-
	भागीरथ दूधवाल	64.42	64.25	80.17	-
	सीताराम प्रताप सिंह	46.08	52.18	-	-

निगम ने 12[34] डिपो में बस संचालकों द्वारा प्राप्त किये गये उच्च भार घटक की अनदेखी करते हुये वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान ₹ 13.26 करोड़ के व्यावहार्यता अंतर का अधिक भुगतान किया। इसे वसूल किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि व्यावहार्यता अंतर की दर तय करने हेतु ध्यान में रखे गये लाभ-अलाभ बिंदु पर बस संचालकों को उनके द्वारा किए गए सभी व्ययों की क्षतिपूर्ति कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, इसने सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया क्योंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित की गई थी।

निगम ने बताया कि स्टार लिंक्स द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत वित्तीय रिपोर्ट, सलाहकार द्वारा विश्लेषित की गई थी तथा विस्तृत विश्लेषण के बाद इसने वीजीएफ की औसत दर की सिफारिश की थी। निगम ने आगे बताया कि वीजीएफ की दर विस्तृत परीक्षण एवं अनुबंधावधि के लिए मोलभाव के बाद तय की गई थी। तथ्य यही रहा कि निगम द्वारा तय की गई संभाव्यता की अधिकतम दर उन समूहों के राजस्व तथा व्यय, समूह का स्थान, समूह पर यात्री भार घटक तथा अन्य महत्वपूर्ण घटक, लोगों के लिए परिवहन के अन्य साधनों की उपलब्धता इत्यादि जैसे किसी भी आंकड़ों पर आधारित नहीं थी जिनके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी।

3.9.4 *बस संचालकों द्वारा मानव संसाधन अधिभार तथा दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार का संग्रहण*

आरएफपी के वाक्यांश 3.1 में निर्दिष्ट था कि बस संचालक ग्रामीण मार्गों के लिए समय-समय पर निगम/ परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित किये गये किराये के अनुसार यात्रियों से किराया वसूल करेंगे। हमने देखा कि निगम/ परिवहन विभाग ने मार्गानुसार किराया सारणी को अधिसूचित नहीं किया तथा इसके स्थान पर निगम ने आरएफपी के साथ अनुसूची सी[35] संलग्न

34 जयपुर (₹ 5.17 करोड़), दौसा (₹ 2.79 करोड़), हनुमानगढ़ (₹ 0.53 करोड़), श्रीमाधोपूर (₹ 1.00 करोड़), नागौर (₹ 0.15 करोड़), खेतड़ी (₹ 1.46 करोड़), मत्स्य नगर (₹ 0.28 करोड़), गंगानगर (₹ 0.30 करोड़), ब्यावर (₹ 0.44 करोड़), अनूपगढ़ (₹ 0.79 करोड़), अलवर (₹ 0.32 करोड़) तथा आबू रोड (₹ 0.03 करोड़)। शेष डिपो का भार घटक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

35 अनुसूची सी में भिन्न-भिन्न प्रकार की बसों के लिए कुल किराये की गणना के लिए डिपोज को निर्देश दिये गये थे। कुल किराये में प्रति किमी मूल किराये के साथ एचआरएस, एसीएस, टोल इत्यादि जैसे कई अन्य प्रभार शामिल थे।

की जिसमें इसके द्वारा संचालित भिन्न-भिन्न प्रकार की बसों (साधारण, एक्सप्रेस, डीलक्स इत्यादि) के लिए टैरिफ संरचना दी गई थी।

अनुसूची सी की समीक्षा में उजागर हुआ कि उसने बस संचालकों को ₹ 0.58 प्रति किमी के आधार किराये के साथ यात्रियों से मानव संसाधन अधिभार (एचआरएस) तथा दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार (एसीएस) एकत्रित करने की अनुमति दी।

बस संचालकों को यात्रियों से एसीएस तथा एचआरएस को एकत्रित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी क्योंकि राज्य सरकार ने इन योजनाओं को क्रमशः वर्ष 2000 तथा 2001 में निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ, कर्मचारी स्वास्थ्य तथा चिकित्सा जांच, परिचालन स्टाफ के दीर्घकालिक कौशल विकास, निगम की बसों के दुर्घटना के मामले में यात्रियों को मुआवजे इत्यादि के निगम के विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिसूचित किया था। राज्य सरकार ने निजी बस संचालकों को यात्रियों से एचआरएस तथा एसीएस की वसूली करने के लिए निगम को अधिकृत नहीं किया था। इसके साथ ही, निगम द्वारा तय किये गये व्यावहार्यता अंतर की दर में भी यात्रियों से केवल आधार किराये की वसूली को ध्यान में रखा था। एचआरएस तथा एसीएस, बस संचालकों को देय व्यावहार्यता अंतर की दर को निर्धारित करने में ध्यान में रखी गई आय का हिस्सा नहीं थे।

निगम को बस संचालकों से एचआरएस तथा एसीएस की रकम वसूल करनी चाहिए क्योंकि यात्रियों से इसको प्रभारित करने के लिए उन्हें अधिकृत नहीं किया गया था। हमने देखा कि बस संचालकों ने वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान 14 डिपो (करौली डिपो के 2 समुहों सहित) में यात्रियों से एचआरएस एवं एसीएस के पेटे ₹ 7.68 करोड़ की राशि एकत्र की। निगम से सूचना के अभाव के कारण एचआरएस तथा एसीएस के पेटे शेष डिपो में बस संचालकों द्वारा किया गया संग्रहण का पता नहीं लगाया जा सका।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग किराये को अधिसूचित करने में निगम की विफलता ने बस संचालकों द्वारा यात्रियों से एचआरएस तथा एसीएस के अनाधिकृत संग्रहण को बढ़ावा दिया।

निगम ने बताया कि इस मुद्दे की जांच की जा रही थी तथा बस संचालकों द्वारा अनधिकृत संग्रहण की स्थिति में उचित कार्रवाई की जाएगी।

3.9.5 *ट्रैफिक चालान, अर्थदंड तथा जुर्माने के पेटे अनियमित भुगतान*

निगम ने स्टार लिंक्स द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय योजना को पूरे राज्य के लिए आदर्श योजना के रूप में अपनाया। वित्तीय योजना की समीक्षा में उजागर हुआ कि संचालन की लागत में ट्रैफिक चालान, अर्थदंड तथा सजा के घटक को शामिल किया गया था जिसे बस संचालकों को देय व्यावहार्यता अंतर की दर तय करने में निगम द्वारा अलग नहीं किया गया था।

हमने देखा कि परिचालन लागत के भाग के रूप में ट्रैफिक चालान, अर्थदंड तथा जुर्माने का विचार आरएफपी के अनुच्छेद VII के वाक्यांश 8 के अनुरूप नहीं था जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि ट्रैफिक पुलिस अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगया गया कोई भी जुर्माना संचालक द्वारा सीधा वहन किया जाएगा तथा निगम का ऐसी घटनाओं के लिए कोई दायित्व नहीं था।

मार्च 2016 तक, निगम ने 20 डिपो के संबंध में ट्रैफिक चालान, अर्थदण्ड एवं जुर्माने के पेटे बस संचालकों को ₹ 1.41 करोड़[36] का अनियमित भुगतान किया जिसे आरएफपी के अनुच्छेद-7 के वाक्यांश 8 के अनुसार वसूल करने की आवश्यकता है। निगम से सूचना के अभाव के कारण शेष डिपो के संबंध में ट्रैफिक चालान, अर्थदंड तथा जुर्माने के पेटे अनियमित भुगतान का निर्धारण नहीं किया जा सका।

निगम ने बताया कि संबंधित डिपोज से रिपोर्टस मांगी गई थी जिनमें दर्शाया गया था कि इन शीर्षों के अन्तर्गत सीधे कोई भुगतान नहीं किया गया था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि वीजीएफ दर की गणना में ट्रैफिक चालान, अर्थदण्ड एवं जुर्माने का तत्व शामिल किया गया था।

3.9.6 *ईटीआईएम डाटा को प्रस्तुत नहीं करने के लिए जुर्माने की वसूली का अभाव*

आरएफपी का अनुच्छेद IV (ix) में निर्धारित था कि बस संचालकों द्वारा निगम को दैनिक आधार पर इलेक्ट्रॉनिक टिकेटिंग इश्युइंग मशीन (ईटीआईएमस) के डाटा प्रदान किये जाएगें एवं इसमें विफल होने पर ₹ 100 प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

हमने देखा कि बस संचालकों ने दैनिक आधार पर ईटीआईएमस के डाटा उपलब्ध नहीं कराए तथा निगम ने भी इसके लिए नहीं पूछा। इस प्रकार, निगम भिन्न-भिन्न मार्गों पर यात्रियों से बस संचालक द्वारा प्रभारित किये गये किराए की निगरानी नहीं कर सका। इसके साथ ही, निगम ने दैनिक आधार पर ईटीआईएमस के डाटा उपलब्ध नहीं कराने के लिए चयनित डिपो में बस संचालकों से ₹ 1.53 करोड़[37] की जुर्माना राशि की वसूली भी नहीं की।

निगम ने बताया कि इस मुद्दे की जांच की जा रही थी तथा ईटीआईएमस डाटा प्रस्तुत नहीं करने के लिए उचित कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

3.9.7 *राज्य सरकार को गलत सूचना देना*

वित्त विभाग ने निगम को वित्तीय सलाहकार से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ व्यावहार्यता अंतर के भुगतान के लिए दावों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया (सितंबर 2013)। वित्तीय सलाहकार को यह प्रमाणित करना था कि व्यावहार्यता अंतर के दावों की गणना वास्तविक संचालन के आंकड़ों तथा बस संचालक के साथ निष्पादित किये गये परिचालन समझौते के अनुसार की गई थी।

निगम ने वित्तीय सलाहकार के प्रमाण पत्र के अन्तर्गत दावों को पेश किया। चयनित डिपो में, हमने देखा कि राज्य सरकार को सूचित किए गए संचालित किलोमीटर्स तथा जिन किलोमीटर्स के आधार पर बस संचालकों को व्यावहार्यता अंतर का भुगतान किया गया था, के मध्य व्यापक अंतर था। यहां तक कि राज्य सरकार को सूचित किए गए संचालित किलोमीटर्स भी समूहों के अनुसूचित किलोमीटर्स के साथ मेल नहीं करते थे। इसके परिणामतः वर्ष 2013-16 के दौरान बस संचालकों को भुगतान किए गए वास्तविक व्यावहार्यता अंतर की तुलना में राज्य सरकार को ₹ 6.80 करोड़ के अतिरिक्त दावे किये गये जैसा कि **अनुबंध 10** में दर्शाया गया।

36 6.13 करोड़ किमी गुणा ₹ 0.23 प्रति किमी।

37 दौसा (₹ 0.59 करोड़), जयपुर (₹ 0.42 करोड़), करौली (₹ 0.44 करोड़) तथा हनुमानगढ़ (₹ 0.08 करोड़)।

हमने देखा कि दावों को दर्ज कराने के समय निगम के पास सटीक सूचना की उपलब्धता नहीं होना, वास्तविक तथा सूचित आंकड़ों के बीच भिन्नता का कोई कारण नहीं था क्योंकि बसों के वास्तविक संचालन के एक से तीन महीने के पश्चात दावों को राज्य सरकार के पास दायर किया गया था। इस समय तक निगम के पास बस संचालकों द्वारा माँग किए गए संचालित किलोमीटर्स का डाटा उपलब्ध था क्योंकि बिल पाक्षिक आधार पर प्रस्तुत किये गये थे। इसके साथ ही, व्यावहार्यता अंतर का भुगतान संचालन समझौते में उल्लिखित अनुसूचित किलोमीटर्स अथवा वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) द्वारा दर्ज किये गये संचालित किलोमीटर्स अथवा बिलों में बस संचालकों द्वारा दावा किये गए संचालित किलोमीटर्स में से निम्नतम पर आधारित था।

निगम ने बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त की गई वीजीएफ की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, का उपयोग मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा।

3.9.8 *बैंक गारंटियों को नहीं भुनाना*

निगम के अलवर डिपो ने जिले के नौ समुहों में 100 बसों के संचालन के लिए स्टार लिंक्स (संचालक) के साथ परिचालन समझौता किया (नवंबर 2012)। परिचालन समझौते के अनुसार, संचालक ने 23 नवंबर 2015 तक वैधता वाली ₹ 15 लाख की नौ बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत की। निगम ने आरएफपी/ परिचालन समझौतों के सभी नियमों तथा शर्तों की अनुपालना नहीं करने के कारण सभी समझौतो को समाप्त कर दिया (जुलाई 2015 से जनवरी 2016)। संचालक को देय व्यावहार्यता अंतर को समायोजित करने के पश्चात निगम ने ₹ 2.82 करोड़ का जुर्माना लगाया (14 सितंबर 2016)। संचालक ने जुर्माना जमा नहीं कराया (अप्रैल 2017) तथा मामला उच्च न्यायालय (जयपुर) के पास लंबित था (अप्रैल 2017)।

हमने देखा कि निगम ने पहले समझौते (अलवर डिपो का समूह नंबर 5 तथा 6) के निरस्तीकरण (जुलाई 2015) के बाद जुर्माने की राशि की गणना नहीं की तथा उनकी वैधता के दौरान बीजी को भी नहीं भुनाया। निगम ने बीजी की वैधता की अंतिम तिथि (23 नवंबर 2015) को बीजी को भुनाने के लिए बैंक को एक पत्र लिखा था। बैंक ने निगम को उत्तर नहीं दिया तथा बीजी को भी नहीं भुनाया। इसके साथ ही, संचालक ने 8 सितंबर 2016 तक वैधता के साथ समूह नंबर 4 के लिए ₹ 45,000 की एक अन्य बीजी को प्रस्तुत किया था (9 सितंबर 2013) लेकिन पर्याप्त समय एवं संचालक से भारी जुर्माना वसूलनीय होने के उपरांत भी निगम द्वारा इसे भी नहीं भुनाया गया। इसके अतिरिक्त, अलवर डिपो द्वारा मई 2013 से फरवरी 2014 के दौरान संचालक को जारी किये गये भुगतानों में से ₹ 0.39 लाख कम टीडीएस (स्रोत पर कर की कटौती) काटा गया।

निगम ने बैंक गारंटीज को नहीं भुनाने के संबंध में कोई विशेष उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

3.9.9 *व्यावहार्यता अंतर निधि लेखे का मिलान नहीं होना*

हमने देखा कि निगम ने राज्य सरकार से प्राप्त निधियों तथा बस संचालकों को व्यावहार्यता अंतर के पेटे किये गए भुगतानों का कभी भी मिलान नहीं किया। निगम ने राज्य सरकार से वर्ष 2013-16 के दौरान ₹ 56.33 करोड़[38] की धनराशि प्राप्त की जिसमें से मार्च 2016 तक ₹ 42.37 करोड़ बस संचालको को भुगतान किए गए थे। इस प्रकार, निगम के पास ₹ 13.96

38 2013-14 (₹ 5.63 करोड़), 2014-15 (₹ 29.85 करोड़) तथा 2015-16 (₹ 20.85 करोड़)।

करोड़ अप्रयुक्त राशि होनी चाहिए थी। तथापि, बजट अनुभाग के अनुसार, उपलब्ध धनराशि ₹ 7.20 करोड़ थी जबकि वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2016 को ₹ 1.99 करोड़ की शेष राशि का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही, निगम के मुख्य कार्यालय पर संधारित व्यावहार्यता अंतर कोष के समेकित विवरण में वर्ष 2014-16 के दौरान ₹ 48.47 करोड़[39] का शुद्ध भुगतान दर्शाया गया था। ट्रैफिक अनुभाग द्वारा ₹ 6.67 करोड़ के भुगतान के लिए स्वीकृति जारी करने के उपरांत भी वर्ष 2013-14 के दौरान किये जाने वाले किसी भी भुगतान के बारे में सूचित नहीं किया।

निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि भुगतान की वास्तविक स्थिति एवं शेष राशि को संकलित किया जा रहा था।

3.9.10 *आरएफपी तथा मार्ग परमिट्स से भिन्न बसों का संचालन*

आरएफपी के अनुच्छेद IV के वाक्यांश 4.1 में प्रावधान था कि संचालक केवल आवंटित मार्गों तथा समय-समय पर निर्दिष्ट समय एवं आवृत्ति के अनुसार निगम के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षणाधीन निर्दिष्ट संख्या में बसों का संचालन करेगा। इसके साथ ही, वाक्यांश 6.3 के अनुसार प्रत्येक समूह के लिए बनाई गई एक समिति[40] द्वारा मार्गों के संशोधन/ फेरबदल से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जायेगा। समिति को एकल चरण में मूल लम्बाई के 10 प्रतिशत तक एवं एक वर्ष में अधिकतम चार बार तक समूह में किसी भी मार्ग को बढ़ाने अथवा संशोधित करने के लिए अधिकृत किया गया था। निर्धारित सीमाओं से बाहर मार्गों के संशोधन/ परिवर्तन के लिए प्रबंध निदेशक की मंजूरी आवश्यक थी। मार्गों के संशोधन के कारण वित्तीय निहितार्थ दोनों पार्टियों को पारस्परिक सहमति पर गणना करनी थी तथा व्यावहार्यता अंतर की राशि को तदनुसार समायोजित करना था।

चयनित डिपो में अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि आरएफपी में परिकल्पित मार्ग, मार्ग की लंबाई, तथा दैनिक फेरों की संख्या को बसों के संचालन से पहले ही ज्यादातर मामलों में निगम द्वारा बदल दिया गया था। इसके अतिरिक्त, बस संचालकों के अनुरोध पर डिपोज ने अनुमोदित मार्गों तथा दैनिक यात्राओं की संख्या में बदलाव भी किए।

निर्दिष्ट मार्गों में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत समितियों का विवरण किसी भी चयनित डिपों में उपलब्ध नहीं था। इसके साथ ही, निगम ने निर्दिष्ट मार्गों के संशोधन/परिवर्तन के कारण व्यावहार्यता अंतर में कोई समायोजन नहीं किया।

लेखापरीक्षा के साथ चर्चा के दौरान निगम के अधिकारियों ने बताया कि निगम, परिवहन विभाग तथा संचालक के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के पश्चात मार्ग बदले गए। आरएफपी में निर्दिष्ट मार्गों के लिए परिवहन विभाग द्वारा परमिट जारी नहीं किए जाने के कारण भी मार्ग बदल दिए गए। परिवहन विभाग से परमिट जारी करने के लिए मनाही तथा संयुक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन का एक भी मामला, तथापि, निगम के पास उपलब्ध नहीं था। इसके साथ ही, परिवहन विभाग ने भी लेखापरीक्षा को इस तरह का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। इस प्रकार, बस

39 2014-15 के दौरान ₹ 30.68 करोड़ एवं 2015-16 के दौरान जुर्माने की राशि ₹ 0.91 करोड़ को घटाकर ₹ 18.70 करोड़।

40 संबंधित डिपो का मुख्य प्रबंधक, जिला परिवहन अधिकारी एवं संचालक का प्रतिनिधि।

संचालकों के अनुरोध पर आरएफपी में निर्दिष्ट मार्गों में परिवर्तन की आवश्यकता का पता नहीं लगाया जा सका।

जयपुर डिपो में संचालित (15 नवंबर 2015 से 30 नवंबर 2015) की गई 48 बसों की नमूना जांच में उजागर हुआ कि 45 बसों को अनुमोदित मार्गों से बदलकर चलाया गया। दैनिक आधार पर इन बसों के संदर्भ में वीटीएस द्वारा दर्ज किए गए वास्तविक यात्रा किलोमीटर्स आवंटित किलोमीटर्स से कम थे। हमने पाया कि 15 दिनों की अवधि के दौरान इन बसों द्वारा 1,330 मार्ग-परिवर्तन किये गये जिसमें एक बस द्वारा अधिकतम 98 बार मार्ग बदला गया।

बस संचालक, प्रत्येक मार्ग-परिवर्तन के लिए ₹ 200 का जुर्माना चुकाने के लिए दायी थे लेकिन निगम द्वारा स्वीकृत मार्ग की लंबाई तथा फेरों की बड़ी संख्या में मार्ग-परिवर्तन के उपरांत भी कोई जुर्माना नहीं लगाया था।

निगम ने, निर्दिष्ट विवरण दिये बिना ही बताया कि मार्गों में विचलन के लिए जुर्माना लगाया गया था तथा इसकी कटौतियां कर ली गई थी। निगम ने आगे बताया कि यदि आगे कोई विचलन, निगम के ध्यान में आयेगा तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

3.9.11 *आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी में कमी तथा अनुबंध प्रबंधन में कमियां*

आरएफपी, बस संचालकों के साथ निष्पादित किये गये संचालन समझौते, तथा चयनित डिपोज पर अन्य अभिलेखों की समीक्षा में अनुबंध प्रबंधन में निम्नलिखित कमियां तथा निगम की तरफ से आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी का अभाव उजागर हुआ।

- छह साल की अनुबंध अवधि के लिए प्रत्येक समूह के लिए अग्रिम जमा धनराशि को अनुबंध के अनुमानित मूल्य का पता लगाये बिना केवल ₹ 5,000 रखा गया। इसने राजस्थान लोक प्रापण में पारदर्शिता नियमों (आरटीपीपी) 2013 के नियम 42 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (जीएफएण्डएआर) के नियम 57 का उल्लंघन किया जो बताता है कि ईएमडी विषय वस्तु के अनुमानित मूल्य के दो प्रतिशत की दर से प्राप्त किया जाना है। निगम, अनुबंध अवधि के दौरान अनुसूचित किलोमीटर्स के साथ निविदादाताओं को प्रस्तावित की गई व्यावहार्यता अंतर की दर से गुणा करके अनुबंध मूल्य का अनुमान लगा सकता था।

- आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 75 तथा जीएफएण्डएआर के नियम 57 के उल्लंघन में निष्पादन सुरक्षा जमा को निम्नत्तर (₹ 15,000/ ₹ 25,000 प्रति बस) रखा गया जो यह प्रावधान करता है कि निष्पादन सुरक्षा जमा कार्यादेश के मूल्य के कम से कम पांच प्रतिशत होनी चाहिए।

निगम ने बताया कि आरएफपी /निविदा प्रलेखों के अनुसार अग्रिम जमा राशि तथा निष्पादन सुरक्षा जमा की मांग की गई थी। तथ्य यही रहा कि निगम ने आरटीपीपी नियमों के अनुरूप अग्रिम जमा राशि तथा निष्पादन सुरक्षा जमा को तय एवं प्राप्त नहीं किया।

- करौली परिवहन सहकारी समिति लिमिटेड (करौली परिवहन) के मामले में संचालन समझौते तथा अन्य प्रलेखों पर प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किए गये थे। तथापि, निगम ने सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत करौली परिवहन के पंजीकरण, समिति के सदस्यों की सूची, तथा हस्ताक्षर के लिए समिति के पदाधिकारियों से प्राधिकार से संबंधित प्रलेखों

को प्राप्त नहीं किया। साथ ही, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के मामले में, निगम ने कम्पनी की तरफ से हस्ताक्षर अधिकृत करने के लिए पावर ऑफ अटोर्नी अथवा संचालक मण्डल के प्रस्ताव को प्राप्त नहीं किया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समझौता निष्पादित करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए अधिकृत था।

निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि डिपोज को संचालकों से संबंधित प्रलेख एकत्र करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

- संचालन समझौतों के अनुच्छेद-II के अनुसार बस संचालकों को विशिष्ट एजेंसियों से टिकट जारी करने के लिए ग्लोबल पोजीशनींग सिस्टम (जीपीएस) तथा हैण्ड हेल्ड मशीनें क्रय करना आवश्यक था। तथापि, चयनित डिपोज तथा मुख्य कार्यालय पर विक्रेताओं तथा विशिष्ट विक्रेताओं से बस संचालकों द्वारा जीपीएस तथा हैण्ड हेल्ड मशीनों की खरीद को निर्दिष्ट करते हुए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

निगम ने बताया कि उसने किसी भी विशिष्ट ईटीआईएमएस तथा जीपीएस प्रणाली को प्रयुक्त करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये थे। उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में सही नहीं था कि परिचालन समझौते के अनुच्छेद-II के अनुसार बस संचालकों को विशिष्ट एजेंसियों से ईटीआईएमएस एवं जीपीएस मशीनें क्रय करनी आवश्यक थी। नोडल एजेंसी होने के कारण निगम को इन मशीनों की खरीद के लिए एजेंसियों को निर्दिष्ट करना आवश्यक था।

- संचालन समझौते के अनुच्छेद-II के अनुसार पक्षकार के लिए लागू शर्तों की संतुष्टि के लिए प्रत्येक पक्षकार को दूसरे पक्षकार को 'अनुपालन प्रमाणपत्र' जारी करना आवश्यक था। तथापि, चयनित डिपो पर निगम तथा बस संचालकों द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी करना नहीं पाये गये।

निगम ने बताया कि संबंधित डिपोज को संचालकों से संबंधित प्रलेख एकत्र करने के लिए निर्देश दिए जा रहे थे।

- संचालन समझौतों के अनुच्छेद IV के वाक्यांश 4.1 (बी) (vi) के अनुसार बस संचालकों को सेवा में कमी तथा किसी कटौती के बिना बस सेवा प्रदान करनी आवश्यक थी। अन्यथा, संचालक निगम द्वारा निर्धारित व्यावहार्यता अंतर के पुनः समायोजन के साथ साथ जुर्माने के लिए दायी थे। हमने देखा कि निगम ने अधिसूचित किलोमीटर्स को परिवर्तित कर दिया तथा अलग-अलग समय अवधियों में एक ही मार्ग पर संचालित किलोमीटर्स के बीच भी अंतर था। निगम ने, तथापि, परिचालन समझौतों के वाक्यांश के अनुसार जुर्माना नहीं लगाया तथा व्यावहार्यता अंतर को भी समायोजित नहीं किया।

निगम ने, बिना किसी विशिष्ट विवरण एवं प्रलेखीय सबूत के बताया कि मार्गों में कटौती के लिए संचालकों पर जुर्माना लगाया गया था।

- डिपो ने नियमित आधार पर संचालकों से पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), बीमा, परमिट तथा कर जमा पावती की प्रति प्राप्त नहीं की। वाहन के स्वामित्व की वैधता तथा सरकारी करों की बकाया की स्थितियों की नमूना जांच करने के क्रम में हमने परिवहन विभाग से कुछ आरसीज की प्रतियां प्राप्त की। यह देखा गया कि आरसीज बस संचालकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत थी जिन्होंने निगम के साथ परिचालन

समझौतों को निष्पादित किया था। इस प्रकार, सभी बस संचालकों द्वारा लगाये गये वाहनों के स्वामित्व को सत्यापित नहीं किया जा सका।

निगम ने बताया कि संबंधित डिपोज को संचालकों से संबंधित प्रलेख एकत्र करने के लिए निर्देशित किया जा रहा था।

- संचालन समझौते के अनुच्छेद VI के अनुसार, एक निगरानी समिति (समिति) को ईटीआईएमएस के डाटा सांझा करने, जीपीएस के संतोषजनक कार्य करने, निर्दिष्ट टिकट वितरण मशीनों के उपयोग इत्यादि जैसे 13 मापदंडों पर बस संचालकों के निष्पादन की समीक्षा करनी आवश्यक थी। बस संचालक, मापदंडों (वाक्यांश 6.2) की पालना नहीं करने पर लगभग ₹ 2,000 प्रतिदिन प्रति बस का जुर्माना चुकाने के लिए दायी थे। तथापि, बस संचालकों के खिलाफ लोगों की शिकायतों के उपरांत भी डिपोज ने बस संचालकों के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए समितियों का गठन नहीं किया। निष्पादन की समीक्षा के अभाव में निगम बस संचालकों के खिलाफ जुर्माना भी नहीं लगा सका।

निगम ने, किसी प्रलेखीय सबूत को प्रस्तुत किये बिना बताया कि निष्पादन मापदण्डों का पालन नहीं करने के लिए संचालकों पर निर्दिष्ट जुर्माना लगाया गया था। निगम ने यह भी बताया कि इस मामले की आगे जांच करने के लिए संबंधित डिपोज को निर्देशित किया जा रहा था।

- परिचालन समझौतों के अनुच्छेद IX के अनुसार बस संचालकों द्वारा पूंजी तथा राजस्व व्यय पर विवरणियां, प्राप्तियां तथा निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में तथा अंतराल पर यात्री संख्या, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे, तिमाही आधार पर संचालन एवं रखरखाव योजना, तथा परियोजना के निष्पादन की निगरानी करने के लिए निगम द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी। निगम ने ना तो निर्धारित सूचना की मांग की तथा बस संचालकों ने भी निगम को सूचना प्रस्तुत नहीं की।

निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया लेकिन बताया कि इस सूचना के अभाव ने वीजीएफ राशि की गणना को प्रभावित नहीं किया।

- करौली डिपो के समूह नंबर 1 तथा 2 के संबंध में निगम द्वारा प्रदत्त यात्री भार घटक (पीएलएफ) से खुलासा हुआ कि दिसंबर 2012 से मई 2016 (जनवरी 2014 में 45 प्रतिशत को छोड़कर) के दौरान पीएलएफ 13 से 31 प्रतिशत के मध्य था। पीएलएफ, व्यावहार्यता अंतर की आदर्श दर के निर्धारण में माने गये पीएलएफ (42 से 53 प्रतिशत) से बहुत नीचे था। पिछले चार सालों से बस संचालक इतने कम पीएलएफ पर बसों का संचालन जारी रखे हुए थे यह संभवतः प्रतीत नहीं होता है। तथापि, निगम ने बस संचालक के खिलाफ शिकायतों के उपरांत भी मामले की कभी समीक्षा नहीं की। ईटीआईएम के डाटा के अभाव में लेखापरीक्षा भी वास्तविक भार घटक का निर्धारण नहीं कर सकी। निगम ने समूह 1 तथा 2 की सटीकता की तुलना तथा निर्धारण करने के लिए करौली डिपो के अन्य समूहों का पीएलएफ प्रदान नहीं किया।

निगम ने बताया कि संबंधित डिपो से सूचना एकत्र की जा रही थी।

- वित्त विभाग ने निगम को प्रत्येक मार्ग के भार घटक तथा इसमें कमी के कारणों को सूचित करने के लिए निर्देश दिया (जनवरी 2014)। हमने देखा कि राज्य सरकार को सूचित

किया गया (फरवरी 2014) भार घटक (दिसंबर 2013 को समाप्त तिमाही के लिए) डिपोज के अभिलेख से मेल नहीं करता था। करौली डिपो में अधिकतम अंतर देखा गया जहां निगम ने अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर 2013 के महीनों में क्रमशः 30, 31 एवं 31 प्रतिशत भार घटक के मुकाबले 66, 74 एवं 63 प्रतिशत भार घटक सूचित किया।

निगम ने बताया कि संबंधित डिपो से सूचना एकत्र की जा रही थी।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

निगम राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बस संपर्क प्रदान करने में विफल रहा क्योंकि यह योजना केवल 19 जिलों के 23 डिपो में ही कार्यान्वित की गई थी। प्रत्येक समूह के लिए बस संचालकों से वित्तीय योजना तैयार कराने अथवा प्राप्त किए बिना ही व्यवहार्यता अंतर की दर तय की गई थी। निगम ने बस संचालकों द्वारा प्राप्त किये गये उच्च भार घटक की उपेक्षा करते हुए उनको व्यवहार्यता अंतर का अधिक भुगतान किया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से किराया अधिसूचित करने में निगम की विफलता ने बस संचालकों द्वारा अधिभारों के अनधिकृत संग्रहण को बढ़ावा दिया। साथ ही, ट्रैफिक चालान, दंड तथा जुर्माने के रुप में अनियमित भुगतान भी किया। निगम ने ईटीआईएमएस के डाटा उपलब्ध नहीं कराने के लिए बस संचालकों से जुर्माना भी वसूल नहीं किया। ईटीआईएमएस डाटा के अभाव में निगम बस संचालक द्वारा प्रभारित किये गये किराए की निगरानी नहीं कर सका। साथ ही, निगम ने राज्य सरकार से प्राप्त निधियों तथा बस संचालकों को किये गये भुगतानों का मिलान नहीं किया। आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी का अभाव था क्योंकि समझौते के अनुसार बस संचालकों से आवश्यक प्रलेखों को निगम द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

हम सिफारिश करते हैं कि निगम को व्यवहार्यता अंतर अनुदान के विरुद्ध बस संचालकों को किये गये अतिरिक्त भुगतान को वसूल करना चाहिए। निगम को आरएफपी तथा समझौते की शर्तो के उल्लंघन के लिए बस संचालकों से जुर्माने का निर्धारण एवं उसकी वसूली भी करनी चाहिए। साथ ही, निगम को राज्य सरकार से प्राप्त निधियों एवं बस संचालकों को किये गये भुगतानों का मिलान करना चाहिए।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

3.10 *भविष्य निधि देयताओं को जमा कराने में चूक*

कम्पनी ने जुलाई 2015 से अगस्त 2017 की अवधि के दौरान ₹ 12.35 करोड़ की भविष्य निधि की देय राशि के भुगतान करने में चूक की तथा इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 7 (क्यू) के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान करने के अतिरिक्त कर्मचारियों के भविष्य निधि योजना, 1952 के वाक्यांश 32 ए के अनुसार ₹ 4.05 करोड़ के जुर्माने के नुकसान के जोखिम को भी उठाया।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (अधिनियम) की धारा 6 प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वह सीधे नियोक्ता द्वारा अथवा ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है, के संबंध में

भविष्य निधि के पेटे मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा प्रतिधारण भत्ता, तत्समय, यदि कोई देय हो, के 12 प्रतिशत की दर से नियोक्ता के अंशदान को जमा कराने के लिए इसे एक नियोक्ता[41] के लिए अनिवार्य बनाती है। इसके साथ ही, कर्मचारी का अंशदान नियोक्ता के अंशदान के बराबर अथवा यदि कोई कर्मचारी उसकी मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता तथा प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, के 12 प्रतिशत से अधिक के अंशदान की इच्छा रखता है तो, वह राशि इस शर्त के अधीन कि नियोक्ता इस धारा के अन्तर्गत देय अपने अंशदान के ऊपर कोई अंशदान का भुगतान करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा।

नियोक्ता को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (ईपीएफ योजना) के वाक्यांश 38 के अनुसार प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर कर्मचारी के अंशदान के साथ नियोक्ता के अंशदान को जमा करना आवश्यक होता है। अधिनियम तथा ईपीएफ योजना के द्वारा भविष्य निधि की देय राशि को जमा नहीं कराये जाने को क्रमशः धारा 14 एवं वाक्यांश 76 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के रूप में माना जा चुका है। नियोक्ता को एक वर्ष की अवधि के लिए कैद अथवा पांच हजार ₹ का जुर्माना अथवा दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही, नियोक्ता नीचे दिए गए किसी भी अंशदान के भुगतान में चूक के लिए ब्याज एवं क्षति के रूप में दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी भी हो सकता हैः

- इस अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी भी राशि पर उस तिथि से जिस पर यह राशि भुगतान के लिए देय हो चुकी एवं इसके वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष अथवा योजना में निर्दिष्ट इससे उच्च दर से सरल ब्याज (अधिनियम की धारा 7 (क्यू)) तथा
- चूक की अवधि छह महीने अथवा उससे अधिक होने के मामले में बकाया के 37 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से क्षति के लिए जुर्माना (ईपीएफ योजना के वाक्यांश 32 ए के अनुसार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके)।

हमने देखा कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा मजदूरी/ वेतन के भुगतान के समय कर्मचारियों के अंशदान की कटौती की गई लेकिन इसे जुलाई 2015 से नियोक्ता के हिस्से के साथ भविष्य निधि योजना में नियमित रूप से जमा नहीं करवाया। कर्मचारियों के अंशदान की राशि का अन्य संचालन गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया। फलस्वरूप, भविष्य निधि की बकाया राशि जनवरी 2017 तक ₹ 9.31 करोड़ तक पहुंच गई। भविष्य निधि की बकाया राशि को जमा नहीं कराने के कारण के रूप में कम्पनी ने भारी हानियों के कारण कोषों की कमी का उल्लेख किया। कम्पनी ने देरी के साथ जुलाई 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि से संबंधित भविष्य निधि की देय राशि के पेटे ₹ 4.36 करोड़ जमा करवाये। सितंबर 2017 तक, भविष्य निधि की देनदारी के पेटे ₹ 7.99 करोड़ की राशि अभी भी लंबित थी।

भविष्य निधि की देय राशि के भुगतान में चूक करते हुए, कम्पनी ने अधिनियम की धारा 7 (क्यू) के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त ईपीएफ योजना के वाक्यांश 32 ए के अनुसार अगस्त 2017 तक ₹ 4.05 करोड़ के जुर्माने के नुकसान के जोखिम को जारी रखा।

41 जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (ई) के अधीन परिभाषित किया गया।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया (अगस्त 2017) कि कम्पनी की गंभीर वित्तीय स्थिति के कारण भविष्य निधि देय राशि जमा नहीं करायी जा सकी। साथ ही, कम्पनी को भविष्य निधि देय राशि के भुगतान में देरी के संबंध में जुर्माना तथा ब्याज के लिए कोई सूचना नहीं मिली थी।

हमने देखा कि कम्पनी वैधानिक तौर पर अधिनियम तथा ईपीएफ योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत दंड से बचने के लिए समय पर भविष्य निधि की देय राशि जमा करने के लिए बाध्यकारी थी। भारत सरकार, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम तथा ईपीएफ योजना में कड़े प्रावधान शामिल कर चुकी है जिन्हें धन की कमी का हवाला देते हुए किसी भी संगठन द्वारा रोका नहीं जा सकता है। कम्पनी को वैधानिक देय राशि का भुगतान करने के लिए उचित प्राथमिकता देते हुए कोषों का प्रबंध करना आवश्यक है।

अनादि मिश्र

जयपुर

(**अनादि मिश्र**)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

(**राजीव महर्षि**)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-1

(पृष्ठ संख्या 8 पर अनुच्छेद संख्या 1.11 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज, जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों के वर्षो के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है	अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान किया गया निवेश जिनके लेखे बकाया हैं					योग
				वर्ष	पूँजी	ऋण	अर्थसाहाय्य	ऋणों के पुनर्भुगतान का अपलेखन	
1	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2015-16	638.96	2016-17	-	150.00	60.00	-	210.00

अनुबंध-2

(पृष्ठ संख्या 10, 11 एवं 13 पर अनुच्छेद संख्या क्रमशः 1.15, 1.16 एवं 1.19 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव[¥]	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी[&]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/ हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियां														
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र														
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	27.62	1.53	2.52	23.57	219.34	-	7.59	117.19	124.78	25.10	20.12
क्षेत्रवार योग				**27.62**	**1.53**	**2.52**	**23.57**	**219.34**		**7.59**	**117.19**	**124.78**	**25.10**	
वित्त क्षेत्र														
2	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	-	-	-	-	-	-	-	-0.01	-0.01	-	-
3	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	4.07	0.52	0.64	2.91	117.10	₹ 0.06 करोड़ से लाभ में कमी	6.96	-17.29	2.22	3.43	154.50
4	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.55	0.01	0.05	0.49	16.25	-	46.06	-45.53	4.05	0.50	12.35
5	राजस्थान स्टेट पावर फायनेन्स एण्ड फायनेन्सियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	6.26	-	0.01	6.25	7.04	-	90.00	11.26	101.26	6.25	6.17
क्षेत्रवार योग				**10.88**	**0.53**	**0.70**	**9.65**	**140.39**		**143.02**	**-51.57**	**107.52**	**10.18**	
ढांचागत क्षेत्र														
6	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	-0.25	-	-	-0.25	0.01	-	0.50	-0.3	0.2	-0.25	-125.00
7	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	354.19	3.58	1.03	349.58	897.75	-	210.19	1560.05	1770.23	353.16	19.95
8	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	398.16	241.38	133.68	23.10	1044.10	-	100.00	93.34	2320.63	264.48	11.40

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव[¥]	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी[&]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/ हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
9	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	3.17	-	0.29	2.88	109.60	₹ 0.05 करोड़ से लाभ में वृद्धि	48.67	20.60	643.28	2.88	0.45
क्षेत्रवार योग				**755.27**	**244.96**	**135.00**	**375.31**	**2051.46**		**359.36**	**1673.69**	**4734.34**	**620.27**	
विनिर्माण क्षेत्र														
10	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (14) की सहायक संयुक्त कम्पनी)	2016-17	2017-18	86.04	49.68	27.55	8.81	813.41	-	20. 0	-26.33	1511.37	58.49	3.87
11	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	28.93	-	0.26	28.67	4962.29	-	2.00	32.59	34.59	28.67	82.89
12	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2016-17	2017-18	84.93	-	28.24	56.69	1037.88	-	181.20	96.27	277.97	56.69	20.39
13	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	2016-17	2017-18	-2.15	-	0.42	-2.57	3.09	₹ 0.09 करोड़ से हानि में वृद्धि	34.02	-1.29	32.72	-2.57	-7.85
14	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (दिसम्बर 1974 से सरकारी कम्पनी)	2015-16	2016-17	249.10	7.00	41.77	200.33	948.90	₹ 22.18 करोड़ से लाभ में कमी	77.55	1870.37	1947.92	207.33	10.64
15	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या क (14) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	0.02	-	-	0.02	-	-	11.10	-0.82	10.28	0.02	0.19
क्षेत्रवार योग				**446.87**	**56.68**	**98.24**	**291.95**	**7765.57**		**325.87**	**1970.79**	**3814.85**	**348.63**	
ऊर्जा क्षेत्र														
16	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1423.46	1288.80	471.35	-336.69	9596.79	₹ 15.23 करोड़ से हानि में वृद्धि	7854.85	-30684.44	789.12	952.11	120.65
17	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-0.24	-	0.02	-0.26	-	-	0.05	-9.09	-9.04	-0.26	-
18	बाड़मेर उर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-0.01	-	-	-0.01	-	-	0.05	-0.01	0.04	-0.01	-25.00
19	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-0.02	1.77	-	-1.79	-	-	0.05	-13.54	-13.49	-0.02	-

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव[¥]	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी[&]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/ हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
20	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (30) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-	-	-	-	-	-	0.05	-0.03	0.02	-	-
21	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (30) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-	-	-	-	-	-	0.05	-0.04	0.01	-	-
22	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (30) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-5.06	153.37	77.54	-235.97	11.05	-	370.05	-699.19	714.48	-82.60	-11.56
23	हाड़ौती उर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-0.01	-	-	-0.01	-	-	0.05	-0.01	0.04	-0.01	-25.00
24	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1769.93	1627.65	758.03	-615.75	13682.36	₹ 12.94 करोड़ से हानि में कमी	8463.06	-32909.75	1375.97	1011.90	73.54
25	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1059.90	1552.04	536.54	-1028.68	11138.63	₹ 3.88 करोड़ से हानि में कमी	7829.04	-31042.87	108.23	523.36	483.56
26	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-0.01	-	-	-0.01	-	-	0.05	-2.03	-1.98	-0.01	-
27	लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-	-	-	-	-	-	0.30	-0.30	-	-	-
28	पिंक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-	-	-	-	-	-	0.26	-0.26	-	-	-
29	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1627.47	878.41	734.53	14.53	2451.71	-	4020.72	-1300.04	12896.72	892.94	6.92
30	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	3954.51	2453.70	1149.01	351.80	11760.03	-	9425.17	-4792.80	37248.99	2805.50	7.53
31	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	41.28	0.55	11.89	28.84	108.93	₹ 0.23 करोड़ से लाभ में कमी	12.94	148.77	161.71	29.39	18.17
32	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (31) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	13.29	-	1.87	11.42	10.38	-	0.05	66.29	66.34	11.42	17.21

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव[¥]	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी[&]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/ हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
33	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	-	-	-	-	9.07	-	50.00	-	50.00	-	-
34	थार उर्जा प्रसारण सेवा लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	-0.01	-	-	-0.01	-	-	0.05	-0.01	0.04	-0.01	-25.00
क्षेत्रवार योग				**9884.48**	**7956.29**	**3740.78**	**-1812.59**	**48768.95**		**38026.84**	**-101239.35**	**53387.20**	**6143.70**	
सेवा क्षेत्र														
35	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	27.68	24.31	73.17	-69.80	9.72	-	1694.04	-180.25	2079.92	-45.49	-2.19
36	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2016-17	2017-18	19.92	0.04	0.53	19.35	82.61	₹ 1.09 करोड़ से लाभ में वृद्धि	5.00	46.79	51.79	19.39	37.44
37	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	2.46	0.01	0.03	2.42	89.12	-	5.00	5.74	10.74	2.43	22.63
38	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	19.31	3.88	2.77	12.66	526.86	-	5.00	19.22	50.36	16.54	32.84
39	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2016-17	2017-18	2.58	0.05	0.29	2.24	74.20	-	0.05	-8.00	-7.95	2.29	-
40	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	15.98	6.39	0.17	9.42	561.77	₹ 2.77 करोड़ से लाभ में वृद्धि	50.00	32.88	82.88	15.81	19.08
41	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-1.14	0.04	0.08	-1.26	1.47	₹ 2.12 करोड़ से हानि में वृद्धि	2.16	-8.51	-0.35	-1.22	-
42	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-18.57	0.22	3.75	-22.54	78.26	₹ 0.09 करोड़ से हानि में वृद्धि	21.95	-125.06	-93.74	-22.32	-
क्षेत्रवार योग				**68.22**	**34.94**	**80.79**	**-47.51**	**1424.01**		**1783.20**	**-217.19**	**2173.65**	**-12.57**	
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियां)				**11193.34**	**8294.93**	**4058.03**	**-1159.62**	**60369.72**		**40645.88**	**-97746.44**	**64342.34**	**7135.31**	
ख. कार्यरत सांविधिक निगम														
वित्त क्षेत्र														
1	राजस्थान वित्त निगम	2016-17	2017-18	39.23	36.30	0.25	2.68	73.94	-	160.73	-122.85	663.54	38.98	5.87
क्षेत्रवार योग				**39.23**	**36.30**	**0.25**	**2.68**	**73.94**		**160.73**	**-122.85**	**663.54**	**38.98**	
सेवा क्षेत्र														
2	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2015-16	2016-17	-335.01	90.17	67.23	-492.41	1661.89	₹ 1658.39 करोड़ से हानि में वृद्धि	638.96	-3469.51	-1666.36	-402.24	-

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव¥	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी&	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/ हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
3	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2016-17	2017-18	48.98	6.21	7.94	34.83	80.88	-	7.85	158.67	383.84	41.04	10.69
क्षेत्रवार योग				**-286.03**	**96.38**	**75.17**	**-457.58**	**1742.77**		**646.81**	**-3310.84**	**-1282.52**	**-361.20**	
योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				**-246.80**	**132.68**	**75.42**	**-454.90**	**1816.71**		**807.54**	**-3433.69**	**-618.98**	**-322.22**	
कुल योग (क+ख)				**10946.54**	**8427.61**	**4133.45**	**-1614.52**	**62186.43**		**41453.42**	**-101180.13**	**63723.36**	**6813.09**	
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियां														
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र														
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2013-14	2016-17	-0.14	1.30	-	-1.44	-	-	6.01	-53.21	-2.11	-0.14	-
क्षेत्रवार योग				**-0.14**	**1.30**	**-**	**-1.44**	**-**		**6.01**	**-53.21**	**-2.11**	**-0.14**	
सेवा क्षेत्र														
2	राजस्थान नागरिक उडडयन निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.06	-	-	0.06	-	-	4.49	-6.32	-1.82	0.06	-
				0.06	**-**	**-**	**0.06**	**-**		**4.49**	**-6.32**	**-1.82**	**0.06**	
विविध क्षेत्र														
3	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.03	-	-	0.03	-	-	1.27	-2.09	-0.82	0.03	-
क्षेत्रवार योग				**0.03**	**-**	**-**	**0.03**	**-**		**1.27**	**-2.09**	**-0.82**	**0.03**	
योग ग (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियां)				**-0.05**	**1.30**	**-**	**-1.35**	**-**		**11.77**	**-61.62**	**-4.75**	**-0.05**	**-**
कुल योग (क+ख+ग)				**10946.49**	**8428.91**	**4133.45**	**-1615.87**	**62186.43**		**41465.19**	**-101241.75**	**63718.61**	**6813.04**	**10.69**

¥ सांविधिक लेखापरीक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों के शुद्ध प्रभाव को शामिल करते हुये।

& नियोजित पूँजी से आशय अंशधारियों के कोष एवं दीर्घकालीन उधारियों के योग से है।

अनुबंध–2अ

(पृष्ठ संख्या 13 पर अनुच्छेद संख्या 1.19 में संदर्भित)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र) में निवल सम्पत्तियों के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण–पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	निवल सम्पत्ति
ऊर्जा क्षेत्र				
1	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	7854.85	-30684.44	-22829.59
2	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	0.05	-9.09	-9.04
3	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	0.05	-13.54	-13.49
4	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड	370.05	-699.19	-329.14
5	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	8463.06	-32909.75	-24446.69
6	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	7829.04	-31042.87	-23213.83
7	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड	0.05	-2.03	-1.98
8	लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड	0.30	-0.30	0.00
9	पिंक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड	0.26	-0.26	0.00
क्षेत्रवार योग		**24517.71**	**-95361.47**	**-70843.76**

अनुबंध-2ब

(पृष्ठ संख्या 13 पर अनुच्छेद संख्या 1.19 में संदर्भित)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवल सम्पत्तियों के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	निवल सम्पत्ति
सेवा क्षेत्र				
1	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	0.05	-8.00	-7.95
2	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2.16	-8.51	-6.35
3	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	21.95	-125.06	-103.11
4	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	638.96	-3469.51	-2830.55
5	राजस्थान नागरिक उडडयन निगम लिमिटेड	4.49	-6.32	-1.83
क्षेत्रवार योग		**667.61**	**-3617.40**	**-2949.79**
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र				
6	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	6.01	-53.21	-47.20
क्षेत्रवार योग		**6.01**	**-53.21**	**-47.20**
वित्त क्षेत्र				
7	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड	-	-0.01	-0.01
8	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	6.96	-17.29	-10.33
क्षेत्रवार योग		**6.96**	**-17.30**	**-10.34**
विनिर्माण क्षेत्र				
9	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड	20.00	-26.33	-6.33
क्षेत्रवार योग		**20.00**	**-26.33**	**-6.33**
विविध क्षेत्र				
10	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	1.27	-2.09	-0.82
क्षेत्रवार योग		**1.27**	**-2.09**	**-0.82**

अनुबंध-3

(पृष्ठ संख्या 33 पर अनुच्छेद 2.12.2 में संदर्भित)

अनुमानित दरों से उच्च दरों पर निविदा प्रदान करने को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

सामग्री का विवरण	निविदा में प्राप्त निम्नतम मूल्य (₹ प्रति इकाई में)	अन्य डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई पिछली निविदा/नवीनतम निविदा के आधार पर कम्पनी द्वारा ज्ञात किया गया अद्यतन मूल्य (₹ में)	मूल्य जिस पर क्रयादेश प्रदान किया गया था	क्रय की गई मात्रा (इकाइयों में)	अनुमानित बचत (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = [(4) – (3)] X (5)
टीएन 2181 (विभिन्न रेटिंग्स के सिंगल फेज कॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉरमर्स का क्रय)					
10 केवीए	34935.53	33683.95	34500	875	714043.75
25 केवीए	64665.99	60342.65	63200	2000	5714700.00
टीएन 4364 (गैल्वनाइज्ड स्टील स्टे सैटस का क्रय)					
16 X 1800	529.96	450.23	490.10	200770	8004699.90
20 X 2400	920.05	787.06	853.56	11052	734958.00
टीएन 2169 (12 केवी आउटडोर वीसीबी कियोस्क का क्रय)					
12 केवी वीसीबी कियोस्क	264817.60	249607.59	259000	3971	37297260.11
टीएन 4377 (भिन्न-भिन्न आकार की एलटी एक्सएलपीई आर्मर पावर केबल का क्रय)					
2सी X 4 वर्ग मीमी	28999.95	26117.22	27558.59	4000	5765480.00
टीएन 2163 (विभिन्न अनुपातों वाले 11 केवी सीटी-पीटी सैटस का क्रय)					
50/5	33945.62	30741.66	33945.62	200	640792
15/5	36329.45	36243.43	36329.45	400	34408.00
टीएन 2218 (मीटर प्रोटेक्शन बॉक्स वाले 25 केवीए एवं 40 केवीए थ्री फेज एल्यूमिनियम वाउण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉरमर्स का क्रय)					
25 केवीए	43699.00	42416.47	42623.80	14957	3101034.81
टीएन 2180 (315 केवीए एवं 500 केवीए थ्री फेज कॉपर वाउण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉरमर्स का क्रय)					
315 केवीए	394795	386981.06	390888.03	1166	4555527.02
500 केवीए	596000	564409.47	584621.83	12	242548.32

सामग्री का विवरण	निविदा में प्राप्त निम्नतम मूल्य (₹ प्रति इकाई में)	अन्य डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई पिछली निविदा/नवीनतम निविदा के आधार पर कम्पनी द्वारा ज्ञात किया गया अद्यतन मूल्य (₹ में)	मूल्य जिस पर क्रयादेश प्रदान किया गया था	क्रय की गई मात्रा (इकाइयों में)	अनुमानित बचत (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = [(4) – (3)] X (5)
टीएन 2176 (मीटर प्रोटेक्शन बॉक्स वाले 40 केवीए थ्री फेज थ्री स्टार रेटिंग, एल्यूमिनियम वाउण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉरमर्स का क्रय)					
40 केवीए (डबल मीटर)	59300.00	51998.86	59200	1380	9937573.20
टीएन 4407 (7/10 एवं 7/8 आकार के गैल्वनाइज्ड स्टील वायर का क्रय)					
7/10	68460.00	60838.99	68443.27	2100	15968988.00
7/8	67934.88	60764.70	67829.10	480	3390912.00
कुल संभावित बचत (₹ में)					**96102925.11**

अनुबंध-4

(पृष्ठ संख्या 59 पर अनुच्छेद 2.19 में संदर्भित)

टर्नकी ठेकेदारों से स्वीकार की गयी अधिक सामग्री को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

केस-1: विभिन्न आकार की केबल्स

1. कम्पनी ने टीएन 164 (उपभोक्ताओं के पुराने विद्युत मीटर एवं दोषपूर्ण सर्विस लाइन को बदलना) के अधीन सभी कार्यों को बीच में ही बंद कर दिया एवं ठेकेदारों से विभिन्न प्रकार की अधिशेष केबल को स्वीकार किया (2010-11)। स्वीकार की गई सामग्री का विवरण एवं मार्च 2017 तक इसके उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है:

केबल का प्रकार	स्वीकार की गई सामग्री (किमी)	एसीओएस में पड़ी हुई सामग्री (किमी)	एसीओएस में पड़ी हुई सामग्री का मूल्य (₹ करोड़ में)
2सी X6 वर्गमीटर	437.832	395.38	1.80
4सीX10 वर्गमीटर	84.390	60.368	0.22

हमने देखा कि ठेकेदारों द्वारा 2008-11 के दौरान केबल को क्रय किया गया एवं एसीओएस के पास जमा कराया गया। तथापि, इसे केवल इस वजह से प्रयुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि टर्नकी विंग ने इस केबल को फिल्ड कार्यालयों को जारी करने के लिए एसीओएस को कभी भी निर्देशित नहीं किया। केबल की गुणवत्ता में गिरावट की सभी संभावनाएं हैं क्योंकि गारण्टी अवधि समाप्त हो चुकी थी। 2 सी X 6 वर्गमीटर केबल के संबंध में, यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा इस प्रकार की केबल को किसी भी कार्य में प्रयुक्त नहीं करने के उपरांत भी ठेकेदार को 2 सी X 4 वर्गमीटर केबल के स्थान पर इस प्रकार की केबल को प्रयुक्त करने के लिए अनुमत किया (मार्च 2008)। साथ ही, ठेकेदार से इसे स्वीकारने के बाद कम्पनी ने 2 सी X 6 वर्गमीटर केबल कभी भी क्रय नहीं की।

2. कम्पनी ने जेसीसी के अधीन सीडी- VII की 11 केवी की 20 लाइनों के नवीनीकरण का कार्य ओरियंटल सेल्स कोर्पोरेशन (ठेकेदार) को प्रदान किया (फरवरी 2008)। ठेकेदार ने कार्य पूर्ण किया (15 फरवरी 2012) एवं अधीक्षण अभियंता (जेसीसी) ने अंतिम कार्य समापन प्रलेख प्रस्तुत किये (3 सितम्बर 2014)। मात्रा का अंतिम बिल (बीओक्यू) लोट-I एवं लोट-II की अनुमानित बीओक्यू से क्रमशः 14.98 एवं 43.13 प्रतिशत नीचे था। परिणामतः, सीएलपीसी ने ठेकेदार द्वारा क्रय की गई ₹ 73 लाख की अधिशेष सामग्री को स्वीकार किया (जनवरी 2016)। सामग्री में मुख्य रूप से ₹ 60.59 लाख मूल्य की एबी केबल (74.98 किमी) एवं ₹ 9.93 लाख मूल्य की 11 केवी आर्मर्ड केबल (1.514 किमी) सम्मिलित थी। जेसीसी एसीओएस ने अधीक्षण अभियंता (टीडब्ल्यू) को सूचित किया (26 दिसम्बर 2016) कि 2008-09 के दौरान ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई सामग्री अब क्षतिग्रस्त हो रही थी। तथापि, अधीक्षण अभियंता (टीडब्ल्यू) ने अन्य कार्यों पर सामग्री के उपयोग के लिए निर्देश जारी नहीं किये (मई 2017)। सामग्री की गारण्टी अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

केस-2: ठेकेदारों द्वारा जब्त एवं जमा कराई गई सामग्री

कम्पनी ने धौलपुर शहर के लिए 'हानि घटोतरी कार्यक्रम' के अधीन डी कण्ट्रोल प्राइवेट लिमिटेड (फर्म) को कार्यादेश (टीएन 18) प्रदान किया (अप्रेल 2008)। इसी फर्म को टर्नकी आधार पर आरजीजीवीवाई के अधीन धौलपुर जिले में ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं घर-घर विद्युतीकरण उपलब्ध कराने के लिए कार्य (टीएन 173) भी प्रदान किया (मई 2008)।

हमने देखा कि फर्म को आरजीजीवीवाई कार्यों के निष्पादन से संबंधित विभिन्न अनियमितताओं के लिए काली सूची में डाला गया था (अप्रेल 2011)। शेष कार्य ईश्वर मेटल इण्डस्ट्रीज को प्रदान किये गये (4 जुलाई 2011)। सेवाऐं समाप्त करने के बाद, कम्पनी द्वारा फर्म के स्टोर से सामग्री को जब्त कर लिया गया एवं इसे एसीओएस धौलपुर के पास जमा करा दिया। अधीक्षण अभियंता (टीडब्ल्यू) ने अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) को

सूचित किया (3 जून 2011) कि फर्म से जब्त की गई सामग्री एवं सीटीएल जांच के बाद शेष कार्यों पर प्रयुक्त की जानी चाहिए। फर्म से जब्त की गई सामग्री जांच की गई एवं सही पाई गई तथा सीटीएल में पास की गई सामग्री ₹ 42.57 लाख की आंकी गई।

कम्पनी ने, तथापि, सामग्री को प्रयुक्त नहीं किया (मई 2017) एवं यह धौलपुर एसीओएस के पास पड़ी हुई थी। इसी प्रकार, कम्पनी ने टीएन 7 (क्रोम्प्टन ग्रीव्ज लिमिटेड) एवं टीएन 18 (फर्म) के अधीन ₹ 2.55 करोड़ की अधिशेष सामग्री को स्वीकार किया। यह सामग्री भी, कार्यों के समापन के अभाव में जिसके लिए सामग्री प्राप्त की गई थी, धौलपुर एसीओएस के पास पड़ी हुई थी (मई 2017)।

केस-3: मीटर प्रोटेक्शन बोक्स

कम्पनी ने एटूजेड मेंटेनैन्स लिमिटेड (फर्म) को कोटा वृत के जिला खण्ड की 53 फीडर्स (11 केवी) के नवीनीकरण का कार्य (टीएन 141) प्रदान किया (नवम्बर 2006)। कम्पनी ने छः फीडर्स का कार्य निरस्त कर दिया एवं इसे सीएलआरसी[1] के आधार पर निष्पादित किया। सीएलपीसी ने बीओक्यू को पूनरीक्षित किया (अक्टूबर 2012)। हमने देखा कि फर्म ने एसीओएस कोटा के पास ₹ 70.33 लाख मूल्य के 1,274 मीटर प्रोटेक्शन बॉक्सेज जमा कराये (जून 2013 से मार्च 2014)। अधिशेष सामग्री के सत्यापन के लिए समिति ने इंगित किया (मई 2014) कि मीटर प्रोटेक्शन बॉक्सेज प्रयुक्त करने योग्य नहीं थे। बॉक्सेज भीतर की ओर से जंग लगे हुए थे; बैकलाइट सीट उपलब्ध नहीं थी; शीशे टूटे हुए थे; गास्केट उपलब्ध नहीं थे इत्यादि। एसीओएस ने अधीक्षण अभियंता (टीडब्ल्यू) को सूचित किया (अप्रेल 2015) कि बॉक्सेज प्रयुक्त करने के लिए सही नहीं थे। इसने आगे बताया कि एमएम विंग मीटर प्रोटेक्शन बॉक्सेज के साथ वितरण ट्रांसफॉरमर्स क्रय कर रही थी एवं इस प्रकार भविष्य में इन बॉक्सेज के उपयोग की संभावना नहीं थी।

फर्म ने अधीक्षण अभियंता (टीडब्ल्यू) के निर्देशानुसार (अगस्त 2015) 1,144 बॉक्सेज की मरम्मत की। शेष बॉक्सेज मरम्मत होने योग्य नहीं थे। तथापि, मरम्मत किये गये बॉक्सेज को काम में नहीं लिया गया क्योंकि नये वितरण ट्रांसफॉरमर्स मीटर प्रोटेक्शन बॉक्सेज के साथ पहले ही लगा दिये गये थे। मार्च 2017 को सभी बॉक्सेज एसीओएस के पास पड़े हुए थे।

₹ 63.15 लाख मूल्य के 1,144 मीटर प्रोटेक्शन बॉक्सेज को स्वीकारने का निर्णय, इस प्रकार, न्यायसंगत नहीं था।

केस-4: गैल्वनाइज्ड आयरन वायर

कम्पनी ने पिछली बार टीएन 4086 (मई 2005) के अधीन गैल्वनाइज्ड आयरन (जीआई) वायर का क्रय किया। जीआई वायर के अलग क्रय को रोक दिया क्योंकि यह एबी केबल के साथ आया था। डीसीएफ ने, इस प्रकार, ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री के रूप में जीआई वायर को नहीं स्वीकारने के लिए निर्देशित किया (अगस्त 2010)। हमने देखा कि एसीओएस ने निर्देशों को संज्ञान में नहीं लिया एवं अनुबंधों के समय पूर्व समापन के कारण ठेकेदारों से जीआई वायर स्वीकार किया। मार्च 2017 को, एसीओएस के पास ₹ 3.82 करोड़ एवं ₹ 42.75 लाख का क्रमशः 963 एमटी (8 एसडब्ल्यूजी) एवं 123.90 एमटी (6 एसडब्ल्यूजी) का स्टॉक पड़ा हुआ था। कम्पनी से सूचना के अभाव में टर्नकी ठेकेदारों से स्वीकार किये गये जीआई वायर का पता नहीं लगाया जा सका। तथापि, हमने देखा कि दो चयनित एसीओएस (कोटा एवं जेपीडीसी) ने डीसीएफ के निर्देशों के उल्लंघन में ₹ 0.60 करोड़ मूल्य का 150.43 एमटी जीआई वायर (8 एसडब्ल्यूजी) स्वीकार किया (अगस्त 2010 के बाद)।

केस-5: स्वीच फ्यूज यूनिट

अधीक्षण अभियंता (टीडब्ल्यू) ने टर्नकी ठेकेदारों को एफआरपी कार्यों के अधीन स्वीच फ्यूज यूनिटस (एसएफयूज) को प्रयुक्त नहीं करने के निर्देश जारी किये (5 अप्रेल 2007)। कम्पनी ने ठेकेदारों के अभ्यावेदन पर इसके निर्णय की समीक्षा की एवं एफआरपी कार्यों के लिए थ्री फेज एसएफयूज को प्रयुक्त करने के लिए इनको अनुमत किया (20 अप्रेल 2007)। ठेकेदारों को, तथापि, निर्देशित किया (अप्रेल 2007) कि थ्री फेज

1 सेन्ट्रल लेबर रेट कॉन्ट्रेक्ट।

एसएफयूज की आपूर्ति कार्यादेश में इंगित अथवा पुनरीक्षित बीओक्यू के अनुसार मात्रा तक सीमित रहनी चाहिए। कम्पनी ने तकनीकी समिति की सिफारिशानुसार (अगस्त 2007) एसएफयूज को प्रयुक्त करना भी बंद कर दिया।

टर्नकी ठेकेदारों द्वारा क्रय की गई एसएफयूज कुछ ठेकों में स्थापित नहीं की गई थी एवं इस प्रकार, अधिशेष हो गई थी। मामलें को एफआरपी कार्यों के अधीन अनुबंधों के समापन के समय पर तकनीकी समिति को संदर्भित किया गया। तकनीकी समिति ने 24 घण्टे आपूर्ति वाली शहरी एवं नगरपालिका कस्बों के फीडर्स में 11 केवी थ्री फेज एसएफयूज तथा केवल आबादी क्षेत्र में 11 केवी सिंगल फेज एसएफयूज को प्रयुक्त करने की सिफारिश की (जून 2013)।

हमने देखा कि कम्पनी ने 27 टर्नकी कार्यों के समापन पर ₹ 6.06 करोड़ मूल्य की 3,672 थ्री फेज एसएफयूज एवं ₹ 26.93 लाख मूल्य की 638 सिंगल फेज एसएफयूज को स्वीकार किया। कम्पनी द्वारा ठेकेदारों को केवल थ्री फेज एसएफयूज को अनुमत करने के उपरांत भी सिंगल फेज एसएफयूज स्वीकार किये गये। मार्च 2017 को, एसीओएस के पास 430 सिंगल फेज (₹ 18.15 लाख) एवं 631 थ्री फेज (₹ 1.04 करोड़) एसएफयूज पड़े थे। शेष एसएफयूज उपस्खण्डीय स्टोर्स को जारी किये गये थे। फिल्ड कार्यालयों द्वारा एसएफयूज के उपयोग को, यद्यपि, आंकड़ों के अभाव में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। मार्च 2017 तक, एसीओएस द्वारा नमूना जांच किये गये 21 उपस्खण्डीय स्टोर्स को 162 सिंगल फेज एवं 410 थ्री फेज एसएफयूज जारी किये गये। तथापि, इन उपस्खण्डों द्वारा मार्च 2017 तक, केवल 118 सिंगल फेज एवं 357 थ्री फेज एसएफयूज प्रयुक्त किये गये थे।

अनुबंध-5

(पृष्ठ संख्या 63 पर अनुच्छेद 2.21 में संदर्भित)

अधिक प्रापण के कारण अप्रयुक्त पड़ी रही सामग्री को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

33 केवी केबल

(केस-1) कोटा एसीओएस ने 58.82 किमी (₹ 7.21 करोड़) एवं 24.17 किमी (₹ 2.96 करोड़) की 33 केवी 300 वर्ग मीटर केबल (केबल) क्रमशः सहायक अभियंता (एचटीएम[1]-I) एवं (एचटीएम-II) को जारी की (मार्च से जुलाई 2011)। तथापि, अगस्त 2016 तक दोनों उपखण्डों ने केवल 28.58 किमी केबल को प्रयुक्त किया। एचटीएम-I एवं एचटीएम-II के स्टोर्स में पड़ी सामग्री को कोटा शहर वितरण नेटवर्क को एक निजी फर्म को आवंटन के कारण एचटीएम-III को स्थानांतरित कर दिया था (फरवरी से मार्च 2017)। एचटीएम-I, एचटीएम-II एवं एचटीएम-III के पास अधिशेष केबल (19.79 किमी) को एसीओएस कोटा के पास जमा कराया गया एवं अन्य एसीओएस को भेज दिया गया था। 31 मार्च 2017 को, ₹ 4.03 करोड़ मूल्य की 32.86 किमी शेष केबल एचटीएम-III कोटा के पास पड़ी हुई थी।

सहायक अभियंता (एचटीएम-I एवं एचटीएम-II) द्वारा यह घटिया सामग्री प्रबंधन को दर्शाता है क्योंकि जुलाई 2011 से ₹ 6.67 करोड़ मूल्य की 54.41 किमी केबल स्टोर्स में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी जबकि कम्पनी ने बाद में 2012-14 के दौरान टीएन 4375 एवं 4400 के अधीन इसी मद को क्रय किया। अधीक्षण अभियंता (ओएण्डएम) भी अपने क्षेत्राधिकार के अधीन स्टोर्स की निगरानी करने में विफल रहा क्योंकि उच्च मूल्य की मद लगभग छः वर्षों की अवधि के लिए अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। अप्रयुक्त केबल के परिणामतः न केवल कोष अवरुद्ध हुए बल्कि केबल की गारण्टी अवधि की समाप्ति एवं गुणवता में गिरावट भी हुई।

सरकार ने बताया कि केबल आरएपीडीआरपी कार्यों के लिए क्रय की गई थी। तथापि, बाद में, 33 केवी कार्य को कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया था। तथ्य यही रहता है कि सामग्री स्टोर्स में छः वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उपखण्डीय स्टोर्स में पड़ी हुई थी।

वेक्युम ऑटो रिक्लोजर्स

(केस-2) एण्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता (फर्म) ने पिछले प्रेषण में 'वेक्युम ऑटो रिक्लोजर[2]' (रिक्लोजर) की 21 एवं 20 की संख्या में क्रमशः जेपीडीसी (अप्रेल एवं अक्टूबर 2007) एवं अलवर (जनवरी एवं अप्रेल 2007) एसीओएस को आपूर्ति किये (2007)। फर्म को प्रदान किये गये (अप्रेल 2004) क्रयादेश (टीएन 1853) के वाक्य 6(बी) में प्रावधान था कि सामग्री की गारण्टी अवधि संस्थापन की तिथि से 12 माह अथवा पिछले प्रेषण की प्राप्ति की तिथि से 18 माह, जो दोनों में पहले थी, होगी।

मार्च 2017 को, रिक्लोजर्स जेपीडीसी के पास अप्रयुक्त पड़े हुए थे जबकि एसीओएस अलवर ने 20 रिक्लोजर्स में से 16 फिल्ड कार्यालयों को जारी किये थे। रिक्लोजर्स की गारण्टी अवधि अप्रेल 2009 में समाप्त हो चुकी थी। रिक्लोजर्स के अधिक क्रय ने, इस प्रकार, न केवल ₹ 51.82 लाख (25 रिक्लोजर्स) के कोष अवरुद्ध किये बल्कि अप्रयुक्त रहने से सामग्री की गारण्टी अवधि भी समाप्त हो गई।

सरकार ने बताया कि फिल्ड की आवश्यकतानुसार एवं ट्रायल उपकरणों के सफल कार्य निष्पादन पर सामग्री को क्रय किया गया था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कम्पनी द्वारा सामग्री को प्रयुक्त नहीं किया गया था।

भूमिगत केबलिंग के लिए वितरण कियोस्क

(केस-3) टीएन 2118 के अधीन आपूर्तियों के विरुद्ध अलवर एसीओएस ने 2012-13 से 2013-14 के दौरान ₹ 68.23 लाख मूल्य के 454 वितरण कियोस्क प्राप्त किये। इसी प्रकार, कोटा एसीओएस ने 2014-16

1 एचटीएम से तात्पर्य हाई टेंसन रस्परस्राव से है।

2 11 केवी 400 एम्पीयर पोल माउण्टेड वेक्युम ऑटो रिक्लोजर्स।

के दौरान ₹ 1.52 करोड़ मूल्य के 1162 वितरण कियोस्क की आपूर्तियों (टीएन 2216) को प्राप्त किया। 31 मार्च 2017 को दोनो एसीओएस के पास सामग्री अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

सरकार ने बताया कि मद को फिल्ड की आवश्यकतानुसार चरणों के अनुसार क्रय किया गया था एवं आपूर्तित मात्राओं को आरएपीडीआरपी कार्यों के अधीन अधिकतर वृत्तों में प्रयुक्त कर लिया गया था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा आक्षेप में इंगित किये गये कियोस्क अभी भी कम्पनी के स्टोर्स में पड़े हुए थे।

मॉल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स

(केस-4) कम्पनी ने हैवेल्स इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली से 40 एवं 60 एम्पीयर रेटिंग्स के मॉल्डेड केस सर्किट ब्रेकर्स (एमसीसीबी) क्रय किये (2004)। अलवर एसीओएस ने 40 एवं 60 एम्पीयर रेटिंग्स के क्रमशः 2212 एवं 1318 एमसीसीबी बॉक्सेज की आपूर्ति प्राप्त की। अलवर एसीओएस ने, तथापि, मार्च 2017 तक केवल 434 (40 एम्पीयर) एवं 387 (60 एम्पीयर) एमसीसीबीज जारी किये। मार्च 2017 को, ₹ 38.67 लाख मूल्य के शेष एमसीसीबीज (40 एम्पीयर के 1778 बॉक्सेज एवं 60 एम्पीयर के 931 बॉक्सेज) एसीओएस के पास अप्रयुक्त पड़े हुए थे। इसी प्रकार, 31 मार्च 2017 को, जेपीडीसी एसीओएस के पास ₹ 12.61 लाख एवं ₹ 16.51 लाख मूल्य के क्रमशः 844 एमसीसीबीज (60 एम्पीयर) एवं 1185 एमसीसीबीज (40 एम्पीयर) स्टॉक में अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि इन एमसीसीबी के उपयोग को तलाशा जायेगा एवं यदि सामग्री को प्रयुक्त करने की संभावना नहीं है तब इसका निस्तारण कर दिया जायेगा।

पॉटेंशियल ट्रांसफॉरमर्स

(केस-5) कम्पनी ने टीएन 1912 एवं 1990 के अधीन (2005-06 एवं 2008-09) पॉटेंशियल ट्रांसफॉरमर्स (पीटी) का क्रय किया। मार्च 2017 को, इन निविदाओं के अधीन क्रय किये गये ₹ 40.62 लाख के 242 पीटी जेपीडीसी (91), दौसा (47), अलवर (54), भरतपुर (25), सवाईमाधोपुर (20), टोंक (3) एवं जेसीसी (2) एसीओएस में अप्रयुक्त पड़े हुए थे। इन पीटी की गारण्टी अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। साथ ही, तकनीक में बदलाव हो गया है एवं कम्पनी अब करण्ट एवं पॉटेंशियल ट्रांसफॉरमर्स को इकाई के रूप में क्रय कर रहीं है। उपखण्डीय स्टोर्स के पड़े हुए पीटी की संख्या कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थी।

सरकार ने बताया कि फिल्ड से प्राप्त आवश्यकतानुसार पीटी का क्रय किया गया था एवं प्रोटेक्शन सीटी एवं पीटी को अभी भी अलग इकाइयों के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तथ्य यही रहता है कि सामग्री को लम्बे समय से प्रयुक्त नहीं किया जा रहा था एवं कम्पनी द्वारा अब सीटी एवं पीटी को एक इकाई के रूप में क्रय करने के मध्यनजर इसके उपयोग की संभावनाएं भी काफी कम प्रतीत हाती है।

अनुबंध-6

(पृष्ठ संख्या 95 पर अनुच्छेद 3.7.2 में संदर्भित)

निविदा प्रक्रिया को शुरु करने में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

सड़क का नाम	वर्तमान में जारी निविदा की अंतिम तिथि	यातायात गणना शुरु की गई	वर्तमान में जारी निविदा के समापन से पूर्व निविदा प्रक्रिया शुरु की गई (दिन)	नया अनुबंध प्रदान करने की तिथि	निविदा के अंतिमीकरण में देरी (दिन)
पाली-नाडोल	31 जनवरी 2015	29 अक्टूबर 2014	94	31 जनवरी 2015	-
	31 जनवरी 2017	28 नवम्बर 2016	64	31 जनवरी 2017	-
हिण्डोन-करोली	23 अक्टूबर 2014	18 सितम्बर 2014	35	6 जनवरी 2015	75
	21 जनवरी 2016	25 अक्टूबर 2015	88	5 जनवरी 2016	-
	22 जनवरी 2017	6 नवम्बर 2016	77	3 फरवरी 2017	12
भरतपुर-डीग-अलवर	29 जनवरी 2016	2 नवम्बर 2015	88	8 जनवरी 2016	-
मेड़ता-रास	7 अक्टूबर 2014	22 जुलाई 2014	77	19 नवम्बर 2014	43
	4 दिसम्बर 2016	2 नवम्बर 2016	32	8 फरवरी 2017	66
कोटपुतली-सीकर-कुचामण	7 जुलाई 2015	24 अप्रेल 2015	74	23 जून 2015	-
अलवर-बहरोड़-नारनोल	21 सितम्बर 2014	30 जुलाई 2014	53	16 अक्टूबर 2014	25
बांसवाड़ा-रतलाम	8 दिसम्बर 2016	अक्टूबर 2016	68	21 दिसम्बर 2016	13
जहाजपुर-मांडलगढ़	1 मई 2014	24 मार्च 2014	38	17 जून 2014	47
	1 अगस्त 2015	4 मई 2015	89	12 अगस्त 2015	11
मंगलवाड़-निम्बाहेड़ा, फतेहनगर-दरीबा	30 सितम्बर 2016	17 जुलाई 2016	75	27 सितम्बर 2016	-
चेचट-मोड़क-रामगंजमंडी	20 फरवरी 2016	17 दिसम्बर 2015	65	16 फरवरी 2016	-
	20 फरवरी 2017	21 नवम्बर 2016	91	3 फरवरी 2017	-
सुकेत-पिपलिया-भवानीमण्डी	26 फरवरी 2017	6 जनवरी 2017	51	15 मार्च 2017 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया	लागू नहीं
जोधपुर-ओसियां-फलौदी	29 दिसम्बर 2015	29 सितम्बर 2015	91	10 दिसम्बर 2015	-
बाड़ी-बयाना-खेड़ली	9 दिसम्बर 2016	23 सितम्बर 2016	77	15 मार्च 2017 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया	लागू नहीं
बीकानेर बाई पास	3 अगस्त 2014	13 मई 2014	82	1 सितम्बर 2014	29
हनुमानगढ़-सूरतगढ़	9 मई 2014	24 फरवरी 2014	74	8 जुलाई 2014	60

अनुबंध-7

(पृष्ठ संख्या 98 पर अनुच्छेद 3.7.6 में संदर्भित)

आरक्षित मूल्य के अनुचित निर्धारण के कारण नवनिर्मित सड़कों की प्रथम निविदा के अंतिमीकरण में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

सड़क का नाम	समयावधि	यातायात के आधार पर परियोजना निदेशक द्वारा सिफारिश किया गया आरक्षित मूल्य	डीपीआर के आधार पर समिति द्वारा निर्धारित किया गया आरक्षित मूल्य	कितनी बार निविदाएं आमंत्रित की गई	अंतिम आरक्षित मूल्य	अवसर हानि[1] (₹ करोड़ में)
डबोक-मावली-फतेहनगर-चितौड़गढ़	2011-12	26.64 (एक वर्ष)	31.66 (एक वर्ष)	4	20.50 (एक वर्ष)	1.74
भरतपुर-डीग-अलवर	2013-14	9.15 (एक वर्ष)	11.62 (एक वर्ष)	2	10.00 (एक वर्ष)	5.00
मेड़ता-रास	2013-14	4.56 (एक वर्ष)	6.70 (एक वर्ष)	2	5.15 (एक वर्ष)	1.49
अलवर-बहरोड़-नारनोल	2013-14	8.21 (एक वर्ष)	9.10 (एक वर्ष)	2	8.21 (एक वर्ष)	2.25
कोटा-धारनवाड़ा	2015-16	4.50 (एक वर्ष)	8.99 (एक वर्ष)	2	3.26 (एक वर्ष)	1.60
किशनगढ़ बास-खैरथल	2014-15	14.24 (दो वर्ष)	26.96 (दो वर्ष)	4	7.18 (एक वर्ष)	2.63
जहाजपुर-माण्डलगढ़	2012-13	4.50 (एक वर्ष)	6.75 (एक वर्ष)	2	4.50 (एक वर्ष)	0.75
बांसवाड़ा-रतलाम	2013-14	0.83 (एक वर्ष)	7.61 (एक वर्ष)	3	4.12 (दो वर्ष)	4.81
चेचट-मोड़क	2014-15	6.60 (दो वर्ष)	11.72 (दो वर्ष)	2	3.04 (एक वर्ष)	0
सूकेत-पिपलिया	2014-15	15.31 (दो वर्ष)	16.82 (दो वर्ष)	2	7.46 (एक वर्ष)	4.35
बाड़ी-बयाना	2015-16	1.24 (एक वर्ष)	3.15 (एक वर्ष)	4	0.73 (एक वर्ष)	0.46
गोटन-सोजत	2012-13	11.27 (एक वर्ष)	24.02 (दो वर्ष)	2	20.20 (दो वर्ष)	0
देबारी-कुरावाड़	2014-15	1.14 (5 माह)	2.21 (5 माह)	5	7.17 (22 माह)	2.81
जयपुर-जोबनेर	2013-14	9.04 (एक वर्ष)	16.92 (एक वर्ष)	2	9.27 (एक वर्ष)	3.39
हनुमानगढ़-सूरतगढ़	2011-12	13.64 (एक वर्ष)	15.99 (एक वर्ष)	3	24.20 (दो वर्ष)	1.99
नसीराबाद-केकड़ी	2013-14	4.30 (6 माह)	4.90 (6 माह)		5.51 (6 माह)	0
मंगलवाड़, फतेहपुर-दरीबा एवं सलूम्बर- कीर की चौकी	2013-14	10.38 (एक वर्ष)	13.75 (एक वर्ष)	2	10.38 (एक वर्ष)	0
कुल						**33.27**

1 अंतिम रूप से निर्धारित की गई निविदा के आधार पर।

अनुबंध-8

(पृष्ठ संख्या 99 पर अनुच्छेद 3.7.7 में संदर्भित)

वर्तमान में जारी टोल अनुबंधों पर आरक्षित मूल्य के अनुचित निर्धारण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(राशि: ₹ करोड़ में)

सड़क का नाम	यातायात गणना के आधार पर आरक्षित मूल्य		सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आरक्षित मूल्य		सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरक्षित मूल्य के निर्धारित करने का आधार	यातायात गणना एवं निर्धारित किये गये आरक्षित मूल्य के बीच विचलन (प्रतिशत में)	जारी की गई प्रथम एनआईटी	पुनरीक्षित किये गये आरक्षित मूल्य की संख्या	अंतिम आरक्षित मूल्य एवं उसका आधार	निविदा प्रदान करने के लिए कुल प्रयास	माह जिनमें निविदा को अंतिम रूप दिया गया	प्रथम निविदा आमंत्रित करने एवं निविदा प्रदान करने के बीच शामिल समयावधि (दिन)
	राशि	अवधि	राशि	अवधि								
पाली-नाडोल	2.10 (एक वर्ष)	जुलाई 2013	2.26 (एक वर्ष)	जुलाई 2013	अनुबंध मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि	7.62	26 जुलाई 2013	-	आरक्षित मूल्य पुनरीक्षित नहीं किया गया	3	29 जनवरी 2014	187
	10.00 (दो वर्ष)	नवम्बर 2014	11.96 (दो वर्ष)	नवम्बर 2014	अनुबंध मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि	19.60	29 नवम्बर 2014	1	8.21 (पुनरीक्षित गणना)	3	31 जनवरी 2015	63
महुआ-हिण्डोन-करोली	14.21 (दो वर्ष)	सितम्बर 2014	19.38 (दो वर्ष)	अक्टूबर 2014	अनुबंध मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि	36.38	17 अक्टूबर 2014	2	6.03 (एक वर्ष) (पुनरीक्षित गणना)	3	6 जनवरी 2015	97
मेड़ता-रास	10.78 (दो वर्ष)	जुलाई 2014	12.73 (दो वर्ष)	अगस्त 2014	यातायात की पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि एवं पिछली टोल दर में पांच प्रतिशत वृद्धि	18.09	5 अगस्त 2014	1	10.78 (पीडी द्वारा प्रस्तावित)	3	21 नवम्बर 2014	108
अलवर-बहरोड़-नारनोल	14.78 (दो वर्ष)	अगस्त 2014	20.81 (दो वर्ष)	अगस्त 2014	पीडी की सिफारिश एवं अनुबंध मूल्य में 10 प्रतिशत वृद्धि	40.80	14 अगस्त 2014	1	13.22 (पूनरीक्षित यातायात गणना)	2	16 अक्टूबर 2014	63

सड़क का नाम	यातायात गणना के आधार पर आरक्षित मूल्य		सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आरक्षित मूल्य		सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरक्षित मूल्य के निर्धारित करने का आधार	यातायात गणना एवं निर्धारित किये गये आरक्षित मूल्य के बीच विचलन (प्रतिशत में)	जारी की गई प्रथम एनआईटी	पुनरीक्षित किये गये आरक्षित मूल्य की संख्या	अंतिम आरक्षित मूल्य एवं उसका आधार	निविदा प्रदान करने के लिए कुल प्रयास	माह जिनमें निविदा को अंतिम रूप दिया गया	प्रथम निविदा आमंत्रित करने एवं निविदा प्रदान करने के बीच शामिल समयावधि (दिन)
	राशि	अवधि	राशि	अवधि								
चेचट-रामगंजमण्डी	2.58 (एक वर्ष)	दिसम्बर 2015	4.08 (एक वर्ष)	जनवरी 2016	यातायात की पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि एवं पिछली टोल दर में पांच प्रतिशत वृद्धि	58.14	7 जनवरी 2016	1	2.58 (एक वर्ष) (पीडी द्वारा प्रस्तावित)	2	16 फरवरी 2016	40
जोधपुर-ओसियां-फलौदी	14.37 (731 दिन)	अक्टूबर 2015	15.45 (731 दिन)	अक्टूबर 2015	यातायात वृद्धि में 6 प्रतिशत बढ़ोतरी	7.52	2 नवम्बर 2015	1	14.37 (यातायात गणना)	2	10 दिसम्बर 2015	38

अनुबंध-9

(पृष्ठ संख्या 100 पर अनुच्छेद 3.7.9 में संदर्भित)

नवनिर्मित सड़कों पर समझौतों के निष्पादन में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

सड़क का नाम	निविदा निर्धारण की तिथि	निविदादाता के साथ समझौते के निष्पादन की तिथि	टोल के शुरु होने की तिथि	समझौते के निष्पादन में देरी (दिनों में)	अवसर हानि[1] (₹ करोड़ में)
गोटन-सोजत	1 जनवरी 2013	11 जुलाई 2013	12 जुलाई 2013	191	4.98
पाली-नाडोल	12 जुलाई 2012	18 सितम्बर 2012	23 सितम्बर 2012	68	0.30
महुआ-हिण्डोन-करोली	17 जुलाई 2012	11 जनवरी 2013	24 जनवरी 2013	178	0.52[2]
नसीराबाद-केकड़ी-देवली	24 फरवरी 2014	15 अप्रेल 2014	6 मई 2014	50	1.10
जयपुर-जोबनेर-कुचामण-नागोर	2 जुलाई 2014	1 दिसम्बर 2014	1 दिसम्बर 2014	152	5.08
जोधपुर-औसियां-फलौदी	24 फरवरी 2014	30 दिसम्बर 2014	30 दिसम्बर 2014	309	5.08
बाड़ी-बयाना-खेड़ली	18 सितम्बर 2014	1 दिसम्बर 2014	10 दिसम्बर 2014	74	1.02
कुल					**18.08**

1 परियोजना निदेशकों द्वारा समझौते के निष्पादन के लिए 14 दिनों के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए अवसर हानि की गणना की गई। मूल्य जिस पर निविदा प्रदान की गई थी को अवसर हानि की गणना के लिए ध्यान में रखा गया है।

2 महुआ-हिण्डोन-करोली सड़क के मामले में, अवसर हानि की गणना केवल 23 दिनों के लिए की गई क्योंकि जिला कलेक्टर ने 1 जनवरी 2013 से टोल वसूली के लिए अनुमत किया था।

अनुबंध-10

(पृष्ठ संख्या 113 पर अनुच्छेद 3.9.7 में संदर्भित)

चयनित डिपोज के संबंध में राज्य सरकार से व्यावहार्यता अंतर के अधिक दावे को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

वर्ष	राज्य सरकार को रिपोर्ट किये गये संचालित किलोमीटर्स	बस संचालकों को जारी किये गये भुगतान के अनुसार संचालित किलोमीटर्स	दावा किये गये अधिक किलोमीटर्स	दावा किया गया अधिक व्यावहार्यता अंतर (₹ में)
2013-14	8729014	8306980	422034	4045660
2014-15	17186976	14929177	2257799	19921358
2015-16	17613404	12779767	4833637	43985131
कुल	**43529394**	**36015924**	**7513470**	**67952149**

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in